दशम माला, खंड 16, अंक 5

सोमवार, 30 नवम्बर, 1992
9 अग्रहायण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 16 में अंक 1 से 10 तक हैं।)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 16, पांचवां सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 5, सोमवार, 30 नवम्बर, 1992/9 अग्रहायण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
ब्रिटेन के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—25
*तारांकित प्रश्न संख्या : 81 से 85	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	25—291
तारांकित प्रश्न संख्या : 86 से 100	25—42
अतारांकित प्रश्न संख्या : 921 से 1090 और 1092 से 1150	42—291
अयोध्या में प्रस्तावित कार सेवा के बारे में	291-314
राज्य सभा से सन्देश	314
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (आतंकवाद दमन) कन्वेंशन विधेयक	
राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखा गया	314
मन्त्री द्वारा वक्तव्य	
कला प्रदर्शन के क्षेत्र में कार्यरत कलाकारों तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को दी जा रही सहायता में वृद्धि	
कुमारी शैलजा	314-15
लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित संदाय पर ब्याज विधेयक—पुर:स्थापित	315-16
लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित संदाय पर ब्याज अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण—सभा पटल पर रखा गया	316

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विधेयक पुरःस्थापित

(एक) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिकल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड और नार्थ-ईस्ट इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और (अंतरण) विधेयक . 316-17

(दो) दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक 317

दिल्ली विकास (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण—सभा पटल पर रखा गया 318

विधेयक पुरःस्थापित

(एक) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 318

(दो) औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक 318-19

औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण—सभा पटल पर रखा गया। 319

सभा पटल पर रखे गए पत्र 319-20

नियम 377 के अधीन मामले 320-24

(एक) राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधीन राउरकेला स्थित बिरसा मैदान का 'बिरसा मुंडा प्रतिमा समिति' को हस्तान्तरण किए जाने की आवश्यकता .

कुमारी फ्रिडा तोपनो 320

(दो) "मराठवाड़ा विकास मंडल" का गठन शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर 320-21

(तीन) चीनी उद्योगों की स्थापना करने के लिए आंध्र प्रदेश को अधिक से अधिक लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी 321

(चार) गुजरात के नाडियाड में एक और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

डा० खुशीराम डुंगरोमल जैस्वाणी 321

(पांच) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को खाद्यान्नों के पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता दिए जाने की आवश्यकता

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी 322

(छः) पश्चिम बंगाल के चम्पाहाटी और दक्षिणी 24 परगना में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन सुविधाएं दिए जाने और इसे कलकत्ता टेलीफोन केन्द्र के अधीन लाए जाने की आवश्यकता

डा० असीम बाला 322-23

(सात) उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत उड़ीसा के प्रवासी कर्मकारों के हितों की रक्षा के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री के० पी० सिंहदेव 323

(आठ) बिहार में बगहा-चितौनी रेल पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री हरि केवल प्रसाद 323

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 324-43

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सैयद शाहाबुद्दीन 324

श्री कमला मिश्र मधुकर 326

श्री पवन कुमार बंसल 328

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा 330

श्री पी० सी० थामस 333

श्री संतोष कुमार गंगवार 335

श्री गिरधारी लाल भार्गव 336

श्री एच० आर० भारद्वाज 339

खण्डवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री एच० आर० भारद्वाज 343

विषय	पृष्ठ
पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक	344-76
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	344
श्री राम कापसे	346
श्री ए० चार्ल्स	348
श्री मोहन सिंह	351
डा० सुधीर राय	353
श्री के० मुरलीधरन	354
प्रो० प्रेम धूमल	355
श्री विश्वनाथ शास्त्री	358
श्री राजेश कुमार	359
श्री पीयूष तीरकी	360
श्री चित्त बसु	360
श्री ओस्कार फर्नान्डीज	361
श्री एस० एस० आर० राजेन्द्र कुमार	364
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	366
श्री रमेश चेन्नितला	367
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	368
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	370
श्री कोडीकुन्नील सुरेश	372
श्री बी० धनंजय कुमार	374

लोक सभा

सोमवार, 30 नवम्बर, 1992/9 अग्रहायण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

ब्रिटेन के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे घोषणा करनी है ।

मैं अपनी और सभा के सदस्यों की ओर से ब्रिटेन की संसद के सदस्य माननीय जिम लेस्टर तथा ब्रिटेन संसदीय शिष्टमण्डल के अन्य माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं जो हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आए हुए हैं । शिष्टमण्डल के अन्य माननीय सदस्य इस प्रकार हैं :—

1. श्री जैक सट्रा, सांसद

2. श्री रोबिन कोरबेट, सांसद

3. श्री जॉन कुमिंग, सांसद

4. श्री बारोनेस फ्लैदर, सांसद

5. श्री टोबे जैसल, सांसद

6. श्री पीटर टेम्पल मोरिस, सांसद

यह शिष्टमण्डल 28 नवम्बर, 1992 को प्रातः दिल्ली पहुंचा । संसदीय शिष्टमण्डल के सदस्य इस समय विशेष प्रकोष्ठ में विराजमान हैं । हम अपने देश में उनके सुखद और लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं । हम उनके माध्यम से ब्रिटेन की महामहिम महारानी को, प्रधानमन्त्री, संसद वहां की सरकार तथा जनता को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं ।

11.02 म०पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

दूरदर्शन कर्मचारियों की मांगें

+

*81. श्री मोहन रावले :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन कर्मचारियों ने अखिल भारतीय स्तर पर नियमानुसार कार्य करने का आंदोलन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे दूरदर्शन कार्यक्रम किस हद तक प्रभावित हुए हैं; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) मुख्यतः दिल्ली और कलकत्ता दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माण के कुछ कर्मचारियों ने अपनी मांगों (जैसे कि अनुबन्ध में दी गई हैं) में समर्थन में 12 अक्टूबर, 1992 से (नियमानुसार कार्य) आन्दोलन छेड़ा हुआ था।

(ग) हालांकि दूरदर्शन कार्यक्रमों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी दूरदर्शन प्रोग्राम निर्माण कर्मचारियों के एक भाग द्वारा नियमानुसार कार्य के आंदोलन के कारण सामाजिक और सार्वजनिक महत्व की कुछ सेवाओं पर प्रभाव पड़ा था, उदाहरणार्थ कुछ समय से मौसम की जानकारी अपने फारमेंट में प्रसारित नहीं की जा सकी, दूरदर्शन के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों में राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के चित्रों, कैपशनों और शीर्षकों इत्यादि को नहीं दिखाया गया। खोये हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी, जो कि दूरदर्शन द्वारा दी जाने वाली एक सामाजिक महत्व की सेवा है, का टेलीकास्ट भी गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ, लेकिन यह सेवा पुनः शुरू कर दी गई है।

(घ) सरकार एवं कर्मचारियों के मध्य वार्ता के उपरांत एक समझौता हुआ है जिसके अनुसार कर्मचारियों ने आंदोलन विलम्बित करते हुए सामान्य कार्य करने हेतु अपनी सहमति प्रकट की है।

अनुबंध

दूरदर्शन कार्यक्रम स्टाफ द्वारा की गई मांगें

1. निजीकरण से पूर्व स्वायत्तता। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी को अलग-अलग करने के आधार पर 14-11-92 से पूर्व प्रसार भारती का कार्यान्वयन।

2. दूरदर्शन तथा आकाशवाणी का ऊपरी स्तर से लेकर नीचे के स्तर तक शीघ्र विभाजन।

3. दूरदर्शन समाचार संवाददाता, दूरदर्शन सहायक समाचार संवाददाता, सहायक समाचार संपादक, रिपोर्टरों, प्रस्तुति सहायकों, समाचारों/फिल्म लाइब्रेरियन तथा कैमरा मैन, प्रस्तुति उद्घोषकों सहित सभी आर्टिस्टों को नियमित करना।

4. पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात सभी दूरदर्शन कर्मचारियों के लिए विशेष ड्यूटी भत्ता। पंजाब, जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात सभी दूरदर्शन कर्मचारियों को अशांत क्षेत्र भत्ता देना।

5. कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए समयमान/समयबद्ध पदोन्नति।

6. कार्यक्रम निर्माण स्टाफ के लिए समुचित कार्योन्मुखी कर्मचारी प्रणाली।

7. सभी रिक्त पदों को भरना।

8. शिफ्टों में कार्यरत स्टाफ को शिफ्ट ड्यूटी कार्मिक घोषित किया जाना चाहिए।

9. युक्तिमूलक तथा निष्पक्ष स्थानांतरण नीति तथा कार्यक्रम निर्माण स्टाफ के लिए इसका उचित रूप से अनुपालन।

10. समाप्त किए हुए तथा निर्जीव पदों को उपयुक्त नियमित पदों में परिवर्तित करना।

11. आंदोलन के दौरान तथा उसके उपरांत कर्मचारियों को दंडित न करना।

12. ड्यूटी पर तैनात किसी कर्मचारी की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने अथवा घायल हो जाने पर कर्मचारी परिवार को पर्याप्त मुआवजा देना।

13. उच्च प्रशिक्षण तथा विदेशी दौरों के लिए वरिष्ठता के आधार पर अखिल भारतीय पैनल बनाना।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, 59 साल से दूरदर्शन शुरू हो गया है और अब 33 वर्ष हो गए, मेरे क्षेत्र मुम्बई में दूरदर्शन केन्द्र है उसे आज 20 वर्ष हो गए हैं। स्व० प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी जी ने 1976 में दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रोडक्शन काम के विभाजन के लिए अधिसूचना जारी की उसे 16 वर्ष हो गए लेकिन इतने वर्ष होने के बावजूद भी दूरदर्शन के निर्माण कार्यक्रमों के जो

प्रोडक्शन विभाग हैं, जहां प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग विभाग है उनमें से 33 केटेगिरी ऐसे हैं, उनमें से कितने केटेगिरी के लोगों को अभी तक प्रमोशन दिए हैं और एक से ज्यादा और कितने केटेगिरी हैं जिन्हें प्रमोशन दी गई है और जो इंजिनियरिंग विभाग है उसे हर साल में तीन-तीन साल के बाद प्रमोशन दिए जाते हैं तो यहां जो स्टाफिंग पैटर्न है वहीं अभी तक क्यों नहीं स्टाफिंग पैटर्न लागू किया गया है ?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : महोदय, कितने लोगों को पदोन्नति दी गई, यह बताने के लिए मैं एक नोटिस की अपेक्षा करता हूं। यह सच है कि उस समय जब यह विभाग इन्दिरा जी के अधीन था, द्विभाजन पर सहमति हो गई थी। उसके बाद, द्विभाजन पर विचार करते समय, कठिनाइयां आईं। रेडियो का विकास किया जा रहा था और जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि बुनियादी सुविधाओं दोनों-हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की बुनियादी सुविधाओं सहित देश के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से को कवर किया गया। उसी दौरान, टेलिविजन आये और जब टेलीविजन आये और जब टेलीविजन भी विकसित किए जा रहे थे पचास, प्रतिशत हिस्सा अभी भी ऐसा था जहां टेलीविजन का विकास किया जाना था। अब हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं, वह यह है कि वे लोग जो पहले से ही रेडियो में या अन्य संगठनों में कार्य कर रहे हैं, वे लोग द्विभाजन का यह कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि यदि हम द्विभाजन करते हैं तो उनकी पदोन्नति हमेशा के लिए प्रभावित होगी, क्योंकि वे ऐसी सीमा तक पहुंच चुके हैं। दूरदर्शन में उनमें से कुछ लोग यह कह रहे हैं, सब नहीं कह रहे हैं कि यदि आप हमारे पदों का द्विभाजन नहीं करते तो सब पद रेडियो में कार्यरत लोगों को मिल जायेंगे। मैं दो बातें हैं। इस कठिनाई का हमें सामना करना पड़ रहा है। जब यह बात सितम्बर में, मेरे ध्यान में लाई गई थी, मैंने तुरन्त एक समिति बनाई एक बड़ा ग्रुप इसका विरोधकर रहा है और एक छोटा ग्रुप इसका समर्थन कर रहा है। श्री बर्धन ने प्रभार सम्भाला और बैठकें शुरू की। इस समय मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। कर्मचारियों के साथ बातचीत चल रही है। हम उनसे सहायता ले रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस मामले को सुलझा सकते हैं। मैं इस सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हम मामले की विस्तार से जांच कर रहे हैं और निश्चय ही जहां तक संभव होगा हम इसका समाधान निकालेंगे और सभा को संतुष्ट कर पायेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि कर्मचारियों को कई सालों से प्रमोशन नहीं मिले हैं, इसका मेरे पास रिकार्ड है। 33 केटेगरीज में से 6 केटेगरीज में एक बार प्रमोशन मिला है और एक केटेगरीज में 2 बार प्रमोशन मिला है, बाकियों को प्रमोशन नहीं मिला है, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा जी के समय में यह बाइफरकेशन हुआ था और इन्दिरा जी ने ही कहा था कि आकाशवाणी के लोगों को वापिस भेजेंगे, कम से कम इन्दिरा जी द्वारा कही गई बात को तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, उन कर्मचारियों को अभी तक आकाशवाणी में क्यों नहीं भेजा गया। इसलिए वहां पर आंदोलन चल रहा है।

इसी तरह से मुम्बई दूरदर्शन केन्द्र में 15-16 वर्षों से लांगटर्म कैजूअल स्टाफ चला आ रहा है, उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है। कोर्ट ने उसे कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए

आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन अभी तक उनको परमानेंट नहीं किया गया है। उन कर्मचारियों को आप रेगुलर करने वाले हैं और क्या रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से उनको रेगुलर किया जाएगा ? मेरी मन्त्री महोदय से विनती है कि इसका उत्तर दें।

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : महोदय, जहां तक नैमित्तिक कर्मचारीगण का सवाल है, विभिन्न न्यायालयों ने, जिसमें सी०ए०टी० भी शामिल है अपने निर्णय दिए हैं। नैमित्तिक कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के बारे में जहां तक सम्भव हुआ है हम न्यायालयों के फैसले से सहमत हुए हैं। लेकिन जहां तक कार्मिक विभाग या अन्य विभाग ने महसूस किया कि वे अपील करना चाहेंगे और उन्होंने अपील की, वे मामले न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन यह सत्य है कि मांगों में से एक मांग यह भी रही है और कमेटी उस पर विचार कर रही है।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : महोदय, दूरदर्शन का एक वर्ग या कोई दूसरा वर्ग हड़ताल कर रहा है, जिसमे जनता को काफी असुविधा हो रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कर्मचारियों द्वारा उठाई गई न्यायोचित मांगों पर ध्यान देने के लिए कोई कारगर तन्त्र है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हड़ताल के दौरान महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के प्रसारण को जारी रखने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है यदि हां तो उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि हड़ताल समाप्त करने के लिए सरकार और कर्मचारियों के बीच किन शर्तों पर सहमति हुई है।

श्री अजित पांजा : महोदय, उत्पन्न विवादों अथवा मांगों से सम्बन्धित मुद्दों को निपटाने हेतु कोई बनी-बनायी प्रक्रिया नहीं है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि श्री वर्धन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन की गयी है ताकि विवादों को शीघ्रतापूर्वक निपटाया जा सके।

इस प्रकार की स्थायी प्रक्रिया तब तक नही बनाई जा सकती जब तक कि यह एक औद्योगिक विवाद अथवा अन्य प्रकार के विवाद का रूप न ले ले। जहा कि आई० डी० अधिनियम के अन्तर्गत एक स्थायी प्रक्रिया है। जहां तक कि निलम्बन और आरोप लगाने का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इसके लिए दबाव न डालें क्योंकि हमने निलम्बन आदेश वापस ले लिया है और सरकार तथा कर्मचारियों के बीच अच्छे सम्बन्ध बन रहे हैं तथा मुद्दों को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं और मैं आपका भी समर्थन चाहता हूं कि इस स्तर पर इस बात पर जोर न दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप एक बात का उत्तर दे चुके हैं तो आपको अन्य बातों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अजित पांजा : जहां तक उठाये जा रहे कदमों का सम्बन्ध है, मैं कहता हूं कि हम कुछ कदम उठा रहे हैं ताकि आवश्यक सेवायें सुचारू रूप से बनी रहें। जैसे ही ये कदम पूरे हो जायेंगे मैं माननीय सदस्यों को निश्चित रूप से इसकी जानकारी दूंगा।

श्री संफुद्दीन चौधरी : कर्मचारी संगठन की एक मांग प्रसार भारती अधिनियम को लागू करने

की भी है। मैं एक बात जानना चाहता हूं। बहुत समय पूर्व संसद द्वारा सर्वसम्मति से इस कानून को बनाया गया था। प्रसार भारती अधिनियम को लागू करने की राह में क्या अड़चनें हैं? अन्यथा इसे फिर से उठाया जायेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें परेशानी होगी।

श्री अजित पांजा : महोदय, निश्चित रूप से यह एक मांग है। जब इस सरकार द्वारा प्रसार भारती विधेयक की जांच की जा रही थी तो यह पाया गया था कि जिस सरकार ने इसे सर्वसम्मति से इस सभा में तथा राज्य सभा में पारित किया था वह व्यक्तिगत कारणों से इसे लागू नहीं कर पायी। उस समय अधिसूचना जारी करना आवश्यक था। महोदय, फिर दूसरी सरकार आई। उसने उस बैठक में, जिसमें प्रधानमन्त्री भी मौजूद थे, स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इस स्तर पर जब तक और अधिक चर्चा नहीं की जाती है, इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। महोदय, फिर जब यह सरकार आयी तो हमने इसकी जांच की और सर्वप्रथम हमने जो जांच की वह इन कर्मचारियों से सम्बन्धित है। महोदय इस समय आकाशवाणी और दूरदर्शन में 35.000 कर्मचारी हैं। हमने यह पाया कि उन्हें विकल्प देने का प्रश्न है लेकिन उस विकल्प को लागू करने के पश्चात् यदि बड़ी संख्या में कर्मचारीगण प्रसार भारती मे जाना नहीं चाहते हैं तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत हम उन्हें सरकारी नोकरी छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। परन्तु यदि वे नहीं जाते हैं और यहीं बने रहते है। तो उन्हें एक अतिरेक निकाय में आना पड़ेगा। लेकिन यह एक ऐसा विषय है अर्थात रेडियो और टी० वी० जिसमें एक स्थायी गायक अथवा उद्घोषक या कुछ अभियंता अथवा कैमरामैन हैं। उनका हम क्या करेंगे? महोदय, इन बातों पर विचार किया जा रहा है ताकि इन कर्मचारियों के लाभ हेतु उन्हें इस स्पष्ट आशय का ज्ञापन दिया जाए कि वे इस उद्देश्य के लिए यहीं बने रहेंगे।

श्री अनिल बसु : क्या कोई समय-सीमा है?

श्री अजित पांजा : इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। महोदय, परामर्शदात्रि समिति के सभी सदस्यों ने यह निर्णय किया है कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए। सरकार ने यह निर्णय किया कि (क) सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर इस पर चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि इस पर दोनों सभाओं द्वारा मिल कर सर्व सम्मतनिर्णय लिया गया था और (ख) कर्मचारियों के साथ•••

अध्यक्ष महोदय : परामर्शदात्रि समिति में आपने क्या चर्चा की?

श्री अजित पांजा : मुझे दुःख है कि परामर्शदात्रि समिति नहीं है। यह परामर्शदात्रि समिति नहीं सरकार का निर्णय है; और

(ख) पर चर्चा कर्मचारी संघ के साथ करनी है। महोदय, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमने क्या चर्चा की है परन्तु चूंकि परामर्शदात्रि समिति इस मामले में बहुत अधिक चिन्तित है, मैंने समिति के सभी सदस्यों को एक पत्र लिखा है जिसमें प्रस्तावित संशोधन का उल्लेख किया है औ इस सत्रावधि में इस पर चर्चा की जानी है। (व्यवधान)

श्री राम कापसे : दूरदर्शन के कर्मचारियों ने 12 अक्तूबर से नियम के अनुसार कार्य शुरू किया

और अन्ततः उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस बीच 12 अक्तूबर से हड़ताल वाले दिन तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया था। हड़ताल के पश्चात् सिर्फ सरकार ने ही नरम रवैया क्यों अपनाया ? मैं यह जानना चाहूंगा।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि कितना नुकसान उठाया गया क्योंकि इन दिनों कोई विज्ञापन भी नहीं दिखाया जा सका था।

श्री अजित पांजा : महोदय, जहां तक उनके प्रश्न के अन्तिम भाग का सम्बन्ध है, मुझे एक नोटिस की आवश्यकता है क्योंकि इस प्रश्न पर कि विज्ञापन न देने से कितना नुकसान हुआ, मुझे उत्तर देने के लिए एक नोटिस की आवश्यकता है।

महोदय, जहां तक मांगों का सम्बन्ध है, प्रत्येक पर श्री वर्धन द्वारा विचार किया गया था और सिर्फ उन मांगों को छोड़कर, जो हमारे नियन्त्रण में नहीं हैं अर्थात् सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन नहीं हैं हमने उन्हें कार्मिक विभाग को सौंप दिया है जैसे कि 'शिफ्ट ड्यूटी' भत्ता। हमने यह पाया कि कुछ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये 'शिफ्ट ड्यूटी' भत्ते की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए धनराशि की आवश्यकता है। अतः इसे वित्त मन्त्रालय और साथ ही कार्मिक विभाग को सौंपे जाने की आवश्यकता है क्योंकि इस प्रकार के 'शिफ्ट ड्यूटी' भत्ते सरकार के अन्य विभागों में भी दिये जाते हैं।

महोदय, जहां तक विभिन्न पदों को भरे जाने का सम्बन्ध है, आन्दोलन के दिनों में और उसके पश्चात् किसी प्रकार का शोषण नहीं किया गया। हमने सम्बन्धित प्राधिकारियों को पहले ही यह पत्र परिचालित कर दिया था कि किसी प्रकार का कदम न उठाया जाए, मेमो वापस ले लिये जाएं क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं।

अतः 12 बजे से लेकर तब तक सरकारी कार्य होता है जब तक वे करना बन्द नहीं करते। सरकार इसी कार्य में लगी हुई थी लेकिन माननीय सदस्य अपने अनुभवों के आधार पर यह समझते होंगे कि यह केवल अकेले हमारे ही हाथ में नहीं है सरकार की अन्य एजेंसियां भी इस कार्य में शामिल हैं फिर भी हम कार्य को शीघ्र निपटाने का प्रयास कर रहे हैं।

तहसील मुख्यालयों को एस० टी० डी०
सुविधा से जोड़ना

+

*32. **कुमारी विमला वर्मा :**
श्री जीवन शर्मा :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी तहसील मुख्यालयों को मार्च, 1992 तक एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ने का कोई निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन तहसील मुख्यालयों के राज्य-वार नाम क्या हैं जिन्हें एस० टी० डी० सुविधा से जोड़े जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क), जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

एस० टी० डी० से जोड़े जाने वाले प्रस्तावित तहसील मुख्यालयों की राज्यवार संख्या

राज्य का नाम	एस० टी० डी० से जोड़े जाने वाले तहसील मुख्यालयों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	169
असम	80
बिहार	कोई तहसील नहीं
गुजरात	108
हरियाणा	25
हिमाचल प्रदेश	50
जम्मू और कश्मीर	37
कर्नाटक	73
केरल	02
मध्य प्रदेश	245
महाराष्ट्र	193
गोवा	05
उत्तर पूर्व	
अरुणाचल	कोई तहसील नहीं

1	2
मणिपुर	36
मेघालय	कोई तहसील नहीं
मिजोरम	कोई तहसील नहीं
नागालैंड	कोई तहसील नहीं
त्रिपुरा	27
उड़ीसा	47
पंजाब	कोई तहसील नहीं
राजस्थान	163
तमिलनाडु	सभी पूर्ण कर लिए हैं
उत्तर प्रदेश	154
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	कोई तहसील नहीं
जोड़ :	1414

[हिन्दी]

कुमारी विमला वर्मा : वर्णित 1414 तहसील एक्सचेंज को एस० टी० डी० से जोड़ने के लिए देश में कितने उपकरण बने हैं और कितनों का आयात करना पड़ रहा है । उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है । ये उपकरण देश में बनें, इस हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ? इन्हें पूरा करने की समय सीमा क्या निर्धारित की है ।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का फैसला है कि मार्च, 1993 तक हम तहसील, ताल्लुक या मण्डल हैडक्वार्टर तक जैसे-जैसे जिस प्रदेश में जैसी व्यवस्था है, उनको भी एस० टी० डी० से जोड़ें । इस साल मार्च 1992 तक हमने देश के सभी जिलों में एस० टी० डी० की व्यवस्था की है । हम चाहते हैं कि इसे सब तहसीलों तक ले जायें ताकि गांव तहसील से जुड़ जायें, तहसील सारे देश और दुनिया से जुड़ जावे । हम यह सब संचार नीति के अनुसार करेंगे । जहां तक माननीय सदस्या ने उपकरणों की बात पूछी है हमारे पास इसका इन्तजाम है लेकिन कई पार्ट्स ऐसे हैं जिनको कभी-कभी बाहर से मंगाना पड़ता है । ज्यादातर हम अपने देश में ही बना रहे हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है ।

कुमारी विमला वर्मा : क्या ब्लाक हैडक्वार्टर तथा बड़े ग्रामों को एस० टी० डी० की सुविधा से जोड़ने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और हां तो कब तक ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने पहले कहा कि कहीं तहसील नहीं है लेकिन मण्डल हैडक्वार्टर है और जैसे आन्ध्र प्रदेश में मण्डल है। हमारा उद्देश्य है कि जिला, तहसील या ब्लाक हैडक्वार्टर अर्थात् जहां-जहां जिस प्रदेश मे जैसी व्यवस्था है, उनको हम जोड़ दें और उसके बाद गांव में। लेकिन जहां-जहां व्यवस्था हो रही है, वहां साथ-साथ जोड़ रहे हैं। इस प्रकार कई गांव अभी तक इस दौरान जोड़े गए हैं। जो गांव 20 कि० मी० तक आते हैं, उनको ग्रुप डायलिंग स्कीम के अन्तर्गत जोड़ते जा रहे हैं लेकिन कोई टारगेट फिक्स नहीं किया है कि पहले इस गांव को जोड़ेंगे और किसी गांव को बाद में जोड़ेंगे। सरकार का मन यह है कि एस० टी० डी० सुविधा को देश के कोने-कोने तक हर एक गांव तक पहुंचा दिया जाये। जहां-जहां यह व्यवस्था होती रहेगी, इसी तरीके से हम करते रहेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्रीमन्, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि उत्तर प्रदेश में 154 तहसीलों को एम० टी० डी० से जोड़ने की योजना है। उ० प्र० में जौनपुर, गाजीपुर और बलिया पूर्वान्चल के बहुत ही प्रमुख शहर हैं। इन शहरो में पुराने उपकरण ही कार्य कर रहे हैं। जौनपुर के लिए 3-4 वर्ष पहले इसी हाउस में यह आश्वासन दिया गया था कि वहां टेलीफोन एक्सचेंज अविलम्ब नये उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा और बाद में माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि जौनपुर में अतिशीघ्र इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज बना दिया जाएगा किन्तु आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पूर्वान्चल के इन शहरों में, विशेषकर जौनपुर और गाजीपुर में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे और साथ ही 154 तहसील में कब से यह सेवा सुलभ हो जायेगी ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, एक खास जिला के लिए मेरे पास इस वक्त पूरी इन्फर-मेशन नहीं है कि जौनपुर जिला में कहां-कहां इलैक्ट्रानिक्स एक्सचेंज है और कहीं नहीं है लेकिन पूरे देश के लिए हमारी एक ही नीति है कि हम इलैक्ट्रानिक्स एक्सचेंज ही लायें और अब स्थिति ऐसी आ गयी है कि कोई भी पुराना एक्सचेंज लगाने के लिए तैयार नहीं है···

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं पूछ रहा हूं कि पुराने एक्सचेंज हटाकर नये कब तक लगवा रहे हैं ?

श्री राजेश पायलट : दस साल पहले लोग क्रास बार के प्रति आकर्षित थे लेकिन अब लगवाने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे देश में करीब इस वक्त 55 से 60 प्रतिशत इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

हमारी उम्मीद है कि इस साल हमारा प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा। जो सरकार की नयी नीति आयी है उससे प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। आज कहना बहुत मुश्किल है कि कब तक 100 प्रतिशत इलैक्ट्रोनिक हो जाएगा, उसकी कैलकुलेशन हो रही है।

जहां-जहां पुरानी एक्सचेंज हैं उनको हम जल्दी बदल रहे हैं। यू० पी० का जहां तक सवाल है वहां पर अभी 45 प्रतिशत के करीब इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज हैं। हमें उम्मीद है कि इस साल इसमें

की बढ़ोत्तरी होगी । जहां तक पूर्वोत्तर के जिलों की बात है वहां पर हम प्रायोरिटी दे रहे हैं । जो पिछड़े इलाके हैं और जो दूर-दराज के इलाके हैं वहां पर पहले दे रहे हैं जिससे संचार की व्यवस्था वहां पहले पहुंचे । जो इलाके अग्रसर हैं उनको हम प्रायोरिटी बाद में दे रहे हैं । यह सरकार की नीति है ।

[अनुवाद]

श्री मृत्युन्जय नायक : तहसील और जिला मुख्यालय में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने के शानदार कार्य के लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं, मेरे जिले में बबुरिया पचायत है को एस० टी० डी० और इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कार्यभार कार्य प्रणाली, तन्त्र और एस० टी० डी० की वर्तमान मांग को दृष्टिगत रखते हुए क्या माननीय मन्त्री महोदय कार्यप्रणाली और तन्त्र में सुधार सुनिश्चित करेंगे ? क्या वह इससे पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव से अवगत हैं और उनका क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय मैं श्री सोनकर शास्त्री द्वारा उत्तर प्रदेश में 154 तहसीलों को मार्च 93 तक जोड़ने के बारे में पूछे गए अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देना भूल गया हूं।

[हिन्दी]

आपके एक सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया । 154 तहसीलें हैं, हमारा टारगेट मार्च 1993 का है। यू० पी० की जो 154 तहसीलें हैं, मार्च 1993 तक यह तहसीलें एस० टी० डी० से जुड़ जायेंगी ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या मार्च 1993 तक यह पूरा हो जाएगा।

श्री राजेश पायलट : जी हां मार्च 1993 तक पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य ने इसका वित्तीय प्रभाव और अन्य बातों के बारे में पूछा है। हमने इन सब बातों पर विचार किया है। सरकार यह महसूस करती है कि संचार सभी अन्य आधारभूत ढांचों के लिए एक आधारभूत ढांचा है यहां तक कि औद्योगिक प्रगति के लिए भी संचार व्यवस्था आवश्यक है। सरकार संचार क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दे रहीं है। इसी कारण इस वर्ष इस क्षेत्र में वित्तीय निवेश की हमारी एक बड़ी योजना है । हमें इसकी जानकारी है । मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी तहसील, जिला या खंड मुख्यालय में हम एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं वहां यदि उसी दिन गांवों को जोड़ा जा सकता है तो हम यह भी कर रहे हैं। अतः पंजाब, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ऐसे अनेकों गांव हैं जहां एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध है । जहां कहीं भी तहसील मुख्यालय के अतिरिक्त गांव में एस० टी० डी० की सुविधा दी जा सकती है तो हम उसे दे रहे हैं । मुझे विश्वास है कि मार्च 93 तक इस समस्या के एक बड़े भाग का निवारण हो सकेगा और देश के प्रत्येक तहसील मुख्यालय में हम एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे ।

मैंने यह भी निर्णय लिया है कि माननीय संदस्यों के स्थायी पते पर एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यदि माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित हैं, तो एस० टी० डी० सुविधा गांव में उनके स्थायी पते पर उपलब्ध कराई जाएगी जिससे देश के राजनैतिक कार्यों के लिए वह उपलब्ध रहें। हमने संसद के सभी माननीय सदस्यों के लिए यही मापदंड अपनाया है।

[हिन्दी]

श्री प्रेम धूमिल : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा देने के लिए क्या प्राथमिकता दी जायेगी ? "ख" भाग; बहुत-से क्षेत्रों में कई स्थानों पर लोगों को कहा गया कि आप पैसे जमा करवा दीजिए, 11 लोग पैसे जमा करवा देंगे तो एक्सचेंज लग जाएगा। सैकड़ों ऐसे स्थान हैं जहां पर 6 साल पहले लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं, लेकिन आज तक वहां पर इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया ताकि उनके यह सुविधा प्रदान की जाए। क्या मंत्री महोदय यह जानने का प्रयास करेंगे कि कौन-कौन से स्थान हैं ? क्या वहां पर एक्सचेंज लगवाने को प्राथमिकता देंगे ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि गांव में इतना उत्साह है टेलीफोन के लिए जहां हमने पी० सी० ओ० लगवाए थे वहां से 50-50 दरख्वास्तें आ रही हैं। यह सही बात है कि हमने जब कहा था तो दो ऐंगल से कहा था, एक, संचार व्यवस्था बढ़ाने के लिए, दूसरा रिवेन्यु बढ़ाने के लिए। गांव टेलीफोन जाएगा, लोग उसका इस्तेमाल करेंगे और फिर उसकी डिमांड होने लगेगी। दोहरी नीति सरकार की थी।

श्री राजवीर सिंह : एक भी टेलीफोन काम नहीं कर रहा है···

श्री राजेश पायलट : यह सबसे बढ़िया बात है।

श्री राजवीर सिंह : एक भी टेलीफोन काम नहीं कर रहा है और ये नाना जगते घूमते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : मैंने आपकी बात सुन ली है। मुझे जवाब तो देने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने हमेशा कहा है कि सुधार की जरूरत है और हम सुधार कर रहे हैं और करते रहेंगे। यह कोई ऐसा काम नहीं कि कोई एक दिन में कर देगा कि आज सारा सुधार पूरा हो गया। यह एक निरन्तर प्रयास है। सुधार करने की तरफ। हमारे प्रयास जारी हैं और उन प्रयासों में माननीय सदस्यों के कोई सुझाव हों तो उन्हें हम लागू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एकदम यह कह देना कि कुछ नहीं हो रहा है, यह तो देश में कोई नहीं मानेगा। आज आप किसी भी सड़क पर चले जाइए, हर सड़क पर आपको एस० टी० डी०, पी० सी० ओ० मिल जायेंगे। आज तक ये कभी इतने लिबरल नहीं किए गए हैं। करीब 20-22 हजार एस० टी० डी०/पी० सी० ओ० सारे देश में इंस्टाल किए हैं। (व्यवधान)

श्री राजेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, आप मन्त्री जी से प्रश्न का उत्तर दिलवाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, 27 मिनट में सिर्फ दो प्रश्न हुए हैं। अन्य प्रश्न भी हैं।

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण

*83. श्री छेदी पासवान : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पिछले दो वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, कितने नलकूपों को बिजली दी गयी और 1992-93 के दौरान कितने नलकूपों को बिजली देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान क्रमशः 5514 तथा 2712 पम्पसैटों का ऊर्जन किया गया है। वर्ष 992-93 के लिए 3960 पम्पसैटों के ऊर्जन का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) से (घ) विभिन्न राज्यों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय तथा लक्ष्यों के बारे में निर्णय, योजना आयोग द्वारा प्रतिवर्ष सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्ड के साथ परामर्श करके किया जाता है। लक्ष्यों में वृद्धि करने के बारे में बिहार सरकार/बिहार राज्य बिजली बोर्ड से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है वह उत्तर अत्यन्त ही असन्तोषजनक है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की तरफ से जो सूचना मन्त्री जी को ही प्राप्त हुई है वह फर्जी है। मैं स्पष्ट रूप से माननीय मन्त्री जी को बता देना चाहता हूं कि मार्च 1992 तक नए नलकूपों में 10 में बिजली दी गई। मार्च 1993 तक 83 नलकूपों को ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य है। 1500 नलकूप आधुनिकीकरण के तहत 45 नलकूपों का विद्युतीकरण मार्च 1992 तक हुआ और 315 नलकूपों को ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य 1992-93 में है। 3212 के पुनर्स्थापन के अधीन 548 नलकूपों को मार्च 1992 तक ऊर्जान्वित किया गया।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आपको प्रश्न पूछना है, भाषण नहीं देना है।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसके ऊपर बहुत-से प्रश्न हैं। आप प्रश्न पर आइए।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, उत्तर बहुत असन्तोषजनक है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप प्रश्न पूछिए, वह समझार मिनिस्टर हैं।

श्री छेदी पासवान : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। 1992-93 के प्रस्ताव है 718 जबकि माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि 1992-93 के लिए 3960 पम्पसेटों के ऊर्जन का लक्ष्य रखा गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार के प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। आप कृपया प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने भी पंपसेटों को ऊर्जान्वित किया गया है वह चालू हालत में हैं या नहीं और जो 1992-93 का लक्ष्य रखा गया है, उसे कब तक पूरा कर रहे है ?

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, योजना आयोग प्रदेश सरकार और प्रदेश के विद्युत परिषद से मिलकर किसी भी प्रदेश का प्लान आउटले तब और टार्गेट तय करती है। माननीय पासवान जी ने पूछा है कि दो साल का विवरण और इस साल का विवरण क्या है। वर्ष 1990-91 में बिहार राज्य को 44 करोड़ 66 लाख रुपया आयोग द्वारा दिया गया। उसमें केवल 26 करोड़ 41 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया और टार्गेट था 1500 पंप ग्राम विद्युतीकरण। उसमें केवल 528 ही किए गए। फिर 1991-92 में 14 करोड़ 85 लाख रुपया प्लानिंग कमीशन द्वारा दिया गया। उसमें केवल 11 करोड़ 44 लाख रुपया बिहार राज्य ने इस्तेमाल किया। 350 लक्ष्य था और 517 पूरा किया। 1992-93 में, यानि पिछले 6 महीनों मे 22 करोड़ 95 लाख रुपया दिया गया और अभी पिछले 6 महीनों में बिहार सरकार ने केवल 49 लाख रुपया इस्तेमाल किया है। इनका लक्ष्य 365 निर्धारित किया गया था, जिसमें से मात्र 105 ही पूरा किया है, यानि जो प्लान आउटले बिहार सरकार को दिया गया, उसका भी वे पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए। जो टार्गेट तय किया गया था, वह भी पूरा नहीं हो पाया। बिहार मे यह स्थिति है, उनका यह उत्तर है।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत, जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग को और लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग को केन्द्रीय सरकार अनुदान के रूप में राशि देती है, उसी प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के साथ न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के लिए भी यह सरकार अनुदान देने का विचार रखती है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर जैसे राज्य सरकारें ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अपने यहां इम्पलीमेंट कराती हैं, लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के कारण राज्य सरकारों को जो घाटा होता है, उसका कुछ अंश क्या भारत सरकार देने का विचार रखती है।

श्री कल्पनाथ राय : जो प्रश्न पासवान जी ने पूछा है, उस सम्बन्ध में, मैंने पहले ही बता दिया है कि जितना प्लान आउटले बिहार सरकार को दिया गया, उनके कहने पर, उन्होंने किसी भी वर्ष अपने प्लान टारगेट को पूरा नहीं किया, जो आउटले उन्हें दिया गया, न उसे कभी खर्च किया। इसके बावजूद, जब बिहार सरकार ने कहा, तो हमने उसे पैसा दिया।

श्री छेदी पासवान : हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर तो दीजिए।

श्री कल्पनाथ राय : मैं वही कह रहा हूं। इसके बाद बिहार सरकार ने रिक्वेस्ट किया—रिहैबिलिटेशन आफ डैफीशियेंट यानि जो पम्पसेट चल नहीं रहे हैं, जिनका सिस्टम खराब हो गया है, उसके लिए पैसा दिया जाए, तो हमने बिहार सरकार को इस मद में 47 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया। लेकिन उस पैसे वर्ग भी वे खर्च नहीं कर पाये और केवल 25 करोड़ रुपया ही उन्होंने खर्च किया। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, बिहार में आज तो तबाही, दुर्दशा, गरीबी, भुखमरी और क्षोट की स्थिति है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो वह है एनर्जी का अभाव। इसलिए मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार को और इस सदन को वहां की स्थिति को गम्भीरता के साथ लेना चाहिए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर देने से ही किसी समस्या का निदान नहीं हो जाता है। आज स्थिति यह है कि बिहार में सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं, खानें हैं परन्तु आपकी नई आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति के तहत भी बिहार में कोई प्राइवेट सैक्टर नहीं आ रहा है, जैसी कि मुझे जानकारी मिली है। आप कह रहे हैं। कि हमने बिहार सरकार को पैसा दिया, पैसा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार सरकार के पास धन का अभाव है, जिसके कारण वहां कोई नया प्लांट लगने वाला नहीं है। इसी तरह वहां यद्यपि रेडियो एक्टिव मैटीरियल मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी कोई न्यूक्लिअर पावर प्लांट लगाने की योजना नहीं है। सरकार ने जवाब दिया है कि उन्होंने वहां के बिजली बोर्ड से बात की, बिजली बोर्ड को लिखा परन्तु उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं आया। मैं आपके माध्यम से सरकार से और खासकर मन्त्री जी से, जो बिहार के बाहर इलाके से आते हैं, आग्रह करूंगा, विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि आप आरोप प्रत्यारोप की बजाए यहां कोई पोजोटिव आश्वासन दीजिए, बिहार सरकार से बात कीजिए, मुख्यमन्त्री को बुलाने की आवश्यकता हो...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान जी बिजली का उत्पादन और विद्युतीकरण दो अलग चीजें हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या केन्द्रीय सरकार बिहार के मुख्यमन्त्री को बुलाकर, उनको पत्र लिखकर, बातचीत करने का विचार रखती है, क्या उसने बातचीत की है और क्या वह भविष्य में 5-10 नहीं 20 साल की कोई ऐसी योजना बना रही है कि जिससे बिहार की वर्तमान स्थिति में सुधार आ सके।

श्री कल्पनाथ राय : माननीय पासवान जी ने यहां बिहार के बारे में जो चिन्ता जाहिर की है, मैं उनकी चिन्ता से सहमत हूं और बिहार के सभी संसद सदस्यों से प्रार्थना करूंगा, चाहे वे किसी भी दल के हों कि जब आप कहें, मैं उनको बुलाकर, बिहार की स्थिति के सम्बन्ध में बात कर सकता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि आज बिहार में जो प्लांट लोड फैक्टर है वह 1456 मेगावाट की इन्सटाल्ड कैपेसिटी है, जिसमें से केवल 22 परसेंट ही प्लांट लोड फैक्टर वहां है यानी लोएस्ट इन द कन्ट्री। यानी लोएस्ट इन दि कंट्री है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है। क्या इसके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार हो सकती है ? (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : बिहार की सरकार के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार भी जिम्मेदार है। (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : मैं कोई कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : सारे पावर हाउस की मशीनें खराब हैं, उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : आपको जानकारी देनी जरूरी है। 1988-89 में प्लान्ट लोड फैक्टर 37 प्रतिशत था, फिर 1989-90 में 31 प्रतिशत था, फिर 1990-91 में 24 प्रतिशत था, 1991-92 में 21 प्रतिशत था और आज 22 प्रतिशत है, तो 37 से घटकर 22 प्रतिशत आ गया।

अध्यक्ष महोदय, आज बिहार में इनकी शार्टेज की क्या प्राब्लम है, वह मैं बताना चाहता हूं। 1988-89 में 5.6 प्रतिशत थी, 1989-90 में 20 प्रतिशत, 1990-91 में 39 प्रतिशत, 1991-92 में 43 प्रतिशत थी और आज 43.8 प्रतिशत है। बिहार की स्थिति बहुत दयनीय है और अध्यक्ष महोदय, जैसाकि पासवान जी ने कहा है, अगर बिहार के लिए मन में चिन्ता नहीं होती, तो बिहार के लिए कोयल कारो योजना, जो 710 मे०वा० की है (व्यवधान) मैं अध्यक्ष महोदय, पासवान जी को यह बताना चाहता हूं कि बिहार की समस्या को हल करने के लिए कोयल कारो की हाइडल पावर योजना जो 13-14 सौ करोड़ रुपए की है...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बिहार की बिजली समस्या को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने पासवान जी की चिन्ता को मद्दे नजर रखते हुए 14 सौ करोड़ रुपए की 710 मेगावाट की कोयल कारो योजना को मंजूर किया है। उसके लिए भी 15 करोड़ रुपए इस साल एलोकेट किए गए हैं, लेकिन झारखण्ड आंदोलन के कारण वहां पर यह काम शुरू नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा पासवान जी और सभी संसद सदस्य कोयल कारो योजना के लिए जो पैसा भारत सरकार ने आवंटित किया है, वह बिहार सरकार की प्राणदायिनी योजना है, उस परियोजना को बिहार में केन्द्र सरकार की मदद से लागू करें जिससे बिहार-वासियों को बिजली मिल सके।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आप भी देख रहे हैं, माननीय मंत्री सवालों का जवाब कम और गैलरी को ज्यादा एड्रेस कर रहे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में मूल प्रश्न था, उसका इन्होंने जवाब दिया है, 1991-92 और 1992-93 के सम्बन्ध में, मैं उसी सम्बन्ध में जानना चाहता हूं और इन्होंने बताया भी है कि जो लक्ष्य रखा था वह पूरा

नहीं हुआ और जो खर्च होना चाहिए था वह खर्च नहीं हुआ, इनसे जानना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जब इनकी पार्टी की हुकूमत बिहार में थी, तो क्या लक्ष्य रखा गया था क्या खर्च हुआ और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात को महसूस करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण बिहार में तब तक नहीं हो सकता जब तक कि बिहार में विद्युत जनरेशन की क्षमता को नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय कोयल कारो परियोजना का शिलान्यास कब करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी, जनरेशन, ट्रांसमीशन और इलेक्ट्रीफिकेशन, ये तीन अलग-अलग इश्यूज हैं। चूंकि इलेक्ट्रीफिकेशन का प्रश्न आपका है इसलिए आप उस पर पूछें।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में नहीं पूछता, अगर मंत्री महोदय ने कोयल कारो के बारे में बताया नहीं होता। चूंकि इन्होंने बताया है इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि उसका शिलान्यास कब करेंगे और सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य था और वह लक्ष्य अचीव किया गया या नहीं ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 72 हजार गांवों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य था और केवल 54 हजार गांवों का बिजलीकरण हुआ है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र की फिल्म यूनिट

+
*84 **श्री मनोरंजन सुर** :
श्रीमती सरोज दुबे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र की फिल्म यूनिट 1982 से कार्य नहीं कर रही है तथा महंगे उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) इस यूनिट का उपयोग करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) हां, महोदय। वर्ष, 1982 में समाचार एकत्र करने के इलेक्ट्रानिक उपकरण को शुरू करने के पश्चात् आरम्भ में तो पुराने उपकरण का उपयोग कम हो गया था और अब बिल्कुल समाप्त हो गया है।

(ख) दूरदर्शन द्वारा अति आधुनिक प्रौद्योगिकी की शुरूआत से अब फिल्म इकाई दूरदर्शन के किसी उपयोग की नहीं है।

(ग) यह निर्णय किया गया है कि फिल्म उपकरण को पुणे के फिल्म और टेलीविजन संस्थान में प्रशिक्षण कार्यों के लिए भेज दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री सूर क्या आपके पास कोई अनुपूरक प्रश्न है ?

[हिन्दी]

ठीक है, अगर आप सैटिसफाइड हों तो मैं दूसरों को बुलाता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमान सूर, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अन्ना जोशी : उनको वर्ष 1982 में पता चला था कि यह मशीन बेकार है तो उसके पश्चात् भी इसे पुणे के फिल्म संस्थान को भेजने का निर्णय लेने में दस वर्ष क्यों लगे ? यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है। इस मशीन की कुल कीमत क्या है और इसे कब खरीदा गया था ?

कुमारी गिरिजा व्यास : मशीन को वर्ष 1970 में खरीदा गया था और इसकी लागत की 31 लाख रुपए है। यह दस वर्ष तक रखी रही क्योंकि हम नई प्रौद्योगिकी प्रयुक्त कर रहे थे और अब हमने इसे पुणे भेजने का निर्णय किया है।

श्री श्रीकान्त जेना : मशीन की कुल लागत देखिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह खरीदी गई थी, तब क्या किसी ने यह देखा था कि क्या नई प्रौद्योगिकी आ रही है अथवा नहीं। इस पहलू को देखते हुए अनावश्यक ही इस प्रकार का यह उपकरण खरीदा गया और जब इसका कोई उपयोग नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के उत्तर देने से पहले एक मिनट रुकिए।

श्री श्रीकान्त जेना : मेरा मुद्दा यह है कि क्या किसी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि यह वैकल्पिक व्यवस्था थी।

श्री श्रीकान्त जेना : यह वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : यह बेकार भी उसी वक्त खरीदी गई।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : वह ठीक नहीं है। लगभग रोज ही टेलीविजन पर नई प्रौद्योगिकी आ रही है। यह प्रणाली उस वक्त भी टेलीविजन के आने के समय से अर्थात वर्ष 1970 में भी थी और 1982 तक प्रयुक्त की गई। 1982 में नई प्रौद्योगिकी, जिसे ई०एन०जी० कहा जाता है अर्थात टेप-रिकार्डिंग प्रणाली आई। जब यह आई तो चूंकि उस वक्त इसी लागत 31 लाख रुपये थी, इसलिए इसका उपयोग कम कर दिया गया था और खरीदी गई नई मशीन को प्रयोग में लाया गया। इस विशेष पुरानी मशीन के लिए जो कार्यबल प्रयुक्त किया गया था उसे धीरे-धीरे नई मशीन के लिए प्रशिक्षित किया गया और एक भी मजदूर को काम से नहीं हटाया गया और न ही बेकार रखा गया। इसलिए, हम भारत में जहां कार्यबल सम्मिलित हो, अचानक ही कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हम उनको प्रशिक्षित करते हैं। और अब तो स्थिति यह है कि हमें पुणे में प्रशिक्षण ले रहे अपने व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना पड़ता है क्योंकि इसे सिनेमा संबंधी कार्यों और अन्य फिल्म इकाइयों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। यही कारण है कि यह स्थानांतरित किया जा रहा है, मैं इस सभा को आश्वासन दे सकता हूं। मैं आभारी हूं कि यह प्रश्न उठाया गया अन्यथा इसमें और अधिक विलम्ब हो जाता। लेकिन दो सप्ताह के भीतर यह पुणे अथवा किसी अन्य यूनिट में, जहां इस प्रकार प्रशिक्षण हो, भेज दी जाएगी।

इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों द्वारा हड़ताल

\+

*85 **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्री मोहनसिंह (देवरिया) :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों ने अक्तूबर, 1992 के दौरान हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस हड़ताल से इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों पर प्रतिकूल असर पड़ा है जिसके कारण पूरे देश के लोगों और यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई हुई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके फलस्वरूप एयरलाइन्स को कितने राजस्व की हानि हुई;

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी अथवा करने का विचार है; और

(च) भविष्य में ऐसी हड़तालों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०ओ०एच० फारूक) : (क) से (च) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (घ) भारतीय वाणिज्यिक विमान चालक संघ ने अनेक वित्तीय मांगें उठाई हैं और अपने सदस्यों को बहुत सी उड़ानें परिचालित नहीं करने के निदेश दिए हैं। इसके परिणामस्वरूप कुछ विमानचालकों ने उड़ान ड्यूटी करने से इन्कार किया जिसके फलस्वरूप, अक्तूबर, 1992 के दौरान 283 उड़ानें रद्द करनी पड़ी और जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में प्रभावित यात्रियों को असुविधा और परेशानी हुई। आंदोलन के कारण इस अवधि मे इंडियन एयरलाइंस को लगभग 3 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा होने का अनुमान है।

(ङ) और (च) अवतरण और दिक्चालन साधनों संबधी मसले पंचनिर्णय के लिए नागर, विमानन महानिदेशक को भेजे गए हैं। जहां तक वित्तीय मांगों का संबंध है, इंडियन एयरलाइंस के सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए, 1-9-1990 से 5 वर्ष की अवधि के लिए वेतन और भत्तो का संपूर्ण प्रश्न राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा हुआ है। इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधक वर्ग ने भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के साथ परामर्श से उत्पादकता-संबद्ध भुगतान योजना तैयार करने की भी पेशकश की है।

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन : चूंकि विमान चालकों की मुख्य मांगों में से एक मांग हवाई अड्डे की सुरक्षा की है और इसका सम्बन्ध यात्रियों, चालकों और कुछ सदस्यों की सुरक्षा से भी है, क्या सरकार मध्यस्थ को कोई समय-सीमा बतायेगी ?

श्री एम० ओ० एच० फारूक : मैं माननीय सदस्य के विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूं। हम मध्यस्थ को लगभग तीन महीने का समय देंगे और फिर उस पर उनका निर्णय देंगे।

यह निरन्तर अग्रसर होने वाली प्रक्रिया है। हम सभी इसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित है। हम इसके लिए सही उपाय निकालेंगे।

श्रीमती सुशीला गोपालन : यह सत्य है कि निजी एयर बसों और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा दिए जा रहे वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तों में बहुत अधिक अन्तर है।

वास्तव में इसी ने विमानचालकों को कार्यवाही करने के लिए उकसाया है। हम अपने देश और सार्वजनिक क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए अपने कर्मचारियों की देशभक्ति की भावना को नहीं जगा रहे हैं। बल्कि हम तो देश के भविष्य के निर्णय के लिए बाजार-ताकतों पर निर्भर कर रहे हैं।

क्या सरकार चालकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए बगैर तथा यात्रियों को अधिक परेशानी

पहुंचाए बगै समस्या को सौहार्दपूर्ण ढग से निपटाने का प्रयत्न करने के लिए मैत्रीपूर्ण रवैया अपनायेगी।

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : महोदय, यात्रियों की असुविधा को देखते हुए प्रबन्ध व्यवस्था बड़े संयम से काम ले रहा है। मेरे विचार में प्रबंधकों ने बहुत से कार्यों के उपरांत भी जिनसे गड़बड़ी हो सकती थी, बड़े संयम का परिचय दिया है।

जहां तक निजी एयर-टेक्सी परिचालन क्षेत्रों में पायलटों को सामान्यतया जो वेतन दिया जाता है, उसकी तुलना में इण्डियन एयरलाइन्स के पायलटों के देय वेतन का सम्बन्ध है, यदि आप प्रति घंटा उड़ान का वेतन देखें तो प्रबन्धन ने अनुमान लगाया है कि इण्डियन एयरलाइन्स के पायलटों को निजी एयर-टेक्सी परिचालन क्षेत्रों के पायलटों की तुलना में 20 प्रतिशत वेतन अधिक मिल रहा है।

ऐसा इस कारण से है कि जहां इण्डियन एयरलाइन्स के पायलट एक महीने मे 45 से 50 घंटे तक उड़ान भरते हैं, निजी एयर-टेक्सी परिचालन क्षेत्रों के पायलट एक माह में लगभग 80 घन्टे उड़ान भरते हैं। यह तुलना करने वाली स्थिति नहीं है।

एयरलाइन्स के प्रबन्धकों ने पायलटों के लिए उत्पादकता से जुड़ी-योजना की पेशकश की है। अधिक उड़ान, अधिक वेतन। तथापि, इन मामलों पर विचार किया जा रहा है। परन्तु मैं सोचता हूं कि वर्तमान समय में जो सबसे अच्छी कसौटी अपनायी जानी चाहिये, वह यह है कि प्रति घन्टा उड़ान की दर से वेतन दिया जाये। इस गणना के अनुसार, प्रबन्धकों का यह कहना है कि इण्डियन एयरलाइन्स के पायलटों को 20 प्रतिशत अधिक वेतन मिल रहा है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, अक्तूबर और नवम्बर महीने की एक महीने की हड़ताल से ही 283 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ीं और तीन करोड़ रुपये का घाटा हुआ। आखिर, किसी चीज की एक सीमा होगी। भारत सरकार पायलट लोगों की हड़ताल को इस तरह हर साल और हर महीने हर ऐसे महीने में जब पर्यटकों की संख्या अधिक होती है, क्यों लेती है और दशहरे और दीवाली की छुट्टियों में हर साल जब हड़ताल होती है, तब भारत सरकार हाथ पर हाथ रखे चुपचाप, क्यों बैठी रहती है ? मैं माननीय मन्त्री जी से खासतौर पर जानना चाहता हूं कि क्या इण्डियन एयरलाइन्स के पायलट्स को इस अस्थायी हड़ताल और आन्दोलन से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार के पास कोई स्थायी इलाज है, क्या इसके बारे में आपने कोई विचार किया है ? आपने अपने उत्तर में यह कहा है कि उत्पादकता के आधार पर वेतन देने के बारे में प्रबन्ध मण्डल ने उनको ऑफर दे रखी है। इसके सम्बन्ध में पायलट एसोसिएशन का क्या रिएक्शन है और क्या इस पर कहा है ? इसमें सरकार की ओर से कोई पहल होने जा रही है ?

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैनेजमेंट का यह कहना है कि अनुशासनहीनता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उसने पूरे संयम के साथ और धैर्य रखते हुए चर्चा और विचार-विमर्श

पायलट्स के साथ जारी रखा। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है कि कोई अन्तिम रेखा भी होती है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसीलिए अब मैनेजमेंट ने यह देखा कि निरन्तर डॉयल्ग पायलट के साथ चल रहा है, तब भी काफी डिसरप्शन्स हो रही हैं और काफी ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं, अन्तिम समय एयरक्राफ्ट में बैठने के पश्चात, जिससे मात्र सर्विस डिसरप्ट न हो, ज्यादा से ज्यादा असुविधा यात्री को महसूस न हो, यानि ठीक है, अगर किसी विशेष बात के ऊपर पायलट फ्लाइट रद्द करना चाहता हो, चाहे जस्टिफाइड हो या अनजस्टिफाइड हो, पूर्व मे कहे तो कम से कम पैसेंजर्स को तो एयरक्राफ्ट के ऊपर लोड न करें पर यहां तक रुकना जब तक पैसेंजर्स बैठ न जायें और अन्त में जाकर यह कहना, ताकि पैसेंजर्स को ज्यादा से ज्यादा असुविधा महसूस हो, यह मैनेजमेंट की दृष्टि से तो बहुत ही अनुचित बात है और इसीलिए अन्त में जाकर सस्पेंशस किए गये हैं। सत्रह सस्पेंशस किये गये हैं, चार के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और चार्जशीट्स भी इश्यू की गई हैं। तो यह निश्चित रूप से हमें जो जानकारी मैनेजमेंट ने दी है कि वह एक सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है पर धैर्य भी पूरी तरह से अपनाने का प्रयास कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० सिदनाल : इण्डियन एयरलाइन्स में नियमित और निरन्तर हड़ताल होती रही हैं जिनसे विदेशी पर्यटक भारत आने में रुचि नहीं लेते। क्या सरकार अथवा प्रबन्धकों द्वारा इन चीजों को किसी भी तरह से हल करने के बारे में विचार कर रहा है क्योंकि निजीकरण के बाद ऐसी बातें नियमित रूप से हो रही हैं? क्या बाहरी लोग इन पायलटों को हड़ताल पर जाने के लिए उकसा रहे है अथवा ये पायलट स्वयं ऐसी कोशिश कर रहे है कि वे निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में स्थानान्तरित हो सकें।

श्री माधवराव सिंधिया : जैसाकि माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह ने भी पहले बताया है कि दुर्भाग्य अथवा संयोग की बात कही जा सकती है कि हर साल जब पूजा अवकाश होता है अथवा जब पर्यटकों का आवागमन पूरे जोरों पर होता है, तो हड़तालों और गैर-कानूनी कार्यवाही की घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। महोदय, आप भी इस बारे में जानते हैं, क्योंकि पहले आप भी नागर विमानन मन्त्री रहे हैं। मैं इस बात पर श्री मोहन सिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न का भी उत्तर देना चाहता था। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वर्ष 1991 की पिछली छमाही में जो कदम उठाये गये हैं, उनके कारण भारत में पर्यटकों के मामले में 20 प्रतिशत के लगभग वृद्धि हुई है और इससे 12 प्रतिशत डालर अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। और मेरा विचार है कि आगामी तीन-चार महीनों में हम विदेशी मुद्रा की बहुत बड़ी राशि अर्जित कर पायेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है पायलट जिस तरह से लगातार गैर-जिम्मेदाराना कार्यवाही करते आ रहे हैं, उसकी वजह से इसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। वैसे तो मैं नहीं सोचता कि पायलटों को इस तरह की कार्यवाही करने के लिए किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता है परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है। मैं जानता हूं कि इण्डियन एयरलाइन्स के स्टाफ में जो सामर्थ्य है, उससे ये लोग एयरलाइन्स सेवा को विश्व में अद्वितीय बना सकते हैं। इनमें सामर्थ्य और योग्यता तो है परन्तु इन लोगों में इच्छाशक्ति और उद्देश्य की भावना का विकास किया जाना है और प्रबन्धक ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। जब से जुलाई माह के मध्य मे नये मुख्य कार्यकारी ने कार्यभार संभाला है, पहले तीन महीनों में उन्होंने और उनके कार्य दल ने इस तरह से कार्य किया है जिसके

फलदायक परिणाम सामने आए हैं। हमारे यहां लगभग 85 प्रतिशत तक सेवाएं प्रारम्भ हो गयी थी जोकि बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स की तुलना में अधिक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दोबारा वही बात एक ऐसे समय में होने लगी है जबकि प्रबन्धक एक जिम्मेदारी का कदम उठाना चाहता है और कर्मचारियों से बातचीत कर स्टाफ के हितों के लिए कार्य करना चाहता है। इण्डियन एयरलाइन्स में जो भी अच्छाई और खुशहाली आती है, प्रबन्धकों का इस बात का देखने का है कि सभी वर्गों को इसका लाभ मिले। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पायलटों ने इस तरह का रवैया अपनाया हुआ है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं मन्त्री महोदय की व्यथा को समझता हूं। सही अर्थों में, यह एक गंभीर मामला है। भारतीय पायलटों को अच्छा वेतन मिलता है और वे कार्यकुशलता की दृष्टि से भी पर्याप्त सम्पन्न हैं। इन्होंने काफी अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जैसाकि मन्त्री जी ने कहा है, आज इनकी प्रवृत्ति इस तरह की हो गई है कि ये लोग हड़ताल करने लगते हैं जिससे न केवल सरकार को राजस्व की हानि होती है बल्कि आम आदमी को गंभीर परेशानियां और नुकसान झेलना पड़ता है। हड़ताल हर साल होने लगी है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने पूर्व, पश्चिम और शहरों से जुड़ी नई निजी वायु-सेवा प्रारम्भ करते समय एक खास बात को ध्यान में रखा है। मुझे बताया है कि और भी बहुत से लोग इन्तजार में है और वे भी आ रहे हैं। क्या अन्य शक्तियों का इण्डियन एयरलाइन्स का नाम बदनाम करने के पीछे भी कोई दूसरा कारण हो सकता है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मुद्दा, विशेष तौर पर पायलट एसोसिएशन के साथ उठाया गया है। वे अति सजग व्यक्ति है और भारतीय परिस्थितियों में उन्हें सबसे अच्छा वेतन मिलता है। अतः, वे इस प्रकार का कार्य करते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि उनकी ओर से कोई सकारात्मक और निश्चित अनुक्रिया प्राप्त हुई है अथवा नहीं।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि बातचीत, निस्संदेह, जारी है और केवल एक बार नहीं बल्कि दो बार बातचीत हुई है। वास्तव में हाल में कल ही, अध्यक्ष एवं प्रबंध-निदेशक इण्डियन एयरलाइंस ने एक बार फिर पायलटों को एक अपील-पत्र जारी किया है। उन्होंने सभी पायलटों को एक उपर्युक्त रवैया अपनाने को कहते हुए कारण पर ध्यान देने और बातचीत जारी रहने देने के लिए नीजि तौर पर लिखा है। मुझे पक्का विश्वास है कि यह बातचीत जरूर सफल रहेगी।

लेकिन यह एक तरफा बातचीत नहीं हो सकती है। जैसाकि मैंने कहा है कि प्रबन्धन ने नियमों के अन्तर्गत जैसा अनुदेय है एक प्रोत्साहन योजना की पेशकश की है, जिसके द्वारा वे यदि अधिक उड़ानें भरेंगे और अधिक से अधिक कार्य करते है, तो उन्हें अधिक राशि मिलती है। प्राईवेट एयर-टैक्सी चालक जितनी उड़ानें भर रहे हैं, उनमें लगभग आधी उड़ानें भरने पर उतने ही वेतन की अपेक्षा करना, एक बहुत उपर्युक्त रुख नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई बाहरी-प्रभाव इसमें एक भूमिका अदा कर रहे हैं, यद्यपि कुप्रचार में एक अशुभ अभियान फैलाने की कोशिश की जा रही है। यदि एयर-लाइस सेवा में कोई एक छोटी-सी स्पर्धा है, तो वास्तव में इससे कोई क्षति होने वाली नहीं है। मेरा विचार है कि इससे हरेक को सहायता मिलेगी और हरेक अधिक निपुण हो जाएगा। जहां तक इण्डियन एयरलाइन्स का सम्बन्ध है, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कम से कम अगले 10 वर्षों में इससे कोई प्रतियोगिता कर सकेगा। हमारे पास 52 विमान और 22000 कर्मचारी हैं। हमारे पास समूचे देश में फैला

एक आधारभूत ढांचा है। हमारे पास एक कम्प्यूटरिकृत साफ्टवेयर आरक्षण प्रणाली है। हमारे अनगिनत स्थानों पर कार्यालय हैं। मैं नहीं समझता कि इण्डियन एयरलाइन्स कोई प्रतियोगिता कर सकेगा। अगर कोई ऐसा कर सकता है, तो मेरे विचार से, यह एक महा-मानव प्रयास होगा। मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई बाहरी कारण पायलटो को प्रभावित कर रहा है। उनके दिमाग में कुछ ऐसा है। वे कतिपय वित्तीय मांगो के बारे में बातें करते रहते हैं। 13 तारीख को जब प्रबंधन से एक चर्चा और बातचीत हुई थी, उन्होंने वित्तीय मांगों की एक लम्बी सूची सामने रखी थी, यद्यपि उनके मुताबिक इस सूची को उन्होंने नहीं रखा था। उन्होंने वित्तीय मांगों की यह एक लम्बी सूची दी थी और प्रबंधन तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध-निदेशक को 48 घंटे के भीतर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने को कहा था। इन मांगो में भोजन भत्ते में 1989 से प्रभावी 200 प्रतिशत की वृद्धि, एक नई मारुती कार खरीदने के लिए ब्याज रहित ऋण, प्रतिमाह 300 लीटर मुफ्त पैट्रोल, 3000 रु० प्रतिमाह कार अनुरक्षण के रूप में, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत हुए पायलटों को 300 प्रतिशत वार्षिक भृत्ति देना और जीवन बीमा मुआवजे की राशि को 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रु० करने जैसी बातें शामिल हैं और प्रबंधन को 48 घण्टे के अन्दर-अन्दर जवाब देना था। प्रबंधन ने कहा कि यह सोचना कि कोई ऐसी मांगों की समूची श्रृंखला का 48 घंटे के भीतर जवाब दे सकता है, निरर्थक बात है। फिर रात्रि के समय हड़ताल का नोटिस आया, जिसें मध्य-रात्रि में दरवाजे पर प्रहार करके एवं उसे चकनाचूर करने के बाद, अध्यक्ष एवं मुख्य महा-प्रबंधक के दरवाजे के नीचे से खिसकाया गया था। यह हड़ताल की पूर्व सूचना भी पुनः मुख्यतः विमान सुरक्षा प्रवृत्तियां हैं। बाद में जब मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय ने पायलटों से पूछा कि वित्तीय आवश्यकताओं से विमान सुरक्षा क्या का सम्बन्ध है तो पायलटों ने अचानक कहा, "महोदय, हम उस पत्र को अस्वीकार करते हैं, हमें इससे कुछ सरोकार नहीं है।" जबकि यह पत्र उनके एक मुख्य संघ नेता की लिखाई में है, यद्यपि इस पर उसने हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसकी लिखाई, उन मांगों को संशोधित करते हुए, पत्र पर विद्यमान है। इस प्रकार की समस्या चल रही है। वास्तव में हमें स्थिति से निपटना है। पायलटों को अपने रुख में और उपर्युक्त होने दें। प्रबंधन अत्यन्त धैर्य और धीरज का प्रयोग करने को तैयार है। हम यात्रियों की असुविधा को, यथासम्भव कम से कम करना चाहते हैं। पायलटों और अमले को भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एयर इण्डिया के समान ही इण्डियन एयरलाइन्स भी एक संगठन है, जिसे कि, शायद उसके काबू से बाहर कारणों की वजह से तथा ए०टी०एफ० में वृद्धि और जुलाई, 1991 में रुपए के अवमूल्यन के कारण लगभग 200 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा है और इस वर्ष, पिछले वर्ष के छह महीनों के दौरान 100 करोड़ रुपए की तुलना में यह घाटा कम करके 60 करोड़ रुपए पर लाया गया है। मुझे विश्वास है कि हम एक ऐसी स्थिति के लिए कार्य कर रहे हैं, जहां हम इस घाटे से उभर जायेंगे। लेकिन, अगर इसी तरह की स्थिति चलती रही, इस घाटे से उभरने तथा एक पुष्ट तुलनपत्र—जहां कि इण्डियन एयरलाइन्स अपने ही पांवों पर खड़ा हो सकता है, जहां इण्डियन एयरलाइंस को यह साहस हो सके कि यह एक अच्छी सेवा प्रदान कर रहा है और जहां इण्डियन एयरलाइन्स यह महसूस कर सके कि यह स्वयं परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है—प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं है। हमने यही लक्ष्य रखा है और हमारे स्टाफ के हर वर्ग को इसमें भाग लेना है। यहां पुनः, मुझे प्रबन्धन ने जो करने को कहा है, उसकी सराहना करनी चाहिए। क्या मैं यह बता दूं कि प्रबंधन ने मुझे बताया है कि एक बड़ी संख्या में हमारा स्टाफ अत्यधिक जिम्मेदार है? वे सहयोग दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, यदि कुछ वर्ग, जो अचानक हड़ताल पर चले जाते हैं और अवैध कार्रवाई करते हैं, तब सारी

व्यवस्था में विघ्न पड़ जाता है, यहां तक कि जब अधिकतर लोग अच्छी सेवा हेतु हमारे प्रोत्साहन अभियान को समर्थन कर रहे हों।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, मगर मैं इस अवसर का लाभ आज नहीं, कल उठाऊंगा, क्योंकि अब तो प्रश्नकाल समाप्त होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय : अगर प्रश्न छोटा है तो उत्तर मिल सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे और माधवराव जी के जो सम्बन्ध में, उनको देखते हुए छोटे प्रश्न नहीं हो सकते।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं समझता हूं कि ग्वालियर के लोगों को विस्तार से पूछने की बीमारी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लम्बे जवाब देते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : आप ही से हम लोग सीखते हैं। (व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पूर्वी क्षेत्र पावर ग्रिड

*86. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र पावर ग्रिड हाल ही में ठप्प हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विद्युत उत्पादक एककों को कितनी क्षति हुई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) पूर्वी क्षेत्र ग्रिड में 22 अक्तूबर, 1992 को 20.:7 बजे ग्रिड सम्बन्धी गड़बड़ हुई थी जिसके परिणामस्वरूप उक्त ग्रिड ने आंशिक रूप से कार्य करना बन्द कर दिया था। तत्पश्चात्, पश्चिम बंगाल (कलकत्ता शहर को छोड़कर) और बिहार (पश्चिमी भागों को छोड़कर) में विद्युत की सप्लाई में व्यवधान पड़ा था। उड़ीसा और सिक्किम प्रणालियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

(ख) पूर्वी ग्रिड में गड़बड़ उस समय हुई जब 220 के० वी० पुरुलिया एवं विधाननगर (बी फेज) के बीच तीन कन्डक्टरों में से एक कन्डक्टर का जम्पर पुरुलिया उपकेन्द्र के डैड एण्ड टावर के समीप टूट गया जिसके फलस्वरूप शार्ट सर्किट हो गया था।

(ग) किसी भी विद्युत यूनिट को किसी प्रकार की क्षति होने की सूचना नहीं है।

(घ) इस सम्बन्ध में प्रस्तावित उपचारात्मक उपायों में ये शामिल हैं—विद्युत उपस्करों एवं बचाव रिले प्रणाली का उपयुक्त रूप से रख-रखाव करना तथा उसे ठीक स्थिति में रखना, भार प्रेषण एवं संचार सुविधाओं का विस्तार करना, दोषों का पता लगाने हेतु आइलैण्डिंग स्कीम जैसे उपयुक्त तकनीकी उपाय करना, आवर्तिता के तेजी से अपक्षय को रोकने हेतु आटोमेटिक अण्डर फ्रीक्वेंसी लोड शैडिंग की व्यवस्था करना, आवश्यकता होने पर, वोल्टता मे अपक्षय को रोकने हेतु स्टेटिक वार कम्पनसेशन एण्ड पावर सिस्टम स्टेबलाइजर्स की प्रतिष्ठापना करना।

विदेशी एयरलाइनों में गए भारतीय विमानचालक

***87. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के कितने विमानचालक इन कम्पनियों को छोड़कर विदेशी एयरलाइनों में नौकरी पर चले गए हैं;

(ख) इन विमानचालकों ने उक्त एयरलाइनों को छोड़ने के लिए क्या कारण बताये हैं;

(ग) विमानचालकों को विदेशी एयरलाइनों में जाने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया में विमानचालकों की कमी को पूरा करने के लिये क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) 1-11-1991 से 31-10-1992 तक की अवधि के दौरान, एयर इंडिया के 2 विमानचालकों और इंडियन एयरलाइन्स के 32 विमानचालकों ने अपनी सेवाएं छोड़ दी हैं। एयर इण्डिया के दो विमानचालकों और इंडियन एयरलाइन्स के 17 विमानचालकों ने त्यागपत्र वैयक्तिक कारणों से दिए थे। इण्डियन एयरलाइन्स के 7 विमानचालकों ने एयर इंडिया में सेवा करने के लिये त्यागपत्र दिया। इंडियन एयरलाइन्स के शेष 8 विमानचालकों ने अपने त्यागपत्र का कोई कारण नहीं बताया। त्यागपत्र स्वीकार होने के बाद, विमानचालक अपने पूर्व नियोक्ताओं को अपने अन्यत्र रोजगार के बारे में सूचित नहीं करते।

(ग) और (घ) एयर इंडिया में प्रशिक्षु विमानचालकों/सह-विमानचालकों और इंडियन एयरलाइन्स में प्रशिक्षु विमानचालकों के रूप में नये भर्ती होने वाले विमानचालकों को क्रमशः पांच वर्ष तथा दस वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये सम्बन्धित एयरलाइन में सेवा करने के लिये बन्ध-पत्र भरना पड़ता

है। एयरलाइनों की जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त संख्या में विमानचालकों की भर्ती की जाती है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है।

कहलगांव ताप विद्युत केन्द्र में विस्फोट

*88. श्री अनिल बसु :
श्री शरत चन्द्र पटनायक :

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कहलगांव स्थित परियोजना में अक्टूबर, 1992 में विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप जानमाल की कितनी क्षति हुई;

(घ) क्या सरकार ने इस विस्फोट के बारे में जांच करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां। 9/10 अक्तूबर, 1992 की रात्रि को नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन० टी० पी० सी०) की कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना (एस० टी० पी० पी०) के यूनिट नं० 1 (220 मे० वा०) के बायलर में विस्फोट हुआ।

(ख) कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना के यूनिट नं० 1 को मार्च, 1992 में समकलित किया गया था। 9 अक्तूबर, 1992 को जब बायलर लाइटेड-अप स्थिति में था और सेफ्टी वाल्वों की जांच की जानी थी, केन्द्र को चालू करने हेतु आवश्यक विद्युत सप्लाई बन्द हो गई। जब कुछ मिनट बाद विद्युत सप्लाई चालू की गई तो एक विस्फोट हुआ।

(ग) उक्त विस्फोट के परिणामस्वरूप 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। सम्पत्ति सम्बन्धी क्षति का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) कथित विस्फोट के कारणों की जांच करने, हानि/क्षति आदि की मात्रा का निर्धारण करने और इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपाय सुझाने के लिए एन० टी० पी० सी० द्वारा एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है जिसकी जांच की जा रही है।

उड़ान सुरक्षा सुविधाएं

*89. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स के विमान ऐसे हवाई अड्डों पर उतरते और उड़ान भरते हैं जहां कुछ विशेष उड़ान सुरक्षा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे हवाई अड्डों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इंडियन कामर्शियल पायलट एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से कहा है कि 15 अक्तूबर, 1992 से ऐसे हवाई अड्डों पर अपने विमान न उतारें/उड़ायें;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स की कितनी उड़ानें प्रभावित हुई और इससे एयरलाइन्स को कितने राजस्व की हानि हुई; और

(ङ) इन हवाई अड्डों पर ऐसी सुविधायें प्रदान करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वे सभी हवाई अड्डे, जहां से इंडियन एयरलाइस की उड़ानों का परिचालन किया जाता है, सुरक्षित परिचालनों के लिये आवश्यक अवतरण और दिक्चालन सुविधाओं से सज्जित हैं।

(ग) भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ ने 10 अक्तूबर, 1992 को अपने सदस्यों को यह परामर्श दिया था कि वे ऐसे किसी भी हवाई अड्डों के लिए उड़ान न करें जिस पर अवतरण के लिए दृष्टिक पहुंच ढाल संसूचक (वासी), सुक्ष्म पहुंच पथ संसूचक (पापी) अथवा इलेक्ट्रानिक ग्लाइड पथ उपलब्ध नहीं है। भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ ने अपने सदस्यों को यह भी निदेश दिया कि वे उन हवाई अड्डों के लिए परिचालन न करें जहां पर मात्र अदिशिक बीकन ही दिक्चालन और पहुंच सुविधा है।

(घ) भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के आंदोलन के कारण 283 उड़ानें रद्द की गई। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइंस को 15 अक्तूबर से 30 अक्तूबर, 1992 के दौरान अनुमानतः 3.00 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(ङ) अवतरण और दिक्चालन सम्बन्धी साधनों के मसले पंचनिर्णय के लिए नागर विमानन महानिदेशक को भेज दिये गये हैं। हवाई अड्डों पर विमान यातायात नियन्त्रण सुविधाओं का उन्नयन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह जरूरतों तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाता है।

प्रसार भारती अधिनियम, 1990

*90. श्री रामचन्द्र घंगारे :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के कार्यान्वयन में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं;

(ग) क्या इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) प्रसार भारती अधिनियम में कुछ संशोधन करने आवश्यक समझे गए हैं । प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में राजनीतिक दलों और कर्मचारी एसोसिएशनों से परामर्श करने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई की जा रही है । अतः प्रसार भारती अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है ।

टी० वी० कार्यक्रमों का निर्माण

*91. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :**
श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टार टी० वी० तथा अन्य विदेशी टी० वी० नेटवर्क से स्पर्धा करने के लिये दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या सरकार अन्य महानगरों में केन्द्रीय निर्माण केन्द्र जैसे उच्च गुणवत्ता वाले टी० वी० कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन अपने कार्यक्रम की रूपरेखा और विषय वस्तु में गुणात्मक सुधार लाने तथा अपने दर्शकों की रुचि बनाये रखने के लिये अपने कार्यक्रमों की पुनः संरचना करने पर विचार कर रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ब्लू डस्ट

*92 **श्री बब्बूलाल चन्द्राकर :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना के भण्डार संख्या 14 में ब्लू डस्ट (लौह अयस्क) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) क्या यह ब्लू डस्ट रक्षा और इलैक्ट्रानिक उद्योग हेतु विभिन्न सामग्रियों के निर्माण के लिए उपयुक्त है;

(ग) यदि हां, तो इसके उपयोग हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने बैलाडिला में अपने लौह अयस्क उत्पादन को दुगना करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस समय नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन० एम० डी० सी०) एक प्रदर्शन सयन्त्र से नीली धूलि से फैरिक आक्साइड का उत्पादन कर रहा है। उत्पादित फैरिक आक्साइड का निर्यात किया जा रहा है और इसे स्वदेशी उद्योगों को भी बेचा जा रहा है। फैरिक आक्साइड/आयरन आक्साइड से फैराइट्स और लौह चूर्ण का उत्पादन करने के लिए द्वितीय चरण का एक मार्गदर्शी प्रदर्शन संयन्त्र स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) से सहायता प्राप्त करने हेतु अभी हाल में ही एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। फैराइट्स और लौह चूर्ण आयात प्रतिस्थापन उत्पाद हैं। फैराइट्स का प्रयोग इलेक्ट्रानिक और रक्षा उद्योगों में किया जाता है। लौह चूर्ण का प्रयोग आटो/साईकिल के कल-पुर्जों के उत्पादन और विशेष इस्पात तैयार करने में किया जाता है। इसका प्रयोग रक्षा उद्योगों के लिए कुछ कल पुर्जों के विनिर्माण के लिए भी जाता है।

(घ) और (ङ) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने बैलाडिला में दो नए निक्षेपों अर्थात निक्षेप 11बी और निक्षेप 10/11ए का विकास करने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने पहले ही दोनों परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की अनुमति दे दी है। इस समय जिन निक्षेपों में खनन हो रहा है, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए चल रही योजनाओं के साथ-साथ इन दो परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के बाद बैलाडिला में एन० एम० डी० सी० द्वारा लौह अयस्क का उत्पादन दुगना हो जाएगा।

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें

*93. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**
प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1992 से इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में, सेक्टर-वार कितने प्रतिशत कटौती की गई है;

(ख) इससे लाभ में कितने प्रतिशत कमी आई है;

(ग) इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में कटौती करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उड़ानों को पुनः शुरू करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) अगस्त, 1992 से इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में सैक्टर-वार कटौती का प्रतिशत अनुपात विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) सीट क्षमता में कटौती के फलस्वरूप निवल हानि घटकर जुलाई, 1992 में 14.69 करोड़ रुपए की तुलना में अगस्त, 1992 में 5.95 करोड़ रुपए रह गई क्योंकि भार और सीट फैक्टर में सुधार हुआ जिसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स के वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ।

(ग) समय-पाबन्दी में सुधार लाने, वैकल्पिक विमान क्षमता की व्यवस्था करने और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अनुरक्षण के लिए विमान भेजने के लिए 1-8-1992 से कुछ सैक्टरों में इण्डियन एयरलाइन्स ने अपनी सेवाओं की आवृत्तियों में कटौती की है।

(घ) परिचालन विमानों की उपलब्धता में सुधार होने के कारण ऐसी कुछ उड़ानों की आवृत्तियों को बहाल कर दिया गया है जिनमें अगस्त, 1992 में कटौती की गयी थी।

विवरण

क्रम सं०	मार्ग	क्षमता में प्रतिशत परिवर्तन		
		अगस्त	सितम्बर	नवम्बर
1	2	3	4	5
	मुख्य मार्ग			
1.	बम्बई-बंगलौर	+0.7		
2.	बम्बई-कलकत्ता	+8.3		
3.	बम्बई-दिल्ली	—32.0		
4.	बम्बई-गोवा	+[illegible]1.5		+16.3
5.	बम्बई-हैदराबाद	+1.3		.
6.	बम्बई-मद्रास	+7.6		
7.	दिल्ली-बंगलौर	—16.3		
8.	दिल्ली-बम्बई-त्रिवेन्द्रम	नई उड़ान		

1 2	3	4	5
समापके	उड़ान स्थगित	नई उड़ान	उड़ान स्थगित
9. बम्बई-त्रिवेन्द्रम	,,	,,	,,
10. बम्बई-जयपुर	,,	,,	,,
11. बम्बई-भुवनेश्वर	—28.6	+20.0	उड़ान स्थगित
12. बम्बई-कालीकट		+22.2	
13. बम्बई-नागपुर	+33.3		
14. बम्बई-राजकोट	—28.6	+20.0	उड़ान स्थगित
15. कलकत्ता-बंगलौर	—24.9		
16. कलकत्ता-डिब्रूगढ़	—25.0	+33.3	—75.0
17. कलकत्ता-हैदराबाद	—62.5		
18. कलकत्ता-अगरतला	—21.4	+27.3	
19. कलकत्ता-बागडोगरा	—28.6		
20. कलकत्ता-पोर्ट ब्लेयर	—33.3	+50.0	—33.3
21. दिल्ली-अहमदाबाद	—25.0		उड़ान स्थगित
22. दिल्ली-जम्मू			,, ,,
23. दिल्ली-लेह			,, ,,
24. दिल्ली-लखनऊ	—70.0		
25. दिल्ली-पुणे	—4.8	+15.0	
26. दिल्ली-श्रीनगर	उड़ान स्थगित	उड़ान स्थगित	उड़ान स्थगित
27. हैदराबाद-विजेग	—28.6		
28. जम्मू-लेह			,,
29. लेह-श्रीनगर			,,
30. मद्रास-हैदराबाद	+33.3		
31. मद्रास-पोर्ट ब्लेयर	—25.0		

1	2	3	4	5
	मल्टी स्टॉप उड़ानें			
32.	बम्बई-राजकोट-भुज-बम्बई			नई उड़ान
33.	बम्बई-रायपुर-भुवनेश्वर-कलकत्ता	—33.3		
34.	बम्बई-भुवनेश्वर-कलकत्ता			नई उड़ान
35.	बम्बई-अहमदाबा-जयपुर-वाराणसी-कलकत्ता	—33.3		
36.	बम्बई-रांची-पटना-बम्बई	+33.3		
37.	बम्बई-जामनगर-भुज	—20.0		उड़ान स्थगित
38.	बम्बई-भावनगर-जामनगर-बम्बई			नई उड़ान
39.	कलकत्ता-गुवाहाटी-सिलचर			उड़ान स्थगित
40.	कलकत्ता-गुवाहटी-तेजपु-जोरहाट-कलकत्ता	—33.3		उड़ान स्थगित
41.	कलकत्ता-तेजपुर-डिब्रूगढ़-कलकत्ता	—	—	नई उड़ान
42.	कलकत्ता-सिलचर-दीमापुर-जोरहार-कलकत्ता	—	—	नई उड़ान
43.	कलकत्ता-इम्फाल-दीमापुर-कलकत्ता	—25.0		उड़ान स्थगित
44.	कलकत्ता-इम्फाल	—	—	नई उड़ान
45.	कलकत्ता-सिलचर-ईम्फाल			—57.1
46.	कलकत्ता-तेजपुर-जोरहाट-गुवाहटी-कलकत्ता	33.3		उड़ान स्थगित
47.	दिल्ली-आगरा-खुजराहो-वाराणसी-दिल्ली	—	—	नई उड़ान
48.	दिल्ली-गुवाहटी-इम्फाल	—25.0		
49.	दिल्ली-गुवाहटी-अगरतला	—33.3		
50.	दिल्ली-गोवा-कोचीन	—42.9		

1	2	3	4	5
51.	दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहटी दीमापुर			उड़ान स्थगित
52.	दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहटी-दिल्ली	—	—	नई उड़ान
53.	दिल्ली-चण्डीगढ़-जम्मू-श्रीनगर			—50.0
54.	दिल्ली-चंडीगढ़-लेह			—33.3
55.	दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर			+33.3
56.	दिल्ली-जम्मू-लेह	—	—	नई उड़ान
57.	दिल्ली-श्रीनगर-लेह	—	—	,,
58.	दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-औरंगाबाद	उड़ान स्थगित	उड़ान स्थगित	उड़ान स्थगित
59.	दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-औरंगाबाद बम्बई	नई उड़ान		
60.	दिल्ली-नागपुर-रायपुर	—25.0		उड़ान स्थगित
61.	दिल्ली-नागपुर-रायपुर-दिल्ली	—	—	नई उड़ान
62.	दिल्ली-रायपुर-भुवनेश्वर-दिल्ली			उड़ान स्थगित
63.	दिल्ली-वाराणसी-भुवनेश्वर-दिल्ली	—50.0		+150.0
64.	मद्रास-बंगलौर-अहमदाबाद	—33.3		
65.	मद्रास-बंगलौर-कोयम्बटूर			—14.3
66.	मद्रास-बंगलौर-गोवा	उड़ान स्थगित	उड़ान स्थगित	उड़ान स्थगित
67.	मद्रास-बंगलौर-मंगलौर	—25.0		
68.	मद्रास-विजैग-कलकत्ता	—25.0		
	अन्तर्राष्ट्रीय			
69.	बम्बई-करांची	—20.0		
70.	बम्बई-कोलम्बो	उड़ान स्थगित	उड़ान स्थगित	उड़ान स्थगित

1	2	3	4	5
71.	दिल्ली-लाहौर	उड़ान स्थगित	उड़ान स्थगित	उड़ान स्थगित
72.	त्रिची-कोलम्बो	"	"	"
73.	कलकत्ता-शारजाह		+40.0	
74.	कलकत्ता-बैंकाक	—25.0	+33.3	
75.	कलकत्ता-ढाका	—25.0	+33.3	
76.	कोलम्बो-मद्रास	—7.7		

उड़ान स्थगित	:	(शत प्रतिशत गिरावट क्षमता में)
नई उड़ान	:	(प्रतिशत बढ़ोत्तरी को दर्शाया नहीं जा सकता)
कोई उड़ान नहीं खाली स्थान	:	(क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं)

कलकत्ता से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

*94. **श्री तरित बरण तोपदार :**
श्री अमल दत्त :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से इस आशय का कोई प्रस्ताव मिला है कि कलकत्ता से और अधिक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कलकत्ता के लिए/से विदेशी एयरलाइनों तथा एयर इण्डिया की अधिक उड़ानों के परिचालन को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है। नीति के तौर पर सरकार विदेशी राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवा वार्ताओं के दौरान विदेशी एयरलाइनों को उदार शर्तों पर कलकत्ता हवाई अड्डा तत्काल उपलब्ध कराने की पेशकश करती रही है। अभी हाल ही में, एल अल (इजरायली एयर-लाइन), के०एल०एम० (रायल नीदरलैंड एयरलाइन), तरोम (रूमानिया एयरलाइन), बाल्कन एयर-लाइन (बल्गेरिया एयरलाइन्स) को कलकत्ता के लिए परिचालन करने के अधिकार दिए गए हैं।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण

*95. श्री सत्य गोपाल मिश्र :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड के बर्नपुर एकक की आधुनिकीकरण परियोजना के कार्य में अत्यधिक विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विशेषज्ञ समिति ने इस एकक की आधुनिकीकरण परियोजना के कार्यान्वयन में रुचि रखने वाली कम्पनियों से बातचीत की थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या हाल में जापान ने इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव किया है;

(च) यदि हां, तो प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं; और

(छ) आधुनिकीकरण का कार्य कब तक शुरू होगा तथा इस पर कुल कितनी धन-राशि व्यय होगी ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (छ) हालांकि सरकार "इस्को" के बर्नपुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए बचनबद्ध है, परन्तु अब तक निवेश संबंधी निर्णय नहीं लिया जा सका है जिसका मूल कारण योजना निधि की अपर्याप्त उपलब्धता तथा "सेल" और "इस्को" के पास आन्तरिक स्रोतों का न होना है। अनुमोदित आठवीं योजना परिव्यय में कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए केवल 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने "इस्को" के आधुनिकीकरण में निजी भागीदारी की सम्भावनाओं का पता लगाने तथा इस बारे में सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है।

समिति ने उन पार्टियों से साथ बैठकें की थी जिन्होंने "इस्को" में भागीदारी करने के लिए अपनी सहमति प्रकट करते हुए पेशकश की थी तथा उसने आधुनिकीकरण योजना आदि में उनकी भागीदारी के लिए उनसे विचार विमर्श किया। समिति को आशा है कि वे उनकी अन्तिम पेशकश और उनका मूल्यांकन जनवरी, 1993 के आरम्भ में कर लेगी तथा जनवरी, 1993 में ही सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगी। परियोजना आदि के कार्यान्वयन के लिए आधुनिकीकरण के सभी पहलुओं जैसे कार्य क्षेत्र, योजना-लागत तथा समय-अनुसूची उन पेशकशों के भाग होंगे जिन्हें समिति द्वारा प्राप्त करके उनका मूल्यांकन किया जाना है।

मैसर्स मित्सुबिशी जापान की एक पार्टी है जिन्होंने "इस्को" की आधुनिकीकरण परियोजना में

अपनी रूचि दिखाई है। मितसूई की भागीदारी की शर्तें अन्तिम पेशकश प्रस्तुत होने के बाद ही मालूम होंगी।

पद्मा तथा भागीरथी हुगली नदियों में कटाव

*96. श्री आयनल अबेदिन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पद्मा तथा भागीरथी हुगली नदियों में अत्यधिक कटाव से उत्पन्न विकट समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कटाव को रोकने के लिए सरकार ने कोई योजना/परियोजना बनायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गंगा (पद्मा) तथा भागीरथी-हुगली नदियों की प्रणाली में कुछ स्थलों पर भिन्न-भिन्न परिमाण के कटाव समय-समय पर होते रहते हैं। ऐसी कछारी नदियों में उनके टेढ़े-मेढ़े बहने की प्रकृति की वजह से ये एक प्राकृतिक घटना है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में गंगा (पद्मा) और भागीरथी हुगली नदियों की प्रणाली पर लगभग 356 करोड़ रुपए की लागत वाली एक योजना तैयार की गयी है, जिसमें परिकल्पित कटाव सुरक्षा कार्यों को भी शामिल किया गया है।

हवाई अड्डों पर अग्नि शमन उपकरण

*97. श्री रामविलास पासवान : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के हवाई अड्डों पर उपलब्ध अग्नि शमन उपकरणों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अग्नि शमन उपकरणों की कमी है और जो उपकरण वहां हैं वे भी काम नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तथा अन्य हवाई अड्डों पर इस कमी को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) उड़ान की

आवृत्ति और विमान के किस्म के आधार पर, हवाई अड्डों पर विभिन्न प्रकार के अग्नि शमन सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं।

(ग) और (घ) इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उपलब्ध कराये गए अग्नि-शमन उपकरण, उतरने वाले और उड़ान भरने वाले विमानों, यात्री टर्मिनलों और कार्गो कम्प्लेक्स की सुरक्षा के सम्बन्ध में कार्यशील हैं। तथापि, हाल ही में उस पावर हाऊस में आग लगने की घटना हुई थी जो इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-II को बिजली की पूर्ति करता है। नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा आदेशित जांच की सिफारिशों के अनुसार, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) अग्नि सूचक और चेतावनी प्रणालियों का उन्नयन;

(2) रख-रखाव कार्य-विधियों की निगरानी को कारगर बनाना;

(3) पावर हाऊस और टर्मिनलों में अधिक सख्या में आग बुझाने वाले यंत्रों, एयर सर्किट शीट टाप्स सहित न्यू लो टेंशन (एल०टी०) पेनलों और आपातकालीन रोशनियों की व्यवस्था;

(4) अग्नि-शमन कार्यों में लगे कार्मिकों का प्रशिक्षण और अभ्यास;

(5) आपातकालीन परिस्थितियों में निकासी योजनाओं को तैयार करना;

(6) पावर हाऊस में रात्रि कालीन शिफ्ट में एक सहायक इन्जीनियर की तैनाती; और

(7) अन्य हवाई अड्डों पर अग्नि-चेतावनी सूचक प्रणाली और अग्नि-शमन प्रणाली को मजबूत बनाना।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नए हवाई अड्डों का निर्माण

***98. डा० जी०एल० कनौजिया :**
श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में उत्तर प्रदेश में नए हवाई अड्डे बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) निर्माण पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दूरदर्शन केन्द्र और दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

*99. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूरदर्शन केन्द्र और दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र कितने-कितने हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार इनके विस्तार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कोई नयी मीडिया नीति बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मीडिया विस्तार योजनाओं के लिए कुल कितना परिव्यय मंजूर किया गया है; और

(ङ) क्षेत्रीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उपलब्ध क्षेत्रीय प्रतिभाओं का बेहतर उपयोग करने के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रमों के निर्माण पर कुल खर्च का कितने प्रतिशत व्यय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ङ) देश में इस समय 540 दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम निर्माण/जनरेशन सुविधाएं 24 केन्द्रों पर उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त मौजूदा केन्द्रों में सुविधाओं को बढ़ाने की परियोजनाओं सहित 30 कार्यक्रम निर्माण/जनरेशन केन्द्रों तथा 201 टी०वी० ट्रांसमीटर परियोजनाएं इस समय कार्यान्वियनाधीन हैं/चालू की जानी हैं। उपर्युक्त परियोजनाओं का राज्य/संघशासित क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आठवीं योजना की शेष अवधि अर्थात् 1993-97 के दौरान स्थापित किए जाने वाले अतिरिक्त दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों के लिए स्थानों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

2. समेकित मीडिया नीति तैयार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

3. योजना आयोग द्वारा सूचित, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए आठवीं योजना हेतु 3634 करोड़ रुपए के कुल अनुमोदित परिव्यय का मीडियावार ब्यौरा इस प्रकार है :—

	रुपए करोड़ में
आकाशवाणी	134.95
दूरदर्शन	2300.00
सूचना और प्रचार	99.05
कुल :	2534.00

4. यद्यपि दूरदर्शन का कार्यक्रम अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए, दूरदर्शन नेटवर्क कार्यक्रमों में स्थानीय रूचि के कार्यक्रम निर्मित करने तथा टेलीकास्ट करने और देशभर में फैली प्रतिभावों को पर्याप्त अवसर देने का सतत प्रयास रहता है। परन्तु क्षेत्रीय कार्यक्रमों के निर्माण पर खर्च किए गए कुल व्यय के प्रतिशत की सूचना दूरदर्शन द्वारा अलग से नहीं रखी जाती।

विवरण

मौजूदा तथा प्रस्तावित दूरदर्शन केन्द्र

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मौजूदा दूरदर्शन प्रसारण केंद्रों की संख्या	मौजूदा दूरदर्शन निर्माण केंद्रों की संख्या	चल रही/चलने के लिए परिकल्पित प्रसारण परियोजनाओं की संख्या	चल रहे/चलने केलिए परिकल्पित कार्यक्रम निर्माण केंद्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1. आसाम	13	1	6	3
2. आंध्र प्रदेश	32	1	20	1
3. अरुणाचल प्रदेश	19	—	2	1
4. बिहार	32	2	10	3
5. गोवा	1	1	—	—
6. गुजरात	32	2	11	1
7. हरियाणा	5	—	2	1

1	2	3	4	5
8. हिमाचल प्रदेश	14	—	8	1
9. जम्मू और कश्मीर	21	1	9	2
10. केरल	15	1	5	—
11. कर्नाटक	28	1	13	1
12. मध्य प्रदेश	54	1	10	1
13. मेघालय	4	—	2	1
14. महाराष्ट्र	43	2	15	2
15. मणीपुर	5	—	2	1
16. मिजोरम	3	—	1	1
17. नागालैण्ड	7	—	2	1
18. उड़ीसा	25	2	8	—
19. पंजाब	8	1	1	—
20. राजस्थान	42	1	26	—
21. सिक्किम	4	—	1	1
22. तमिलनाडु	27	1	9	1
23. त्रिपुरा	2	21	1	—
24. उत्तर प्रदेश	63	2	21	2
25. पश्चिम बंगाल	15	1	11	2
26. दिल्ली	1	1	—	1
27. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	—	3	1
28. दमन और द्वीव	2	—	—	—
29. पांडिचेरी	4	1	2	—
30. लक्षद्वीप समूह	9	—	—	—

1	2	3	4	5
31. चण्डीगढ़	1	—	—	1
32. दादरा और नगर हवेली	1	—	—	—
जोड़ :	540	24	201	*30

*इनमें 8 कार्यक्रम निर्माण/जनरेशन केन्द्र शामिल हैं। जहां स्टूडियो सुविधाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में विमान मार्ग

*100. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में नए विमान मार्ग आरम्भ करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किन स्थानों को चुना गया है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से मुम्बई-सूरत-सिरोही-भीलवाड़ा-जयपुर-अहमदाबाद, दिल्ली-झुंझुनू-बीकानेर-जैसलमेर-जोधपुर, दिल्ली-जयपुर-अजमेर तथा उदयपुर-अहमदाबाद-मुम्बई मार्गों पर विमान सेवाएं आरम्भ करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इण्डियन एयर-लाइन्स ने उदयपुर और अहमदाबाद के बीच अपनी सेवाएं शुरू करने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया है।

(ग) राजस्थान सरकार ने जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-जैसलमेर-कोटा और बीकानेर जैसे स्थानों को जोड़ने के लिए सरकारी या निजी क्षेत्र में एक फीडर एयरलाइन्स स्थापित करने का सुझाव दिया है।

(घ) सरकारी क्षेत्र में ऐसी कोई फीडर एयरलाइन्स स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। हवाई टैक्सी प्रचालक निर्धारित प्रचालनों के लिए उपलब्ध किसी भी स्टेशन के लिए उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

इस्पात का आयात

921. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितना उपयोज्य इस्पात निर्यात किया गया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित विक्रेय योग्य इस्पात की मात्रा निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा
1989-90	14.7 लाख टन
1990-91	12.8 लाख टन
1991-92	10.4 लाख टन

टिप्पणी—केवल प्रमुख बन्दरगाहों से आयात ।

विद्युत परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

922. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत सैक्टर में 77.6 प्रतिशत लागत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यह लागत वृद्धि कितनी विद्युत परियोजनाओं में हुई है;

(घ) इन विद्युत परियोजनाओं पर प्रारम्भ में कितनी-कितनी लागत आने का अनुमान था और अब उनकी लागत में कितनी-कितनी वृद्धि हो गई है; और

(ङ) सरकार ने लागत में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) 144 स्वीकृत/निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में से 138 परियोजनाएं लागत में वृद्धि का सामना कर रही हैं। इन परियोजनाओं मे मूल अनुमानित लागत 40,850.68 करोड़ रुपए है तथा अद्यतन अनुमानित लागत 78,774.74 करोड़ रुपए है। लागत में वृद्धि के मुख्य कारण सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने मे विलम्ब होना, वित्तीय बाधाएं और परियोजनाओ को चालू किए जाने मे अधिक समय लगने के साथ-साथ सामान्य मुद्रा स्फीति है ।

(ङ) इन परियोजनाओ के मानीटरिंग कार्य में पर्याप्त विस्तार किया गया है। इन परियोजनाओं के विभिन्न क्रियाकलापो को व्यापक रूप से मानीटरिंग किए जाने के लिए विद्युत विभाग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, परियोजना प्राधिकारियों, प्रमुख ठेकेदारों उपस्कर सप्लाईकर्ताओं और निर्माताओ के साथ नियमित रूप से बैठको का आयोजन कर रहे हैं ताकि बाधाओं को दूर किया जा सके और उपचारात्मक उपायों का पता लगाया जा सके ।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र में स्वीकृत पद

923. **श्री ललित उरांव :** क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र में तकनीकी और गैर-तकनीकी में श्रेणी एक, दो, तीन तथा चार में कार्यरत काडर-वार व्यक्तियों की संख्या, स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक काडर में इनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों की वास्तविक संख्या की तुलना में स्वीकृत पदों की संख्या क्या है; और

(ग) रिक्त पड़े काडर-वार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों का ब्यौरा क्या है और इन पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 31-3-92 की स्थिति के अनुसार बोकारो इस्पात संयंत्र में तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कैडरों में स्वीकृत पदों की कैडर-वार संख्या तथा वास्तविक पद संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

ग्रुप	स्वीकृत पद	वास्तविक पद संख्या		कुल
		तकनीकी	गैर-तकनीकी	
"ए" (ई०ओ०, ई-1 को छोड़कर)	3439	2615	824	3439
ई०ओ०, ई-1	1404	1060	319	1379
'बी'	6850	4275	2575	6850
'सी' सफाई कर्मचारियों को छोड़कर	35709	30152	5582	35734
केवल सफाई कर्मचारी	939	—	939	939
कुल :	48341	38102	10239	48341

(ख) 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और

सामान्य श्रेणी के स्वीकृत पदों तथा वास्तविक पदों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

कैडर-वार स्वीकृत पद

ग्रुप	स्वीकृत पदों की कुल सं०	तकनीकी			गैर-तकनीकी		
		सामान्य श्रेणी	अ०जा०	अ०ज०जा०	सामान्य श्रेणी	अ०जा०	अ०ज०जा०
"ए" (ई०ओ० ई-1 को छोड़कर)	3439	2515	—	—	824	—	—
ई०ओ०, ई-1	1404	843	162	80	248	47	24
"बी"	6850	3314	641	320	1996	386	193
"सी" सफाई कर्मचारियों को छोड़कर	35709	23322	4591	2286	4327	837	418
केवल सफाई कर्मचारी	939	—	—	—	729	140	70
कुल :	48341	30094	5322	2686	8134	1410	705

कैडर-वार वास्तविक पद संख्या

ग्रुप	स्वीकृत पदों की कुल सं०	तकनीकी			गैर-तकनीकी		
		सामान्य श्रेणी	अ०जा०	अ०ज०जा०	सामान्य श्रेणी	अ०जा०	अ०ज०जा०
1	2	3	4	5	6	7	8
"ए" (ई०ओ० ई-1 को छोड़कर)	3439	2526	59	30	791	13	20
ई०ओ०ई-1	1404	926	89	45	262	35	22
"बी"	6850	3973	196	105	2299	77	199

1	2	3	4	5	6	7	8
"सी" सफाई कर्मचारियों को छोड़कर	35009	22637	4 75	3240	3851	822	909
केवल सफाई कर्मचारी	939	—	—	—	19	786	134
कुल :	48341	30062	4619	3421	7222	1733	1284

(ग) 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए आरक्षित रिक्त पदों की कैडर-बार संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

ग्रुप	रिक्त आरक्षित पदों की संख्या				कमी			
	तकनीकी		गैर-तकनीकी		तकनीकी		गैर-तकनीकी	
	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०
'ए' (ई०ओ०, ई-1)*	162	80	47	24	14	5	—	—
'बी'	641	320	386	193	445	214	309	—
'सी' (सफाई वालों को छोड़कर)	4519	2286	837	418	244	—	15	—
सफाई वाले	—	—	140	70	—	—	—	—
कुल :	5322	2686	1410	750	703	212	324	—

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपरोक्त रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में समूहवार स्थिति निम्नानुसार है :—

समूह **स्थिति**

क—(I) लगभग 50 प्रतिशत रिक्तियों को इस समूह के सबसे निम्न स्तर के पद से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। जिसके 1993 तक भरे जाने की आशा है।

(II) शेष रिक्त पदों को अगले तीन वर्षों की अवधि के दौरान धीरे-धीरे भर्ती/पदोन्नति द्वारा भरे जाने की आशा है।

ख—इस समूह में सीधी भर्ती नहीं है। इस समूह में सभी रिक्त पदों को केवल पदोन्नति द्वारा

भरा जाता है और इसमें कुछ वर्ष लगने की सम्भावना है तथा इस स्थिति में इसके लि सही समय नहीं बताया जा सकता।

ग—इस समूह मे रिक्त पदों को अगले तीन वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष भर्ती अभियान द्वारा भरे जाने की सम्भावना है।

*अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए समूह "क" में आरक्षण ई०ओ०/ई-1 ग्रेड में कार्यपालक स्थिति के प्रथम स्तर के लिए है। अन्य ग्रेडों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी उड़ानों में कमी करना

924. प्रो० जितेन्द्र नाथ दास : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी मार्ग उत्तरी बंगाल और दिल्ली के बीच एकमात्र विमान संपर्क है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ानों में कमी करने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) उत्तरी बंगाल और दिल्ली के बीच दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी ही केवल सीधा हवाई मार्ग हैं।

(ख) वैकल्पित विमान क्षमता उपलब्ध कराकर सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार करने और रख-रखाव सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से इण्डिया एयरलाइन्स की कुछ उड़ानों की आवृत्तियों में कमी की गई थी।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर टेलीफिल्म

925 श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर टेलीफिल्म का निर्माण तथा प्रसारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक प्रसारित किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र का कार्य-निष्पादन

926. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 सितम्बर, 1992 के राष्ट्रीय सहारा में "लापरवाही के कारण मशीन बर्बाद" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने सूचित किया कि बोकारो इस्पात संयंत्र में मशीनरी पर उचित ध्यान दिया जा रहा है। उचित देख-रेख न होने के कारण किसी उपकरण को क्षति पहुंचने के बारे में भी कोई रिपोर्ट नहीं है।

मशीनरी की खरीद यथा जांच पड़ताल तथा उचित प्रतिपादन के पश्चात ही की जा रही है। इन मशीनों को भंडार में उचित देखरेख में रखा जाता है और विभिन्न विभागों की जरूरतों के अनुसार उन्हें दिया जाता है। संयंत्र रूपांकन विभाग में कार्य प्रभाग में "कम्प्यूटर एडेड-ड्राफ्टिंग मशीन" का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है।

सभी उपस्कर/कल-पुर्जे शेडों में अथवा भण्डारण आवश्यकताओं के अनुसार स्टोर किये जाते हैं। सामग्री की सुरक्षा तथा उनके संरक्षण के लिए समय-समय पर पुनर्अनुरक्षण भी किया जाता है।

[अनुवाद]

एस० टी० डी०/आई० एस० डी०/पी० सी० ओ० टेलीफोनों के लिए मार्गनिर्देश

927. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० टी० डी०/आई० एस० डी०/पी० सी० ओ० टेलीफोनों के लिये परमिट अथवा लाइसेंस जारी करने के लिए कोई मार्गनिर्देश निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या) : (क) जी, हां।

(ख) फ्रेंचाइज योजना के अन्तर्गत तकनीकी व्यवहार्यता और विभागीय औपचारिकताएं पूरी कर लेने पर सभी इच्छुक व्यक्तियों को सार्वजनिक टेलीफोन आबंटित किए जाते हैं। एक आवेदक को एक किस्म का सिर्फ एक सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किया जाताहै।

वर्तमान नीति के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग भूतपूर्व सैनिक/दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त व्यक्तियों, महिलाओं (शिक्षित एवं बेरोजगार), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को तरजीह दी जाती है। जिसके नाम टेलीफोन आबंटित होता है उसे सार्वजनिक टेलीफोन उपस्कर अपने आप खरीदना होता है। किराए या संस्थापना सम्बन्धी कोई शुल्क नहीं लिया जाता परन्तु सार्वजनिक कनेक्शन लेने वाले व्यक्ति को कम से कम 1600 रु० के मासिक राजस्व की गारटी देनी पड़ती है और एस० टी० डी०/आई० एस० डी० पे-फोन के लिए कम से कम 9600/- रु० की राशि जमा करानी पड़ती है और उसे प्रथम 10,000 कालों पर 20 पैसे प्रति कॉल और 10,000 कालो के बाद 10 पैसे प्रति काल कमीशन मिलता है। जहां तक स्थानीय पी० सी० ओ० का सम्बन्ध है, 40 पैसे प्रतिकाल कमीशन दिया जाता है। फ्रेंचाइजी से एक माह में कम से कम 500 काल यूनिटों के प्रभार लिए जाते हैं।

यमुना जल का बटवारा

928. श्री कालका दास : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में यमुना जल के बंटवारे और अन्य सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अंतर्राज्यीय बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक का नतीजा क्या रहा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। यमुना जल के बंटवारे से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलायी गयी अनेक अंतर्राज्यीय बैठकों के क्रम में अन्तिम बैठक 19 जुलाई, 1992 को आयोजित की गयी।

(ख) इस बैठक में प्रस्तावित रेणुका बांध, दिल्ली के लिए समानान्तर चैनल हथनीकुंड बराज, किशाऊ बांध के निर्माण तथा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यमुना जल के आबटन से सम्बन्धित मुद्दों पर आगे विचार-विमर्श किया गया। व्यवहारिक रूप से सभी सम्बन्धित मुद्दों पर राज्यों के बीच व्यापक सहमति थी। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने 29-7-1992 को बेसिन राज्यों के तकनीकी अधिकारियों के साथ बैठक की ताकि सूचना और आंकड़ों के अन्तर का पता लगाया जा सके तथा यमुना नदी से ओखला तक जल के उपयोग और उपलब्धता के आंकड़ों का सावधानीपूर्वक पुन:आकलन किया जा सके। उनकी रिपोर्ट के आधार पर बेसिन राज्यों के बीच उपलब्ध यमुना जल के आबंटन के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव तैयार किया गया तथा सभी बेसिन राज्यों को उनके विचारार्थ परिचालित कर दिया गया।

इन मुद्दों पर अगली अन्तर्राज्यीय बैठक में और विचार-विमर्श किया जाएगा।

[हिन्दी]

खान एवं खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957

929. श्री मृत्युंजय नायक :
श्री छेदी पासवान :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खान एवं खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) सरकार विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों, फेडरेशन आफ माइनिंग एसोसिएशनों और खनन उद्योगों से और औद्योगिक नीति विवरण, 1991 के आलोक में, प्राप्त हुए प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। जिन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, उनमें शामिल हैं—खनन पट्टों (एम० एल०)/पूर्वेक्षण लाइसेंस (पी० एल०) की अवधि में परिवर्तन, खनन पट्टों और पूर्वेक्षण लाइसेंसों के लिए निगम निकायों की पात्रता, अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संशोधन, जिसमें उन खनिजों की सूची दी गई है जिनके बारे में खनन पट्टे/पूर्वेक्षण लाइसेंस की मंजूरी अथवा नवीकरण के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है; अधिनियम में अस्पष्टता दूर करने और इसका अधिक कारगर रूप से कार्यान्वयन करने के लिए कुछ अन्य संशोधन करना।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली में टेलीफोन आपरेटर

930. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आपरेटरों तथा पर्यवेक्षकों की संख्या, इन पदों पर कार्य कर रहे कुल कर्मचारियों के सन्दर्भ में कितनी है;

(ख) क्या उनकी संख्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण आदेशों के अधीन स्वीकृत संख्या के अनुसार है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा बकाया पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लि० दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के टेलीफोन आपरेटरों तथा पर्यवेक्षकों की संख्या इस प्रकार है :—

संवर्ग	कुल संख्या	अ० जा०	जन-जाति
1. आपरेटर	2933	751	127
2. पर्यवेक्षक	363	66	18

(ख) टेलीफोन आपरेटरों तथा पर्यवेक्षकों के संवर्ग में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या अपेक्षित प्रतिनिधित्व की अपेक्षा अधिक है परन्तु अनुसूचित जन-जाति के वर्ग में यह संख्या अपेक्षित प्रतिनिधित्व की तुलना में कम है तथापि अ० जाति/अ० जाति का सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व जो कि $22\frac{1}{2}\%$ है, पूर्णतया पूरा कर लिया गया है।

(ग) टेलीफोन आपरेटरों के संवर्ग में स्टाफ अधिक है। इसलिए इस संवर्ग में कोई भर्ती नही की गई है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का निजीकरण

931. डा० असीम बाला : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वदेशी होटल उद्योग से, भारत पर्यटन विकास निगम के कुछ होटलों को अन्तर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखला को दिये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारतीय होटल श्रृंखलाओं से उस स्कीम में भाग लेने के लिए अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिसके अन्तर्गत भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के छोटे-छोटे ग्रुप बनाए जाएंगे ताकि विदेशी होटल श्रृंखलाओं के साथ उनका विकास संयुक्त उद्यम के रूप में किया जा सके।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए विदेशी होटल श्रृंखलाओं को आमंत्रित करने के कारण इस प्रकार हैं :—

1. विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखलाओं की इक्विटी सहभागिता से देश में विदेशी मुद्रा आएगी।

2. उनके भारत में आने से होटलों के बीच अधिक लाभप्रद होड़ लगेगी।

3. भारत में विदेशी होटल श्रृंखलाओं के होने से विशाल अन्तर्राष्ट्रीय विपणन नेटवर्क मिलने में मदद मिलेगी जिससे भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या मे वृद्धि होगी।

उड़ीसा में दूरदर्शन के लिए दूसरा चैनल

932. श्री अनादि चरण दास : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भुवनेश्वर में, जहां टेलीविजन स्टूडियो कम्पलेक्स पूरा होने वाला है, दूरदर्शन के दूसरे चैनल को शुरू करने की मांग की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में इस चैनल को शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां । भुवनेश्वर में जहां हाल ही में दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र चालू किया गया है, "दूसरे चैनल" की सुविधाएं स्थापित करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । समूचे उड़ीसा राज्य को सितम्बर, 1991 से क्षेत्रीय उपग्रह चैनल प्रदान किया गया है ।

(ख), (ग) और (घ) दूरदर्शन के आठवीं योजना प्रस्तावों में देश में किसी भी दूरदर्शन केन्द्र से "दूसरे चैनल" की सेवा आरम्भ करने का प्रावधान शामिल नहीं है क्योंकि इसे पहले सभी महानगरों में शुरू किया गया था और कुछ अन्य नगरों में भी इसे शुरू करने की परिकल्पना थी । उड़ीसा ऐसे राज्यों में से एक है, जहां उपग्रह से प्राप्त होने वाली क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवा प्रदान की गई है, जिसे राज्य में सभी ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किया जाता है ।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि० में घाटा

933. श्री विजय नवल पाटील : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि० को बार-बार घाटा हो रहा है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि० अन्य कम्पनियों से प्रतिस्पर्द्धा करने में असमर्थ है;

(ग) यदि हां, तो घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) घाटे में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को निजी क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है । लीबिया के प्रचालनों में भारी क्षति, नए निर्माण कार्यों के लिए आर्डर प्राप्त करने में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा, मार्जिन पर दबाव और स्थापना लागत में वृद्धि से कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । कम्पनी इस्पात क्षेत्र में अनवरत आधार पर किए जाने वाले कार्यों का पता लगाने, स्थापना लागत में कमी करने और श्रमशक्ति की दक्षता में सुधार करने के प्रयास कर रही है ।

[हिन्दी]

दरभंगा हवाई अड्डा

934. श्री भोगेन्द्र झा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में दरभंगा हवाई अड्डे का कुल क्षेत्रफल कितना है तथा यह किस प्रयोजनार्थ बनाया गया था;

(ख) क्या कलकत्ता-दरभंगा जनकपुर, काठमांडु और दिल्ली-वाराणसी-दरभंगा-बागडोगरा के बीच विमान सेवाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या दरभंगा हवाई अड्डे को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) दरभंगा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना का है और इसके धावनपथ का परिमाप 9888 फुट × 158 फुट है। इसका निर्माण रक्षा प्रयोजनों के लिए किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) हवाई अड्डे को अभी तक सिविल उड़ानों के लिए नहीं खोला गया है।

[अनुवाद]

नेपाल और भूटान से बिजली खरीदना

935. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री संयद शाहाबुद्दीन :

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल और भूटान से बिजली खरीदी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह की खरीद की शर्तें क्या हैं;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी मात्रा में बिजली खरीदी गई और वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी मात्रा में बिजली खरीदने की सभावना है;

(घ) इस विदेशी स्रोत से किन-किन राज्यों/जिलों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से बिजली सप्लाई की जा रही है; और

(ङ) खरीदी गई बिजली सम्बद्ध राज्यों/जिलों में किस तरह वितरित की जाती है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और नेपाल के बीच 1-1-88 से निम्नलिखित टैरिफ पर विद्युत का आदान-प्रदान किए जाने के लिए सहमति हुई है :—

1 जनवरी, 1988 से	:	82 भारतीय पैसे/यूनिट
1 जनवरी, 1989 से	:	90 भारतीय पैसे/यूनिट
1 जनवरी, 1990 से	:	पूर्व वर्ष में लागू टैरिफ में प्रतिवर्ष 8.5% की वृद्धि। 1 जनवरी, 1988 से पांच वर्ष बाद टेरिफ की पुनरीक्षा की जाएगी।

उपर्युक्त टैरिफ 33 के० वी० सप्लाई पर है। 11 के० वी० सप्लाई के मामले में 7.5% का प्रभार और 132 के० वी० सप्लाई के मामले में 7.5% की छूट स्वीकार्य है।

भारत द्वारा भूटान की चूखा जल विद्युत परियोजना से विद्युत की खरीद 27 पैसे प्रति यूनिट की फ्लैट दर पर की जा रही है।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान, भारत द्वारा नेपाल से 88.10 मिलियन यूनिट और भूटान से 1431 मिलियन यूनिट ऊर्जा प्राप्त की गई थी। वर्ष 1992-93 के दौरान नेपाल एवं भूटान से विद्युत की उपलब्धता, नेपाल और भूटान में उनकी स्वयं की आवश्यकता को पूरा करने के बाद अधिशेष विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(घ) और (ङ) नेपाल से विद्युत बिहार के रामनगर, रक्सौल, जोगबनी तथा ठाकुरगंज स्थानों पर प्राप्त की जा रही है। भूटान से विद्युत पश्चिम बंगाल के बीरपाड़ा स्थान पर प्राप्त की जाती है और बिहार उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और दामोदर घाटी निगम को वितरित की जाती है। राज्यों में विद्युत का वितरण, सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों के माध्यम से किया जाता है। भूटान से प्राप्त विद्युत का वितरण निम्नानुसार है :—

दामोदर घाटी निगम	15.00%
बिहार	25.75%
उड़ीसा	13.50%
सिक्किम	1.65%
पश्चिम बंगाल	29.10%
अनाबंटित	15.00%
	1000.00%

पश्चिम बंगाल में डाकघर

936. श्री सुब्रत मुखर्जी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान पश्चिम बंगाल के गांवों में डाकघर खोलने का है; और

(ख) इस सम्बन्ध में जिलावार और श्रेणीवार तथा स्थानवार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां ।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

विभागीय उप डाकघर	जिला
1. कंदी बाजार	मुर्शिदाबाद
2. पंचसायर	दक्षिण 24 परगना
3. रानी नगर	जलपाइगुड़ी
4. शिव मंदिर	दार्जिलिंग
5. न्यू मार्केट जैगांव	जलपाईगुड़ी
6. बकरेश्वर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	वीरभूम
7. नोनाकुरी बाजार	मिदनापुर

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

जिले का नाम—दार्जिलिंग

1. ज्योतिनगर
2. पूर्व भक्तिनगर
3. बिलाकमु
4. तमसिंगधुरा
5. निजबारी
6. मिम टी० ई०

7. सेयोक

8. लिंगिया टी० ई०

9. मगरजंग

10. स्वानसे सिनचोना प्लांटेशन

11. स्कूल धुरा तकदाह् टी० ई०

12. सुरूक

13. जमादारबिट्टा

14. नूरबांग

जिले का नाम—जलपाइगुड़ी

1. खोचांदपाड़ा

2. हुंतपाड़ा टी०ई०

3. तासती टी०ई०

जिले का नाम—कूच बिहार

1. बारोदांगा

2. चौपाड़ा

3. कालीपुर

4. रति नंदन कोणामुक्त

5. कुरशामाड़ी

6. लालचंदपुर

जिले का नाम—पश्चिम दिनाजपुर

1. अंधारिया

2. बामनबाड़ी

3. कामदेवबाटी

4. शिकारपुर

5. परबतीपुर

6. देबीगंज

जिले का नाम—मुर्शिदाबाद

1. बुरनपुर

2. जगईपुर

3. महिषग्राम

4. श्रीपुर

5. बलुआ

6. अपर फतेपुर

7. मुक्तिनगर

जिले का नाम—मालदा

1. लश्करपुर

जिले का नाम—बर्दमान

1. संचारा

2. घुलुक

3. चणक

4. बहादुरपुर

5. नोपुर

जिले के नाम—बांकुरा

1. मनोहर

2. बोरनदांगा

3. खारीगेरया

जिले का नाम—हुगली

1. आकरा

2. पश्चिम गोपीनाथपुर

जिले का नाम—दक्षिण 24 परगना

1. गोरघाहा

2. रामतनुनगर

3. तारानगर

जिले का नाम—उत्तर 24 परगना

1. बैराम

2. भावनीपुर

3. पतलापाड़ा

जिले का नाम—नदिया

1. इदरकपुर

2. सोनदा

3. भरतपुर

4. भुकलिया

5. चपई

जिले का नाम—हावड़ा

1. शिवनारायणचाक

जिले का नाम—बीरभूम

1. लतभावनीपुर

3. गोपालपुर

3. पाथेरहापड़ी

जिले का नाम—मिदनापुर

1. तालदरतानचाक

2. सुसुनिया

3. धनियापाड़ा

4. रघताल बलरामपुर

जिले का नाम—नदिया

1. ईश्वरकपुर

2. सोनवा

3. भारतपुर

4. भुकलिया

5. चपई

जिले का नाम—हावड़ा

1. शिवनारायणचाक

जिले का नाम—बीरभूम

1. लतयाबनीपुर

2. गोपालपुर

3. पायेरहावड़ी

जिले का नाम—उत्तरी दीनाजपुर

1. अधियाबाड़ी चैनपुर

निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं

937. श्री पवन कुमार बंसल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार कुल क्षमता क्या है जिन्हें देश में स्थापित करने हेतु निजी क्षेत्र को आमन्त्रित किया गया है; और

(ख) प्राप्त किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उनसे कितनी अतिरिक्त क्षमता का उत्पादन किया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) राज्य सरकारों/राज्य बिजली

बोर्डों द्वारा निजी/संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किए जाने के लिए 33854.8 मेगावाट क्षमता विज्ञापित की गयी है। राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) निजी कम्पनियों ने निजी क्षेत्र में 15222.5 मेगावाट क्षमता स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया है। विस्तृत ब्योरा विवरण-2में दिया गया है। आठवीं योजना के दौरान 4268 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि किए जाने की प्रत्याशी है।

विवरण-1

निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए विज्ञापित/अभिज्ञात
विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र०सं०	परियोजना का नाम	एजेन्सी	राज्य	क्षेत्र	मे०वा०
1	2	3	4	5	6
(क) थर्मल कोल यूनिट्स					
1.*	पेंच ता. वि. के. चरण-I यूनिट 1 व 2	एम. पी. ए. बी. एन. एल.	म. प्र.	प. क्षेत्र	420
2.	बीरसिंगपुर ता. वि. के. विस्तार चरण-दो	एम. पी. ए. एन. एल.	म. प्र.	प. क्षेत्र	420
3.	कोरबा पश्चिमी ता. वि. के. विस्तार यूनिट्स 5 व 6	एम. पी. ए. एन. एल.	म. प्र.	प. क्षेत्र	420
4.	तेनुघाट ता. वि. के. विस्तार चरण-दो	बिहार रा. वि. बो.	बिहार	पूर्वी क्षेत्र	630
5.	खापरखेड़ा ता. वि. के. विस्तार चरण-2 यूनिट 3 व 4	महाराष्ट्र रा. वि. बो.	महाराष्ट्र	प. क्षेत्र	420
6.*	रायचूर ता. वि. के. चरण-3	कर्नाटक वि. बो.	कर्नाटक	द. क्षेत्र	500
7.*	चांडिल ता. वि. के. चरण-1 यूनिट 1 व 2	बिहार रा. वि. बो.	बिहार	पूर्वी क्षेत्र	500
8.	मुजफ्फरपुर विस्तार चरण-2	बिहार रा. वि. बो.	बिहार	पूर्वी क्षेत्र	420
9.	नराज ता. वि. के.	उड़ीसा रा. वि. बो.	उड़ीसा	पूर्वी क्षेत्र	500

1	2	3	4	5	6
10.*	विशाखापत्तनम ता. वि. के. चरण-1 यूनिट 1 व 2	आ. प्र. रा. बि. बो.	आन्ध्र प्रदेश	दक्षिणी क्षेत्र	1000
11.	जी. एन. डी. पी. चरण-3 भटिंडा	पंजाब रा. बि. बो.	पंजाब	उ. क्षेत्र	420
12.	गोबिन्दवाल साहिब ता. वि. के.	पंजाब रा. बि. बो.	पंजाब	उ. क्षेत्र	420
13.*	हिसार ता. वि. के.	हरियाणा रा. बि. बो.	हरियाणा	उ. क्षेत्र	1000
14.	रोजा ता. वि. के. यूनिट 1 व 2	उ. प्र. रा. बि. बो.	उ. प्रदेश	उ. क्षेत्र	420
15.	जवाहरपुर ता. वि. के. यूनिट 1, 2 व 3	उ. प्र. रा. बि. बो.	उ. प्रदेश	उ. क्षेत्र	630
16.	मैसूर ता. वि. के. यूनिट 1, 2 व 3	कर्नाटक बि. बो.	कर्नाटक	द. क्षेत्र	1500
17.*	होसपेट ता. वि. के. चरण-1 यूनिट 1, 2 व 3	कर्नाटक बि. बो.	कर्नाटक	द. क्षेत्र	1·00
18.	पटना ता. वि. के. चरण यूनिट 1 व 2	बिहार रा. बि. बो.	बिहार	पू. क्षेत्र	135
19.	नबीनगर ता. वि. के. चरण-1 यूनिट 1, 2 व 3	बिहार रा. बि. बो.	बिहार	पू. क्षेत्र	1000
20.*	लिनाइट आधारित यूनिट 1, 2 व 3	टिडको	तमिलनाडु	द. क्षेत्र	1500
21.	दुर्गापुर ता. वि. के.	उड़ीसा रा. बि. बो.	उड़ीसा	पू. क्षेत्र	500
22.	हिरमा ता. वि. के.	उड़ीसा रा. बि. बो.	उड़ीसा	पू. क्षेत्र	500
23.	गोपालपुर ता. वि. के	उड़ीसा रा. बि. बो.	उड़ीसा	पू. क्षेत्र	500
24.	तूतीकोरिन चरण-4 विस्तार स्कीम	तमिलनाडु बिजली बोर्ड	तमिलनाडु	द. क्षेत्र	500
25.	कुड्डालोर ता. वि. के.	तमिलनाडु बिजली बोर्ड	तमिलनाडु	द. क्षेत्र	1000

1	2	3	4	5	6
26.	पलवल ता. वि. के.	हरियाणा रा. बि. बो.	हरियाणा	उ. क्षेत्र	*/
27.	फरीदाबाद ता. वि. के.	हरियाणा रा. बि. बो.	हरियाणा	उ. क्षेत्र	1000
28.	एन. मद्रास चरण-3 ता.वि.के.	तमिलनाडु बिजली बोर्ड	तमिलनाडु	द. क्षेत्र	1000
29.	वैम्बर ता. वि. के.	तमिलनाडु बिजली बोर्ड	तमिलनाडु	द. क्षेत्र	500
30.	भावनगर लिग्नाइट आधारित ता. वि. के.	गुजरात बिजली बोर्ड	गुजरात	प. क्षेत्र	250
31.	कच्छ लिग्नाइट आधारित ता. वि. के.	गुजरात बिजली बोर्ड	गुजरात	प. क्षेत्र	250
			जोड़ :		19755

(ख) थर्मल गैस यूनिट्स

1.	जगदीशपुर सी. सी. जी. टी.	यू. पी. आर. वी. यू. एन.	उ. प्र.	उ. क्षेत्र	210
2.*	गंधार सी. सी. जी. टी.	जी. पी. सी. एल.	गुजरात	प. क्षेत्र	615
3.	पिपावाव सी. सी. जी. टी.	जी. पी. सी. एल.	गुजरात	प. क्षेत्र	615
4.	नागोथा/कोलाड सी. सी. जी. टी.	महाराष्ट्र रा. बि. बो.	महाराष्ट्र	प. क्षेत्र	820
5.*	गोदावरी सी. सी. जी. टी.	आं. प्र. रा. बि. बोर्ड	आन्ध्र प्रदेश	द. क्षेत्र	400
6.	बवाना सी. सी. जी. टी.	डेसू	दिल्ली	उ. क्षेत्र	800
7.	बबराला सी. सी. जी. टी.	यू. पी. आर. बी. यू. एन.	उ. प्र.	उ. क्षेत्र	600
8.	शाहजहांपुर सी. सी. जी. टी.	यू. पी. आर. बी. यू. एन.	उ. प्र.	उ. क्षेत्र	600
9.	ओनला सी. सी. जी. टी.	यू. पी. आर. बी. यू. एन.	उ. प्र.	उ. क्षेत्र	600
10.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर सी. सी. जी. टी.	तमिलनाडु बि. बो.	तमिलनाडु	द. क्षेत्र	300
11.	अमगुरी सी. सी. जी. टी.	असम रा. बि. बो.	असम	उ. पू. क्षेत्र	360

1	2	3	4	5	6
12.	नामरूप ता. वि. के. विस्तार ओपन/संयुक्त साईकिल	असम रा. बि. बो.	असम	उ. पू. क्षेत्र	60
13.	बाशकन्डी ओपन साईकिल	असम रा. बि. बो.	असम	उ. पू. क्षेत्र	22.5
14.	अदमतिल्ला ओपन साईकिल	असम रा. बि. बो.	असम	उ. पू. क्षेत्र	15
15.	गैस आधरित		त्रिपुरा	उ. पू. क्षेत्र	100
				जोड़ :	6117.5

(ग) हाइडल पावर यूनिट्स

1.	लारजी ज. वि. यूनिट	हि. प्र. रा. बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	126
2.*	ऊहल-3 ज. वि. यूनिट	हि. प्र. रा. बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	70
3.*	भानवी ज. वि. यूनिट	हि. प्र. रा. बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	22.5
4.	टावा ज. वि. यूनिट	एम. पी. ए. बी. एन. एल.	मध्य प्रदेश	प. क्षेत्र	12
5.*	बासपा-2 ज. वि. यूनिट	हि. प्र. रा. बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	300
6.	धामवारी-सुन्दा ज. वि. यूनिट	हि. प्र. रा. बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	70
7.	महेश्वर ज. वि. यूनिट	एम. पी. ए. बी. एन. एल.	म. प्र.	प. क्षेत्र	400
8.	के. सी. कैनाल ज. वि. यूनिट	आं. प्र. रा. बि. बो.	आं. प्र.	द. क्षेत्र	3
9.	गुंटूर बी. सी. आर. डी. ज. वि. यूनिट	आं. प्र. रा. बि. बो.	आं. प्र.	द. क्षेत्र	4
10.	गुंटूर बी. सी. आर. डी. ज. वि. यूनिट	आं. प्र. रा. बि. बो.	आं. प्र.	द. क्षेत्र	4.
11.	मलाना ज. वि. यूनिट	हि. प्र. रा. बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	8
12.	नेओगल ज. वि. यूनिट	हि. प्र. रा. बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	4.
13.	खौली ज. वि. यूनिट	हि. प्र. रा. बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	10.

1	2	3	4	5	6
14.	हिब्रा ज. वि. यूनिट	हि. प्र. रा. बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	240
15.	पारबती-3 ज. वि. यूनिट	हि. प्र. रा. बि. बो.	आं. प्र.	उ. क्षेत्र	501
16.	अन्य ज. बि. परियोजनाएं	आं. प्र. रा. बि. बो.	आं. प्र.	द. क्षेत्र	19.8
17.	शिवा हाइडल मिनी स्कीम	कर्नाटक बि. बो.	कर्नाटक	द. क्षेत्र	3
18.	वाणीविलाससागर स्कीम	कर्नाटक बि. बो.	कर्नाटक	द. क्षेत्र	4.5
19.	ड्रौप डाउन स्ट्रीम	कर्नाटक बि. बो.	कर्नाटक	द. क्षेत्र	0.25
20.	माधवनंथी ऐनीकट	कर्नाटक बि. बो.	कर्नाटक	द. क्षेत्र	3.5
21.	बाणसागर फेज-2	म. प्र. बि. बो.	म. प्र.	प. क्षेत्र	30
22.	बाणसागर फेज-3	म. प्र. बि. बो.	म. प्र.	प. क्षेत्र	60
23.	बाणसागर फेज-4	म. प्र. बि. बो.	म. प्र.	प. क्षेत्र	20
24.	तीस्ता-3	एन. एच. पी. सी.	सिक्किम	उ. पू. क्षेत्र	1200
25.	पच्छीपरई डैम	तमिलनाडु बि. बो.	तमिलनाडु	द. क्षेत्र	1.3
26.	थिरूमूरथी डैम	तमिलनाडु बि. बो.	तमिलनाडु	द. क्षेत्र	1.95
27.	थुकलापट्टी कैनाल ड्रौप	तमिलनाडु बि. बो.	तमिलनाडु	द. क्षेत्र	0.35
28.	मुकुराठी डैम	तमिलनाडु बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	0.7
29.	रामपुर	हि. प्र. रा. बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	880
30.	स्वर कुड्डू	हि. प्र. रा. बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	85
31.	करछमवांगटू	हि. प्र. रा. बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	900
32.	शोंगटोंग करछम	हि. प्र. रा. बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	225
33.	बासपा-1	हि. प्र. रा. बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	210
34.	एलेनदुहगन	हि. प्र. रा. बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	192
35.	बुधीली	हि. प्र. रा. बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	81
36.	पतिकारी	हि. प्र. रा. बि. बो.	हि. प्र.	उ. क्षेत्र	70

1	2	3	4	5	6
37.	घुमनकल	कर्नाटक वि. बो.	कर्नाटक	द. क्षेत्र	800
38.	महात्वयी	कर्नाटक वि. बो.	कर्नाटक	द. क्षेत्र	4
39.	सरापाड़ी	वही	वही	वही	9
40.	वराही	वही	वही	वही	3
41.	कीर्तिहोल	वही	वही	वही	2
42.	हारंगी एल. बी. सी.	वही	वही	वही	4.5
43.	काबीनी आर. बी. सी.	वही	वही	वही	1.5
44.	सी. बी.	वही	वही	वही	6.3
45.	नूगु हाई लैवल नहर	वही	वही	वही	2
46.	काबीनी बांध विद्युत घर 9	वही	वही	वही	20
47.	वृन्दावन	वही	वही	वही	12
48.	इलानीद	वही	वही	वही	10
49.	आनन्दका	वही	वही	वही	9
50.	हेमवती एल. बी. सी.	वही	वही	वही	15
51.	हेमवती आर. बी. सी.	वही	वही	वही	9
52.	वादुपुर	हरियाणा रा. बि. बो.	हरियाणा	उ. क्षे.	*
53.	तीस्ता चरण-5		सिक्किम	उ. पू. क्षे.	860
				जोड़	7612.3

(घ) पवन ऊर्जा यूनिट

1.	रामगिरी पवन मिल विद्युत उत्पादन	आं. प्र. रा. बि. बो.	आं. प्र.	द. क्षे.	50
2.	कपातागुड़ा हिल्स	कर्नाटक बि. बो.	कर्नाटक	द. क्षे.	4.5
3.	जागीमद्‌टी	वही	वही	वही	4.5
					65

1	2	3	4	5	6
4.	कोकक हिल्स	कर्नाटक वि. बो.	कर्नाटक	द. क्षे.	5
5.	मालीगट्टी	वही	वही	वही	*
6.	हनुमान सागर	वही	वही	वही	*
7.	बोममनहाली	वही	वही	वही	*
8.	हनुमानहट्टी	वही	वही	वही	*
				जोड़	62
	(ङ) सौर ऊर्जा यूनिट				
1.	कोठागुडम सौर ता. वि. के.	आं. प्र. रा. वि. बो.	आं. प्र.	द. क्षे.	30
				जोड़ :	30
	(च) डी. जी. सैट				
1.	कोलार-बिदर इन्दी. जामखण्डी	कर्नाटक वि. बो.	कर्नाटक	द. क्षे.	78
2.	कामयानल्लूर	तमिलनाडु वि. बो.	तमिलनाडु	द. क्षे.	100
3.	कुड्डालूर	वही	वही	वही	100
				जोड़ :	278

जोड़ क+ख+ग+घ+ङ+च = 33854.8

*परियोजना संबंधी ठेका दिए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा चुका है।

*क्षमता इंगित नहीं की गई है।

विवरण-2

निजी क्षेत्र में प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	विदेशी/ भारतीय	क्षमता (मे०वा०)	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	परियोजना का नाम/राज्य
1	2	3	4	5	6
1.	कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कं०	भारतीय	500 (कोयला)	1638.00	बज-बज ता. वि. के./पश्चिम बंगाल
2.	सेंचुरी पावर	भारतीय	420 (कोयला)	1300.00 (जुलाई, 92)	पेंच ता. वि. के. चरण-1/ मध्य प्रदेश
3.	जी. वी. के. इंडस्ट्रीज, यू. एस. ए.	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	172 (गैस)	515.00	जेगुरुपाडु सी. सी. जी. टी./ आन्ध्र प्रदेश
4.	पंजाब पावर जैनरेशन मशीनस लिमिटेड	भारतीय	22.5 (ज. विद्युत)	40.00 (दिसंबर, 92)	थानवी ज. वि./हिमाचल प्रदेश
5.	बलारपुर इंडस्ट्रीज लि.	भारतीय	70 (ज. विद्युत)	176.77 (फरवरी, 92)	उह्ल-3 ज. वि./हिमाचल प्रदेश

1	2	3	4	5	6
6.	एस. टी. पावर सिस्ट्म्स इन्क. यू. एस. ए.	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	210 (लिग्नाइट)	750.00 (दिसंबर, 91)	जीरो यूनिट ता. वि. के./ एम. एल. सी./तमिलनाडु
7.	अशोक ले-लैण्ड/मिशन एनर्जी (यू. एस. ए./ आंध्र प्रदेश रा. वि. बो.	विदेशी/ भारतीय (संयुक्त उपक्रम)	1000 (कोयला)	3000.00 (जुलाई, 92)	विशाखापत्तनम/आंध्र प्रदेश
8.	कोलमैन एण्ड एसोसिएट्स (आस्ट्रेलियाई व्यापार संघ)	विदेशी	240 (लिग्नाईट)	585.73 (अप्रैल, 91)	बरसिंगसर ता. वि. के./ राजस्थान
9.	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजिस यू. एस. ए.	विदेशी	200 (सी॰सी॰जी॰टी)	500.00	काकीनाड़ा/आंध्र प्रदेश
10.	एनरोन पावर डेवलमैंट कारपोरेशन, यू. एस. ए.	विदेशी	2550 (गैस)	6000.00 (जून, 92)	दभोल एस. एन. जी. ता. वि. के./महाराष्ट्र
11.	नार्थ-ईस्टर्न एनर्जी सर्विसेज इन्क., यू. एस. ए / कलिंगा पावर कारपोरेशन	विदेशी/ भारतीय	500 (कोयला)	1548.00 (जनवरी, 92)	दबूरी ता. वि. के./ उड़ीसा
12.	कोनजेन्ट्रीक्स इन्क., यू. एस. ए.	विदेशी	500 (कोयला)	1000.00	मंगलौर/कर्नाटक
13.	कोनजैन्ट्रीक्स इन्क., यू. एस. ए.	विदेशी	500 (2 × 250) (कोयला)	1000.00	हिसार-1 एवं 2/ हरियाणा

1	2	3	4	5	6
14.	मेगा पावर प्राइवेट लि०/(मैसर्स कान्फिडेंन्स शिपिंग कंपनी लि०)	भारतीय	110 (एल. एस. एच. एस.)	395.00 (मई, 92)	बार्ज/शिप माऊन्टेड ता. वि. के./महाराष्ट्र
15.	कोजेन्ट्रीक्स इन्क., यू. एस. ए.	विदेशी	500 (कोयला)	1000.00	बंगलौर/कर्नाटक
16.	जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई	भारतीय	300 (ज. विद्युत)	547.00 (जून, 92)	बसपा-2 ज. वि./ हिमाचल प्रदेश
17.	आर. पी. जे. एन्टरप्राईजेज	भारतीय	500 (कोयला)	1637.00 (अप्रैल, 92)	चांडिल ता. वि. के./ बिहार
18.	जी. एम. स्वामी एसोसिएट्स	भारतीय	250 (लिग्नाइट)	800.00 (नवम्बर, 91)	टिकापको/तमिलनाडु
19.	जयमकोंडम लिग्नाइट पावर कारपोरेशन (टिडको/मैकनली भारत)	विदेशी/ भारतीय	1500 (लिग्नाइट)	4500.00 (जनवरी, 92)	जयकोंडम ता. वि. के./ तमिलनाडु
20.	सेंचुरी टैक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्री लि०	भारतीय	500 (कोयला)	1036.20 (फरवरी, 92)	चित्तौड़गढ़ ता. वि. के./ राजस्थान
21.	स्पेक्ट्रम टैक्नोलोजिज, यू. एस. ए.	विदेशी	20 (गैस)	40.00 (जून, 92)	बांकुनी/ पश्चिम बंगाल

1	2	3	4	5	6
22.	एन. टी. पी. सी. मैसर्स ए. बी. बी. स्वीडन	विदेशी/ भारतीय	800 (गैस)	1000.00 (फरवरी, 92)	ग्रीन साइट
23.	गुजरात पावर कारपोरेशन लि० एण्ड टोरेंट एक्सपोर्टस् लि०	विदेशी भारतीय संयुक्त उपक्रम	615 (गैस)	573.73	गंधार/गुजरात
24.	बिरला टेक्नीकल सर्विसेज	भारतीय	135 (कोयला)	500.00	गौरीपुर/ पश्चिम बंगाल
25.	कंपनेंस इन्ट. पावर कारपोरेशन यू. एस. ए.	विदेशी	60 (ज. विद्युत)	125.00	दांदेली/कर्नाटक
26.	कैंपनेंस इन्ट. पावर कारपोरेशन यू. एस. ए.	विदेशी	210 (ज. विद्युत)	350.00	बेड्थी/कर्नाटक
27.	एशिया पावर कम्पनी लि० (टापको) (यू. एस. ए.) एण्ड कर्नाटका पावर कारपोरेशन	विदेशी/ भारतीय/ संयुक्त उपक्रम	270 (जल विद्युत)	312.00	अलमत्ती डैम/ कर्नाटक
28.	हाक इन्टर-कांटिनेंटल लि०, यू. एस. ए.	विदेशी	500 (कोयला)	1350.00	हासपेट/कर्नाटक
29.	पब्लिक पावर इन्ट. इन्क. (नार्थ-ईस्ट एनर्जी) यू. एस. ए./कर्नाटक पावर कारपोरेशन	विदेशी/ संयुक्त क्षेत्र उपक्रम	500 (कोयला)	1000.70	रायचूर चरण-5/ कर्नाटक

1	2	3	4	5	6
30.	पब्लिक पावर इन्ट. इन्क. (नार्थ-ईस्ट एनर्जी) यू. एस. ए.	विदेशी/	1000 (कोयला)	3000.00	मैसूर/कर्नाटक
31.	चलाएस होल्डिंग लि०, यू. के.	अनिवासी भारतीय	300 कोयला	600.00	धारवाड़/ कर्नाटक
32.	सोसाईटा इटैलियाना कोन्डोट एक्यूआ (इटली)/कर्नाटका पावर कारपोरेशन	विदेशी/ संयुक्त क्षेत्र उप०	268 (ज. विद्युत)	151.00	शिवासमुन्द्रम/ कर्नाटक
		जोड़ =	1522.50	37571.13	

[हिन्दी]

इण्डियन एयरलाइंस की उड़ानों का रद्द किया जाना/विलम्ब होना

938. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री दिनांक 3 अगस्त, 1992 के अता॰ प्र॰ सं॰ 3882 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आश्वासन पहले ही पूरा कर लिया गया है।

डाक विभाग में दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण

939. **श्री आर्क फर्नांडीज :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाक विभाग में दैनिक मजदूरों को नियमित करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जाने वाली है?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी॰ वी॰ रंगैया नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय आर॰ एम॰ एस॰ कर्मचारी संघ, मेल गार्ड और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से इस अनुरोध के साथ एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि डाक विभाग के दिहाड़ी के मजदूरों को भी उसी ढंग से नियमित किया जाए जिस ढग से दूरसंचार विभाग में किया गया है।

(ग) दिहाड़ी के मजदूर ग्रुप "घ" पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं, लेकिन इसके लिए जो भर्ती नियम हैं, उनमें विभाग के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को वरीयता देने की व्यवस्था है। चूंकि, अतिरिक्त विभागीय एजेंट बहुत बड़ी संख्या में हैं, इसलिए दिहाड़ी के मजदूर सामान्यतया नियुक्त नहीं हो पाते। तथापि, एक वर्ष की निरन्तर सेवा वाले दिहाड़ी के मजदूरों और जो 29-11-1989 को नौकरी पर थे, उन्हें भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में "अस्थायी दर्जा" प्रदान किया गया है।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के
कमरों के भरे रहने की दर

940. श्री मणिकराव होडल्या गावीत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के होटलों की तुलना में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कमरों के भरे रहने की दर घट गई है; और

(ख) यदि हां, तो खासकर दिल्ली और बम्बई स्थित होटलों के कमरों के भरे रहने की औसतन दर क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) हम भारत पर्यटन विकास निगम की होटलों के अधिभोग दर की तुलना निजी क्षेत्र के होटलों से नहीं करते हैं।

(ख) वर्ष 1992-93 (सितम्बर, 92 तक) में दिल्ली स्थित भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में औसत अधिभोग दर इस प्रकार रही :—

क्रम सं० होटल का नाम	अधिभोग दर
1. अशोक होटल	53
2. कुतुब होटल	42
3. होटल सम्राट	66
4. होटल जनपथ	51
5. कनिष्क होटल	55
6. लोधी होटल	36
7. होटल रणजीत	30
8. अशोक यात्री निवास	39

भारत पर्यटन विकास निगम बम्बई में कोई होटल नहीं चलाता है।

[हिन्दी]

आगरा में खेरिया हवाई अड्डे (उत्तर प्रदेश) पर हवाई जहाज उतरने की सुविधा

941. श्री भगवान शंकर रावत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर असैनिक हवाई जहाजों को उतारने की व्यवस्था करने तथा असैनिक हवाई अड्डे के विस्तार एवं विकास की योजना मंजूरी के लिए भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है;

(घ) इस योजना पर कितना खर्च आने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) राज्य सरकार ने आगरा हवाई अड्डे के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नयन के बारे में एक अनुरोध भेजा है जबकि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास इस प्रकार के उन्नयन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि उसकी इस वित्तीय वर्ष में वर्तमान टर्मिनल भवन के विस्तार तथा उसमें सुधार की योजनाएं हैं जिससे एयरबस-320 की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यह परियोजना लगभग 30 महीनों में पूरी की जाएगी।

टेलीफोन शुल्क में वृद्धि

942. श्री राम सागर :
श्री सुभाष चन्द्र नायक :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में नए टेलीफोन कनेक्शनों हेतु पंजीकरण शुल्क में वृद्धि करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक लागू हो जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) से (ग) प्रस्ताव विचाराधीन है।

बाणसागर परियोजना

943. श्री एम० के० राठवा : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाण सागर नियंत्रण बोर्ड की बैठक अगस्त, 1992 में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में भाग लेने वाले राज्यों के क्या नाम हैं;

(ग) इस बैठक में दिए गए सुझावों और सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की 11वीं बैठक 24-8-92 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी।

(ख) केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री की अध्यक्षता वाली इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार के सिंचाई/जल संसाधन मंत्रियों और मध्य प्रदेश के वित्त एवं ऊर्जा मन्त्रियों ने भी भाग लिया।

(ग) और (घ) बाणसागर बांध परियोजना की वित्तीय स्थिति और उसके विभिन्न घटकों के निर्माण कार्य पर हुई प्रगति का पुनरीक्षण करने के बाद बोर्ड ने इस परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य की तारीख इस प्रकार संशोधित की :—

बांध, क्रेस्ट स्तर तक	—	जून, 1995
द्वारों सहित बांध	—	जून, 1998

यह भी निर्णय लिया गया कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, जैसीकि समस्त मध्य प्रदेश राज्य के लिए लागू करायी गई है, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को उनकी सहमति के लिए उपलब्ध करायी जाये।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस के विमानों को मजबूरी में उतारना

944. श्री मदनलाल खुराना : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इंडियन एयरलाइंस के कितने विमानों को मजबूरन उतारना पड़ा;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके फलस्वरूप इंडियन एयरलाइंस को कितना घाटा हुआ; और

(घ) ऐसे अवतरणों को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस के किसी विमान को मजबूरन नहीं उतारना पड़ा।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर की स्थापना

945. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती जिला सहरसा स्थित दूरदर्शन केन्द्र का प्रसारण-क्षेत्र बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर एक उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) ऐसी रिपोर्ट मिली है कि यू० एच० एफ० बैण्ड पर कार्यरत सहरसा स्थित अल्प शक्ति (100 वा०) टी० वी० ट्रांसमीटर सामान्य रूप से कार्य कर रहा है और अपने 15 कि० मी० क्षेत्र के दायरे में, जिसमें ऐसे किनारे वाले सेवा भी शामिल हैं जहां संतोषजनक रिसेप्शन प्राप्त करने के लिए ऊंचे एण्टीनों और बूस्टरों को लगाना पड़ता है, संतोषजनक टी० वी० सेवा प्रदान कर रहा है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम ताप विद्युत परियोजना

946. डा० डी० वेंकटेश्वर राव : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से विशाखापत्तनम ताप विद्युत परियोजना को 1992-93 में जापान द्वारा दिए जाने वाले ओ० ई० सी० एफ० ऋण प्रस्तावों में शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने विशाखापत्तनम ताप विद्युत परियोजना (2×500 मेगावाट) के लिए ओ० ई० सी० एफ० सहायता प्राप्त किए जाने का अनुरोध किया है। चूंकि, किसी नई विद्युत परियोजना को ओ० ई० सी० एफ० सहायता हेतु प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है और परियोजना को विद्युत क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जाने हेतु विज्ञापित किया गया है तथा इसके सम्बन्ध में मिशन एनर्जी, यू० एस० ए० एवं मैसर्स अशोक लेलैण्ड, मद्रास के साथ बातचीत की जा रही है, अतः उक्त परियोजना को ओ० ई० सी० एफ० सहायता हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया था।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीग्राम

947. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों विशेष रूप से "पौड़ी और गढ़वाल" जिलों में आने वाले और बाहर जाने वाले टेलीग्राम आमतौर पर विलम्ब से पहुंचते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में टेलीग्राम भेजने अथवा प्राप्त करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या कई स्थानों पर टेलीग्राम डाक द्वारा भेजे जाते हैं और यदि हां, तो उत्तरांचल के आठ जिलों के ऐसे डाक-घरों की जिला-वार संख्या कितनी है जहां डाक द्वारा टेलीग्राम भेजे जाते हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में टेलीग्रामों को समय पर भेजने और इनका प्रेषण सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) जी, नहीं। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में लाइनों के रख-रखाव में कठिनाई आने के कारण कभी-कभी तारों के वितरण में विलम्ब हो जाता है। इन क्षेत्रों में तार प्रेषण और वितरण के लिए सरकार द्वारा कोई अलग से समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) कभी-कभी तार लाइनों में व्यवधान उत्पन्न होने और डाक संकेत उपलब्ध न होने के कारण तारों को डाक में डाला जाता है। 8 राजस्व जिलों के अन्तर्गत ऐसे डाकघरों की संख्या इस प्रकार हैं :

1. अल्मोड़ा	9
2. नैनीताल	10
3. पिथौरागढ़	9
4. देहरादून	शून्य
5. पौड़ी	8
6. टिहरी	3
7. चमोली	7
8. उत्तरकाशी	1

(घ) तार वितरण में सुधार लाने के लिए धीरे-धीरे ओवरहैड वायरों के स्थान पर माइक्रोवेव और यू० एच० एफ० प्रणालियां स्थापित करने की योजना है।

दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिनों के समय में परिवर्तन

948. श्री बारेलाल जाटव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिनों के समय में परिवर्तन करने तथा उनकी प्रसारण अवधि कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) महालिक समिति की सिफारिशों पर 1 जनवरी, 1993 से दूरदर्शन के वर्तमान कार्यक्रम फारमेट की पुनर्संरचना में दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली से राष्ट्रीय/नेटवर्क कार्यक्रमों के अन्तर्गत टेलीकास्ट होने वाले समाचार बुलेटिनों के समय और अवधि में परिवर्तन की परिकल्पना है ।

[अनुवाद]

शांतिनिकेतन में पौष मेले के दौरान अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना

949. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र को शांतिनिकेतन में पौष मेले के दौरान अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार से एक अधूरा प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें शांतिनिकेतन मेले में सहायता देने के लिए 5.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मांगी गई थी । राज्य सरकार से प्रस्ताव का पूरा ब्यौरा भेजने के लिए अनुरोध किया गया है ।

एन० टी० पी० सी० के लिए जापान के एक्जिम बैंक से सहायता

950. श्री राम नाईक : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम परियोजनाओं के लिए सह-वित्तपोषण व्यवस्था करने हेतु जापान के एक्जिम बैंक के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) रामागुण्डम सुपर ताप

विद्युत केन्द्र-2 तथा सम्बद्ध पारेषण लाइन, रिहन्द पारेषण लाइन और फरक्का-2 एवं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की सम्बद्ध पारेषण लाइन की स्थानीय लागत के सह वित्त पोषण के लिए एक्जिम बैंक आफ जापान द्वारा 1988 में 5.3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज की दर पर 62 बिलियन येन (अथवा 585.6 करोड़ रुपये प्रतिपूर्ति प्रतिबन्धित राशि) के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस ऋण की राशि का पूर्णतः समुपयोजन कर लिया गया है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम

951. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :** क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले रक्षित विद्युत संयंत्रों की संख्या और ब्यौरा क्या है और उनकी क्षमता कितनी-कितनी होगी ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : 500 मेगावाट विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र निवेशकों के साथ मिलकर एक संयुक्त क्षेत्र कम्पनी स्थापित किए जाने के लिए सहयोग करने से उद्देश्य से नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन०टी०पी०सी०) और स्टील अथार्टी आफ इण्डिया लि० (सैल) द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर 16 नवम्बर, 1992 को हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके फलस्वरूप, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड प्रणाली के माध्यम से सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र की विद्युत की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सकेगा और सम्बन्धित क्षेत्र में विद्युत की सप्लाई में वृद्धि भी की जा सकेगी। इस परियोजना को 8वीं योजना अवधि के दौरान आरम्भ किए जाने की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

टेलीफोन डायरेक्टरी के प्रकाशन के लिए मानदण्ड

952. **श्री श्रीकान्त जेना :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन डायरेक्टरी के प्रकाशन के लिए नियत मानदण्ड का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा में इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में नियमों और मानदण्डों का पालन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) टेलीफोन डाइरेक्टरियों का प्रकाशन वर्ष में एक बार सेकेंडरी स्विचन क्षेत्र-वार किया जाता है।

(ख) उड़ीसा में डाइरेक्टरी के प्रकाशन में नियमों और मानदंडों का अनुपालन किया गया है।

वैसे, सर्किल टेलीफोन डाइरेक्टरी, 1991 के संस्करण का प्रकाशन, ठेकेदार की कमी के कारण समय पर नहीं किया जा सका। डाइरेक्टरी मुद्रणाधीन है, और मार्च, 1993 तक इसके प्रकाशित कर दिए जाने की सम्भावना है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में सी-डाट एक्सचेंज

953. श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर सी-डाट-512 बोर्ड/एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य में ऐसे बोर्ड/एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन बोर्डों/एक्सचेंजों की स्थापना कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थानों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. श्रीनगर
2. सरधना
3. काशीपुर
4. सैदपुर
5. बिलासपुर
6. खमारिया
7. शाहगंज

(ख) जी हां।

(ग) जिलेवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

जिला	निर्धारित एक्सचेंजों की संख्या
1. देहरादून	2
2. अलीगढ़	2
3. महराजगंज	1
4. सिद्धार्थनगर	1

(घ) मार्च, 1994 तक।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन उपस्कर की कमी

954. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के दूरसंचार के विभिन्न गोदामों में टेलीफोन उपस्करों और अन्य मदों की कमी पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कमी के लिए किन्हीं व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश में एक माल गोदाम में कुछ टेलीफोन उपस्करों की कमी पाई गई है।

(ख) लखनऊ टेलीफोन जिले के अन्तर्गत केवल एक माल गोदाम में लगभग 1300 टेलीफोन उपकरणों की कमी पाई गई है।

(ग) जी हां। प्रारम्भिक जांच के आधार पर चार कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है।

(घ) एक कर्मचारी को निलम्बित किया गया है और अन्य तीन कर्मचारियों को सामान्य पदों पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

पर्यटन के विकास हेतु भारतीय शिष्टमण्डल की इजरायल यात्रा

955. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल इजरायल गया था और उसने इजरायल सरकार के साथ एक पर्यटन सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते का मूल पाठ क्या है;

(ग) क्या इजरायल के साथ पर्यटन और नागर विमानन सम्बन्धी द्विपक्षीय समझौता करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी हां, दोनों देशों के पर्यटन मन्त्रालयों के बीच एक सहमत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) और (घ) इजरायल के साथ पर्यटन पर एक द्विपक्षीय करार करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

वायु सेवा के बारे में एक करार पर 29 मई, 1992 को हस्ताक्षर किए गए थे और इस करार की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है :—

(क) हवाई सेवा चलाने के उद्देश्य से दोनों देशों को एक हवाई कम्पनी को नामित करने का अधिकार होगा।

(ख) नामित हवाई कंपनियां इस करार के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं का परिचालन करेंगी।

(ग) सेवाओं की संख्या तथा क्षमताओं के मामले में पर्व-निर्धारण के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों में एस॰टी॰डी॰ सुविधा

956. **श्री राम पाल सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन जगहों के जिला-वार नाम क्या हैं जहां टेलीफोन एक्सचेंजों में 1992-93 के दौरान एस॰टी॰डी॰ सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) उन टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्या है जहां अभी एस॰टी॰डी॰ सुविधा उपलब्ध है और बाकी जगहों पर एस॰टी॰डी॰ सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगैया नायडू) : (क) जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) अब तक 52 चुने हुए एक्सचेंजों में से 34 एक्सचेंज एस०टी०डी० से जोड़ दिए हैं और शेष को मार्च, 1993 तक जोड़ दिए जाने की सम्भावना है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के उन जिलों के नाम जहां 1992-93 के दौरान एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं

1. आगरा
2. इलाहाबाद
3. बहराइच
4. बांदा
5. बरेली
6. बस्ती
7. देहरादून
8 इटावा
9. फर्रुखाबाद
10. फैजाबाद
11. फतेहपुर
12. गाजियाबाद
13. गाजीपुर
14. गोरखपुर
15. गोंडा
16. हमीरपुर
17. कानपुर
18. लखनऊ
19. लखीमपुर खीरी
20. मथुरा

21. मुरादाबाद

22. मुजफ्फरनगर

23. मेरठ

24. मिर्जापुर

25. नैनीताल

26. पौड़ीगढ़वाल

27. प्रतापगढ़

28. शाहजहांपुर

29. उन्नाव

[अनुवाद]

टेलीफोन का बिना बारी का आवंटन

957. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1991 से पहले बिना बारी के मंजूर किए सभी टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेष कनेक्शन कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कुछ टेलीफोन कनेक्शन इसलिए नहीं प्रदान किए जा सके हैं क्योंकि इनसे सम्बन्धित मंजूरी आदेशों को रोके रखा गया है। ऐसा जाली रूप से जारी किए गए मंजूरी आदेशों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच के कारण किया गया है। तथापि, माननीय संसद सदस्यों को विशेष सिफारिशों के आधार पर मंजूर किए गए टेलीफोन दे दिए गए हैं।

समाचार पत्रों पर सेंसर

958. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन समाचार पत्रों का भाषावार ब्यौरा क्या है जो अब सेंसर किए जाते हैं और वे किन-किन स्थानों से प्रकाशित किए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे कुछ समाचार-पत्रों पर रोक लगाने का है जो वैमनस्यपूर्ण लेखों के द्वारा साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़का रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) भाषायी दैनिकों पर कोई सेन्सरशिप नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी/दूरदर्शन के लिए नई प्रसारण नीतियां

959. **श्री सुबास चन्द्र नायक :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए नई प्रसारण नीतियां बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन्हें कब तक लागू किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) सरकार ने निजी निर्माताओं को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में दूरदर्शन के मेट्रो चैनलों और आकाशवाणी के एफ०एम० चैनलों पर समय आबंटन करने के लिए 30 सितम्बर, 1992 को एक अधिसूचना जारी की है। 14 अक्तूबर, 1992 को एक "भारतीय समय प्रसारण समिति" का भी गठन किया गया है। यह समिति आकाशवाणी/दूरदर्शन के चैनलों पर कार्यक्रमों के लिए रुचि रखने वाली पार्टियों से आवेदन आमंत्रित करेगी, लाइसेंस जारी करेगी और उचित समय आबंटित करेगी।

दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति

960. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति की शक्तियां और कार्य क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली की टेलीफोन सलाहकार समिति और 5 क्षेत्रीय टेलीफोन सलाहकार समितियों यथा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा केन्द्रीय के सदस्यों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) टेलीफोन सलाहकार समिति के कार्यों में ये कार्य शामिल हैं—दूरसंचार सेवाओं के कार्य-निष्पादन पर नजर रखना, इनके सुधार के लिए विभाग को सलाह देना, टेलीफोन का प्रयोग करने वाले लोगों और दूरसंचार विभाग के बीच सपर्क सूत्र का कार्य करना, ओ०वाई०टी० और विशेष श्रेणियों के अन्तर्गत निष्पक्ष और न्यायसंगत ढंग से नियमानुसार बिना बारी टेलीफोन कनेक्शन देने का निर्णय लेने में विभाग की सहायता करना आदि। दूरसंचार सलाहकार समितियों आमतौर पर दो वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाती हैं।

विवरण

दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

1. श्री सज्जन कुमार, संसद सदस्य	: 713, जनता फ्लेट, पश्चिमीपुरी, मादीपुर, दिल्ली
2. श्री राजेश खन्ना, संसद सदस्य	: सी-8495, बसन्त कुंज, नई दिल्ली
3. श्री कालका दास, संसद सदस्य	: 9 डा० विशम्बरदास मार्ग, नई दिल्ली
4. श्री मदनलाल खुराना, संसद सदस्य	: एफ-104, कीर्ति नगर, नई दिल्ली
5. श्री आर०के० ठक्कर मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन	: 5, सोमनाथ मार्ग, दिल्ली
6. श्री रमेश चन्द्र, अध्यक्ष, न०दि०न० पालिका केन्द्र नई दिल्ली	
7. श्री पी०वी० जयकृष्णन, आयुक्त, दि०न०नि०, टाउन हाल, चांदनी चौक, नई दिल्ली	
8. श्री एच० के० दुआ, सम्पादक, हिन्दुस्तान टाइम्स, कस्तुरबागांधी मार्ग, नई दिल्ली	
9. श्री प्रभु चावला, सम्पादक, इण्डियन एक्सप्रेस, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली	
10. श्री सुमेर कौल, सम्पादक, नेशनल हेराल्ड, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली	
11. श्री सी०आर० ईरानी, संपादक, स्टेट-	

मैन, स्टेटमैन हाउस, कनाट सर्कस, नई दिल्ली

12. श्री दिलीप पदगांवकर, सम्पादक, टाइम्स आफ इण्डिया, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली

13. श्री विनोद मेहता, सम्पादक, दीपायनीयर, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली

14. श्री अनिल नरेन्द्रा, सम्पादक, वीर अर्जुन, नई दिल्ली

15. श्री अश्विनी मिन्ना, सम्पादक, पंजाब केशरी : पंजाब केशरी प्रिंटिंग प्रेस। वजीरपुर डिपो के पास, प्लाट नं० 2

16. श्री शाहिद सिद्दकी, संपादक नई दुनिया : डी-2', निजामुद्दीन सेस्ट, नई दिल्ली

17. संपादक दैनिक हिंदुस्तान, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली

18. संपादक, नवभारत टाइम्स, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली

19. संपादक, जनसत्ता, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली

20. श्री अरुण पुरी, संपादक, इंडिया टुडे : एफ-14/15 कनाट सर्कस, नई दिल्ली

21. श्री वीर संघवी संपादक सनडे, नई दिल्ली : 1, आनन्द बाजार पत्रिका, : प्रफुल्ला सरकार स्ट्रीट, कलकत्ता (प० बंगाल)

22. श्री राजीव शुक्ला (संडे ऑबजरवर) : 100, भक्तेश्वर सिंह ब्लाक, एशियाड गांव, नई दिल्ली

23. डा० पी. सी. राय, चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

24. श्री पी. एन. लेखी, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

25. श्री आर. के. जैन,
अध्यक्ष, बार एसोसिएशन,
सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

26. श्री बी. डी. कौशिक
अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, तीस
हजारी कोर्ट, दिल्ली

27. श्री वजाहत हबीबुल्ला, सचिव, राजीव
गांधी फाउन्डेशन, जवाहर भवन,
डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली

28. श्री एम० एल० नन्दराजोग, महासचिव
पी० एच० डी० चेम्बर आफ कामर्स एंड
इण्डस्ट्रीज पी० एच० डी० हाउस, थापर
फ्लोर, एशियन गांव के सामने,
नई दिल्ली-16

29. श्री जे० पी० अग्रवाल,
भूतपूर्व संसद सदस्य 1998, नवग्रह,
किनारी, बाजार, दिल्ली-6

30. श्री भरत सिंह	:	बी-1/153, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63
31. श्री विश्वबंधु गुप्ता	:	5, टालसटाय मार्ग, नई दिल्ली
32. श्री जग प्रवेश चन्द्र	:	70, खान मार्किट, नई दिल्ली
33. श्री मोहिन्दर सिंह साथी	:	म० नं० 53, रोड नं० 78, पंजाबी बाग (पश्चिमी) नई दिल्ली-110078
34. श्रीमती ताजदार बाबर	:	1, गोल्फ लिंक, सदन, न० दि० नि० पा० गोल्फ लिंक, नई दिल्ली
35. डा० भास्कर राव	:	ई-140 ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-48
36. श्री खुशवन्त सिंह	:	49-ई, सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली
37. एडमिरल एस० सी० चोपड़ा	:	बी-6511, सफदरजंग इन्कलेव, नई दिल्ली
38. ले० जनरल बी० डी० पंडित (सेवानिवृत)	:	

39. श्रीमती मोहिनी गिरी	:	म० नं० 43, सेक्टर-15ए, नोएडा, गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश)
40. श्री बन्सी लाल मेहता	:	19 राजेन्द्र पार्क, नई दिल्ली
41. श्रीमती अम्बिका सोनी	:	7, फ्रेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली
42. चौ० प्रेम सिंह	:	एफ-301, गांव लाडो सराय, मेहरोली, नई दिल्ली
43. श्री जे०पी० गोयल	:	डी-13-ए/बी मोडल टाउन, नई दिल्ली
44. श्री एम० एम अग्रवाल	:	21, श्रीराम रोड, दिल्ली
45. श्री ए० एन० चावला, भूतपूर्व संसद सदस्य	:	ए-230, नई फ्रेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली
46. चौ० दिलीप सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य	:	212, शाहपुर जाट, पी० ओ० यूसफसराय, नई दिल्ली-110016
47. श्री शादी राम	:	2747, चिनगर, दिल्ली-35

एम० टी० एन० एल० नई दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र से सम्बन्धित
टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

1. बी० एल० शर्मा, "प्रेम" संसद सदस्य
   1 वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली

2. श्री अशोक शर्मा,
   दैनिक हिन्दुस्तान, 11/2934, सर सैयद अहमद रोड,
   दरियागंज, नई दिल्ली-2

3. श्री श्रीकृष्ण
   154, समाचार अपार्टमेंट्स मयूर विहार एक्सटेंशन, दिल्ली

4. श्री वीर सक्सेना,
   172-एन०, आराम बाग,
   चित्रगुप्ता रोड, नई दिल्ली-55

5. श्री शैलेश (नव भारत टाइम्स)
   418-डी०, पोकेट-II मयूर विहार, फैस-I, नई दिल्ली

6. श्री अजीत अंजुम (अमर उजाला)
118 आशीर्वाद अपार्टमेंट्स
आई० पी० एक्सटेंशन, दिल्ली-92

7. श्री ओंकार सिंह (पी० टी० आई० टी०)
1150, गुलाबी बाग, नई दिल्ली

8. श्रीमती ग्यान वर्मा,
9, दिल्ली प्रशासन फ्लैट्स, कड़कड़ डूमा, दिल्ली

9. श्री ईश्वर दास,
ई-23, बहुमंजिल स्टोर, मोतिया खान, पहाड़गंज, नई दिल्ली

10. श्री सुरेश चन्द, उपाध्यक्ष, डी०पी०वाई०सी०; (आई)
बी-243, भजनपुरा, दिल्ली

11. श्री सुनील कुमार, संगठन सचिव, डी०पी०वाई०सी० (आई)
5771/5, नई चन्द्रावल, दिल्ली-7

12. श्री जाफर जुंग, हमीद मंजिल, 3631, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज नई दिल्ली-2

13. श्री जबीर अली पाशा, अध्यक्ष, जेजे सेल ईस्ट डी०सी०सी० (आई)
पी-1, ए-3, दिलशाद गार्डन, शाहदरा, दिल्ली-95

14. श्री मो० मुसलिम, 99, हाजी भवन, कोकरी मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली

15. श्री सुखबीर सिंह, गांव एवं पोस्ट ओ० मौजपुर गोंडा, शाहदरा, दिल्ली

16. श्री गोविन्द सिंह अधिकारी, 194-डी, पोकेट-1 मयूर विहार फेस-1,
नई दिल्ली

17. श्री दीपक भगत,
34, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली

18. चौ० बलराज सिंह,
गांव सीलमपुर, शाहदरा, दिल्ली

19. श्री उदय वीर सिंह
डी०ए०-7, विकास मार्ग, शकरपुर
दिल्ली-92

20. श्री सुरेन्द्र भूरा,
डी-13, कनेशलिनोस गली नं० 5
किशन गंज, दिल्ली

21. श्री राम स्वरूप,
बी-6/193, शिव मन्दिर
गली मौजपुर, शाहदरा, दिल्ली

22. श्री शाहनवाज
4902, बाड़ा हिंदू राव,
दिल्ली

23. श्री इकबाल भारती
मकान नं० 1307, भारती भवन,
फरास खाना,
दिल्ली-6

एम० टी०एन० एल० नई दिल्ली के पश्चिम क्षेत्र से सम्बन्धित
टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

1. श्री कालका दास,
9, डा० विशम्भर दास मार्ग,
नई दिल्ली

2. श्री सज्जन कुमार,
713/ए०बी० पश्चिमीपुरी
जनता कालोनी पाकेट-2
नई दिल्ली

3. श्री राम नारायण,
गांव और पो० नागल देवता,
आई०जी०आई० हवाई अड्डा-2
नई दिल्ली

4. श्री दीपक कल्याणी,
डी-503 टैगोर गार्डन एक्स०,
नई दिल्ली

5. श्री राजकुमार कोहली,
जी-238 नारायणा विहार,
नई दिल्ली

6. श्री मणि मधिकर,
9, पूसा रोड,
नई दिल्ली

7. श्री रमाकांत गोस्वामी,
25/30 ईस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली

8. श्री ए० आर० बिग,
डी-2 पूरा रोड, नई दिल्ली

9. श्री आर० कृष्णन,
4 बिरला फ्लैट्स, आर्य समाज रोड,
करोलबाग, नई दिल्ली

10. श्री सुभाष कारपेकर,
विशेष संवाददाता
(टाइम्स आफ इण्डिया)
45/ईस्ट पटेल नगर
नई दिल्ली

11. श्री मुन्शी राम गुप्ता;
अध्यक्ष, आल इण्डिया फैडरेशन आफ
प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज डी-13,
नारायणा विहार, नई दिल्ली

12. श्री सूरजभान बाल्मीकि
डब्ल्यू जेड/542 नारायणा बिहार
नई दिल्ली

13. सरदार बल्देव चन्ना,
1-सी/1 नामधारी कालोनी कीर्तिनगर
नई दिल्ली

14. सरदार हरमनजीत सिंह
सलाहकार शिरोमणि अकाली दल,
डी-3 राजौरी गार्डन, दिल्ली

15. श्री मांगे राम शर्मा,
16 कविता कालोनी नागलोई
दिल्ली

16. श्री किशन स्वरूप,
अध्यक्ष अखिल भारतीय अनु० जाति/
अनु० ज० जा० कांग्रेस (आई)
18/7 पंजाबी बाग एक्स,
नई दिल्ली

17. श्री पी० सी० कौशिक,
37 नांगलोई एक्स नं० 2
दिल्ली

18. फैज मोहम्मद, 42/7 मंगोलपुरी
दिल्ली

19. साधु सिंह,
डब्ल्यू जेड/194 बसईदारापुर
दिल्ली

20. श्री गोपाल सिंह पहाड़िया,
महासचिव, दि० प्र० कां० कमेटी (आई)
एस०सी०/एस०टी० विभाग डी-3 डी०डी०ए०
कालोनी ख्याला,
नई दिल्ली

21. श्री एस० ओंकार सिंह थापर,
डब्ल्यू जेड/530, शिवनगर,
जेल रोड, नई दिल्ली

22. श्री डी० आर० शाह,
24/42, वेस्ट एवेन्यू, पंजाबी बाग,
नई दल्ली

23. श्री दिवेश कुमार, डी-1-ए
जनकपुरी, नई दिल्ली

24. श्री मंगत राम मेहारदा,
महासचिव, दि० प० कां० कमेटी
(एस०सी०/एस०टी० विभाग)
सी-9/454 सुल्तानपुरी,
नांगलोई, दिल्ली

25. श्री कंवर कर्ण सिंह,
80 राजपुरा, गुड़मंडी
दिल्ली

26. श्री हरीश भारती,
1980 मल्कागंज रोड,
दिल्ली

27. श्री रामनाथ वर्मा,
52/58, बी-1 गली नं० 7
आनन्द पर्वत, दिल्ली

28. श्री तरसेम शर्मा, बी० ई०/162
हरीनगर, नई दिल्ली

एम० टी० एन० एल० नई दिल्ली के उत्तर क्षेत्र से सम्बन्धित
टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

1. श्री ताराचन्द खंडेलवाल,
संसद सदस्य,
509, कूचापातीराम, बाजार सीताराम
दिल्ली

2. श्री महेन्द्र चौधरी,
24 ओल्ड मार्केट तिमारपुर
दिल्ली

3. श्री जतन सिंह बसोया,
अधिवक्ता तीस हजारी कोर्ट
दिल्ली

4. श्री हरचरण सिंह जोश,
अधिवक्ता, 1206 गोरा कोठी
सब्जी मंडी, दिल्ली

5. श्री साधुराम,
सी-55 महेन्द्र एन्क्लेव,
जी०टी० करनाल रोड
दिल्ली

6. श्री सुनील खोसला,
नं० 63-ए डी०डी०ए० फ्लैट अशोक विहार
फेज-3, दिल्ली

7. सरदार रिछपालसिंह,
अध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल,
10 जमुना रोड कश्मीरी गेट
दिल्ली

8. श्री मदन लाल शर्मा,
आर-18 बुध विहार कालोनी
दिल्ली

9. श्री रतीराम,
586, त्रिनगर, दिल्ली

10. श्री गोपीचन्द,
381 ओरबाग, त्रिनगर
दिल्ली

11. श्री हरीश भारती, 1980,
मल्कागंज रोड, सब्जी मंडी
दिल्ली

12. श्री ईश्वर कुमार सिंघल, एच-205 दूसरी
मंजिल, अशोक विहार-1 दिल्ली

13. श्री सुशील शर्मा, अध्यक्ष दि० प्र० युवक
कांग्रेस (आई) एम०पी०-27 मौर्य एन्क्लेव
दिल्ली

14. श्री रवीन्द्र कुमार, महासचिव
दि० प्र० युवक कांग्रेस (आई) के-13/1
माडल टाउन, दिल्ली

15. श्री सोहन लाल खारी, 5801
न्यू चन्द्रावल दिल्ली

16. श्री गुलशन जैन, 363 त्रीनगर
दिल्ली

17. श्री खेमसिंह, गांव गोपालपुर, पो०
बुराड़ी, दिल्ली

18. श्री कृष्ण प्रेमी, 42 डूप्ले फ्लैट्स
गुड़मंडी दिल्ली

19. श्री नन्द लाल चौधरी, 3903,
हैमिलटन रोड, लक्ष्मी बिल्डिंग मोरी गेट
दिल्ली

20. रागीन्द्र शर्मा, ए-112, एस०बी०एम०
कालोनी, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली

21. श्री पी० एस० राणा, ए-32
एल० आई० जी० गुलाबी बाग,
नई दिल्ली

22. श्री राजेन्द्र गुप्ता, सी-4/6ए
माडल टाउन, दिल्ली

23. श्री गणेश पाल, 113 गांव मलिकपुर
दिल्ली

24. छत्तर सिंह, 1806 जोरबाग,
त्रिनगर, दिल्ली-35

25. श्री राजेन्द्र शर्मा, ए-8,
राणा प्रताप बाग, दिल्ली-7

एम० टी० एन० एल० नई दिल्ली के दक्षिण क्षेत्र से सम्बन्धित टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

1. मदन लाल खुराना, संसद सदस्य,
एफ-104, कीर्ति नगर,
नई दिल्ली

2. श्री जगदीश सिंह लोहिया, संसद सदस्य,
ए-180, अंधेरिया मोड़,
महरौली, नई दिल्ली

3. श्री स्वरूप सिंह, संसद सदस्य,
बी-46, फ्रेन्ड्स कालोनी, पश्चिमी,
नई दिल्ली

4. श्री बी० राम शर्मा, संसद सदस्य
36, दिल्ली फ्लैट, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1
नई दिल्ली

5. डा० श्रीमती साधना काला,
मूलचन्द हास्पिटल, बी०-316, चितरंजन पार्क
नई दिल्ली-19

6. श्री पंकज शर्मा,
डी०-42, ईस्ट आफ कैलाश,
नई दिल्ली

7. श्री अश्विनी सरीन,
ए-79, मालवीय नगर,
नई दिल्ली

8. श्री जफर आगा,
ए-105, एस०बी०आई० फ्लैट, जी० ब्लाक,
ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली

9. श्री शेखर गुप्ता,
सी-6/57, सफदरजंग डेवलपमैंट एरिया,
नई दिल्ली

10. श्री एच० स्वरूप,
डी-11/310, विनय मार्ग,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-1

11. श्री सूर्य प्रकाश
ई-1, प्रेस एनक्लेव, साकेत, नई दिल्ली-1

12. श्री आर० प्रभू,
ए-13, एन्ड्र्‌ज गंज, एक्सटेंशन, नई दिल्ली

13. श्री जनक सिंह,
डी-32, प्रेस एनक्लेव, साकेत, नई दिल्ली

14. श्री इन्द्रानिल बैनर्जी,
ए-192, द्वितीय तल, न्यू फ्रेन्ड्स
कालोनी, नई दिल्ली

15. श्री एस० वेंकटानारायण
ई-128, साकेत, नई दिल्ली

16. श्री देवसागर सिंह,
इंडीयन एक्सप्रेस, सी०बी०-3ए,
डी०डी०ए०, मुनीरका, नई दिल्ली

17. श्री संध्या जैन,
संडेमेल, 300 एस०एफ०एस०, डी०डी०ए० फ्लैट,
गुलमोहर एनक्लेव, नई दिल्ली

18. श्री राम के० कौल,
(पैटरीओट), सी-400, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली

19. श्री अनिल कुमार
ए-211, लाजपतनगर-1 प्रथम तल, नई दिल्ली

20. श्री महेन्द्र सिंह,
बी-ए, भारत नगर, फ्रेन्ड्स कालोनी,
नई दिल्ली

21. श्री रमेश कौल,
ए-18, पम्पोश एनक्लेव, नई दिल्ली

22. श्री आर० बी० एम०
(सेनानिवृत्त), 189, साकिर बाग,
अपार्टमेंट, ओखला रोड, नई दिल्ली

23. श्री राजन सिंह,
ग्राम जासला, पो० आ० बदरपुर,
नई दिल्ली-44

24. श्री करतार सिंह माबी,
ग्राम तेखंड, नई दिल्ली-20

25. श्री शीतल भाद्रा याजी,
भूतपूर्व संसद सदस्य एव प्रेसीडेंट,
आल इंडीया फ्रीडम फाइटर
एसोसिएशन, फ्रीडम फाइटर कलचरल सेंटर नेब सराय, नई दिल्ली

26. श्रीमती गायत्री राय,
395, मदाकिनी एनक्लेव, न० दि०

27. श्री रमेश बर्मा, जे०-24, लाजपतनगर-III
नई दिल्ली

28. श्री माम चंद तंवर,
भूतपूर्व परिषद, 5 सोलः,
फतेहपुरी बेरा, नई दिल्ली

29. श्री सरदार सिंह,
मकान नं० 176, ग्राम एवं पो० आ०
आर्यानगर, नई दिल्ली

30. श्रीमती विजयबाला शर्मा,
1680, ए/जैड, गोविंदपुरी एक्सटेंशन
जी-नई दिल्ली

31. श्रीमती अंजना कंवर,
के-12, ग्रीनपार्क, एक्सटेंशन,
नई दिल्ली

32. पंडित टेक चन्द शर्मा,
ग्राम एवं पो० आ० फतेहपुर बेरी,
नई दिल्ली-30

33. श्री किशोर उपाध्याय
जी-40, डी०डी०ए०, एस० एम० एस० फ्लैट,
साकेत, नई दिल्ली-17

34. श्री नरेश जुनेजा,
एफ-44, ईस्ट आफ कैलाश
नई दिल्ली

35. कु० विनोद कुमार,
ई-13, प्रेस एनक्लेव,
नई दिल्ली

36. कु० अशोक शर्मा,
171, बंसल एनक्लेव,
नई दिल्ली-221

37. श्री दीनानाथ राय,
जे-8/68, राजौरी गार्डन
नई दिल्ली-27

38. श्री सुलेख चन्द जैन,
40297, गली अहीरान, पहाड़ी
धीरज, दिल्ली

39. श्री गुरदीप कोचर,
ए-11, इन्द्रलोक, नई दिल्ली

40. श्री बलबीर,
सी-52, खानपुर एक्सटेंशन,
दिल्ली-62

एम० टी० एन० एल०, नई दिल्ली के केन्द्रीय क्षेत्र से सम्बन्धित
टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

1. श्री राजेश खन्ना, संसद सदस्य,
20, वलिंगटन क्रीसेंट,
नई दिल्ली

2. श्री सी० एस० खेरवाल
दिल्ली के परिवहन आयुक्त,
डी०-1/78, रविन्द्र नगर,
नई दिल्ली

3. श्री मदन लाल,
एडवोकेट, (पटियाला हाउस)
62, बापू पार्क, कोटला मुबारकपुर,
नई दिल्ली

4. श्री० बलबीर सिंह चौहान,
चैम्बर, नं० 53, सुप्रीम कोर्ट,
नई दिल्ली

5. श्री अशोक भान,
एडवोकेट, 116, लायर चैम्बर, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग,
नई दिल्ली

6. डा० रमेश कुमार,
12, सेन्ट्रल ले०, बंगाली मार्केट,
नई दिल्ली

7. डा० श्रीमती चारूहूंस,
डी-11/333, पंडारा रोड,
नई दिल्ली

8. डा० छाया मलहोत्रा,
एफ-11, जंगपुरा एक्सटेंशन
नई दिल्ली

9. श्री एस० एस० बनीयाल,
ए-802, कर्जन रोड, अपार्टमैंट, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली

10. श्री भूषण मखबा,
डी-1/75, भारती नगर,
नई दिल्ली

11. श्री मोहन चिरागी,
डी-106, कर्जन रोड, अपार्टमैंट,
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली

12. श्री अशोक दूबे,
201, एशिया हाऊस, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली

13. श्री विवेक सक्सेना (जनसत्ता)
78J, बाबा खड़क सिंह, मार्ग, नई दिल्ली

14. श्री राजेन्द्र सिंह,
उपाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा,
दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली

15. श्री चन्दन सिंह पायल,
संगठन विभाग, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 152-153, नार्थ
एवेन्यू, नई दिल्ली

16. श्री निर्मल देशपांडे,
ए-223, पंडारा रोड, नई दिल्ली

17. प्रो० सैफुद्दीन सोज,
भूतपूर्व संसद सदस्य, सी-1/9, हुमायूं रोड, नई दिल्ली

18. श्री सी० एस० कोटनाला,
कार्यालय अधीक्षक, ए०आई०सी०सी, 24, अकबर रोड, नई दिल्ली

19. श्री कुलदीप सिंह गुजराल,
जी-47, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली

20. लैं० कर्नल के० पी० सिंघल (सेवानिवृत्त)
संयुक्त संयोजक, भूतपूर्व कांग्रेस-कार्यकर्ता, 24, अकबर रोड,
नई दिल्ली

21. श्रीमती रेनुका रावत,
44-1ए, सेक्टर-2, डी०आई०जेड०, एरिया, नई दिल्ली

22. श्री हरकिशन शास्त्री,
1-मोती लाल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली

23. कै० परदीन डावर,
संजय गांधी मैमोरियल ट्रस्ट-12, विलिंगडन क्रीसेंट, नई दिल्ली

24. श्री हसन अहमद,
अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश (आई) सेवा दल, बी-39, पंडारा रोड, न० दि०

25. श्री होराम सिंह,
गांव कोटला, नई दिल्ली

26. श्री श्याम सिंह,
ए/4, अमृतनगर, साऊथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली

27. श्री प्रकाश
ओल्ड पिलाजी गांव, नई दिल्ली

28. श्री श्याम सुन्दर,
31, सम्मन बाजार, जंगपुरा, भोगल, दिल्ली

कोचीन में एफ० एम० आकाशवाणी केन्द्र

961. श्री पी० सी० थामस : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में एफ०एम० आकाशवाणी केन्द्र का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) कोचीन में एफ०एम० रेडियो स्टेशन का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कोचीन में 10 कि०वा० एफ०एम० ट्रांसमीटर, स्टूडियों और कार्यालय सुविधाओं सहित विविध भारती/विज्ञापन प्रसारण सेवा स्थापित करने की स्कीम है।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र, भवनाथपुर द्वारा माल की खरीद

962. **श्री राम देव राम** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भवनाथपुर स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र की भवनाथपुर चूना पत्थर और तुलसीदामोद डोलोमाइट खानों द्वारा खरीदा गया सामान गोदाम तक नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गोदाम और उपरोक्त खानों से सामान की चोरी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। तथापि, अप्रैल 1991 में भवनाथपुर चूना पत्थर खान के मोटर गैराज से सामान की चोरी का मामला था।

(घ) खान प्राधिकरण ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी० आई० एस० एफ०) के अतिरिक्त कार्मिक तैनात करके भवनाथपुर चूनापत्थर खान के मोटर गैराज के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रबन्ध किए हैं।

मध्य प्रदेश में चित्रकूट में यात्री निवास का निर्माण

963 **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्यवर्गीय पर्यटकों के लिए चित्रकूट में "यात्री निवास" का निर्माण करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

महालिक समिति की सिफारिशें

964. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** दिनांक 27 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2790 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापनों सम्बन्धी महालिक समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति की अधिकतर सिफारिशें पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं ।

[हिन्दी]

बिहार को सिंचाई हेतु अनुदान में वृद्धि

965. **श्री लाल बाबू राय : क्या जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से सिंचाई योजनाओं हेतु अनुदान में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) बिहार सरकार से सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने हेतु केन्द्र में विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, अब राज्य की वार्षिक योजनाओं में सिंचाई परियोजनाओं के लिए किए गए निर्धारण का प्रभावी रूप से प्रबोधन करने का केन्द्र में निर्णय लिया गया है ताकि परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित किया जा सके ।

[अनुवाद]

राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

766. **श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में गैस आधारित कुछ विद्युत परियोजनायें लगाने के प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति के लिये लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) 3.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागतों पर अगस्त, 1984 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई 3 मेगावाट क्षमता वाली रामगढ़ गैस टर्बाइन परियोजना का राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड (आर० एस० ई० बी०) द्वारा निर्माण किया जा रहा है तथा इसको जनवरी, 1993 तक चालू कर दिए जाने की परिकल्पना की गई है।

राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से, राजस्थान के जिला जैसलमेर स्थित रामगढ़ में 511.83 करोड़ रुपए की अनुमानित लागतों पर 160 मेगावाट क्षमता की एक संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन परियोजना स्थापित किए जाने हेतु एक अन्य प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को जुलाई, 1992 में प्राप्त हुआ। चूंकि पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय द्वारा सुनिश्चित की गई 0.55 एम० सी० एम० डी० गैस की उपलब्धता प्रस्तावित केन्द्र को आधार भार आधार पर प्रचालित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को सलाह दी है कि वह प्रस्ताव की पुनरीक्षा करे तथा तदनुसार परियोजना की क्षमता में परिवर्तन करे। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दिए जाने के लिए तभी विचार किया जा सकेगा जब राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड आवश्यक निवेश/स्वीकृतियों, यथा ईंधन लिंकेज, जल की उपलब्धता, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 की अनुपालना, सम्बद्ध पारेषण प्रणाली तथा राज्य एवं केन्द्र के प्राधिकारियों से पर्यावरणीय स्वीकृति को सुनिश्चित कर दे।

[हिन्दी]

वायुदूत का निजीकरण

967. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 91 के दौरान वायुदूत को कुल कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ख) क्या वायुदूत के निजीकरण हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वायुदूत को 1990-91 के दौरान 37.00 करोड़ रुपए की अनुमानित हानि हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल सुरक्षा आयोग

968. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुरक्षा आयोग का प्रशासनिक नियन्त्रण नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के अधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसे रेल मन्त्रालय को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) रेल संरक्षा आयोग की स्वतंत्र कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसे 1941 में रेलवे बोर्ड से अलग कर दिया गया था और तब से अब तक यह नागर विमानन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में कम शक्ति के ट्रान्समीटर की स्थापना

969. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के गंजाम और राजपति जिले में 8वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कम शक्ति के दूरदर्शन ट्रान्समीटर लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) उड़ीसा के गंजम/गजपति जिलों में इस समय कोई ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव नहीं है। आठवीं योजना अवधि अर्थात 1993-1997 के शेष वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर लगाने के लिये स्थानों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन

970. श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ और विमान पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) क्योंकि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत आने वाले और भारत से जाने वाले अंतरराष्ट्रीय यातायात को हैंडल करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं; अतः किसी और हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तांबा खनन और प्रसंस्करण का निजीकरण

971. श्री साईमन मराण्डी : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तांबा खनन और प्रसंस्करण का निजीकरण करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान कापर लि० का अपनी पूंजी विभिन्न चरणों में वापस लेने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मिश्रित धातुओं का आयात कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) संसद में दिनांक 24-7-91 को प्रस्तुत किए गए औद्योगिक नीति विवरण के अनुसार तांबे के शोधन के लिए लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है । जहां तक तांबे के खनन का सम्बन्ध है, इसका खनन सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित रहेगा ।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान कापर लि० की 100% इक्विटी सरकार के पास है। परन्तु सिद्धांत रूप से निर्णय किया गया है कि वर्ष 1992-93 के दौरान हिन्दुस्तान कापर लि० में शेयर होल्डिंग के कुछ भाग का विनिवेश किया जाए।

(ङ) सरकार ने मिश्र धातुओं सहित अलौह धातुओं में अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं :—

(1) अलौह धातुओं और उनके एलायों के उत्पादन के लिए लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है और धातुकर्म उद्योग को स्वतः अनुमोदन और विदेशी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए उच्च प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है।

(2) सरकार ने एलायों सहित अलौह सामग्रियों के लिए अति आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए हैदराबाद में एक नान फैरस मैटीरियल टैक्नालाजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की है ताकि इन सामग्रियों और उत्पादों की अधिक से अधिक देशीय पूर्ति की जा सके।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में असैनिक विमानों पर आक्रमण

972. श्री अन्ना जोशी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 नवम्बर 1992, को पायनियर, नई दिल्ली में आई ए पायलट कैप्ट इन डार्क अबाउट स्टिंजर मिसाइल थ्रेट शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) जम्मू और कश्मीर में हवाई अड्डे को स्टिंजर मिसाइल की धमकियों के बारे में समय-समय पर अपुष्ट आसूचना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इण्डियन एयरलाइन्स को इन धमकियों के बारे में अवगत कराया गया था और विमानों के सुरक्षित प्रचालनों को सुनिश्चित करने के लिए कुछेक बचाव सम्बन्धी उपाय करने की सलाह दी गई थी।

(ग) भारतीय वायुसेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू और कश्मीर पुलिस आदि जैसी सम्बन्धित एजेंसियों से परामर्श करके जम्मू और कश्मीर में हवाई अड्डों पर सभी सम्भव सुरक्षात्मक और प्रतिरोधी उपाय किये गए हैं। इन उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी भी की जाती है और समय-समय पर नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा इनकी समीक्षा की जाती है।

नेशनल वाटर बोर्ड की बैठक

973. श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल वाटर बोर्ड की कुछ बैठकें जनवरी, 1992 में दिल्ली में हुईं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बैठकों के उद्देश्यों सहित तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस बैठक में राज्यों के प्रतिनिधि बुलाए गए थे;

(घ) यदि हां, तो विशेषरूप से सिक्किम के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या बैठक में दिए गए सुझावों पर कोई कार्य योजना तैयार की गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय जल बोर्ड की तीसरी बैठक 20-1-1992 को नयी दिल्ली में आयोजित की गयी जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थे :—

(i) राष्ट्रीय जल नीति के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना;

(ii) जल से सम्बन्धित क्रियाकलापों पर कार्यरत विभिन्न संस्थानों की उपलब्धि का आयजा लेना;

(iii) जल संसाधनों के एकीकृत विकास के लिए उपयुक्त संगठनों के गठन की सिफारिश करना; और

(iv) शीघ्र और प्रणालीबद्ध विकास के लिए जल विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण की पद्धति पर सिफारिशें करना।

(ग) और (घ) जी हां। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। सिक्किम सरकार के सिंचाई तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य इन्जीनियरी विभाग के सचिव, श्री एन. एस. लेला ने मुख्य सचिव सिक्किम सरकार की ओर से इस बैठक में भाग लिया।

(ङ) और (च विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय जल बोर्ड की 20-1-92 को हुई बैठक में उठाए गए कार्रवाई मुद्दे

1. राष्ट्रीय जल नीति के क्रियान्वयन में अनुवर्ती कार्रवाई पर राज्य और केन्द्रीय मन्त्रालय

निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करेंगे :—

(क) (i) प्रक्रियाएं/नियम/दिशानिर्देश

(ii) सस्थागत तन्त्र, और.

(iii) वित्त और जन शक्ति का आबंटन; परिचालित किये जाने वाले प्रपत्र में।

(ख) राज्य स्तर पर विज्ञान और तकनीकी समितियों की स्थापना।

2. राज्य, जल सूचना विधेयक के संशोधित प्रारूप को एक माह के अन्दर सम्बन्धित विधि विभागों से इसकी जांच कराने के बाद बोर्ड के पास वापस भेजेंगे।

3 एक लाख हैक्टेयर से अधिक के कमानों वाली परियोजाओं के निष्पादन मूल्यांकन (पर्यावरणीए, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी) पर राज्य कार्रवाई करेंगे।

4. एक लाख हैक्टेयर से कम के कमानों वाली परियोजनाओं के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति फार्मेट तैयार करेगी।

5. जल ग्रहण क्षेत्र उपचार की लागत के बंटवारे के सम्बन्ध में राज्य अपने योजना विभागों के साथ चर्चा करेंगे और दो माह के अन्दर अपने विचार बोर्ड को भेजेंगे।

6. विभिन्न प्रयोगों के लिए जल के आबंटन पर दिशानिर्देशों की दो प्रतियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय मन्त्रालयों को पर्चियों के माध्यम से दूसरे शब्दों में व्यक्त करने/संशोधित करने हेतु भेजी जायेंगी और एक प्रति बोर्ड को लौटायी जायेगी।

7. राज्यों की अद्यतन रिपोर्टों के साथ जल राजस्व संग्रहण तंत्र पर रिपोर्ट "जल के मूल्य" सम्बन्धी श्री वैद्यनाथन समिति को भेजी जाएगी।

8. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की अगली बैठक के लिए कार्यसूची मदों के वास्ते सुझाव।

सार्वजनिक टेलीफोनों पर एस०टी०डी० सुविधा

974. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए टेलीफोनों पर एस०टी०डी० सुविधा देने के लिए कोई कदम उठाए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और गुजरात में ऐसे कितने टेलीफोन बूथ कार्य कर रहे हैं?

संचार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां।

(ख) हमारी उदारनीति के अन्तर्गत एस०टी०डी० सुविधायुक्त सार्वजनिक टेलीफोन फ्रेंचाइज स्कीम के अन्तर्गत उन सभी को प्रदान किए जाते हैं जो इन्हें चलाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, बशर्ते वे तकनीकी रूप से व्यवहार्य हों और विभागीय औपचारिकताएं पूरी की गई हों। इसके अलावा एस०टी० डी० सुविधायुक्त सार्वजनिक टेलीफोन विभागीय तौर पर भी खोले जा रहे हैं।

31-1(-92 की स्थिति के अनुसार, गुजरात में 3681 सार्वजनिक टेलीफोन बूथ कार्य कर रहे हैं।

विद्युत बांड जारी करना

975. श्री बापू हरि चौरे : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु सार्वजनिक बांडों के माध्यम से 1650 करोड़ रुपए एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। वित्त मंत्रालय द्वारा विद्युत मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए, बांड जारी किए जाने के सन्दर्भ में वर्ष 1992-93 हेतु आबंटित की गई 1,747 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में केवल 50 करोड़ रुपये की राशि निजी स्रोतों के माध्यम से जुटाई गई है।

[हिन्दी]

नए क्षेत्रों को विमान सेवा से जोड़ना

976. श्री प्रभुदयाल कठेरिया :
श्री असलम शेर खां :
श्री के०पी० सिंहदेव :
श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले :
कुमारी फ्रिडा तोपनो :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले तीन वर्षों में उन स्थानों का सेक्टर-वार तथा राज्य-वार ब्योरा क्या है जिन्हें इंडियन एयरलाइन्स, वायुदूत और पवन हंस लिमिटेड द्वारा विमानन सेवा से जोड़े जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या वायुदूत तथा इण्डियन एयरलाइन्स की स्थगित सेवाओं को पुनः आरम्भ करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स, वायुदूत और पवन हंस लिमिटेड ने अगले तीन वर्षों में नए स्टेशनों को विमानमार्ग से जोड़ने के बारे में अभी कोई पक्का निर्णय नहीं लिया है ।

(ख) और (ग) इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत अपनी बन्द की गई सेवाओं के पुनरारम्भ पर विचार कर सकती है, बशर्ते कि परिचालनात्मक विमानों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता हो तथा ऐसी सेवाओं को पुनः शुरू करने के लिए सम्भावित यातायात का औचित्य हो ।

[अनुवाद]

तिरुवनन्तपुरम के पास विमान का गायब होना

977. **श्री रमेश चेन्नितला** :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तिरुवनन्तपुरम से लगभग 27 किलोमीटर दूर टीबी-20, 4 सीटों वाले प्रशिक्षण विमान के गायब होने के बारे में कोई जांच करायी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की सम्भावना को समाप्त करने के लिए एहतियात के तौर पर क्या-क्या उपाय करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) दिनांक 29-10-92 को बंगलूर से त्रिवेन्द्रम की क्षेत्रीय उड़ान कर रहे इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के टीबी-20 विमान वी०टी०-ई०एम०ओ० का, त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से लगभग 2500 फुट की ऊंचाई और 26 नाटिकल मील की दूरी पर त्रिवेन्द्रम हवाई यातायात नियंत्रण टावर से सम्पर्क टूट गया था । गहन छानबीन के बावजूद विमान के मलबे का कहीं पता नहीं चला । खोज जारी है । घटना की जांच के लिए नागर विमानन के महानिदेशक ने एक दुर्घटना निरीक्षक की नियुक्ति की है जिसके पश्चात उपचारी उपाय किए जाएंगे ।

नर्मदा परियोजना के सम्बन्ध में रिपोर्ट

978. **श्री अनंतराव देशमुख** :
श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या जल संसाधन मन्त्री 13 जुलाई, 1992 के तारांकित प्रश्न सं० 76 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा गठित स्वतन्त्र निकाय द्वारा दी गयी रिपोर्ट के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचारों पर विचार करने के लिए 25 जुलाई, 1992 को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा किए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विश्व बैंक द्वारा नियुक्त स्वतन्त्र पुनरीक्षण की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर राज्य सरकारों से प्राप्त स्पष्टीकरणों के आधार पर विश्व बैंक को 7-8-1992 को एक संयुक्त उत्तर भेजा गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर भांडागार

979. श्री वी०एस० विजयराघवन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तिरुवनन्तपुर सहित देश में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय पत्तनों पर भाण्डागार बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अखबारी कागज की मांग

980. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखबारी कागज की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) क्या अखबारी कागज की मांग स्वदेश में ही पूरी की जा सकती है;

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1992-93 के दौरान अखबारी कागज की कुल कितनी मात्रा का आयात करने का विचार है; और

(घ) इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) देश में वर्ष 1992-93 के लिए अखबारी कागज की कुल मांग अनुमानतः 5.55 लाख मीट्रिक टन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) चूंकि समाचार पत्रों को विसरणीकरण करने के पश्चात् अपनी आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान आयात-निर्यात नीति के अनुसार विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से अखबारी कागज खरीदने की अनुमति है, इसलिए इस वर्ष के दौरान समाचार पत्रों द्वारा कितनी मात्रा में अखबारी कागज का आयात किया जाएगा और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी बताना सम्भव नहीं है।

हिमाचल प्रदेश को बिजली उत्पादन के लिए रायल्टी

981. प्रो० प्रेम धूमल : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली के उत्पादन हेतु केन्द्रीय सरकार से रायल्टी की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की बैरास्यूल जल विद्युत परियोजना से उत्पादित बिजली में से 12% बिजली को रायल्टी के रूप में मुफ्त उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। इस मांग के बारे में अन्य लाभभोगी राज्यों यथा, पंजाब, हरियाणा तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अवगत कराया गया है क्योंकि इससे उनके हिस्से की बिजली में कमी होगी तथा टैरिफ में वृद्धि होगी।

महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों में डाकखानों में टेलीफोन

982. श्री तेजसिंह राव भोंसले : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के नागपुर और अमरावती जिलों में से ऐसे कितने डाकघर हैं जिनमें टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) सरकार का सभी ग्रामीण डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन कब तक लगाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) नागपुर जिले और अमरावती जिले में उन डाकघरों की संख्या क्रमशः 171 और 269 है, जिनमें टेलीफोन सुविधा नहीं है।

(ख) सभी ग्रामीण डाकघरों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए कोई अलग योजना नहीं है। सरकार ने पंचायत ग्रामों में 31-3-95 तक उत्तरोतर रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें। ऐसे टेलीफोन लगाने के लिए जिन स्थानों का सुझाव दिया गया है, डाकघर भी उसमें से एक है।

श्रीनगर विद्युत परियोजना

983. **श्री रामबदन** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक सहायता प्राप्त श्रीनगर विद्युत परियोजना पर चालू कार्य रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर निर्माण कार्य पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्व बैंक द्वारा परियोजना हेतु सहायता स्थगित कर दिए जाने तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सामने निधियों सम्बन्धी समस्याएं होने के कारण श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य रुक गया है। परियोजना के लिए सहायता बहाल किए जाने हेतु मामला विश्व बैंक प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

कश्मीर घाटी में पर्यटक

984. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में घाटी आने वाले पर्यटकों की संख्या में निरंतर कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान घाटी की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) कश्मीर घाटी में वर्ष 1989 से पर्यटकों का आगमन कम रहा है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, कश्मीर घाटी में वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान आए स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों की अनुमानित संख्या क्रमश: 557977, 10722 और 6415 थी।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

985. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :
श्री बी० देवराजन :
श्री काशीराम राणा :
डा० के०वी०आर० चौधरी :
श्री तेजसिंह राव भोंसले :
श्री वाइल जान अंजलोज :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुए मझोली तथा बड़ी परियोजनाओं के प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मंजूर किए गए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान की जाएगी; और

(ङ) प्रत्येक मामले में अनुमानित लागत कितनी है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) गत तीन वर्षों (अक्तूबर, 1989 से सितम्बर, 1992 तक) के दौरान प्राप्त हुई वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा और उनकी मूल्यांकन स्थिति व अनुमानित लागत क्रमशः विवरण-1 और विवरण-2 के रूप में दी गयी है।

विवरण-1

1-10-89 से 30-9-92 तक प्राप्त हुई नई बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्राप्त हुए कुल प्रस्ताव						
		अक्तूबर, 1989 से सितंबर, 1990 तक		अक्तूबर, 1990 से सितंबर, 1991 तक		अक्तूबर, 1991 से सितंबर, 1992 तक		योग
		बृहद	मध्यम	बृहद	मध्यम	बृहद	मध्यम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	—	1	4	4	—	2	11
2.	असम	3	3	—	1	—	1	8
3.	बिहार	2	2	5	1	—	—	10
4.	गुजरात	—	4	—	5	—	1	10
5.	हरियाणा	1	—	5	—	—	—	6
6.	जम्मू व कश्मीर	—	1	—	—	1	2	4
7.	कर्नाटक	—	—	1	—	2	—	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	केरल	2	—	—	—	1	—	3
9.	मध्य प्रदेश	2	1	2	2	8	1	16
10.	महाराष्ट्र	—	4	2	14	—	4	24
11.	उड़ीसा	—	—	—	2	—	—	2
12.	पंजाब	—	—	3	—	—	—	3
13.	राजस्थान	—	1	2	4	—	7	14
14.	उत्तर प्रदेश	2	1	1	—	1	—	5
	जोड़ :	12	18	25	33	13	18	119

विवरण-2

1-10-1989 से 30-9-92 तक प्राप्त हुई नई बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की मूल्यांकन स्थिति व अनुमानित लागत दर्शाने वाला ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य का नाम	टिप्पणियों के अध्यधीन परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पायी गयी परियोजनाएं		परामर्शदात्री समिति को प्रस्तुत की गयी परंतु विचार विमर्श आस्थगित की गयी परियोजनाएं		परियोजनाएं जिन पर राज्य सरकार के साथ पत्राचार चल रहा है		राज्य सरकार को लौटायी गयी परियोजनाएं		अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)
		बृहद	मध्यम	बृहद	मध्यम	बृहद	मध्यम	बृहद	मध्यम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	4	4	3	2392.07
2.	असम	—	—	1	—	1	2	1	3	509.25
3.	बिहार	1	—	—	—	5	—	1	3	820.58
4.	गुजरात	—	4	—	—	—	2	—	4	261.49
5.	हरियाणा	—	—	1	—	4	—	1	—	758.83
6.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	1	2	—	1	63.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	कर्नाटक	—	—	—	—	3	—	—	—	557.62
8.	केरल	—	—	—	—	1	—	2	—	141.67
9.	मध्य प्रदेश	2	—	—	—	6	3	5	—	5008.76
10.	महाराष्ट्र	—	5	—	—	2	5	—	12	438.32
11.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	2	—	—	64.97
12.	पंजाब	—	—	—	—	1	—	2	—	49.61
13.	राजस्थान	1	1	—	—	1	4	1	6	924.14
14.	उत्तर प्रदेश	2	—	—	—	1	—	1	1	201.05
	कुल :	6	10	2	—	26	24	18	33	12192.00

टिप्पणी : परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है।

[हिन्दी]

जयपुर विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करना

986. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार जयपुर विमानपत्तन का विकास अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राजस्थान की सरकार ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के विमानपत्तनों के स्तरों में सुधार करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) चूंकि मौजूदा अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अन्तर्देशीय हवाई अड्डे जो अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों को संभालते हैं, भारत आने वाले/भारत से जाने वाले मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के लिए पर्याप्त हैं, इसलिए जयपुर हवाई अड्डे को अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) से (च) जयपुर, जोधपुर और उदयपुर हवाई अड्डों के उन्नयन के बारे में राजस्थान सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जोधपुर में मौजूदा टर्मिनल भवन के प्रमुख विस्तार/सुधार का काम हाथ में ले लिया है। जहां तक उदयपुर हवाई अड्डे का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण योजनाओं के साथ तैयार है और जैसे ही राज्य सरकार से भूमि उपलब्ध होगी वैसे ही उन्नयन का कार्य शुरू किया जाएगा। जयपुर को आधुनिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने के लिए चुना गया है।

[अनुवाद]

विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड

987. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्रावती स्थित विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड के लिए प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी उपकरणों की खरीद हेतु विश्व बैंक से कोई सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता का ब्यौरा क्या है और इस सहायता से प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी कितने उपकरणों की खरीद की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने एक तकनीकी सहायता परियोजना, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर की खरीद भी शामिल है, के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया है। सेल ने इस ऋण में से 8.16 करोड़ रुपए विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड में वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपस्कर खरीदने और संस्थापित करने के लिए विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती को आवंटित किए हैं। योजना की कुल अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपए है जिसमें फैरो सिलिकान प्लान्ट, विद्युत चाप भट्टी और लाइम कैलसिनेशन यूनिट में वायु प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली की स्थापना शामिल है।

उपस्करों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

फैरो सिलिकान भट्टी	—	2,00,000 घन मीटर प्रति घंटे की क्षमता का एक बैग हाऊस
ई० ए० एफ० भट्टी	—	1,89,000 घन मीटर प्रति घंटे की क्षमता का एक बैग हाउस
लाइम कैलशिनेशन प्लांट	—	8,100 घन मीटर प्रति घंटे की क्षमता का एक बैग हाऊस

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में सिंचाई के लिए वृहद योजना

988. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिक :**
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय विशेषज्ञ दल को अक्तूबर, 1992 में दिए गए पश्चिम बंगाल के सुन्दर वन क्षेत्र में सिंचाई, नालियों, नौकायन तथा मत्स्य पालन से सम्बन्धी वृहद योजना पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1992 में केन्द्रीय दल के दौरे के दौरान दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों को लाभान्वित करने के लिए सिंचाई जल निकास, बाढ़ नियन्त्रण, नौवहन और मत्स्य पालन के वास्ते व्यवहार्य मास्टर योजना की विस्तृत निर्देशक रूपरेखा केन्द्रीय दल को अध्ययन एवं विचार हेतु उपलब्ध करा दी गई थी। प्रस्ताव, निधियों की आवश्यकता के रूप में था, जिसमें कई कार्यों की सूची दी गयी थी, जैसे वर्षापोषित क्षेत्र के लिए जलसंभर विकास परियोजना जिसमें हजार हैक्टेयर सरोवरों का निर्माण, जलनिकास के लिए स्लुईस और गेटों सहित जल निकास चैनलों की खुदाई और पुनर्स्थापना आदि सम्मिलित हैं। इसके साथ-साथ इसमें सिंचाई उद्देश्यों, कटाव-रोधी कार्य, सुभेद्य बन्धों का सुधार, फाइबर ग्लास नौकाओं को प्रारम्भ करके अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रणाली के शीघ्र और सुरक्षित कार्यान्वयन के लिए नौवहन चैनलों का सुधार मत्स्यपालन के वास्ते बीज और भोजन सामग्री का उत्पादन आदि भी सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रस्ताव का मोटा अनुमान 767 करोड़ रुपए था। केन्द्रीय जल आयोग में जांच के पश्चात राज्य सरकार को विस्तृत मास्टर योजना तैयार करने की सलाह दी गयी थी जिसमें आवश्यकता और उद्देश्यों का संकेत देते हुए कार्य योजना की विकास नीतियों का भी मार्गदर्शन किया जाए। उसमे यह भी संकेत दिया गया था कि मास्टर योजना में विशिष्ट स्कीमें, जिसमें उनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता और उनकी प्राथमिकता निर्धारित की गयी हो, भी दी जानी चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण

989. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री एन० जे० राठवा :
श्री के० प्रधानी :
श्री श्रीकान्त जेना :
श्री छीतूभाई गामीत :

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात में जिले-वार कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है और अब तक कितने ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है; और

(ख) शेष ग्रामों में कब तक विद्युतीकरण कर दिया जाएगा और 1992-93 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) गुजरात द्वारा 28-2-89 से राज्य को शत-प्रतिशत विद्युतीकृत घोषित किया गया है। गुजरात, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत तथा अविद्युतीकृत गांवों की जिलेवार संख्या क्रमशः विवरण-1, विवरण-2 और विवरण-3 में दी गई है।

(ख) अविद्युतीकृत गांवों को आठवीं तथा अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युतीकृत किया

जाएगा बशर्ते निधियां तथा अन्य निवेश उपलब्ध हों। वर्ष 1992-93 के दौरान उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी लक्ष्य निम्नवत हैं :—

उड़ीसा	860
उत्तर प्रदेश	980

विवरण-I

गुजरात के विद्युतीकृत गांवों के बारे में जिलेवार ब्यौरा

क्रमसं० जिला	गांवों की कुल संख्या (1981 की जनगणना के अनुसार)	विद्युतीकृत गांव
1 2	3	4
1. वाल्साद (बुल्सर)	821	819(†)
2. सूरत	1190	1190
3. डांग्स	311	311
4. भरूच	1123	1099(†)
5. बड़ोदरा (बरोदा)	1651	1637(†)
6. पंचमहल	1895	1872(†)
7. खेड़ा (केरा)	965	965
8. अहमदाबाद	653	653
9. गांधीनगर	75	75
10. साबरकांठा	1359	1341(†)
11. मेहसाना	1089	1087(†)
12. बानासकांठा	1368	1368
13. कच्छ	887	866(†)
14. राजकोट	854	854
15. सुरेन्द्र नगर	648	648

1	2	3	4
16.	भावनगर	866	864(†)
17.	अमरेली	595	595
18.	जामनगर	693	690(†)
19.	जूनागढ़	1071	958(†)
	कुल :	18114	17892 100.0%(†)

(†) -- 17892 गांवों का विद्युतीकरण करके 28-2-1989 की स्थिति के अनुसार गुजरात द्वारा 100% गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। तथापि -222 गांवों को इस कार्य के लिए अव्यवहारिक घोषित किया गया है।

विवरण-2

उड़ीसा राज्य के विद्युतीकृत गांवों तथा 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार जिन गांवों का अभी विद्युतीकरण किया जाना है, जिलेवार ब्यौरा

क्रम सं०	जिला	गांवों की कुल संख्या (1981 की जनगणना के अनुसार)	31-3-92 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव	1-4-92 की स्थिति के अनुसार ऐसे गांव जिनका अभी विद्युतीकरण किया जाना है
1	2	3	4	5
1.	बालासोर	3832	3101	731
2.	बोलांगीर	2537	2030	507
3.	कटक	6036	5279	757
4.	धेनकनाल	2691	2072	619
5.	गंजम	4185	2942	1243
6.	कालाहाण्डी	2695	1500	1195
7.	क्योंझर	2045	1662	283

1	2	3	4	5
8.	कोरापुट	5848	2594	3254
9.	मयूरभंज	3729	2320	1409
10.	फुलबानी	3406	1438	1968
11.	पुरी	4448	3656	792
12.	सम्बलपुर	3436	2479	957
13.	सुन्दरगढ़	1665	1409	256
	जोड़ :	46553	32482	14071

विवरण-3

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युतीकृत गांवों तथा 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार जिन गांवों का अभी विद्युतीकरण किया जाना है, जिलेवार ब्यौरा

क्रमसं०	जिला	गांव की कुल सं० (1981 की जनगणना के अनुसार)	31-3-92 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव	1-4-92 की स्थिति के अनुसार ऐसे गांव जिनका अभी विद्युतीकरण किया जाना है
1	2	3	4	5
1.	सहारनपुर	1700	1631	69
2.	हरिद्वार	—	—	—
3.	मेरठ	920	1039(*)	—
4.	गाजियाबाद	704	754(*)	—
5.	बुलन्दशहर	1365	1404(*)	—
6.	मुजफ्फरनगर	927	929(*)	—
7.	अलीगढ़	1704	1703	1
8.	मथुरा	867	867	—

1	2	3	4	5
9.	आगरा	1174	1129	45
10.	फिरोजाबाद	—	—	—
11.	मैनपुरी	1371	1144	227
12.	एटा	1510	1099	411
13.	बरेली	1901	1383	518
14.	बिजनौर	2154	1669	485
15.	बदायूं	1785	1375	410
16.	मुरादाबाद	2473	2227	246
17.	रामपुर	1092	813	279
18.	शाहजहांपुर	2124	1134	990
19.	पिलीभीत	1198	767	431
20.	फर्रुखाबाद	1577	1390	187
21.	इटावा	1462	951	511
22.	कानपुर नगर	1885	1228	657
23.	कानपुर देहात	—	—	—
24.	फतेहपुर	1349	1104	245
25.	इलाहाबाद	3514	3059	455
26.	झांसी	759	523	236
27.	ललितपुर	683	326	357
28.	जलौन	939	638	301
29.	हमीरपुर	917	536	381
30.	बांदा	1207	762	445
31.	वाराणसी	3662	2609	1053

1	2	3	4	5
32.	मिर्जापुर	3024	1249	1775
33.	सोनभद्र	—	—	—
34.	जौनपुर	3245	2967	278
35.	गाजीपुर	2540	2543(*)	—
36.	गोरखपुर	4110	2657	1453
37.	महाराजगंज			
38.	बलिया	1920	1727	193
39.	देवरिया	3538	2291	1247
40.	बस्ती	6929	3162	3767
41.	सिद्धार्थ नगर			
42.	आजमगढ़	4935	4539	396
43.	मऊ			
44.	लखनऊ	899	916(*)	—
45.	रायबरेली	1731	1749(*)	—
46.	उन्नाव	1687	933	754
47.	सितापुर	2330	1018	1312
48.	हरदोई	1881	926	955
49.	खेड़ी	1699	1288	411
50.	फैजाबाद	2645	2172	473
51.	गोण्डा	2809	1573	1236
52.	बहराइच	1884	1347	537
53.	सुल्तानपुर	2492	2398	94
54.	प्रतापगढ़	2185	1547	638
55.	बाराबंकी	2053	963	1080

1	2	3	4	5
56.	नैनीताल	1806	1802	4
57.	अलमोड़ा	3019	2351	668
58.	पिथौरागढ़	2174	1366	808
59.	देहरादून	743	712	31
60.	उत्तरकाशी	669	601	68
61.	चमोली	1516	1105	411
62.	पौड़ी (गढ़वाल)	3237	1907	1330
63.	टिहरी (गढ़वाल)	1953	1307	646
	जोड़ :	112566	83309(*)	29505(**)

(*) इसमें गैर वर्गीकृत गांव भी शामिल हैं ।

(**) चूंकि आंकड़ों में कुछ गैर-वर्गीकृत गांवों को भी शामिल किया जा रहा है । इसलिए ये अनंतिम आंकड़े हैं ।

[अनुवाद]

एअर इण्डिया, इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत का कार्यकरण

990. श्री हरिन पाठक :
श्री मदन लाल खुराना :
प्रो० के० वी० थामस :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत के बेड़े में कितने विमान हैं;

(ख) इनमें से एअर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत के कितने विमान पुराने पड़ चुके हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इनमें से प्रत्येक को कुल कितना घाटा/मुनाफा हुआ; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार प्रति विमान में कितने कर्मी होते हैं और एअर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत में एक विमान के लिए कितने कर्मचारी लगे हुए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क)

	विमानों की संख्या
एयर इंडिया	22
इण्डियन एयरलाइंस	52
वायुदूत	17

(ख) सामान्यतया 20 वर्ष से सेवारत विमानों को पुराना माना जाता है। इन तीनों एयर-लाइनों में इस प्रकार के विमानों की संख्या नीचे दी गयी है :—

एयर इण्डिया	3
इण्डियन एयरलाइंस	4
वायुदूत	8

(ग) निवल लाभ/हानि :

(करोड़ रुपयों में)

	1989-90	1990-91	1991-92
एयर इण्डिया	70.89	81.23	145.89
इण्डियन एयरलाइंस	(15.24)	(64.59)	(198.85)
वायुदूत	(35.83)	(37.08)	(30.59)

(घ) प्रति विमान कर्मीदल की संख्या अलग-अलग एयरलाइनों में अलग-अलग होती है जो विमान के प्रकार, इसके उपयोग, उड़ान ड्यूटी समय सीमाओं इत्यादि पर निर्भर करती है। एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइंस और वायुदूत में प्रति विमान कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 726, 412 और 92 है।

[हिन्दी]

राज्यों में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भवन

991. श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान सरकार ने प्रत्येक राज्य में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए कितने भवनों को स्वीकृति प्रदान की है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) पिछले वर्ष 265 भवनों को मंजूर किया गया है । राज्यवार ब्यौरे सलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) आबंटित राशि के बारे में राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए पिछले वर्ष मंजूर किए गए भवनों की संख्या	इस प्रयोजन के लिए आबंटित राशि (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8	2,69,19,680
2.	असम	2	15,38,960
3.	बिहार	8	3,20,00;000
4.	हरियाणा	3	49,81,900
5.	हिमाचल प्रदेश	5	97,95,000
6.	गुजरात	10	23,25,79,209
7.	जम्मू व कश्मीर	2	22,20,000
8.	मध्य प्रदेश	17	3,23,00,000
9.	महाराष्ट्र गोवा सहित	50	11,50,00,000
10.	उत्तर पूर्व के राज्य		
(i)	मेघालय	1	12,50,000
(ii)	नागालैंड	1	63,00,000
(iii)	त्रिपुरा	12	21,86,000
(iv)	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
(v)	मणिपुर	शून्य	शून्य
(vi)	मिजोरम	शून्य	शून्य

1	2	3	4
11.	पंजाब	18	3,09,94,000
12.	उड़ीसा	3	9,36,00,000
13.	कर्नाटक	15	8,77,56,000
14.	केरल	41	10,37,61,000
15.	राजस्थान	12	2,55,85,000
16.	तमिलनाडु	35	17,05,22,000
17.	उत्तर प्रदेश	11	6,15,00,000
18.	पश्चिम बंगाल	7	1,42,01,188
19.	एम०टी०एन०एल०, बंबई	3	1,89,55,000
20.	एम०टी०एन०एल०, दिल्ली	1	11,28,55,400

[अनुवाद]

कोलार स्वर्ण खान क्षेत्र में खानों का बन्द किया जाना

992. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :
श्री के० एच० मुनियप्पा :
श्री वी० कृष्णा राव :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोलार स्वर्ण खान क्षेत्र में खानों को चरणबद्ध रूप से बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम गहरे खनन के चालू रहने की पूरी सम्भावना है;

(घ) क्या कोलार स्वर्ण खान के मजदूरों को हट्टी स्वर्ण खान में स्थानान्तरित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) सरकार ने 1987 में कोलार क्षेत्र में मैसूर खान, चैम्पीयन रीफ खान और नन्दीदुर्ग खान नामक तीन पुरानी खानों का 7 वर्ष की अवधि में क्रमिक आधार पर बन्द करने का निर्णय किया था। तदनुसार, मैसूर खान और चैम्पीयन रफी खान के निचले भाग तथा नन्दीदुर्ग खान बन्द कर दी गई है।

(ग) अब तक किए गए गवेषणों से सीमित खनिज क्षमता वाले कुछ उथले निक्षेपों का पता चला है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन लाइनों का दुरुपयोग

993. श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :
श्री जनार्दन मिश्र :
श्री देवी बक्स सिंह :
डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय व्यापारियों की मदद हेतु महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारी विदेशों में विशेषतया खाड़ी के देशों में टेलीफोन करने के लिए कुछ टेलीफोन उपभोक्ताओं की टेलीफोन लाइनों का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की सी० बी० आई० द्वारा जांच करवाने के निर्देश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधि को रोकने के लिए सरकार का कौन-कौन से कदम उठाने का विचार है?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, हां। सरकार को ऐसी कुछ वारदातों का पता चला है।

(ख) जब कभी ऐसा कोई मामला जानकारी में आता है तो महानगर टेलीफोन निगम लि० के सतर्कता तन्त्र द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ मिलकर संयुक्त छापे डाले जाते हैं।

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लि० के सतर्कता स्टाफ और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 4-11-92

को डाले गए संयुक्त छापे के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लि० का एक कर्मचारी एस० टी० डी०/आई० एस० डी० कालों के लिए टेलीफोन सुविधा का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया। कर्मचारी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

(घ) ऐसे गैर कानूनी कार्य को रोकने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के चार विशेष सेल स्थापित किए जा रहे हैं और यह प्रत्येक सेल एक पुलिस अधीक्षक के अधीन कार्य करेगा। दूरसंचार विभाग के सतर्कता संगठन की जांच करने और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में सहायताप्राप्त विद्युत परियोजनाओं में आयातित उपकरणों का उपयोग

994. डा० लाल बहादुर रावल :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री नीतिश कुमार :
श्री सुकदेव पासवान :
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी सहायता प्रदत्त ताप विद्युत परियोजनाओं में स्वदेशी उपकरणों तथा अतिरिक्त पुर्जों के उपलब्ध होने के बावजूद आयातित उपकरण तथा पुर्जे इस्तेमाल करने की शर्त लगायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उपरोक्त उपकरणों तथा पुर्जों के आयात पर कितनी राशि व्यय की गयी; और

(घ) ताप विद्युत परियोजनाओं में स्वदेशी उपकरणों का उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) विश्व बैंक द्वारा क्रियान्वित की गई परियोजनाओं के मामले में, बैंक के साथ स्पष्ट रूप में यह सहमति है कि दिए गए ठेकों के तहत परियोजनाओं के लिए उपस्करों की व्यवस्था, बैंक द्वारा प्रत्याशित "आई० बी० आर० डी० ऋणों तथा आई० डी० ए० क्रेडिट के तहत व्यवस्था किए जाने हेतु दिशा-निर्देशों" के अनुरूप प्रक्रियानुसार की जाएगी जिसके अन्तर्गत, स्वदेशी बोलीदाताओं को भी शामिल किया जाता है, बल्कि वास्तव में स्वदेशी निर्माताओं को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के मामले में कुछ प्राथमिकता दी जाती है, जिससे उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों के साथ स्पर्धा करने में आसानी हो।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से सहायता प्राप्त तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्करों तथा फुटकर पुर्जों के आयात पर व्यय की गई राशि निम्नवत् है .—

(लाख रुपए में)

वर्ष	आयात हेतु जारी की गई राशि
1989-90	3,44.90
1990-91	45.06
1991-92	1,67,21.46

[अनुवाद]

विदेशी एअरलाइनों का परिचालन

995. डा० राजागोपालन श्रीधरन :
श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में विमान उड़ाने के एअर इण्डिया के अधिकार को लिए बिना भारत में विदेशी एअरलाइनों के परिचालन की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एअरलाइनों के विमानों को उतरने की सुविधाएं प्रदान की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कंपनियों को अवतरण सुविधाएं द्विपक्षीय हवाई सेवा करार के अधीन दी जाती है। ये सुविधाए सामान्यतः परस्परता के सामान्य स्वीकृत सिद्धांत के आधार पर दी जाती हैं।

दिल्ली मनोरंजन कर नीति

996. श्री एम० के० बालियान : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में मनोरंजन कर नीति पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है; और

यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) संविधान में राज्य की सूची की प्रविष्टि संख्या 62 राज्य सरकारों को फिल्मों के प्रदर्शन के लिए मनोरंजन कर लगाने की पूर्ण शक्ति प्रदान करती है। केन्द्रीय सरकार क पास उन्हें इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करने की सांविधिक शक्तियां नहीं है।

[हिन्दी]

राज्यों में हिन्दी समाचार बुलेटिनों का दूरदर्शन प्रसारण

997. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हिन्दी समाचार बुलेटिन का देश के कतिपय भागों में प्रसारण नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और ऐसा किए जाने के कारण क्या हैं; और

(ग) सभी राज्यों में दूरदर्शन हिन्दी समाचार बुलेटिन प्रसारित करने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) हिन्दी के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन दूरदर्शन केन्द्र मद्रास को छोड़कर सभी केन्द्रों द्वारा रिले किए जाते हैं। तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास द्वारा इस बुलेटिन को रिले करना बन्द कर दिया गया था। मद्रास केन्द्र से इस बुलेटिन को फिर से शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

तेनूघाट ताप विद्युत परियोजना

998. **श्री शिबू सोरेन :** क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेनूघाट ताप विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है और प्रथम चरण में इससे कितनी बिजली का उत्पादन होने की सम्भावना है; और

(घ) ऐसे कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है जिनकी भूमि को इस परियोजना के लिए अधिग्रहीत किया गया था और कितने व्यक्तियों को अभी भी रोजगार दिया जाना बाकी है?

विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं। मार्च, 1979 में

स्वीकृति की गई तेनघाट ताप विद्युत परियोजना चरण-I (2 × 210 मेगावाट) का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है।

(ख) परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के कारणों में ये शामिल हैं, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, भेल के साथ टर्न-की आधार पर ठेके को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब, निधियों की कमी सम्बन्धी समस्याएं, कार्यस्थल पर कानून तथा व्यवस्था सम्बन्धी समस्याएं, स्टैक को तैयार करने में विलम्ब तथा स्टार्ट-अप विद्युत की उपलब्धता में विलम्ब।

(ग) इस परियोजना पर जून, 1992 तक 675.82 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। परियोजना के प्रथम चरण के पूरा होने पर कुल 420 मे० वा० बिजली का उत्पादन होने की प्रत्याशा है।

(घ) तेनूघाट विद्युत निगम लि० ने सूचित किया है कि 366 व्यक्तियों, जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई थी, को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है। तथापि, जिला प्रशासन ने उन लोगों की अतिरिक्त सूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

प्रसारण परिषद् का गठन

999. श्री रवि राय :
श्री साईमन मराण्डी :
श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रसारण परिषद् का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परिषद् के सदस्यों के नाम और उनको क्या विशिष्ट कार्य नियत किया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने दूरदर्शन के मैट्रो चैनलों और आकाशवाणी के एफ० एम० चैनलों पर समय आबंटन करने की स्कीम के अन्तर्गत "भारतीय समय प्रसारण समिति" का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम एवं उसके कार्यों की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रसारण परिषद (जिसे भारतीय समय प्रसारण समिति के रूप में पुनःनामित किया गया है) के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम और कार्य

1. श्री पी० एस० देवधर	अध्यक्ष

2. सुश्री मृणाल पाण्डे	सदस्या
3. श्री निखिल चक्रवर्ती	सदस्य
4. श्री हबीब तनवीर	सदस्य
5. श्री अनिल बोरडिया	सदस्य
6. डा० (श्रीमती) कपिला वात्सयायन	सदस्या
7. सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
8. जब दूरदर्शन से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श हो तो दूरदर्शन के महानिदेशक और इंजीनियर-इन-चीफ	पदेन सदस्य
9. जब आकाशवाणी से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श हो तो आकाशवाणी के महानिदेशक और इंजीनियर-इन-चीफ	पदेन सदस्य

समिति के कार्य

(क) टेलीविजन/रेडियो चैनल पर समय आबंटित करने के प्रयोजन से परिषद, सार्वजनिक सूचना जारी कर व्यक्तियों से, जो भारत के नागरिक होंगे/कम्पनियों से जिनमें भारतीय शेयर होल्डरों का बहुमत होगा/भागीदारी फर्मों से, जिनके समस्त भागीदार भारत के नागरिक होंगे, आवेदन आमन्त्रित करेगी।

(ख) आकाशवाणी/दूरदर्शन के चैनलों पर कार्यक्रमों के लिए लाइसेंस जारी करेगी और उपयुक्त समय का आबटन करेगी।

(ग) लाइसेंसधारी द्वारा टेलीकास्ट/प्रसारित कार्यक्रम की समीक्षा करेगी।

(घ) लाइसेंसों के आस्थगन और रद्दकरण पर विचार करेगी, निर्णय लेगी, कार्रवाई करेगी।

(ङ) चैनलों पर कार्यक्रमों के लिए गुणवत्ता के आयाम तय करेगी।

(च) इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों द्वारा टेलीकास्ट/प्रसारित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में शिकायतें/कठिनाइयों को दूर करने के लिए मंच प्रस्तुत करेगी।

लम्बित विद्युत परियोजनाएं

1000. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू :**
डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
श्री एस० बी० थोरात :

श्री थाइल जाम अंजलोज :
श्री के० मुरलीधरन :
श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने और इनके कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन किए जाने के लिए केरल, तमिकनाडु और महाराष्ट्र की निम्नलिखित विद्युत परियोजनाए लम्बित हैं :—

क्रमसं०	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
केरल		
1.	प्रयामकुट्टी (जल विद्युत) 2 × 120 मे०मा०	के०वि० प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दी गई है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्रतीक्षित है ।
2.	अदिरापल्ली (जल विद्युत) (2 × 80 मे०वा०)	—वही—
3.	ब्रह्मपुरम के समीप डी०जी विद्युत संयंत्र (100 मे०वा०) (ताप विद्युत)	सभी प्रकार के लिंकेज/टिप्पणी के उत्तरों और अद्यतन परियोजना रिपोर्ट प्रतीक्षित हैं ।
4.	कसार कोडे में डी०जी० विद्युत संयंत्र (ताप विद्युत) (60 मेगावाट)	—वही—
5.	नहाकारा के समीप डी०जी० विद्युत संयंत्र (ताप विद्युत) (120 मे०वा०)	—वही—

1	2	3
तमिलनाडु		
	1. पेरालयार (जल विद्युत) (1 × 25 मे०वा०)	के०वि०प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दी गई है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्रतीक्षित है।
	2. पिल्लईपेरूमलनल्लूर सी०सी०जी०टी-चरण-1 (ता० वि०) (300 मे०वा०)	के०वि०प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दी गई है और निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है।
	3. पिल्लईपेरूमलनल्लूर सी०सी०जी०टी० चरण-2 (ता०वि०) (300 मे०वा०)	सभी प्रकार के लिंकेज/स्वीकृतियां प्रतीक्षित हैं।
	4. उत्तर मद्रास चरण 2 (ता०वि०) (1 × 500 मे०वा०)	—वही—
	5. श्री मुशनाम में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत केन्द्र-मैसर्स तमिलनाडु इंडस्ट्रीज कैप्टिव पावर कारपोरेशन लि० (मैसर्स टीकापको) प्रवर्तक मैसर्स जी० एम० स्वामी एसोसिएट्स (1 × 210 मे०वा०) एक (1 × 210 मे०वा०) दो	के०वि०प्रा० ने मै० जी०एम० स्वामी एसोसिएट्स को 13-11-91 को सूचित किया है कि यह प्रस्ताव व्यवहारिक प्रतीत होता है और विभिन्न निवेश सुनिश्चित किए जाने के लिए वे कार्यवाही कर सकते हैं और आगे विचार किए जाने के लिए 2 महीने के अन्दर अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।
महाराष्ट्र		
	1. भीवपुरी पम्पड़ स्टोरेज स्कीम (ज० वि०) (1 × 90 मे०वा०)	के० वि० प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दी गई है और निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है।
	2. प० महाराष्ट्र ता०वि०के० (बी०एस० ई०बी० लि०) (ता०वि०) (500 मे० वा०)	—वही—
	3. पिम्पलगांव जोगे पम्पड़ स्टोरेज (ज० वि०) (2 × 300 मे०वा०)	पर्यावरण दृष्टि से स्वीकृति लम्बित है। के० वि० प्रा०/के०ज० आयोग की टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है।

1	2	3
4.	दमोल के समीप मै० कान्फिडेन्स शिपिंग कं० लि० महाराष्ट्र का बजरा स्थित विद्युत संयत्र (110 मे०वा०)	सभी प्रकार के लिंकेज/स्वीकृतियां प्रतीक्षित हैं।
5.	मै० एनरोन पावर कारपोरेशन यू० एस०ए० तथा जनरल इलैक्ट्रिक कारपोरेशन यू०एस०ए० का दमोल सी०सी० जी०टी० (2000 मे०वा०, 2550 मे०वा०)	—वही—

(ग) तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत किया जाना और निवेश सम्बन्धी अनुमोदन विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है जिनमें के०वि०प्रा० और/अथवा के० ज० आयोग की विभिन्न टिप्पणियों/प्रेक्षणों के उत्तरों में परियोजना अधिकारियों से प्राप्त परियोजना रिपोर्ट की व्यापकता, विभिन्न निवेशों की उपलब्धता तथा ईंधन की उपलब्धता, कोयले की ढुलाई, गैस, गोदी सम्बन्धी सुविधा, जल की उपलब्धता जैसी स्वीकृतियां, पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी दृष्टि से स्वीकृति, निधियों सम्बन्धी बाधाएं आदि शामिल हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए यह अनुमान लगा पाना कि सभी सम्बन्धितों से अपेक्षित सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने और अन्ततः सम्बन्धित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में कितना समय लगेगा।

कम्प्यूटर तथा टेलीफोन क्षेत्र के लिए यूरोपीय समुदाय सहायता

1001. **श्री राम सिंह कास्वा :**
प्रो० रीता वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय समुदाय से कम्प्यूटर तथा टेलीफोन क्षेत्रों के लिए कुछ सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) से (ग) जी हां। भारत सरकार और यूरोपीय देशों के संगठन (सी० ई० सी०) के बीच तकनीकी सहयोग और दूरसंचार के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के लिए अप्रैल, 1991 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

किए गए हैं । समझौता ज्ञापन के तहत ही कुछ भारतीय इन्जीनियरों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विदेश भेजा गया था । इसके अतिरिक्त, भारत और यूरोपीय देशों के बीच आइनेट पर डाटा इण्टरचेंज के आदान-प्रदान के लिए अक्तूबर, 1992 में एक कार्यस्थल की भी स्थापना की गई है ।

[हिन्दी]

स्वतन्त्रता सेनानियों को टेलीफोन

1002. श्री जनार्दन मिश्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वतन्त्रता सेनानियों को वरीयता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) स्वतन्त्रता सेनानी 15 अगस्त, 1992 से "स्वतन्त्रता सेनानी" श्रेणी (गैर० ओ०वाई०टी०-एस०डब्ल्यू०एस०) के अन्तर्गत सर्वोच्च अग्रता के आधार पर एक टेलीफोन कनेक्शन के हकदार हो गए हैं । इससे पूर्व स्वतंत्रता सेनानी "गैर-ओ०वाई०टी० विशेष" श्रेणी के अन्तर्गत एक टेलीफोन का पंजीकरण करने के हकदार थे । निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने वाला प्रत्येक स्वतन्त्रता सेनानी इस श्रेणी के अन्तर्गत उस स्थान पर एक टेलीफोन कनेक्शन पाने का हकदार है जहां वह सामान्यतः निवास करता है । इस श्रेणी के अन्तर्गत कोई संस्थापना फीस वसूल नहीं की जाती है और सामान्य किराए का केवल आधा हिस्सा ही प्रभार्य होता है ।

नये पर्यटन स्थल

1003. श्री राजेश कुमार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विकास हेतु सरकार ने किन्हीं नये पर्यटन स्थलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में आज तक कुल कितनी राशि आबंटित की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) नए पर्यटक स्थलों का अभिनिर्धारण और विकास करना मुख्यतया सम्बन्धित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है । तथापि,

केन्द्र सरकार पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

राज्यों के सिंचाई मंत्रियों का सम्मेलन

1004. **प्रो० रासा सिंह रावत :**

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल संसाधनों और सिंचाई मंत्रियों के दसवें राष्ट्रीय सम्मेलन में चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा आठवीं योजना अवधि में पूरा करने पर बल दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में अन्य क्या सिफारिशें की गयी थीं;

(ग) सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्य मंत्रियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अभी तक लम्बित अथवा अधूरी जल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाने के सुझाव दिए गए थे ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्मेलन में की गयी सिफारिशें विवरण-1 में दी गयी हैं।

(ग) राज्य मंत्रियों, जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया की सूची विवरण-2 के रूप में संलग्न है।

(घ) इस सम्मेलन ने आठवीं योजना अवधि के दौरान परियोजनाएं, जो निर्माण के उन्नत स्तर पर हैं, को पूरा करने, अभिज्ञात की गयी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कार्य योजनाएं प्रतिपादित करने, परियोजनाओं की प्रगति का निकट प्रबोधन करने तथा उनकी प्रगति की व्यापक रूप से तिमाही पुनरीक्षा करने के लिए अपेक्षित निधियों के पूर्ण आबंटन की सिफारिश की है।

विवरण-1

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के जल संसाधन तथा सिंचाई मन्त्रियों के 21 सितम्बर, 1992 को आयोजित दसवें राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई सिफारिशें

मद सं० 1 : सिंचाई परियोजनाओं का वित्तपोषण

(i) संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि निधियों को थोड़ा-थोड़ा

करके नहीं किया जाए तथा निर्माण की उन्नत अवस्था पर परियोजनाओं के लिए अपेक्षित निधियां आबटित की जानी चाहिए ताकि उन परियोजनाओं को आठवीं योजना में पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) राज्य सरकारें आठवीं योजना के दौरान अभिज्ञात की गयी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वर्षवार व्यापक कार्ययोजना तैयार करेंगी तथा उनको प्रभावशाली ढंग से अमल मे लायेंगी तथा प्रत्येक के लिए अपेक्षित निधियां आबटित करेंगी।

(iii) राज्य सरकारें इन परियोजनाओं की प्रगति का निकटता से प्रबोधन करेंगी, व्यापक तिमाही पुनरीक्षा करेंगी तथा केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय तथा योजना आयोग को इसकी सूचना देंगी।

(iv) राज्य सरकारे क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए अत्यावश्यक नई परियोजनाओं को शुरू करने के वास्ते सिंचाई क्षेत्र को योजना आबंटन बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं। संसाधनों को बढ़ाने के लिए सिंचाई प्रदान किए जा रहे क्षेत्रों के लाभभोगियों से प्रभार लेने पर विचार कर सकती हैं।

मद सं० 2 : सिंचाई परियोजनाओं से जल आपूर्ति का प्रावधान

(i) राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप सिंचाई तथा बहु-प्रयोजनी परियोजनाओं में मानवों और जानवरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेयजल घटक को शामिल किया जाना चाहिए।

(ii) ऐसी उद्देश्यपूर्ण परियोजना तैयार करने के लिए राज्य सरकारें शहरी और ग्रामीण जल आपूर्ति विभागों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक बहु-विषयक यूनिट बनाएगी। राज्य सरकारें आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन के सम्बन्ध में उचित समन्वय भी सुनिश्चित करेंगी ताकि परियोजनाओं के पेयजल घटक से सम्बन्धित कार्य अन्य घटकों के समरूप चल सकें।

मद सं० 3 : जल संसाधन परियोजनाओं के लिए पर्यावर्णित तैयारी

प्रत्येक राज्य ये गठित करेगा :

(i) पर्यावर्णीय चिन्ताओं वाली जल संसाधन परियोजनाओं के प्रतिपादन और क्रियान्वयन में परियोजना प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए सम्बन्धित सचिव की अध्यक्षता में जल संसाधन इंजीनियरिंग, कृषि विज्ञान, वानिकी, मत्स्य पालन, समाजशास्त्र, पुरातत्व, स्वास्थ्य आदि जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करके एक पर्यावर्णीय बहु-विषयक यूनिट;

(ii) पर्यावर्णीय आंकड़े एकत्र करने, रखने और उनमें सुधार के लिए पर्यावर्णीय आंकड़ा बैंक कक्ष; और

(iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए पर्यावरण सम्बन्धी सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन को देखने के लिए एक राज्य स्तरीय पर्यावर्णीय प्रबोधन तन्त्र।

मद सं० 4 : जल संसाधन परियोजनाओं के लिए पुनर्वास उपाय

(i) राज्य सरकारों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद पुनर्स्थापन और पुनर्वास राष्ट्रीय नीति के मसौदे को नया रूप दिया जायेगा तथा तीन महीनों के अन्दर अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(ii) राष्ट्रीय नीति के मसौदे में दिए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य पुनर्स्थापन और पुनर्वास पर अपनी विस्तृत नीति तैयार करेगा।

(iii) अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में जहां जलमग्नता केवल एक राज्य तक सीमित है सामान्यतया उस राज्य की पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति लागू होगी। जहां जलमग्नता एक से अधिक राज्य में है वहां एक एकीकृत सहमत नीति जो विशेषरूप से उस परियोजना के लिए है, भागीदार राज्यों द्वारा तैयार की जायेगी।

मद सं० 5 : कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(i) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कमान क्षेत्र प्रबन्ध कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी जाएगी ताकि इसे बहु-विषयक बनाया जा सके और इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।

(ii) सम्पूर्ण सिंचाई नेटवर्क तथा कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का नियन्त्रण परियोजना स्तर पर एकल अभिकरण के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए ताकि सिंचाई जल आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

(iii) जल उपयोग में सुधार करने और सूक्ष्म स्तर पर अवसंरचनात्मक देखरेख के लिए किसानों के संघों के जरिए माइनर के सिंचाई जल के वितरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

मद सं० 6 : लघु सिंचाई टैंकों का पुनर्स्थापन

(i) सम्बन्धित राज्यों द्वारा वर्तमान टैंकों को पहले से विकसित सिंचाई क्षमता को तत्काल पुनः प्राप्त करने की सम्भावना के आधार पर, यदि मितव्ययी हो, के पुनर्वास/आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ii) वे ऐसे कार्यों के लिए समेकित परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा जहां आवश्यक हो, उन्हें बाह्य सहायता की सूची में रखें।

(iii) भारत सरकार जवाहर रोजगार योजना प्रावधानों से ऐसे कार्यों के वित्तपोषण पर विचार करें।

मद सं० 7

नदी घाटी क्षेत्र में मृदा संरक्षण और एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन की मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चालू रहेंगी। आवाह-क्षेत्र के सुधार में जो लागत आयेगी उसको नदी घाटी परियोजना की लागत के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि प्राथमिक रूप से इस सुधार की आवश्यकता भूमि के ह्रास को रोकने और उसकी उत्पादकता बनाए रखने के लिए है। राज्य भी आवाह श्रेणी में ऐसी ही परियोजनाएं कुछ छोटे सिंचाई टैंकों में चलायेंगे जहां इस प्रकार के मृदा ह्रास की संभावनाएं हैं।

मद सं० 8 : भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के कार्यक्रम

(i) भूमिगत जल विकास के कारण देश के कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर गिर गया है वहां सम्बन्धित राज्य सरकारें भूमिगत जल के स्तर को सुधारने के लिए कदम उठायेंगी।

(ii) जिन हाइड्रोजियोलोजिकल क्षेत्रों में भूमिगत जल बढ़ाने की तकनीक विकसित की गई है वहां भूमिगत जल स्तर सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने पर विचार करेंगी। आठवीं योजना में केन्द्र सरकार केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों के माध्यम से राज्यों को इस कार्य में मदद करेगी।

(iii) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड इस प्रकार के खोजपूर्ण और चालू परियोजनाओं को उपयुक्त प्रौद्योगिकी को हाइड्रोजियोलोजिक स्थितियों में जहां औद्योगिकी अभी बनानी है परखने हेतु इनके निबटान में शीघ्रता ला सकती है।

मद सं० 9 : बाढ़ प्रबन्धन

(i) बाढ़ क्षेत्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या और विकास कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए मूलभूत नागरिक सुविधाओं को बाढ़ से बचाव के समय बनाए रखने के उपायों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी जिससे वहां के लोगों की दैनिक दिनचर्या पर बाढ़ से पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम किया जा सके।

(ii) नियामक तंत्र के बिना, बाढ़ मैदानों में आवासीय तथा विकासात्मक कार्यों से बाढ़ क्षतियों में वृद्धि होती है। जब तक बाढ़ मैदान जोनिंग पर विधान नहीं बना लिया जाता, तब तक राज्य सरकारें बाढ़ मैदानों में ऐसे कार्यों के नियमन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक उपाय शुरू करें।

(iii) वर्तमान नेटवर्क का आधुनिकीकरण करते हुए, सभी बाढ़प्रवण बेसिनों में बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता है।

(iv) लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने और बाढ़ प्रबन्ध में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ खतरा मानचित्र प्राथमिकता के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए।

मद सं० 10 : सिंचाई प्रबन्ध नीति

(i) सम्मेलन में, मोटे तौर पर जल के इष्टतम उपयोग के लिए सिंचाई प्रणालियों के समुचित प्रबंध और प्रचालन एवं अनुरक्षण, संयुक्त उपयोग, जलनिकास, किसानों की सहभागिता, रख-रखाव अनुदान, जल दरें, प्रशिक्षण आदि जैसे दिशा-निर्देशों के बारे में इस नीति में बल देने पर सहमति हुई क्योंकि इससे उत्पादकता बढ़ाते हुए जल की बचत में मदद मिलेगी। स्प्रिंकलर, ड्रिप जैसे सफल सिद्ध प्रोद्योगिकी जिसमें पर्याप्त प्रोत्साहन भी शामिल हैं, लागू करने की सिफारिश की गयी।

(ii) सम्मेलन में सिफारिश की गई है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के तत्वाधान में इस नीति को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाए।

विवरण-2

आन्ध्र प्रदेश

श्री सी० रामचन्द्र रेड्डी, लघु सिंचाई मन्त्री

असम

1. श्री जहीरुल इस्लाम, सिंचाई मन्त्री
2. श्री हरेन भूमिज, बाढ़ नियन्त्रण मन्त्री

बिहार

श्री जगदानन्द सिंह, जल संसाधन मन्त्री

गुजरात

श्री सी० डी० पटेल, गृह मन्त्री एवं जल संसाधन मन्त्री

हरियाणा

श्री जगदीश नेहरा, सिंचाई एवं संसदीय कार्य मन्त्री

हिमाचल प्रदेश

श्री विद्या सागर, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य मन्त्री

कर्नाटक

1. श्री मल्हारी यावड़ा एस० पाटिल, बृहद एवं मध्यम सिंचाई मन्त्री
2. श्री के० एस० मल्लिकार्जुन प्रसन्ना, लघु सिंचाई राज्य मन्त्री

केरल

श्री टी० एम० जैकब, सिंचाई एवं संस्कृति मन्त्री

मध्य प्रदेश

श्री रामहित गुप्ता, वित्त मन्त्री

महाराष्ट्र

1. श्री पदमसिंह पाटिल, सिंचाई मन्त्री
2. श्री रणजीत देशमुख, सिंचाई राज्य मन्त्री

मणिपुर

श्री एच० थोई थोई सिंह, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण मन्त्री

मेघालय

श्री सी० डब्ल्यू० मराक, कृषि एवं सिंचाई मन्त्री

मिजोरम

श्री सैकपथियांग, कृषि राज्य मन्त्री

उड़ीसा

1. श्री बिजय महापात्र, सिंचाई मंत्री
2. श्री आर० के० पटनायक, ग्राम विकास मन्त्री

पंजाब

श्री एच० एस० बार, सिंचाई एवं विद्युत मन्त्री

राजस्थान

1. श्री कैलाश मेघवाल, सिंचाई मन्त्री
2. श्री भंवर लाल शर्मा, कमान क्षेत्र विकास मन्त्री

तमिलनाडु

श्री थिरू एस० कन्नपन, लोक निर्माण मन्त्री

त्रिपुरा

श्री रतिमोहन जमातिया, लोक निर्माण विभाग मन्त्री

उत्तर प्रदेश

श्री ओम प्रकाश सिंह, सिंचाई मन्त्री

पश्चिमी बंगाल

1. डा० उमर अली, लघु सिंचाई के प्रभारी मन्त्री

2. श्री देवव्रत बन्दोपाध्याय, सिंचाई एवं जल-मार्ग के प्रभारी मन्त्री

सेल्युलर मोबाईल टेलीफोन

1005. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगरों में सेल्युलर मोबाईल टेलीफोनों तथा रेडियो पेजिंग सर्विसेज आरम्भ करने के लिए ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की शर्तों की मुख्य बातें क्या हैं और इनमें शामिल होने वाली पार्टियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या इन पार्टियों ने देश में कोई उपकरण बनाने का प्रस्ताव रखा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में होने वाला संभावित वार्षिक विदेशी मुद्रा खर्च कितना होगा ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) सरकार ने सैल्यूलर मोबाईल फोन का ठेका देने के लिए 8 बोलीदाताओं को अनन्तिम रूप से चुना है। तथापि, चूंकि एक असफल बोलीदाताओं ने अदालत में दावा किया है, अतः मामला न्यायाधीन है।

(ग) चूंकि निविदा सैल्यूलर मोबाइल सेवा के प्रचालन के लिए थी, अतः निविदा में देश में इसके विनिर्माण की कोई शर्त नहीं थी।

(घ) निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों में से एक शर्त यह है कि विदेशी मुद्रा की सम्पूर्ण आवश्यकता विदेशी भागीदारों द्वारा पूरी की जानी है। इसलिए विदेशी मुद्रा का खर्च शून्य है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

1006. **डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में, जिला-वार टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है तथा इनमें से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

31-10-92 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों और उनमें से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की जिलेवार संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम		एक्सचेंजों की कुल संख्या	इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की कुल संख्या
1	2		3	4
1.	पुणे	—	111(+1 आर०एल०यू०	62
2.	थाणे	—	66	37
3.	अहमद नगर	—	152	69
4.	औरंगाबाद	—	51	22
5.	जालना	—	32	11
6.	लातूर	—	38	24
7.	बीड	—	31	14
8.	उस्मानाबाद	—	24	14
9.	नान्देड	—	54	24
10.	परभनी	—	44	15
11.	नागपुर	—	59(+3 आर०एल०यू०)	32
12.	अकोला	—	43	19
13.	अमरावती	—	51	26
14.	भान्दा	—	50	28

1	2		3	4
15.	बुलढाना	—	56	28
16.	चन्द्रापुर	—	36	19
17.	गढ़चिरोली	—	16	16
18.	वर्धा	—	34	22
19.	यवतमाल	—	41	17
20.	कोल्हापुर	—	80	31
21.	सोलापुर	—	70	48
22.	सिन्धुदुर्ग	—	37	15
23.	रत्नागिरि	—	62	20
24.	सांगली	—	81	24
25.	सतारा	—	70	29
26.	नासिक	—	117	52
27.	जलगांव	—	108	53
28.	धुले	—	72	19
29.	रायगढ़	—	62	49

विवरण-2

चालू वर्ष 1992-93 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलेवार ब्यौरे

जिले का नाम	92-93 के दौरान कार्यक्रमानुसार बदले जाने के लिए निर्धारित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2
धुले	12

1	2
रायगढ़	8
जलगांव	23
नासिक	14
थाणे	10
रत्नागिरि	21
सांगली	30
सिन्धुदुर्ग	6
सतारा	18
कोल्हापुर	22
शोलापुर	24
नागपुर	1
औरंगाबाद	5
जालना	2
बीड	5
लटूर	5
उस्मानाबाद	4
नान्देड	6
परभनी	8
अहमदनगर	29
पुणे	31
अकोला	11
अमरावती	12
भंडारा	9
बुलढाना	2
चन्द्रापुर	5
यवतमाल	7

[अनुवाद]

कलकत्ता विमानपत्तन से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

1007. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक :**
प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :

क्या नागर विमान और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विदेशी विमान सेवाओं ने कलकत्ता से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें भरने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के पूर्वी क्षेत्र में मुक्त उड़ान नीति का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि 29 एयरलाइनों को कलकत्ता से ऊपर हवाई यातायात के अधिकार हैं, लेकिन इस समय केवल आठ एयरलाइनें ऐसे अधिकारों का उपयोग कर रही हैं।

(क) से (ङ) कार्गो उड़ानों के सम्बन्ध में "ओपन स्काई पालिसी" उन सभी हवाई अड्डों पर लागू होती है जो पूर्वी क्षेत्रों में स्थित हवाई अड्डों सहित अन्तर्राष्ट्रीय परिचालकों के लिए उपलब्ध हैं। हवाई टैक्सियों को, जहां भी आवश्यक हो, हवाई अड्डा प्राधिकारियों के पूर्व-अनुमोदन से देश में उन सभी प्राधिकृत हवाई अड्डों के लिए परिचालन की अनुमति है जो निर्धारित परिचालनों के लिए उपलब्ध हैं।

दिल्ली में भाटी खदानों का पुन: चालू करना

1008. **श्री मुमताज अंसारी** : **क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में भाटी खदानों को पुन: चालू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब तक चालू करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भाटी खान क्षेत्र को दिल्ली प्रशासन द्वारा वन्य प्राणी शरण स्थल घोषित किया गया है ।

दूरदर्शन धारावाहिकों के चयन में अनियमितताएं

1009. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
श्री बल्लभ पाणिग्रही :
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :
श्री अन्ना जोशी :
श्री सन्त कुमार मंडल :
डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित धारावाहिकों के चयन की केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि 60 धारावाहिकों के चयन में अनियमितताएं बरती गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार 62 धारावाहिकों के चयन मे अनियमितताएं बरती गई हैं उन्होंने प्रस्ताव किया है कि दूरदर्शन के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध पी० ई० दर्ज की जाए ताकि यह पता चल सके कि क्या कर्मचारियों ने आपराधिक भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई आचरण किया है ।

(ग) दूरदर्शन से उन धारावाहिक के सम्बन्ध में प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए कहा गया है जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने किसी अनियमितता की रिपोर्ट नहीं की है । प्राथमिकताओं का निर्धारण दूरदर्शन का कार्यक्रम आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में स्वीकृति हेतु लम्बित विद्युत संयंत्र

1010. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1992 की स्थिति के अनुसार बिजली की मांग, उत्पादन, आपूर्ति और कमी (मेगावाट प्रति घंटा मे) की राज्यवार स्थिति क्या है; और

(ख) आज तक मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले लम्बित पड़े बिजली घरों को केन्द्र सरकार की मंजूरी देने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है और उनमें से प्रत्येक की क्षमता उत्पादन-क्षमता कितनी है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल-अक्तूबर, 1992 के दौरान विद्युत सप्लाई सम्बन्धी स्थिति और वास्तविक ऊर्जा उत्पादन का ब्यौरा विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है ।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

मध्य प्रदेश

परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	अभ्युक्ति
1	2	3
बाणसागर-टोंस विद्युत घर-4 (ज०वि०)	2×10=20	कुछ शर्तों के अधीन 22-11-91 को स्वीकृत की गई है । स्कीम राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है । शर्तों को पूरा किए जाने के संबंध में पुष्टि प्रतीक्षित है । पर्यावरण एव वन संबंधी स्वीकृति भी लम्बित है ।
बोधघाट ज०वि० परियोजना	500 मे०वा० (4×125 मे०वा०)	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई है परन्तु पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय की स्वीकृति प्रतीक्षित है ।
हसदेव बांगो ज०वि० परियोजना	120 मे०वा० (3×40 मे०वा०)	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परन्तु पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय की स्वीकृति प्रतीक्षित है ।
सिंध नदी परियोजना चरण-2 की गरीखेरा एम० पी० पी० (मोहिनी सागर) (ज०वि०) (विद्युत घटक)	2×20+1×20 =60	के०वि०प्रा० द्वारा जांच की जा रही है ।
विन्ध्याचल सु०ता०वि० परियोजना चरण-2	2×500=1000	के० वि० प्रा० द्वारा अक्टूबर, 1989 में स्वीकृत । निवेश संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है ।

1	2	3
रायगढ़ (ता०वि०)	2×500=1000	कुछ लिंकेज/स्वीकृतियां सुनिश्चित की जानी हैं।
मैसर्स सेंचुरी टैक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि० द्वारा पेंच ता० वि०के० (ता०वि०)	2×210=420	योजना आयोग द्वारा 8/88 में राज्य क्षेत्र में स्वीकृत।
बीना (ता०वि०)	4×250=1000	कुछ लिंकेज/स्वीकृतियां सुनिश्चित की जानी हैं।

विवरण-1

अप्रैल, 92, अक्तूबर, 92 के दौरान वास्तविक विद्युत सप्लाई स्थिति

(आंकड़े निवल मि०यू० में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अप्रैल, 92—अक्तूबर, 92			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	(%)
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चण्डीगढ़	380	380	0	0.0
दिल्ली	6168	6124	44	0.7
हरियाणा	6770	6608	162	2.4
हिमाचल प्रदेश	869	869	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	1940	1661	279	14.4
पंजाब	11870	11261	609	5.1
राजस्थान	7527	7368	159	2.1
उत्तर प्रदेश	18830	16648	2182	11.6
जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	54354	50919	3435	6.3

1	2	3	4	5
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	14655	14277	378	2.5
मध्य प्रदेश	11759	10692	1067	9.1
महाराष्ट्र	24925	23387	1538	6.2
गोवा	438	438	0	0.0
जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	51777	48794	2983	5.8
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	14455	13289	1166	8.1
कर्नाटक	11660	8850	2810	24.1
केरल	4390	4195	195	4 4
तमिलनाडु	14285	14052	233	1.6
जोड़ (दक्षिण क्षेत्र)	44790	44386	4404	9.8
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	4705	2881	1824	38.8
दा०घा० निगम	4395	3323	1071	24.4
उड़ीसा	4790	4103	687	14.3
पश्चिम बंगाल	7065	6551	514	7.3
जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	20955	16858	4 97	19.6
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	95.2	66.5	28.7	30.1
असम	1432.8	1197.7	235.1	16.4
मणिपुर	159.3	128.2	31.1	19.5

1	2	3	4	5
मेघालय	153.4	147.6	5.8	3.8
मिजोरम	60.2	46.7	13.5	22.4
नागालैण्ड	83.8	67.3	16.5	19.7
त्रिपुरा	168.3	131.0	37.3	22 2
जोड़ (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र)	2153.0	1785.0	368.0	17.1
अखिल भारत	174029	158742	15287	8.8

विवरण-2

अप्रैल, 92—अक्तूबर, 92 के दौरान ऊर्जा उत्पादन का राज्यवार/प्रणालीवार ब्यौरा

(आंकड़े मि०यू० में)

राज्य का नाम	ऊर्जा उत्पादन
1	2
बी०बी०एम०बी०	8414
दिल्ली	4401
जम्मू व कश्मीर	2033
हिमाचल प्रदेश	1525
हरियाणा	2194
राजस्थान	4187
पंजाब	6133
उत्तर प्रदेश	25947
गुजरात	13286
महाराष्ट्र	22676

1	2
मध्य प्रदेश	18142
आंध्र प्रदेश	16407
कर्नाटक	7122
केरल	3696
तमिलनाडु	16078
बिहार	1569
उड़ीसा	3012
पश्चिम बंगाल	8598
डी०वी०सी०	2853
सिक्किम	21
असम	582
मेघालय	636
त्रिपुरा	96
मणिपुर	251
अरुणाचल प्रदेश	0
अखिल भारत	70059

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रियों की बैठक

1011. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विद्युत मंत्रियों की नई दिल्ली में आयोजित हाल की बैठक में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन निर्णयों पर अपनी मंजूरी दे दी है; और

(ग) इन निर्णयों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) 4 अप्रैल, 1992 को राज्यों के विद्युत मंत्रियों तथा राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें निम्नलिखित संकल्प स्वीकार किए गए थे :—

(1) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा विश्वस्त वाणिज्यिक सिद्धांतों पर कार्य करने तथा विद्युत सप्लाई अधिनियम, 1948 में निश्चित किए अनुसार प्रतिवर्ष 3% सांविधिक न्यूनतम लाभांश अर्जित किया जाना आवश्यक है।

(2) फिलहाल 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से न्यूनतम राष्ट्रीय कृषि टैरिफ निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

(3) राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय टैरिफ बोर्डों का अतिशीघ्र गठन किया जाना आवश्यक है।

(4) जल विद्युत का विकास किए जाने तथा अगले दशक तक जल विद्युत एवं ताप विद्युत अनुपात में सुधार किए जाने की दृष्टि से 25000 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता को जोड़े जाने की आवश्यकता है ताकि अधिष्ठापित क्षमता का ईष्टतम समुपयोजन किया जा सके और विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सके।

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय टैरिफ बोर्ड तथा पांच क्षेत्रीय टैरिफ बोर्डों का गठन किया जा चुका है। राज्य बिजली बोर्ड, राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन संगठन हैं, अतः उपर्युक्त संकल्पों को क्रियान्वित किए जाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्णय लिए जाने हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों में विज्ञापन

1012. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों में विज्ञापन देने हेतु क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन मानदण्डों को उदार बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) प्रचार अपेक्षाओं तथा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार सरकारी विज्ञापन उन समाचारपत्रों को जारी किए जाते हैं जो विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की विज्ञापन सूची में सूचीबद्ध होते हैं। यह नीति महारराष्ट्र से प्रकाशित समाचारपत्रों सहित सभी समाचारपत्रों पर समान रूप से लागू होती है।

(ख) जी, नहीं। वर्तमान मानदण्डों को पर्याप्त समझा गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

डी०ए०वी०पी० के पास विज्ञापनों हेतु पंजीकृत समाचारपत्र

1013. **श्री चन्द्रेश पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी०ए०वी०पी० के पास सरकारी विज्ञापनों हेतु पंजीकृत समाचारपत्रों, साप्ताहिक पत्रिकाओं तथा अन्य पत्रिकाओं की संख्या कितनी है;

(ख) डी०ए०वी०पी० के विज्ञापनों की दर क्या है तथा डी०ए०वी०पी० द्वारा लघु समाचार पत्रों, साप्ताहिक पत्रिकाओं तथा अन्य पत्रिकाओं के पंजीकरण हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं; और

(ग) पंजीकृत किए जाने वाली साप्ताहिक पत्रिकाओं, अन्य पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों की संख्या कितनी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इस समय सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पास 3317 समाचारपत्र/साप्ताहिक तथा पत्रिकाएं विज्ञापन सूची में सूचीबद्ध हैं।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की विज्ञापन दरें समाचारपत्रों की प्रसार संख्या के अनुसार समान रूप से लागू किए जाने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए दर ढांचे के आधार पर नियत की जाती हैं। समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा अपनाए जा रहे मानदण्ड का ब्यौरा मोटे रूप में संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 24-11-92 की स्थिति के अनुसार विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए 255 नए आवेदन पत्र प्राप्त किए हैं।

विवरण

सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए व्यापक मानदण्ड

1. प्रत्येक समाचारपत्र भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास अपेक्षित पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए।

2. समाचारपत्र/पत्रिकाओं की न्यूनतम प्रसार संख्या 2000 प्रतियों से कम नहीं होनी चाहिए।

तथापि निम्नलिखित मामलों में रियायतें दी जा सकती हैं :—

(क) प्रति अंक 500 प्रतियों की प्रसार संख्या वाला विशेष/वैज्ञानिक तकनीकी पत्रिकाएं।

(ख) पिछड़े, सीमावर्ती अथवा दूरदराज के क्षेत्रों में प्रकाशित होने वाले संस्कृत समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं तथा समाचारपत्रों/पत्रिकाओं अथवा जनजातीय भाषा अपना मुख्य रूप से जनजातीय पाठकों के लिए तथा जम्मू और कश्मीर से प्रकाशित होने वाले 500 प्रतियां प्रति अंक वाले समाचारपत्र/पत्रिकाएं।

3. समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का कम से कम चार महीने की अवधि में बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से प्रकाशन होना चाहिए तथा उसे सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने की पात्रता से पूर्व प्रेस एवम् पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1867 के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए। त्रैमासिक पत्रिकाओं के लिए विचार से पूर्व कम से कम दो अंक प्रकाशित करना जरूरी है।

4. सरकारी विज्ञापनों की स्वीकृति हेतु समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का निम्नलिखित न्यूनतम मुद्रण क्षेत्र होना चाहिए।

आवधिकता	न्यूनतम मुद्रण क्षेत्र
दैनिक	760 स्टैंडर्ड सें०
साप्ताहिक और पाक्षिक	480 स्टैंडर्ड कालम सें०
मासिक तथा अन्य पत्रिकाएं	960 स्टैंडर्ड कालम सें०.

5. जनजातीय भाषा अथवा मुख्यत: जनजातीय पाठकों के लिए प्रकाशित समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के मामलों में छूट दी जा सकती है।

6. समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की प्रसार संख्या सनदीलेखाकार अथवा व्यवसायिक तथा प्रतिष्ठित लेखा निकाय अथवा संस्थान द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

विमानचालकों हेतु सेवानिवृत्ति आयु

1014. **श्री प्रफुल पटेल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन के महानिदेशक ने विमानचालकों को 60 साल की आयु तक विमान चलाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सन्दर्भ में सरकार ने क्या उपाय किए हैं और उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) 199। से पूर्व विमानचालकों को लाइसेंस जारी करने के लिए निर्धारित कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं थी। सरकार ने अब 7-2-92 से, वाणिज्यिक विमानन में सुरक्षा, विमान-चालकों की आवश्यकता और उनके रोजगार की स्थिति जैसे संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, व्यावसायिक पायलेट लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष निर्धारित की है।

कोचीन हवाई अड्डा

1015. **प्रो॰के॰वी॰ थामस** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोचीन हवाई अड्डे की हवाई पट्टी के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोचीन में नये हवाई अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) कोचीन में न तो वर्तमान धावनपथ के विस्तार और न नए हवाई अड्डे के निर्माण का ही कोई प्रस्ताव है।

पश्चिम बंगाल में कच्चे लोहे की कमी

1016. **श्री हन्नान मोल्लाह** :
श्री हाराधन राय :
डा॰ असीम बाला :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल को कच्चे लोहे की कमी से फाउंड्रियों में संकट आ गया है;

(ख) पश्चिम बंगाल में फाउंड्रियों के लिए कितने कच्चे लोहे की आवश्यकता है;

(ग) सरकार ने कितना आबंटन किया है; और

(घ) उद्योग के सुचारू रूप से चलते रहने के लिए राज्य को और अधिक मात्रा में आबटन के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कुछ इकाइयां कच्चे लोहे की कमी का सामना कर रही हैं। इसका मुख्य कारण मुख्य उत्पादकों द्वारा पश्चिमी बंगाल लघु उद्योग निगम द्वारा पेशकश किए गए माल को न उठाया जाना है।

(ख) पश्चिमी बंगाल में अधिकांश फाउण्ड्री इकाइयां लघु उद्योग क्षेत्र में हैं। उद्योग निदेशक, पश्चिमी बंगाल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पश्चिमी बंगाल की फाउण्ड्री इकाइयों सहित लघु उद्योगों की वर्ष 1992-93 में कच्चे लोहे की मांग एक लाख टन है।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान फाउण्ड्री इकाइयों सहित पश्चिमी बंगाल की लघु उद्योग की इकाइयों के लिए विकास आयुक्त लोहा और इस्पात द्वारा कच्चे लोहे का कुल आबंटन 75,000 टन (पश्चिमी बंगाल लघु उद्योग निगम को 33,500 टन तथा इण्डियन फाउण्ड्री एसोसिएशन को 41,500 टन) किया गया है। लघु उद्योग की इकाइयों को छोड़कर अन्य उद्योगों की जरूरतों को मुख्य उत्पादकों द्वारा उनके वितरण मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप सीधे पूरा किया जाता है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान पश्चिमी बंगाल में लघु उद्योगों के लिए कच्चे लोहे का आबटन पिछले वर्ष की तुलना में 46.3% अधिक है। विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात ने पश्चिमी बंगाल लघु उद्योग निगम से अनुरोध किया है कि वह मुख्य उत्पादकों द्वारा की गई पेशकश पर शीघ्र कार्रवाई करे। उन्होंने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को भी सलाह दी है कि वे गतावधि पेशकशों में उल्लिखित मात्रा की सप्लाई उपभोक्ताओं को सीधे करें।

कच्चे लोहे के आयात को निर्बाध बनाया गया है ताकि कच्चे लोहे के प्रयोक्ता उद्योग अपनी सम्पूर्ण मांग को पूरा कर सकें। कच्चे लोहे पर आयात शुल्क को भी 16 जनवरी, 1992 से 55% से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार ने निजी क्षेत्र में कच्चे लोहे का उत्पादन करने के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में टी०वी० प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि

1017. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर सहित पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषतया स्थानीय आदिवासी भाषाओं में टी०वी० प्रसारण की कोई परियोजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी (असम) और अगरतला (त्रिपुरा) जो पहले से ही क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं,

के अलावा इस समय डिब्रूगढ़ और सिलचर (असम), शिलांग और तुरा (मेघालय), इम्फाल (मणिपुर), (नागालैण्ड), ईटानगर (अरूणाचल प्रदेश), आईजोल (मिजोरम) में स्टूडियो केन्द्र कार्यान्वयनाधीन हैं। उल्लिखित दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्रों के चालू होने के फलस्वरूप सम्बन्धित दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से स्थानीय भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करना सम्भव होगा।

जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा के विस्तार का सम्बन्ध है। इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता होने पर वर्तमान में 16 टी०वी० ट्रांसमीटर कार्यान्वियनाधीन हैं/की स्थापना का विचार है।

नए हवाई अड्डों हेतु नीति

1018. **डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :** क्या नागर और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नये हवाई क्षेत्रों को स्वीकृति देने के संबंध में अपनी नीति की पुनरीक्षा करना चाहती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के गन्नावरम हवाई अड्डे को आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वर्तमान नीति भली प्रकार चल रही है और इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बोइंग 737 विमानों के परिचालन के लिए विजयवाड़ा हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए योजनाएं तैयार की हैं। परन्तु राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास संसाधनों की कमी के कारण, वह अभी तक इस परियोजना को शुरू नहीं कर सका है।

खानपान ठेका

1019. **श्री सुधीर सावन्त :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इन्डिया के लिए खान-पान और अन्य वस्तुओं का ठेका विदेश कम्पनियों को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी एयरलाइन्स में ठेकों का आवंटन सहकारी समितियों को दिए जाने को वरीयता दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एअर इंडिया द्वारा भारतीय स्टेशनों पर विदेशी कम्पनियों को खान-पान के ठेके नहीं दिए हैं। तथापि, भारत में उपलब्ध न होने और गुणवत्ता को देखते हुए, विदेशों से कुछ उपभोज्य वस्तुओं की खरीद की जाती है। विदेशी एजेंसियों द्वारा उस समय खान-खान की वस्तुओं की पूर्ति की जाती है जब विदेशों में इस प्रकार की मदों को विमान में ले जाने की आवश्यकता होती है।

(ग) और (घ) ठेके सामान्यत: निविदाओं के आधार पर दिए जाते हैं। सहकरी समितियों की पेशकशों पर, दरों की प्रतियोगी स्थिति, सामग्री की गुणवत्ता, समय पर आपूर्ति आदि जैसी शर्तों के अधीन उचित विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के पर्यटक केन्द्रों में टेलीफोन सुविधा

1020. **श्री असलम शेर खान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों को प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए संचार सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में चुने हुए दस पर्यटन स्थल हैं—(बस्तार, चन्देरी, महेश्वर, माण्डू, ओम कारेश्वर, पाली, पचमढ़ी, राहतगढ़, बुरहानपुर और धार)—इन सभी दस स्थानों पर टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है बुरहानपुर और धार के दो पर्यटन स्थलों पर एस०टी०डी० सुविधा भी प्रदान कर दी गई है और शेष स्थानों पर एस०टी०डी० सुविधा आठवीं पचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर रूप से प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण डाकघर

1021. **श्री रामलखन सिंह यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण डाकघर खोलने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या कुछ गांवों में आवश्यक शर्तों को पूरा किए जाने के बावजूद ग्रामीण डाकघर नहीं खोले गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे गांवों की, राज्य-वार संख्या कितनी है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) डाकघर खोलने के मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए मापदंड/मानदंड

शाखा डाकघर खोलने के लिए 1-4-91 से लागू हुए निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए हैं :—

(i) **जनसंख्या :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

गांवों के एक ग्रुप की जनसंख्या 3000 (जिस गांव में डाकघर खोलने का प्रस्ताव हो उसकी जनसंख्या सहित)।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :**

किसी एक गांव की जनसंख्या 500 या गांवों के किसी एक ग्रुप की जनसंख्या 1000।

(ii) **दूरी :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

मौजूदा नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि०मी० होगी।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :**

पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। विशेष परिस्थितियों के कारण जिन मामलों में दूरी की शर्त में छूट होगी, उन मामलों में निदेशालय द्वारा दी जा सकती है। प्रस्ताव भेजते समय विशेष परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

(iii) **अनुमानित आय :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत होगी।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होगी।

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण के लिए उड़ीसा को विदेशी सहायता

1022. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित उड़ीसा सरकार से प्राप्त विदेशी सहायता योजनाओं के तहत बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा में कांसांदासा नदी संबंधी बाढ़ नियंत्रण योजना के लिए विदेशी सहायता योजना में से स्वीकृति देने की कोई मांग की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विदेशी सहायता के तहत उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गयी कोई भी बाढ़ नियंत्रण स्कीम केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लबित नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में खनिजों की खोज

1023. **श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में खनिजों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात और अन्य राज्यों के लिए इस संबंध में कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गुजरात में वर्ष 1992-93 के दौरान चार खनिज अन्वेषण कार्य आरंभ किए हैं। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. बनासकांठा जिले में अम्बामाता बहुधातु निक्षेप के विस्तार क्षेत्रों में संरचना, शैल विज्ञान और खनिजीकरण संभावनाएं।

2. बनासकांठा जिले के घोडा-धनपुपा क्षेत्र में सामरिक खनिजों की खोज।

3. जामनगर जिले की अलेच पहाड़ियों में सोने का पता लगाने के लिए ज्वालामुखी और उसकी संबद्ध चट्टानों का अध्ययन।

4. गुजरात में लिग्नाइट के लिए क्षेत्रीय गवेषण।

(ग) और (घ) जी, हां। 8वीं योजना अवधि के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) द्वारा तैयार किए गए खनिज गवेषण कार्यक्रम का ब्यौरा इस प्रकार है—

1. खनिज गवेषण

(क) गैर-कोयला खनिज/धातुएं

1. आधार धातु कार्यक्रम—राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल में 40 अन्वेषण।

2. स्वर्ण कार्यक्रम—आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में 40 अन्वेषण।

3. टिन-टंगस्टन कार्यक्रम—हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर मे 15 अन्वेषण।

4. प्लेटिनम समूह की धातुओं के लिए कार्यक्रम—तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर में 9 अन्वेषण।

5. मोलिब्डेनम कार्यक्रम—तमिलनाडु, केरल, मेघालय मे 3 अन्वेषण।

6. बहुधातु कार्यक्रम—हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम में 13 अन्वेषण।

7. हीरा कार्यक्रम—आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश मे 8 अन्वेषण।

8. पश्चिम बंगाल में उर्वरक खनिज।

9. उड़ीसा, मणिपुर में लौह समूह (क्रोमाइट, मैंग्नीज आदि) के खनिज।

10. मध्य प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में चूना-पत्थर व डोलोमाइट तथा अन्य खनिज।

(ख) कोयला और लिग्नाइट

1. पश्चिम बंगाल और बिहार में दामोदर घाटी कोयला बेसिन (4 परियोजनाएं)।
2. पश्चिम बंगाल और बिहार में राजमहल-बीरभूम मास्टर कोयला बेसिन (2 परियोजनाएं)।
3. उड़ीसा और मध्य प्रदेश में महानदी घाटी कोयला बेसिन (4 परियोजनाएं)।
4. मध्य प्रदेश में सोन घाटी बेसिन (2 परियोजनाएं)।
5. महाराष्ट्र में वर्धा घाटी कोयला बेसिन।
6. आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी कोयला बेसिन।
7. तमिलनाडु में बस्ट कोस्ट लिग्नाइट फील्ड।
8. राजस्थान और गुजरात में वेस्ट कोस्ट लिग्नाइट फील्ड।

कर्नाटक में टी०वी० प्रसारण केन्द्र

1024. **श्री वी० धनंजय कुमार :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में टी०वी० प्रसारण केन्द्र कहां-कहां पर स्थित हैं और इनकी क्षमता क्या है;

(ख) क्या दक्षिण कन्नड़ जिले में बेलथामगढ़ी सुविधा और पुत्तूर तालुकों को टी०वी० प्रसारण सीमा क्षेत्र से बाहर रखा गया है;

(ग) क्या सरकार को पुत्तूर में एक प्रसारण केन्द्र स्थापित करके इन क्षेत्रों को टी०वी० प्रसारण सीमा क्षेत्र में शामिल करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) कर्नाटक जिले दक्षिण कन्नड़ में मौजूदा टी०वी० नेटवर्क में तीन अल्प शक्ति टी० वी० ट्रान्समीटर अर्थात् मंगलौर, उडिप्पी तथा बंतवाल में एक-एक, जिले के बेलतानगढ़ी, सुलिया तथा पुत्तूर तालुकों को इन ट्रान्समीटरों से बीच की दूरी अधिक होने के कारण दूरदर्शन सेवा प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है। जिले के इन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जिले में दूरदर्शन सेवा को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से पर्याप्त साधनों तथा परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए मंगलौर में मौजूदा अल्प शक्ति टी०वी० ट्रान्समीटर को उच्च शक्ति टी०

वी० ट्रान्समीटर में बदलने की परिकल्पना है। इस ट्रान्समीटर के चालू हो जाने पर बेलतानगढ़ी सुलिया तथा पुत्तूर तालुकों सहित समूचे दक्षिण कन्नड़ जिले को दूरदर्शन सेवा प्राप्त हो जाने की उम्मीद है।

विवरण

कर्नाटक में टी०वी० ट्रांसमीटर

क्रमसं०	ट्रान्समीटर का स्थान	ट्रान्समीटर की शक्ति
1	2	3
1.	बंगलौर	10 कि०वा०
2.	गुलबर्गा	1 कि०वा०
3.	शिमोगा	10 कि०वा०
4.	अथानी	100 वा०
5.	बंतवाल	100 वा०
6.	बीदर	100 वा०
7.	बेलगांव	100 वा०
8.	बेल्लारी	100 वा०
9.	बीजापुर	100 वा०
10.	चित्रदुर्ग	100 वा०
11.	धारवाड़	100 वा०
12.	चिकमंगलूर	100 वा०
13.	दावणगेरे	100 वा०
14.	चिकोडी	100 वा०
15.	गडग बेतागेरी	100 वा०
16.	संडूर	100 वा०
17.	हसन	100 वा०
18.	हास्पेट	100 वा०

1	2	3
19.	कोलार गोल्ड फील्ड	100 वा०
20.	कारवाड़	100 वा०
21.	मादीकेरी	100 वा०
22.	रानी बेन्नूर	100 वा०
23.	मगलौर	100 वा०
24.	मैसूर	100 वा०
25.	सिरसी	100 वा०
26.	रायचूर	100 वा०
27.	तिपतूर	100 वा०
28.	उडिपी	100 वा०

आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

1025. **श्री वी०एन० रेड्डी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) योजनावधि के दौरान प्रत्येक योजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार ने 17 बृहद निर्माणाधीन पूर्व आठवीं योजना परियोजनाओं जिनकी नवीनतम अनुमानित लागत लगभग 5778.5 करोड़ रुपए है तथा 7 नयी बृहद परियोजनाओं जिनकी अनुमानित लागत लगभग 4685.5 करोड़ रुपए है, को आठवीं योजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) योजना आयोग बृहद और मध्यम सिंचाई के लिए आठवीं योजना के दौरान 2066.78 करोड़ रुपए के परिव्यय के लिए सहमत हो गया है। इसमें से लगभग 1749 करोड़ रुपए निर्माणाधीन बृहद स्कीमों के लिए हैं तथा 33 करोड़ रुपए नयी परियोजनाओं के लिए हैं।

विभिन्न विमानपत्तनों पर यात्री यातायात में वृद्धि

1026. श्री बलराज पासी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय यात्री-वार, विभिन्न विमानपत्तनों पर यात्री-यातायात में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) बढ़े हुए यात्री-यातायात की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) उठाए जाने वाले कदमों में नए टर्मिनल काम्प्लेक्सों का निर्माण, धावनपथों, तीव्रता से बाहर निकलने के लिए टैक्सी पथों और एप्रनों का विस्तार तथा जहां भी आवश्यक और व्यवहार्य हो, हवाई अड्डों, हवाई यातायात नियंत्रण और संचार प्रणालियों का आधुनिकीकरण सम्मिलित हैं ।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या

क्रमसं०	हवाई अड्डे	1989-90		1990-91		1991-92	
		अंतर्देशीय	अंतरराष्ट्रीय	अंतर्देशीय	अंतरराष्ट्रीय	अंतर्देशीय	अंतरराष्ट्रीय
1.	बम्बई	4459285	3885379	3764208	3877987	4215328	3737588
2.	दिल्ली	3719117	2312750	2995224	2171308	2974938	2191275
3.	कलकत्ता	1999426	391845	1714747	360336	1721846	439135
4.	मद्रास	1529646	418475	1257407	470771	1361313	620393
5.	त्रिवेन्द्रम	598794*	252108*	269964	273683	205777	427266

*कैलेण्डर वर्ष 1989

1991-92 के आंकड़े अनंतिम हैं।

"कलकत्ता टेलीफोन्स" निजी पार्टियों को सौंपना

1027. श्री बीर सिंह महतो :
　　श्री चित्त बसु :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कलकत्ता टेलीफोन्स" को निजी कम्पनियों के एक समूह को सौंपने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है; और

(ग) कम्पनियों के नामों सहित पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

पर्यटन स्थलों के विकास हेतु विदेशों से प्रस्ताव

1028. श्री सत्यदेव सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिये विदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में जगदीशपुर में विद्युत ग्रिड

1029. श्री तेजनारायण सिंह : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार में जगदीशपुर में विद्युत ग्रिड स्थापित करने हेतु आबंटित राशि का अपना हिस्सा दे दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह राशि कब तक दे दी जायगी ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विद्युत मन्त्रालय ने बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में क्रियान्वयन हेतु कोई पारेषण परियोजना हाथ में नहीं ली है।

[अनुवाद]

डाक सेवा हेतु विमान

1030. **प्रो० राम कापसे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग का विचार मुम्बई, मद्रास, नई दिल्ली और कलकत्ता में शीघ्र डाक पहुंचाने हेतु रात्रि डाक सेवा चलाने के लिए विमान खरीदने का है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अनुमानित व्यय कितना होगा; और

(घ) यह व्यवस्था कब तक शुरू कर दी जाएगी ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की कमी

1031. **डा० सुधीर राय** : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में लम्बे समय से विद्युत की समस्या चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वी क्षेत्र को अन्य अतिरिक्त विद्युत उपलब्धता वाले क्षेत्रों से विद्युत उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल-अक्तूबर, 92 की अवधि के दौरान पूर्वी क्षेत्र मे 20955 मिलियन यूनिट ऊर्जा की आवश्यकता थी इसकी अपेक्षा 16858 मिलियन यूनिट ऊर्जा उपलब्ध थी जोकि 4097 मिलियन यूनिट (19.6%) ऊर्जा की कमी का द्योतक है।

(ख) और (ग) पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की कमी की परिस्थितियों से राहत के लिए दिन प्रतिदिन विद्युत की उपलब्धता और प्रणालीगत परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी तथा उत्तर-पूर्वी निकटवर्ती क्षेत्रों से विद्युत उपलब्ध करा कर सहायता प्रदान की गई थी। अप्रैल-

अक्तूबर, 92 के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा निम्नवत है :—

निम्नलिखित क्षेत्रों से पूर्वी क्षेत्र को सहायता	मिलियन यूनिट (मि० यू०)
उत्तरी क्षेत्र	169.2
पश्चिमी क्षेत्र	87.1
दक्षिणी क्षेत्र	9.8
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	63 9

दिल्ली में अस्थायी कनेक्शन

1032. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन के अस्थायी कनेक्शनों की स्वीकृति देने के लिये निर्धारित मार्गनिर्देश और मानदण्ड क्या हैं;

(ख) टेलीफोन के अस्थायी कनेक्शन की स्वीकृति देने में कम से कम कितना समय लगता है;

(ग) टेलीफोन के अस्थायी कनेक्शनों की समयावधि को कितनी बार बढ़ाया जाता है अथवा पुन: स्वीकृति दी जाती है; और

(घ) अक्तूबर, 1992 के दौरान दिल्ली में टेलीफोन के कितने अस्थायी कनेक्शन दिये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन बीमारी, समारोह, सेमीनार, प्रदर्शनी आदि के आधार आवेदकों की अस्थायी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए जाते हैं। ऐसे कनेक्शन उपर्युक्त आवश्यकता की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तत्काल मंजूर किए जाते हैं।

(ग) समान्यतया अस्थायी कनेक्शनों की मंजूरी/उनकी अवधि बढ़ाने की मंजूरी/उनकी पुन: मंजूरी अधिकतम 4 वर्ष के लिए दी जाती है।

(घ) अक्तूबर, 1992 के दौरान दिल्ली में 641 अस्थायी कनेक्शन मंजूर किए गए।

दिल्ली दूरदर्शन में समाचार वाचक

1033. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में स्थायी तथा नैमित्तिक समाचार वाचकों की संख्या कितनी है;

(ख) नैमित्तिक समाचार वाचकों को कितनी धन-राशि का भुगतान किया जाता है;

(ग) क्या दूरदर्शन कर्मचारियों ने वेतन, काम की स्थितियों और अन्य लाभों के सम्बन्ध में कोई मांग प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दिल्ली दूरदर्शन में चार नियमित कर्मचारी और 44 नैमित्तिक आर्टिस्ट समाचार वाचन का कार्य कर रहे हैं।

(ख) नैमित्तिक समाचार वाचकों को राष्ट्रीय बुलेटिन के लिए प्रति एसाइनमेन्ट के लिए 500 रुपये और क्षेत्रीय बुलेटिनों के लिए प्रति एसाइनमेंट के लिए 500/- रुपए और क्षेत्रीय बुलेटिनों के लिए प्रति एसाइनमेंट के लिए 250/- रुपये की दर से भुगतान किया जाता है।

(ग) सरकार को दिल्ली दूरदर्शन में समाचार वाचकों की ऐसी किसी यूनियन के बारे में जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन मामलों के निपटान के लिए खुली अदालत

1034. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :**
श्री अमल दत्त :
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में "कलकत्ता टेलीफोन्स (दक्षिण क्षेत्र)" की प्रथम खुली अदालत में निपटाये गए मामलों की संख्या तथा उसमें उठाए गए मुख्य मुद्दे क्या-क्या थे?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : अभी हाल में कलकत्ता टेलीफोन (दक्षिण क्षेत्र) के खुले सत्र में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे उठाए गए थे :—

(एक) बिल बनाने से संबंधित समस्याएं अर्थात अधिक राशि के बिल बनाना, बिलों का भुगतान न होने पर टेलीफोन काटने से पूर्व नोटिस जारी करना और एक्सचेंजों में चेक संकलन बाक्स की व्यवस्था करना।

(दो) वाणिज्यिक अधिकारियों से मिलने में समस्याएं।

(तीन) अधीनस्थ स्टाफ का असहयोगी रवैया।

(चार) शिकायतों को दूर करने के लिए, संबंधित अधिकारियों से मिलने के समय भेंट करने में असुविधा।

कुल मिलाकर 168 उपभोक्ताओं से खराब टेलीफोनों के बारे में अलग-अलग शिकायतें प्राप्त हुई और इन शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। कार्य आदेशों को कार्य रूप न देने के बारे में 41 विशेष शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसमें से 7 कार्य आदेशों को पहले ही निपटाया जा चुका है और शेष कार्य आदेशों को पूरा करने के लिए कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

दिल्ली में ओ० बी० जारी होने के पश्चात टेलीफोन कनेक्शन देना

1035. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बावजूद तथा ओ० बी० नम्बर जारी किए जाने के बाद भी अपने प्रयोक्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली में ऐसे कितने मामले, एक्सचेंज-वार लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इन सभी मामलों में, कब तक सबको टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) अधिकांश टेलीफोन ओ० बी० जारी होने के बाद मानदंडों के अन्तर्गत ही सस्थापित किए गए हैं। जिन गैर-व्यवहार्य क्षेत्रों में बाह्य नेटवर्क में पर्याप्त केबल जोड़े उपलब्ध नहीं होते हैं उन क्षेत्रों से संबधित कुछेक ओ०बी० जारी होने के बाद टेलीफोन प्रदान करने मे तीन महीने से भी अधिक समय लग जाता है।

(ग) इस संबध में एक विवरण सलग्न है।

(घ) मार्च, 1993 के अन्त तक सभी विचाराधीन मामलों को निपटाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

3 महीने से अधिक समय तक विलंबित ओ०बी० की क्षेत्रवार और एक्सचेंज-वार संख्या दिखाने वाला विवरण।

क्षेत्र	एक्सचेंज का नाम	लंबित ओ०बी० की संख्या
1	2	3
केन्द्रीय	दिल्ली गेट	80

1	2		3
पूर्व	शाहदरा/यमुना विहार		594
	लक्ष्मीनगर मयूर विहार		440
	ईदगाह		108
		योग :	1222
उत्तर	तीस हजारी		80
	शक्तिनगर		1322
	केशवपुरम		46
	नरेला		38
	अलीपुर		14
	बादली		122
		योग :	1746
दक्षिण	नेहरू प्लेस		684
	ओखला		283
	हौजखास		200
		योग :	1167
पश्चिम	राजौरी गार्डन		153
	करोलबाग		592
	दिल्ली कैंट और शादीपुर		32
	जनकपुरी		115
	नजफगढ़		153

1	2		3
	नांगलोई		34
	हरिनगर		28
		योग :	1107
	सकल योग :	5242	

मध्य प्रदेश में बिजली क्षमता

1036. **श्री खेलन राम जांगड़** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, मध्य प्रदेश में प्रत्येक बिजलीघर में वर्ष-वार विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य में बिजलीघरों की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) मध्य प्रदेश में विद्युत केन्द्रवार विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट) में वृद्धि निम्नवत है :—

विद्युत केन्द्र	विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट) में वृद्धि		
	1989-90	1990-91	1991-92
ताप विद्युत केन्द्र			
विन्ध्याचल (एन० टी० पी० सी०)	420	210	0.0
जल विद्युत			
बाण सागर	0.0	0.0	105.0
बीरसिंगपुर	0.0	0.0	20.0

(ख) तथा (ग) मध्य प्रदेश की वे विद्युत परियोजनाएं जिन्हें अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है

तथा जिन्हें केन्द्रीय प्राधिकरण ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। तथा आठवीं योजना अवधि के दौरान जिनसे लाभ प्राप्त हो जाने की प्रत्याशा है उनका ब्यौरा निम्नवत है :—

बीरसिंगपुर यूनिट 1 व 2	म०प्र० ताप	राज्य क्षेत्र	420.0	420.0
पेंच टी० पी० बी०	म०प्र० ताप	राज्य क्षेत्र	420.0	420.0
बीरसिंगपुर विस्तार	म०प्र० ताप	राज्य क्षेत्र	420.0	420.0
बाणसागर टोन	म०प्र० जल	राज्य क्षेत्र	30.0	30.0
बाणसागर टोन	म०प्र० जल	राज्य क्षेत्र	60.0	60.0
हासदेओ बांगो	म०प्र० जल	राज्य क्षेत्र	120.0	120.0
टावा एल.बी.सी. एच.ई.पी.	म०प्र० जल	राज्य क्षेत्र	12.0	12.0
राजघाट (50%)	म०प्र० जल	राज्य क्षेत्र	22.5	22.5
सरदार सरोवर (57%)	म०प्र० जल	राज्य क्षेत्र	285.0	285.0
सरदार सरोवर (57%)	म०प्र० जल	राज्य क्षेत्र	541.5	541.5
बाणसागर टोन-4	म०प्र० जल	के० क्षेत्र	20.0	20.0
कुल जोड़ :			2351.0	2351.0

ताप=ताप विद्युत

जल=जल विद्युत

रा० क्षे०=राज्य क्षेत्र

के० क्षे०=केन्द्रीय क्षेत्र

[अनुवाद]

दूरसंचार विभाग में राजस्व हानि

1037. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक नीति अपनाई है जिसके अनुसार दूरसंचार विभाग को हुई राजस्व की हानि के लिए स्टाफ सदस्यों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस हानि के लिए कितने मामलों में उत्तरदायित्व निर्धारण कर दिया है; और

(ग) इस कदम से विभाग में किस हद तक कार्यकुशलता बढ़ी है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) यदि विभाग को हुई किसी आर्थिक हानि के सिलसिले में किसी कर्मचारी को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है तो उस दशा में अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत उससे पैसा वसूल करने सम्बन्धी उपबन्ध पहले ही विद्यमान है। हाल ही में इस सम्बन्ध में अन्य कोई नीति अपनाई गई है ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को प्राप्त वाणिज्यिक आय

1038. **श्री के० तुलसिऐया वांडायार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन तथा आकाशवाणी में विभिन्न श्रेणियों की वर्तमान विज्ञापन दरें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में विज्ञापन की दरों को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) आकाशवाणी पर विज्ञापनों की दरें (30 सैकेण्ड की स्पाट खरीद) चैनल/श्रेणी पर निर्भर करते हुए 90/- से 900/- रुपए तक है तथा दूरदर्शन के मामले में दरें 500 रुपए से 1.30 लाख रुपए (10 सैकेण्ड की स्पाट खरीद) है ।

(ख) और (ग) दरें (i) कवरेज क्षेत्र/श्रोताओं के सम्भावित आकार (ii) कार्यक्रम निर्माण की लागत में वृद्धि और ग्राहक सेवा और (ii) विशेष स्लाटों के लिए विज्ञापनदाताओं की मांग पर निर्भर करते हुए समय-समय संशोधित की जाती है ।

[हिन्दी]

चांडिल ताप विद्युत परियोजना

1039. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** :
श्री रामटहल चौधरी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चांडिल ताप विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन निजी क्षेत्र द्वारा किए गए पूंजी निवेश के माध्यम से कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) बिहार में चांदील में 2 × 250 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना को आर० पी० जी० इण्टरप्राइजेज लि० द्वारा 1 37 करोड़ रुपए की अनुमानित लागतों पर निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है । इस समय परियोजना को 1996-97 तक चालू कर दिए जाने का कार्यक्रम है ।

[अनुवाद]

होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में लाभ/घाटा

1040. श्री के० वी० तंगकाबालू : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के पास कितने होटल हैं;

(ख) होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया के होटल को पिछले तीन वर्षों में कितना लाभ/हानि हुई;

(ग) क्या सरकार के पास होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का और अभि विस्तार करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(क) भारतीय होटल निगम के होटलों की संख्या चार है । भारतीय होटल निगम, जापान के होक्के क्लब के सहयोग से राजगिर पर सैंटार होक्के होटल चला रहा है ।

(ख) भारतीय होटल निगम के पिछले तीन वर्षों के लाभ और हानि के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

भारतीय होटल निगम के लाभ/(हानि)

1989-90 (934.12 लाख रुपये)

1990-91 (1483.42 लाख रुपये)

1991-92 (1381.26 लाख रुपये)

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास

1041. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा भविष्य में बनाई जाने वाली संभावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से केन्द्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने मे कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पर्यटन का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है और यह जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ वित्तीय सहायता देता है।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से 5 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों हेतु निर्धारित 163.24 लाख रुपए की राशि में से 3.58 लाख रुपए की राशि स्वीकृति करके अवमुक्त की गई है।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटक सुविधाएं बढ़ाई हैं। संभावित पर्यटकों मे पर्यटक जानकारी का प्रचार करने के लिए नियमित प्रचार कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि अधिसंख्य विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट किया जा सके।

देश में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज

1042. डा० परशुराम गंगवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1991-92 के दौरान स्थापित किए गए इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितने एक्सचेंज खराब पड़े हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) शून्य।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में वर्ष 1991-92 के दौरान स्थापित इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की सूची

क्रम सं०	राज्य का नाम	1991-92 के दौरान स्थापित इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	403
2.	असम	76
3.	मणिपुर	6
4.	मेघालय	8
5.	मिजोरम	5
6.	नागालैंड	11
7.	त्रिपुरा	9
8.	अरुणाचल प्रदेश	8
9.	बिहार	51
10.	गुजरात (दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दिव संघ राज्य क्षेत्रों सहित)	211
11.	हरियाणा	150
12.	हिमाचल	78
13.	जम्मू व कश्मीर	23

1	2	3
	14. कर्नाटक	376
	15. केरल (लक्षद्वीप संघ राज्य सहित)	155
	16 मध्य प्रदेश	539
	17. महाराष्ट्र (गोवा सहित)	326
	18. पंजाब (चण्डीगढ़ संघ राज्य सहित)	129
	19. राजस्थान	131
	20. तमिलनाडु (पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित)	193
	21. उत्तर प्रदेश	285
	22. उड़ीसा	150
	23. पश्चिम बंगाल (अण्डमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्र सहित)	135
	24. सिक्किम	6
	25. दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	10

[अनुवाद]

नेशनल स्पीड पोस्ट नेटवर्क

1043. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नेशनल स्पीड पोस्ट नेटवर्क में विभिन्न राज्यों के 500 कि.मी. और इससे अधिक दूरी के नए केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्पीड पोस्ट के साथ जोड़ने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार अगले निश्चित स्थान चार्ट आई० (सी० बी०) के लिए कमीशन के आधार पर स्पीड पोस्ट के प्राइवेट प्रतिनिधि नियुक्त करने का है; और

(ग) अन्य प्राइवेट कूरियर सेवाओं की तुलना में स्पीड पोस्ट की प्रगति रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) राष्ट्रीय नेटवर्क के अन्तर्गत नए स्पीड पोस्ट केन्द्र खोलना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी किसी स्थान को स्पीड पोस्ट के साथ जोड़ने का प्रस्ताव प्राप्त होता है, तब उसकी नियमित परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता और वाणिज्यिक एवं मार्केट की व्यवहार्यता को मद्देनजर रखते हुए जांच की जाती है।

(ख) स्पीड पोस्ट के लिए कमीशन आधार पर प्राइवेट प्रतिनिधि नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) 1986 में सबसे स्पीड पोस्ट की शुरूआत हुई, तबसे इसका परियात 371.61 प्रतिशत और राजस्व 585.63 प्रतिशत हो गया है। सरकार के पास अन्य प्राइवेट कूरियर सेवाओं के कारोबार के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है जिससे वे दोनों सेवाओं के बीच किसी प्रकार का तुलनात्मक विश्लेषण कर सके।

उड़ीसा में वैतरणी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना

1044. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने वैतरणी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है; और

(ग) संघ सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने दो चरणों में भीमकुण्ड बहु-प्रयोजनी परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव किया था चरण-I के लिए परियोजना रिपोर्ट, जिसमें वैतरणी नदी पर निओपाड़ा पर एक बांध तथा क्रमश: 48 मेगावाट और 345 मेगावाट की स्थापित क्षमता के दो विद्युतघरों के निर्माण और 328.15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर वैतरणी डेल्टा में 1400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बाढ़ लाभ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, स्वीकृति के लिए जून, 1980 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। जांच के बाद, परियोजना रिपोर्ट को संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते अक्तूबर, 1983 में राज्य सरकार को लौटा दिया गया था। केन्द्र में संशोधित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना का चरण-2 प्राप्त नहीं हुआ है।

स्पीड पोस्ट कारपोरेशन

1045. **श्री शरद दिघे :**
श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पृथक स्पीड पोस्ट कारपोरेशन स्थापित किए जाने सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है।

राजस्थान के रणकपुर तथा भीलवाड़ा को वायुमार्ग से जोड़ना

1046. श्री गुमान मल लोढा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के रणकपुर और भीलवाड़ा के लिए वायुदूत सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से वायुदूत के लिए वर्तमान में किसी नए स्टेशन को विमान से जोड़ना सभव नहीं है।

[हिन्दी]

नदी बेसिन विकास योजना

1047. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में नदी घाटी के समग्र विकास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे संस्थाएं बनाने से पूर्व राज्य सरकारों से सलाह ली गयी है;

(घ) विभिन्न नदी बेसिनों में जल क्षमता का उपयोग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन नदी बेसिन संगठनों को कितनी राशि नियत की गयी है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) वर्ष 1987 में अपनायी गयी राष्ट्रीय जल नीति में, समग्र रूप से, नदी बेसिन के योजनाबद्ध विकास और प्रबन्ध के लिए उपयुक्त संगठन स्थापित करने की सिफारिश की है। विभिन्न मंचों पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद, देश में नदी बेसिन संगठनों का गठन करने के लिए इस विषय पर नीति टिप्पण तैयार किया गया है। जुलाई, 1992 में राष्ट्रीय जल बोर्ड की चौथी बैठक में इस पर विचार किया गया था। जैसाकि बैठक में निर्णय लिया गया था, इसे सभी राज्य सरकारों को उनकी जांच और टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

असम में विद्युतीकरण

1048. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में विद्युतीकरण की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्य को कितनी सहायता मंजूर की गई और वास्तव में कितनी सहायता दी गई ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के के अनुसार असम में 21,995 आबाद गांवों (1971 की जनगणना के अनुसार) में से 21464 गांवों का 31-3-92 तक विद्युतीकरण कर दिया गया है इस प्रकार असम में विद्युतीकरण की प्रतिशतता 98 प्रतिशत हो गई है जोकि अखिल भारत औसत 84 प्रतिशत से अधिक है।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण के लिए योजनागत आबंटन और 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान असम राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इसके समुपयोजन का ब्योरा निम्नवत है :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	ग्राम विद्युतीकरण के लिए योजनागत आबंटन	समुपयोजन
1990-91	1510	1510
1991-92	850	600

महानगरों में टेलीफोन संबंधी शिकायतें

1049. श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री शरद यादव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के महानगरों में टेलीफोन सेवाओं के परिचालन के संबंध में जनता की क्या-क्या परेशानियां/आम शिकायतें हैं;

(ख) उपभोक्ताओं द्वारा औसतन की जाने वाली शिकायतों की संख्या क्या है तथा शिकायतों की प्रकृति क्या हैं; और

(ग) देश में टेलीफोन सेवाओं के सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगेया नायडू) : (क) अन्य शिकायतों में, ये शिकायतें मुख्यतया टेलीफोन की खराबियों और इन खराबियों को दूर करने और अधिक राशि के बिल बनाने के बारे में थी।

(ख) चार महानगरों से संबंधित 1991-92 के ब्यौरे इस प्रकार हैं—

शहर का नाम	31-3-92 को डी०ई०एल० की संख्या	प्रति 100 स्टेशन/प्रतिमाह दोषों की संख्या	अधिक राशि के बिल जारी करने संबंधी बिलों का प्रतिशत
बम्बई	791222	19.4	0.52
कलकत्ता	274426	18.2	0.1
दिल्ली	605272	22.6	0.40
मद्रास	186473	27.0	0.56

(ग) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन तथा अनुरक्षण में सुधार करने के लिए विभाग ने निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं :

(एक) पुराने टेलीफोन मेकेनिकल एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाना।

(दो) पुराने टेलीफोन उपकरणों को नए उपकरणों द्वारा बदलना।

(तीन) दोषयुक्त केबिलों को बदलना।

(चार) भारी ऊपरी संरेषण लाइनों के स्थान पर भूमिगत केबिलें बिछाना।

(पांच) बड़े शहरों में केबिल डक्ट की व्यवस्था करना।

(छः) विभाग के स्टाफ को ग्राहकोन्मुख प्रशिक्षण देना।

(सात) इन सेवाओं का कंप्यूटरीकरण :

(क) दोष बुकिंग तथा मरम्मत सेवाएं;

(ख) बिलिंग; और

(ग) विशेष सेवाएं।

सरकारी क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन

1050. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्य के मुकाबले सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात संयंत्रों में उत्पादन गिर गया है;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, 1992 के अन्त तक प्रत्येक इस्पात संयंत्र का माहवार कार्य-निष्पादन कितना रहा; और

(ग) सरकार द्वारा अड़चनों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि प्रत्येक संयंत्र प्रतिमाह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, "इस्को" तथा विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र में आई कुछ गिरावटों को छोड़कर अप्रैल-अक्तूबर, 1992 की अवधि में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में बिक्रेय इस्पात का उत्पादन कुल मिलाकर लक्ष्य के अनुरूप रहा। ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अड़चनों का पता लगाया गया है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम उठाए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं :—

(i) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन में गिरावट का कारण मुख्यत: धमन भट्टी नं० 4 और 1 जिनका आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्निर्माण किया जाना है, की खराब स्थिति के साथ-साथ आधुनिकीकरण के पश्चात धमन भट्टी नं० 2 को चालू करने में विलम्ब का होना है। धमन भट्ठी न० 2 को शीघ्र चालू करने के लिए कार्य योजना बनाई गयी है।

(ii) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड में उत्पादन में गिरावट का कारण इस्पात गलन शाला में आ रही प्रचालन सम्बन्धी समस्याओं और बेलन मिलों के लिए आरम्भ सामग्री की कमी का होना है। उपचारात्मक कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप इस्पात गलन शाला में उत्पादन स्थिर

हो गया है और अनुषंगी संयंत्रों से बेलन मिलों के लिए भरण सामग्री को बढ़ाने हेतु कार्रवाई की गयी है।

(iii) विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र में उत्पादन इकाइयां इस समय स्थिरीकरण की प्रक्रिया में हैं। वर्ष के दौरान चरण-1 की इकाइयों के स्थिरीकरण तथा चरण-2 की इकाइयों से सम्बन्धित निर्माण कार्यकलापों की पुनरावृत्ति के कारण उत्पन्न समस्याओं से उत्पादन लक्ष्य के अनुरूप नहीं हुआ। तथापि, उत्पादन बढ़ रहा है। गत्यावरोधों को समाप्त करने और उत्पादन को इष्टतम स्तर पर स्थिर करने के लिए प्रबंधन ने कदम उठाए हैं जिनमें विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त करना भी शामिल है।

विवरण

अप्रैल से अक्तूबर, 1992 के दौरान माह-वार कार्य निष्पादन दर्शाने वाला विवरण

(इकाई हजार टन)

ए/संयंत्र	अप्रैल, 92		मई, 92		जून, 92		जुलाई, 92		अगस्त, 92		सितम्बर, 92		अक्तूबर, 92		अप्रैल-अक्तूबर, 92 योग	
	लक्ष्य	वास्त-विक	लक्ष्य	वास्त-विक	लक्ष्य	वास्त-विक	लक्ष्य	वास्त-विक	लक्ष्य	वास्त-विक	लक्ष्य	वास्त-विक	लक्ष्य	वास्त-विक	लक्ष्य	वास्त-विक
विक्रय इस्पात																
बी.एस.पी.	221	238	228	244.2	213	225.3	248	245.1	266	264.8	256	257.1	266.0	264.8	1698	1739
डी.एस.पी.	46	40	63	45.5	59	58.1	62	51	62	52	61	54.2	53.0	55	406	356
आर.एस.पी.	77	78.6	76	82.2	70	79.1	85	92.2	94	101.3	98	100.1	95.0	102.2	590	636
बी.एस.एल.	232	236.8	237	241.5	235	237.1	245	245.1	218	220.5	238	238.1	267.0	260.1	1672	1679
इस्को	31	30.5	33	30.3	31	27.1	33	28.5	33	34.5	35	31.4	36.0	34	232	216
सेल (कुल)	607	623.9	637	643.7	608	626.7	673	661.9	673	673.1	658	680.9	717.0	716.1	4598	4626
वी.एस.पी.	95	43	95	70	95	64	100	76	115	52	150	80	155.0	83	780	446
सर्व-योग	702	666.9	732	713.7	703	690.7	773	737.9	788	725.1	838	760.9	872	799.1	5378	5072

दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

1051. डा० विश्वनाथम् कंनिथी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान पूरे श्रीकाकुलम क्षेत्र को दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र में शामिल करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इस समय देश की लगभग 93.4% शहरी जनसंख्या की तुलना में अनुमानित 78.1 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है। इन कवरेज आंकड़ों में किनारे के उन क्षेत्रों की जनसंख्या शामिल है, जहां संतोषजनक रिसेप्शन प्राप्त करने के लिए ऊंचे एंटीने और बूस्टर लगाने अपेक्षित होते हैं।

(ख) और (ग) यद्यपि, श्रीकाकुलम जिले में 1992-93 के दौरान दूरदर्शन सेवा सुदृढ़ करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं की दिशा में कोई भी कदम साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध ढंग से उठाया जा सकता है।

महानगरों में टेलीफोन स्थानांतरित करना

1052. श्री जगबीर सिंह वरोण :
श्री गुरुदास कामत :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अन्तर्गत महानगरों में टेलीफोन स्थानांतरित करने में छह महीनों से अधिक लगते हैं;

(ख) क्या दोनों स्थानों पर टेलीफोन उस समय तक निष्क्रिय रहता है जब तक कि स्थानांतरण के अनुरोध के पश्चात् उन्हें दूसरे स्थान पर नहीं लगा दिया जाता;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन लिमिटेड इस निष्क्रियता की अवधि के लिए भी शुल्क वसूल कर रहा है जिसमें उसने कोई टेलीफोन सेवा प्रदान नहीं की;

(घ) क्या सरकार ने उस अवधि का टेलीफोन शुल्क माफ करने का कोई निर्णय लिया है जिसमें टेलीफोन खराब/निष्क्रिय रहता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, नहीं। तकनीकी अड़चनों के कारण कुछ मामलों में विलंब होता है, ऐसे मामलों को छोड़कर, टेलीफोन शिफ्ट करने संबंधी अनुरोधों को वाजिब समय के भीतर निपटाया जाता है।

(ख) जी, नहीं। टेलीफोन शिफ्ट करने के उन मामलों में ही टेलीफोन काम नहीं करते जिसमें कि उपभोक्ता विशेषरूप से अनुरोध करते हैं, अन्यथा टेलीफोन पहले के स्थान पर काम करते रहते हैं।

(ग) जी, नहीं। किराए में छूट तब दी जाती है यदि स्थानांतरण के दौरान निष्क्रियता की अवधि विभागीय कारणों से 15 दिन से अधिक हो।

(घ) और (ङ) जी, हां। प्रोराटा छूट तभी दी जाती है जब कभी कोई टेलीफोन विभागीय कारणों से 7 दिन या इससे अधिक समय से लगातार खराब पड़ा रहता है। यदि कोई टेलीफोन विभागीय कारणों से 14 दिन या इससे अधिक समय से खराब पड़ा रहता है तो मासिक किराया माफ करने सम्बन्धी निर्णय भी किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

गुजरात के वन क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली

1053. **श्री चन्दुभाई देशमुख** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गुजरात के बड़ोदरा जिले के वन क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का पहाड़ी क्षेत्रों में सूक्ष्म तरंग प्रणाली की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) बड़ोदरा के ग्रामीण तथा वन क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों और आधुनिक संचारण माध्यम जैसे ओ०एफ०सी०, एम०ए०आर०

आर० और यू०एच०एफ० प्रणालियों की संस्थापना करके, दूरसंचार प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी हां। चूंकि बदोदरा जिले में कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, अतः फिलहाल बदोरारा में माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां कहीं भी यह आवश्यक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, वहां समुचित समय आने पर यह प्रणाली प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास

1054. श्री के०वी०आर० चौधरी
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से राज्य में पर्यटन स्थलों के विकासार्थ हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ 1992-93 के दौरान अभी तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए चौदह प्रस्ताव नवम्बर, 1992 में ही मिले हैं। इन प्रस्तावों को संलग्न विवरण में सूचीबद्ध किया गया है। राज्य के लिए 1992-93 हेतु 130.00 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	प्रस्ताव का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	मेडक में पर्यटक गृह
2.	श्रीसैलम में वन गृह

1	2
3.	विशाखापत्तनम के लिए पैदल भ्रमण उपकरण
4.	तिरूपति के लिए पैदल भ्रमण उपकरण
5.	राजामुन्द्री के लिए जल-क्रीड़ा उपकरण
6.	कोल्लेरू के लिए जल-क्रीड़ा उपकरण
7.	होर्सले पहाड़ी पर टैन्टों में आवास
8.	विशाखापत्तनम में टैन्टों में आवास
9.	हैदराबाद में बौद्ध प्रतिमा पर दीपसज्जा
10.	टैंकबांध, हैदराबाद के प्रवेश-द्वार पर मेहराबों पर दीपसज्जा
11.	हुसैनसागर झील, हैदराबाद में परिभ्रमण हेतु नौका
12.	विशाखापत्तनम में पर्यटक परिसर
13.	दक्षिण उत्सव
14.	आन्ध्र खाद्य उत्सव

उरी विद्युत परियोजना

1055. **श्री गुरुदास कामत** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में उरी विद्युत परियोजना में कार्यरत कुछ विदेशियों ने इस परियोजना से निकलने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) स्वीडन-यू०के० व्यापार संघ, जिसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लि० ने जम्मू तथा कश्मीर की उरी जल विद्युत परियोजना को टर्न-की आधार पर क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा है, ने एन०एच०पी०सी० अथवा भारत सरकार को परियोजना से अलग होने के बारे में अपनी इच्छा यदि हो, से अवगत नहीं कराया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बालासोर में डाकघर भवन

1056. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में, विशेषरूप से बालासोर में संशोधित अनुमानों तथा योजना के अनुसार डाकघरों के लिए विभाग के भवनों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) से (ग) बालासोर जिले में तीन विभागीय डाकघर भवन परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है : –

(i) बांता डाकघर :

बांता डाकघर का निर्माण करने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दे दी गई है और किसी ठेकेदार को निर्माण कार्य सौंपने के लिए टेंडर मंगाने के लिए भी नोटिस जारी कर दिया गया है। इस परियोजना में विलम्ब, भूमि सम्बन्धी विवाद के कारण हुआ जिसे अब सुलझा लिया गया है।

(ii) बालेश्वर डाकघर :

इस परियोजना का काम चल रहा है और इसका 55 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 26 लाख रु० है।

(iii) बालासोर प्रधान डाकघर :

बालासोर प्रधान डाकघर भवन के विस्तार कार्य की मंजूरी दे दी गई है जिसकी अनुमानित लागत 25.6 लाख रु० है। टेंडर आमन्त्रित करने के बाद निर्माण कार्य सौंपा जाना है।

[हिन्दी]

हरियाणा को विश्व बैंक सहायता

1057. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में जल संसाधनों के विकास के लिए दी गयी विश्व बैंक से प्राप्त सहायता में से कितने प्रतिशत धनराशि खर्च की गयी है; और

(ख) भविष्य में जल संसाधन के विकास कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) हरियाणा सरकार ने विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त हरियाणा सिंचाई-I परियोजना के अन्तर्गत कुल ऋण का 100 प्रतिशत और हरियाया सिंचाई-II परियोजना के अन्तर्गत कुल संशोधित ऋण का 100 प्रतिशत उपयोग किया है। हरियाणा राज्य हाल ही में अतिरिक्त सहभागी राज्य के रूप में राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना में शामिल हुआ है और उनकी स्कीम 50.00 करोड़ रुपए की सहायता के लिए 23-6-92 को अनुमोदित की गयी है, राज्य सरकार द्वारा दी गयी सूचना की तुलना में सितम्बर, 1992 तक 13.64 करोड़ रु० का व्यय किया गया है। प्रस्तावित हरियाणा राज्य संसाधन समेकन परियोजना अपने प्रारम्भिक स्तर में है।

[अनुवाद]

सागर तटों का विकास

1058. **श्री के० प्रधानी :**
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सागर तटों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तटवार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) आठवीं योजना में इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि नियत की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) पर्यटन की सुविधाओं का विकास करना मुख्यतया राज्य ससकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, वित्तीय सहायता, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर, उनके गुण-दोष, आपसी प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता को ध्यान में रख कर दी जाती है।

[हिन्दी]

राजस्थान के मरुक्षेत्र में भूजल संसाधन

1059. **श्री मनफूल सिंह** : **क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के मरुक्षेत्र में भूजल संसाधनों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) जल वैज्ञानिक सर्वेक्षणों तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के परिणामों के आधार पर राजस्थान के मरुक्षेत्रों के भूजल ससाधन अनुमानत: 4545 मिलियन घन मीटर हैं। राजस्थान के मरुक्षेत्रों में भूजल संसाधनों की जिले-वार उपलब्धता संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

राजस्थान के मरु जिलों में भूजल संसाधनों की उपलब्धता

क्रमसं०	जिला	वार्षिक कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधन मिलियन घन मीटर/वर्ष
1.	गंगानगर	327.00
2.	बीकानेर	147.00
3.	चूरू	251.00
4.	झुन्झुनु	356.00
5.	सीकर	549.00
6.	नागौर	656.00
7.	जोधपुर	511.00
8.	जैसलमेर	143.00
9.	बाड़मेर	319.00
10.	पाली	673.00
11.	जालौर	613.00
	कुल :	4545.00

[अनुवाद]

तीस्ता नदी पर पन विद्युत परियोजना

1060. श्री अमर राय प्रधान : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों की राय के अनुसार भारत तीस्ता नदी पर एक उत्तरी सिक्किम के ऊपरी

आवाह क्षेत्र पर और दूसरी पश्चिम बंगाल के गजालदोबा में दो परियोजनाएं स्थापित कर 1500 मेगावाट पन बिद्युत का उत्पादन कर सकता है;

(ख) क्या सरकार को सिक्किम और पश्चिम बंगाल सरकारों से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को अपनी मंजूरी प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में विभिन्न जल विद्युत स्कीमें स्थापित करके तीस्ता नदी की जल विद्युत शक्यता का विकास करने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति सहित इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रमसं०	परियोजना का नाम	राज्य	अनुमानित निश्चित विद्युत शक्यता (मे०वा०)	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5
1.	तीस्ता चरण-1	सिक्किम	94	अन्वेषण कार्य किए जाने हैं ।
2.	तीस्ता चरण-2	सिक्किम	224	—तदैव—
3.	तीस्ता चरण-3	सिक्किम	180	एन०एच०पी०सी० द्वारा 1200 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता के साथ क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव । परियोजना तकनीकी आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाई गई है । विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 22 की अनुपालना सुनिश्चित किए जाने तथा पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति प्राप्त किए जाने के बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ।
4.	तीस्ता चरण-4	सिक्किम	64	परियोजना की केंद्रीय जल आयोग द्वारा जांच की जा रही है ।
5.	तीस्ता चरण-5	सिक्किम	72.64	510 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता वाली इस जल विद्युत परियोजना की स्थापना किए जाने हेतु केन्द्रीय जल आयोग

1	2	3	4	5
				द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी की सम्भावना का पता लगाएं।
6.	तीस्ता चरण-6	सिक्किम	25	अन्वेषण कार्य अभी किए जाने हैं।
7.	तीस्ता ऊंचा बांध	पं० बंगाल	235	पं० बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने 700 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता की जल विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने हेतु अन्वेषण कार्य किए जाने का प्रस्ताव किया है।

विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र द्वारा सह-उत्पाद का उपयोग

1061. **श्री एम०बी०बी०एस० मूर्ति :** क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र इस्पात के उत्पादन के दौरान उत्पादित सह-उत्पादों का उपयोग कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो प्रत्येक वर्ष व्यर्थ जाने वाले सह-उत्पादों की मात्राओं का उनके मूल्य सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) सह-उत्पादों का उपयोग करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र ने सूचित किया है कि धमन भट्टियों में उत्पादित गैसों का संयंत्र में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कोक ओवनों से निकलने वाले उपोत्पादों को अमोनियम सल्फेट और नेपथालिन के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। 1 अप्रैल, 92 से 31 अक्तूबर, 1992 तक उत्पादित उपोत्पादों का मूल्य 21.06 करोड़ रुपये है। शेष गैस का संयंत्र में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। उपोत्पादों के उत्पादन, मूल्य और उसकी उपयोगिता में संयंत्र के प्रचालन मे स्थिरता आने के साथ सुधार होगा।

बंगलौर में स्थानीय काल की समय-सीमा

'062. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में स्थानीय काल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रतिबन्ध हटाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी०बी० रंगैया नायडू) : (क) जी, हां। यह नियम 30,000 लाइनों से अधिक की क्षमता रखने वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों की सभी टेलीफोन प्रणालियों पर लागू होता है।

(ख) काल की गई पार्टी का उत्तर प्राप्त होने पर एक काल दर्ज हो जाती है और इसके बाद पांच मिनट की प्रत्येक यूनिट की दर से कालें मीटर की जाती हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन क्षमता

10[illegible]3. **श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा इस समय कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) इन विद्युत स्टेशनों की विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है तथा क्या उनकी क्षमता का पूरा उपयोग किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जो ताप विद्युत स्टेशनों की क्षमता का इष्टतम उपयोग कर रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल, 82—अक्तूबर, 93 की अवधि के दौरान देश में ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा 123795 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया गया था।

(ख) और (ग) 19-11-1992 की स्थिति के अनुसार देश के ताप विद्युत केन्द्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता 48305.5 मेगावाट है। अप्रैल-अक्तूबर 92 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का औसत संयंत्र भार अनुपात 5[illegible].9 प्रतिशत था। ताप विद्युत यूनिटों से इसकी इष्टतम क्षमता के बराबर विद्युत उत्पादन किया जाना संभव नहीं है क्योंकि ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों का कार्यनिष्पादन, यूनिट के प्रचालन की अवधि, कोयले की गुणवत्ता, प्रणालीगत भार सम्बन्धी परिस्थिति, राज्य/क्षेत्र में जल विद्युत एवं ताप विद्युत का मिश्रण, यूनिटों का नियोजित अनुरक्षण कार्य तथा जबरन बंदियां और पारेषण संबंधी बाधाओं पर निर्भर करता है। अप्रैल-अक्तूबर, 1992 के दौरान जिस राज्य/प्रणाली का ताप विद्युत संयंत्र भार अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा इसका ब्यौरा निम्नवत है :

क्रम स०	राज्य/प्रणाली	अप्रैल-अक्तूबर, 92 के दौरान का संयंत्र भार अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3
1.	दिल्ली	67.8
2.	राजस्थान	68.9
3.	पंजाब	62.0
4.	उत्तर प्रदेश	56.5

1	2	3
5.	गुजरात	57.5
6.	महाराष्ट्र	56.7
7.	मध्य प्रदेश	55.9
8.	आंध्र प्रदेश	58.2
9.	तमिलनाडु	61.0

[अनुवाद]

राऊरकेला इस्पात संयंत्र

1064. **कु० फ्रिडा तोपनो :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र में पांचवें ब्लास्ट फरनेस को चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक चालू कर दिया जाएगा ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कालीकट हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

1065. **श्री के० मुरलीधरन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट से खाड़ी देशों को और अधिक उड़ानें आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निजी एजेंसियों की ओर से कालीकट से घरेलू उड़ानें चलाने के लिए कोई आवेदन सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कालीकट हवाई अड्डे के धावनपथ की लम्बाई बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) विमान क्षमता की कठिनाई के कारण इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इण्डियन एयरलाइंस के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) और (घ) जी नहीं । हवाई टैक्सी प्रचालक कालीकट से अन्तर्देशीय उड़ानों के परिचालन के लिए स्वतंत्र हैं ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पर्यटन की सुविधाएं

1066. **श्री अरविन्द नेताम** :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्यटन के विकास और ग्वालियर, खजुराहो, मांडू ओंकारेश्वर, उज्जैन और मन्दसौर में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के कुछ प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की है;

(घ) 1991-92 और 1992-93 में अब तक इस प्रयोजनार्थ राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) अस्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को ग्वालियर, खजुराहो, ओंकारेश्वर, महेश्वर तथा उज्जैन के सम्बन्ध में पर्यटन के विकास तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

(1) मनमन्दिर, ग्वालियर में ध्वनि-प्रकाश प्रदर्शन

(2) खजुराहो मे शौचालय तथा पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था

(3) खजुराहो में पर्यटक स्वागत केन्द्र

(4) महेश्वर में पर्यटन बंगला

(5) ओंकारेश्वर में पर्यटन बंगला

(6) उज्जैन कुम्भ मेला के साहित्य/सामान्य प्रचार साहित्य का मुद्रण

(7) उज्जैन में यात्री निवास

(ग) उपरोक्त सभी स्कीमें स्वीकृत कर दी गई हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान पर्यटन पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए 163.26 लाख रुपए तथा वर्ष 1992-93 के दौरान अब तक 24,15,200 रु० की राशि अवमुक्त की है।

[अनुवाद]

बिना बारी के दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों में घोटाला

1067. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन देने में एक बड़े घोटाले का पता लगाया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट मिल गई है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में तलाशियां ली थीं और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों सहित लोगों से पूछताछ की थी। दिल्ली के दो कर्मचारियों को पकड़ा गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है और उनकी अन्तिम रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) भाग (ख) में दिए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में टेलीफोन

1068. श्री मनोरंजन भक्त : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अब तक कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में ऐसे कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं, और

(ग) सभी लम्बित टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) 30 अक्तूबर, 92 को दिल्ली और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या क्रमशः 3,78,854 और 757 है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों के अनुसार इस देश की छोटी टेलीफोन प्रणालियों में इस योजना अवधि के अन्त तक अर्थात मार्च, 1997 तक व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है। बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में आठवीं योजना अवधि के समाप्त होने से पहले टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा सूची की अवधि घटाकर दो वर्ष करने की आशा है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विस्तार योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

फरक्का बांध के प्राधिकारियों का कार्यकरण

1069. **डा० असीम बाला :**
श्री आयनल अबेदिन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को फरक्का बांध के प्राधिकारियों के कार्यकरण के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) जबकि फरक्का बराज परियोजना प्राधिकारियों के कार्यकरण के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, पश्चिमी बंगाल सरकार के सिंचाई एवं जल मार्ग मन्त्री तथा राज्य के वरिष्ठ अधिकारी फरक्का बराज नियन्त्रण बोर्ड तथा प्रबोधन समिति के साथ-साथ क्रमशः तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य हैं, जो नियमित अन्तरालों पर फरक्का बराज परियोजना के कार्यक्रमों और कार्यकरण को देखते हैं।

इस्पात उद्योगों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

1070. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग के लिए कृतिक बल तथा निर्यात संवर्धन परिषद गठित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) इस्पात उद्योग हेतु निर्यात संवर्धन परिषद का गठन करने के लिए इस समय कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

1071. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में सभी जिला केन्द्र टेलीफोन एक्सचेंजों को कब तक इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदले जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : बिहार के 50 जिला मुख्यालयों में से 33 को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रदान कर दिए गए हैं । शेष सभी 17 जिला केन्द्र टेलीफोन एक्सचेंजों को 1994-95 तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिए जाने की सभावना है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों ।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन को पर्यटन स्थल बनाना

1072. **श्री अमल दत्त** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से सुन्दरबन को एक पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) पर्यटकों की सुविधा के लिए केन्द्र सरकार ने सुन्दरबन में निम्नलिखित सुविधाएं स्वीकृत की हैं—

1. सुन्दरबन में तैरता आवास ।

2. सुन्दरबन के लिए परिभ्रमण पोत ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों हेतु भूमि

1073. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रतलाम तथा मन्दसौर जिलों में विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करने तथा नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर; और

(ग) इन एक्सचेंजों के भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) नए टेलीफोन एक्सचेंज भवनों के निर्माण के लिए निम्नलिखित स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण किया गया है—

जिला मन्दसौर

1. मन्दसौर
2. मनासा
3. मल्हारगढ़

जिला रतलाम

1. जाओरा
2. सैलाना
3. सिमलोडा

(ग) मन्दसौर और मनासा में भवन निर्माण का कार्य 1994-95 में पूरा होने की सम्भावना है। मल्हारगढ़, जाओरा, सैलाना और सिमलोडा में भवन निर्माण का कार्य 8वीं योजना अवधि के दौरान शुरू किए जाने और उसे पूरा किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ में दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

1074. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र के स्थापना सम्बन्धी कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) परियोजना के लिए स्थान एवं मुख्य उपकरण पहले से ही प्राप्त हो चुके हैं। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निर्भर करते हुए चंडीगढ़ में स्टूडियो केन्द्र के 1995 के दौरान सेवा के लिए चालू हो जाने की उम्मीद है।

वाराणसी विमान-पत्तन पर उपकरण, भू-अवतरण प्रणाली (आई० एल० एस०) की स्थापना

075. **श्री आर्जं फर्नान्डीज** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी विमान-पत्तन पर पिछले दो महीने से अधिक समय से उपकरण भू-अवतरण प्रणाली (आई० एल० एस०) लगाए जाने के लिए रखा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(घ) उपकरण भू-अवतरण प्रणाली स्थापित न करने के कारण कितना घाटा हुआ है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) वाराणसी में पहले से ही उपस्कर अवतरण प्रणाली स्थापित कर दी गई है। यह इस वर्ष के अन्त तक शुरू कर दिए जाने की आशा है। मैसर्स राइट्स, जिसे यह परियोजना दी गई है, द्वारा महसूस की जा रही कुछ ठेका संबंधी समस्याओं के कारण इसमें विलम्ब हुआ है।

(घ) इसकी लागत में और समय में वृद्धि हुई है, तथापि, प्रणाली को स्थापित करने में विलम्ब के कारण हुई हानि की मात्रा को आंका नहीं जा सकता।

निजी विमान कम्पनियां

1076. **श्री मोहन रावले** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मई, 1992 के "नवभारत टाइम्स" में निजी विमान कंपनियों के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाया गया है अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नागर विमानन महानिदेशालय निजी एयरलाइनों (हवाई टैक्सी परिचालकों)

के परिचालनों पर लगातार निगरानी रखता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे विमान की उड़न योग्यता और विमान रख-रखाव इंजीनियरों के लाइसेंसिंग संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। विमान के सुरक्षित परिचालन के संबंध में नियामक प्राधिकारियों द्वारा कोई समझौता नहीं किया जाता।

कलकत्ता में नया अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

1077. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में नये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण पूरा करने की अन्तिम तारीख क्या निर्धारित की गयी है;

(ख) क्या निर्माण कार्य निर्धारित तिथि के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) कलकत्ता में कोई नये अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कलकत्ता में नये टर्मिनल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के पूरा होने की प्रस्तावित तारीख 31 दिसम्बर, 1993 है।

[हिन्दी]

रावी-व्यास जल का बंटवारा

1078. **श्री एम० के० राठवा** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रावी-व्यास जल के बंटवारे के मुद्दे को लेकर गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित बैठक का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी कोई बैठक अगस्त, 1992 में दिल्ली में आयोजित की गयी थी;

(ग) इस बैठक में राज्यों के किन-किन मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया;

(घ) उनमें की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) रावी-व्यास जल के बंटवारे के मुद्दे पर अलग से कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी थी। तथापि, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जल से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 29 और 30 जुलाई, 1992 तथा 6 अगस्त, 1992 को बैठकें आयोजित की गयी थी, जिनमें रावी-व्यास के बंटवारे पर भी विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) जी हां, 6 अगस्त, 1992 को।

(ग) श्री बेअन्त सिंह, मुख्यमन्त्री, पंजाब, श्री भजन लाल, मुख्यमन्त्री, हरियाणा तथा श्री भैरों सिंह शेखावत, मुख्यमन्त्री, राजस्थान।

(घ) और (ङ) सम्बन्धित मुद्दों पर आगे विचार-विमर्श अनुवर्ती बैठकों में जारी रहेगा।

[अनुवाद]

डाक विभाग की घटिया स्तर की सेवाएं

1079. डॉ० डी० वेंकटेश्वर राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंतुष्ट उपभोक्ताओं ने चार वर्ष में पूरे देश में लोक शिकायत निदेशालय के पास डाक विभाग के विरुद्ध 1681 शिकायतें दर्ज की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का मुख्य कारण है; और

(ग) इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां। 1-4-88 से 30-9-92 की अवधि के दौरान, डाक विभाग के खिलाफ लोक शिकायत निदेशालय ने 1681 शिकायतें दर्ज कीं।

(ख) ये शिकायतें डाक के वितरण में विलम्ब, मनीआर्डरों के भुगतान, पारगमन में वस्तुओं का गुम होने, बचत बैंक और कैश सर्टिफिकेट्स, सेवा सम्बन्धी मामलों और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ से जुड़े व्यक्तिगत दावों से सम्बन्धित थीं।

(ग) डाक सेवाओं की कार्यप्रणाली की आवधिक पुनरीक्षा की जाती है। डाक पारेषण और वितरण कार्य की सुपरवाइजरी स्टाफ द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है। डाकघरों में पर्यवेक्षण कार्य में सुधार लाने के लिए शिकायतों के कारणों का पता लगाने के प्रयोजन से उनका विश्लेषण किया जाता है। रेल विभाग और एयरलाइन्स से निरन्तर समन्वय रखा जाता है। पोस्ट फोरम, डाक अदालत, पेंशन अदालत और खुले सत्र की बैठकें आयोजित करके सभी स्तरों पर शिकायत कक्षों को सक्रिय बना कर जनता के साथ आपसी विचार-विनिमय की प्रक्रिया में सुधार लाया गया है। प्रशासनिक कार्यालयों का दौरा और निरीक्षण करके व्यक्तिगत दावों के निपटान की भी पुनरीक्षा की जाती है।

एन० टी० पी० सी० परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक ऋण

1080. श्री राम नाईक : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक नई विद्युत परियोजनाओं के वित्त-पोषण हेतु नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन० टी० पी० सी०) को ऋण प्रदान करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि कितनी है और किन-किन विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण मंजूर किया गया है;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा ऋण की पहली किश्त जारी कर दी गई है, यदि हां, तो इसकी राशि कितनी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की नई विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण किए जाने के बारे में विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। जिन परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाना है उनके सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

उड़ीसा की टेलीफोन सलाहकार समिति

1081. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक पुनर्गठित कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा की टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त के ध्यान में रखे हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उड़ीसा की टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

1. सुश्री सुशीला तिरिया
   संसद सदस्य (राज्य सभा)
   123, साउथ एवेन्यू,
   नई दिल्ली

2. श्री रामचन्द्र रथ
   संसद सदस्य (लोक सभा)
   7, डुप्ले लेन, नई दिल्ली

3. श्री शरत चन्द्र पटनायक
   संसद सदस्य (लोक सभा)
   180, साउथ एवेन्यू,
   नई दिल्ली

4. श्री गोपीनाथ गणपति
   संसद सदस्य (राज्य सभा)

विधान सभा

1. श्री बसंत कुमार बिसवाल
   विधायक (कांग्रेस), उड़ीसा

2. सुश्री देवी विधायक
   उड़ीसा

3. श्री बी० के० देब
   विधायक (भाजपा), उड़ीसा

4. श्री हबीबुल्लाह खान
   विधायक, कोरापुट, उड़ीसा

प्रेस :

1. श्री गोविन्द दास
   कटक, उड़ीसा

2. श्री रबीदास
   भुवनेश्वर, उड़ीसा

3. श्री सत्य नारायण महापात्र
   दीनालिपि, उड़ीसा

4. श्री शारदा प्रसाद नन्दा
   सण्डे, उड़ीसा

विधिक व्यवसाय

1. श्री श्रीनाथ मिश्र
   कटक, उड़ीसा

2. श्री जगन्नाथ मुण्ड
   कालाहाण्डी, उड़ीसा

3. श्री विधान चन्द्र मिश्र
   धेनकनाल, उड़ीसा

4. श्री अनंग पटनायक
   उड़ीसा

सभी अन्य व्यवसाय जैसे इंजीनियर, वास्तुविद आदि।

1. श्री मोहम्मद हुसन
   भुवनेश्वर, उड़ीसा

2. श्री एन० के० पटनायक
   टिस्को, उड़ीसा

व्यापार, वाणिज्य और उद्योग

1. श्री बिमल किशोर मल्होत्रा
   अध्यक्ष, उड़ीसा लघु उद्योग संघ,
   कटक, उड़ीसा

2. श्री बी० एन० पटनायक,
   महा सचिव,
   वाणिज्य संघ (चैम्बर्स आफ कामर्स),
   राउरकेला, उड़ीसा

3. श्री एस० एस० सिंह देव,
   अध्यक्ष, वाणिज्य और उद्योग संघ,
   उड़ीसा

4. श्री निकुंज बोट राय
   अध्यक्ष
   उड़ीसा लघु उद्योग संघ

सार्वजनिक कामगार और अन्य

1. श्री ए० पी० सेठी, पूर्व संसद सदस्य (लोक सभा)

2. श्री आर्य कुमार ज्ञानेन्द्र, भुवनेश्वर

3. श्री मधुसूदन पटनायक, भंजनगर

4. श्री चिरंजन सामंतरे, साम्बलपुर

5. श्रीमती जयन्ती पटनायक,
पूर्व संसद सदस्य और पूर्व अध्यक्ष,
अखिल भारतीय महिला—कांग्रेस

6. श्रीमती मधुमिता परिदा,
पुरी

7. डा० शरत चन्द्र पटरा, भुबनेश्वर

8. श्री सुजीत कुमार, पंडित,
अध्यक्ष, उड़ीसा प्रदेश युवक कांग्रेस (आई)

9. श्री बैकुण्ठ नाथ साहू
पूर्व ससद सदस्य (राज्य सभा)

10. श्री खानूरजॉय लगूरी
पूर्व विधायक

11. डा० श्रीनिवास चौधरी, कोरापुर

12. श्रीमती सरस्वती—हेमराम, साम्बलपुर

13. श्री आर० एन० पाणिग्रही, उड़ीसा

14. श्रीमती उमा रानी पलटा, पूर्व विधायक
अध्यक्ष, उड़ीसा प्रदेश महिला कांग्रेस

15. श्रीमती इंदिरा मिश्र
तहसीलदार लेन, कटक, उड़ीसा

16. श्री हरिहर मोहन्ता
समरकान्त ब्लाक चेयरमैन,
डाकघर—समरकान्त, जिला मयूरभंज,
उड़ीसा

17. श्री बिहारी चन्द्र बिसवाल
मार्फत हेमनन्द बिसवाल, पूर्व मुख्यमंत्री
क्वार्टर नं० 8 सी/2, यूनिट-I,
भुबनेश्वर, उड़ीसा

18. श्री नवीन चे० नारायण दास,
घेनकनाल, उड़ीसा

19. श्री बिभूतिदास
सी० एच० ट्रक ओनर्स एसोसिएशन

20. श्री हलधर मिश्र, संरक्षी (कंजरवेशनिस्ट)
उड़ीसा

21. श्री नित्यानन्द मिश्र
पूर्व संसद सदस्य,
बोलनगीर, उड़ीसा

22. श्री रामचन्द्र खूतिया
पूर्व विधायक,
उड़ीसा

23. श्री बादल दानी
डाकघर— मोदीपाड़ा
साम्बलपुर, उड़ीसा

24. श्री भवानी पण्डा,
डाकघर—फाटक
साम्बलपुर, उड़ीसा

25. श्री जगन्नाथ राउत
डाकघर—बी०आई०पी० कालोनी
148, नयापाली, भुवनेश्वर-15
उड़ीसा

26. श्री दामोदर साहू
पूर्व उपाध्यक्ष, एन०ए०सी०,
जूनागढ़,/डाकघर —जूनागढ़,
जिला—कालाहाण्डी, उड़ीसा

27. श्री किशोर चन्द्र महापात्र
पूर्व प्रधानाचार्य
खरियार कालेज
जिला—कालाहाण्डी, उड़ीसा

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में खानों की खोज

1082 श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भूगर्भीय सर्वेक्षण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है;

(ग) प्रत्येक धातु/खनिज का अनुमानित भण्डार कितना है; और

(घ) इनके समुचित दोहन हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण गत तीन वर्षों से (1) आधार धातुओं के लिए टोंस घाटी क्षेत्र, जिला-देहरादून, गार्बियाकोट-किमखेत क्षेत्र, पिथौरागढ़ और जिला नैनीताल, जिला टेहरी-पौड़ी अल्मोड़ा जिले के कुछ भागों में, (2) सोने के लिए नैनीताल, गोरखपुर और सोनभद्र तथा मध्य प्रदेश के समीपस्थ जिलों से, (3) प्लेटिनोइड के लिए सोनभद्र जिले में, (4) दुर्लभ तत्वों के लिए सोनभद्र जिले में, (5) टिन-टंगस्टन के लिए बुन्देलखण्ड क्षेत्र, हमीरपुर जिले में और (6) सिलिका बालू के लिए उत्तरकाशी जिले में पूर्वेक्षण/गवेषण कर रहा है।

गवेषण के परिणाम कार्य पूरा होने के बाद ज्ञात होंगे।

(घ) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

1083. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन विभाग ने 1991-92 तथा मार्च-सितम्बर, 1992 के दौरान भाषा-वार कितनी पुस्तकें प्रकाशित की हैं;

(ख) 31 मार्च, 1991 तथा 31 मार्च, 1992 तक भण्डार में सभी प्रकाशनों की प्रतियों की संख्या क्या है; और

(ग) विभाग द्वारा 1 अप्रैल, 1991 तथा 1 अप्रैल, 1992 को प्रकाशित पत्रिकाओं के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) प्रकाशन विभाग द्वारा

प्रकाशित की गई पुस्तकों की संख्या का भाषा-वार ब्योरा इस प्रकार है :—

1991-92 के दौरान		मार्च-सितम्बर, 1992 के दौरान	
अंग्रेजी	44	अंग्रेजी	48
हिन्दी	40	हिन्दी	32
असमिया	08	असमिया	08
बंगला	05	बंगला	05
गुजराती	12	गुजराती	12
कन्नड़	07	कन्नड़	07
मराठी	10	मराठी	10
पंजाबी	02	पंजाबी	04
तमिल	06	तमिल	06
उर्दू	07	उर्दू	04
जोड़ :	141		136

(ख) भण्डार में पड़ी पुस्तकों की प्रतियों की संख्या :

31 मार्च, 1991 को	31 मार्च, 1992 को
30,07,500	20,05,000 प्रतियां

(ग) एक अप्रैल, 1991 तथा एक अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिकाओं के नाम विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रकाशन विभाग द्वारा 1-4-1991 तथा 1-4-1992 को प्रकाशित पत्रिकाओं के नामों को दर्शाने वाला विवरण

क्रमसं०	पत्रिका का नाम	भाषा	आवधिकता
1	2	3	4
1.	एम्पलायमेंट न्यूज	(अंग्रेजी)	साप्ताहिक

1	2	3	4
2.	रोजगार समाचार	(हिन्दी)	साप्ताहिक
3.	रोजगार समाचार	(उर्दू)	साप्ताहिक
4.	योजना	(अंग्रेजी)	पाक्षिक
5.	योजना	(हिन्दी)	पाक्षिक
6.	योजना	(तमिल)	पाक्षिक
7.	योजना	(तेलगू)	पाक्षिक
8.	योजना	(असमियां)	मासिक
9.	योजना	(बंगला)	मासिक
10.	योजना	(गुजराती)	मासिक
11.	योजना	(कन्नड़)	मासिक
12.	योजना	(मलयालम)	मासिक
13.	योजना	(मराठी)	मासिक
14.	योजना	(पंजाबी)	मासिक
15.	योजना	(उर्दू)	मासिक
16.	कुरूक्षेत्र	(अंग्रेजी)	मासिक
17.	कुरूक्षेत्र	(हिन्दी)	मासिक
18.	बाल भारती	(हिन्दी)	मासिक
19.	आजकल	(हिन्दी)	मासिक
20.	आजकल	(उर्दू)	मासिक

आकाशवाणी का प्रसारण क्षेत्र

1084. डा० कृपासिन्धु भोई :
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1992-93 के दौरान सारे देश में आकाशवाणी का प्रसारण उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, यह परिकल्पना की जाती है कि 1992-93 तक देश की जनसंख्या का लगभग 97% और क्षेत्र का 90% कवर हो जाएगा।

[हिन्दी]

बिहार में डाल्टनगंज में आकाशवाणी केन्द्र

1085. श्री रामदेव राम : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में डाल्टनगज में निर्माणाधीन आकाशवाणी केन्द्र कब से कार्य करना शुरू कर देगा;

(ख) क्या आकाशवाणी केन्द्र में कार्य करने के लिये अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध करा दिया गया है;

(ग) क्या इन नियुक्तियों में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) डाल्टनगंज में आकाशवाणी केन्द्र की दिसम्बर, 1992 के अंत तक तकनीकी रूप से तैयार हो जाने की परिकल्पना है और इसके परिचालन तथा अनुरक्षण के लिए अपेक्षित न्यूनतम स्टाफ के उपलब्ध हो जाने पर ही इसे चालू किया जा सकता है।

(ग) और (घ) समूह "घ" पदों पर स्थानीय व्यक्तियों को भर्ती किया जाता है।

[अनुवाद]

केरल में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र

1086 श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के मलयालम कार्यक्रमों का प्रसारण केरल के पहाड़ी जिले पतनमुतिट्टा तक नहीं होता;

(ख) क्या सरकार ने त्रिवेन्द्रम केन्द्र की प्रसारण क्षमता को पतनमुतिट्टा जिला तक बढ़ाने तथा त्रिवेन्द्रम को उपग्रह द्वारा जोड़ने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) पतनमुतिट्टा में कार्यरत कम शक्ति का ट्रान्समीटर उपग्रह द्वारा दिल्ली से कार्यक्रमो का प्रसारण करता है, पतनमुतिट्टा जिले के अन्य स्थान त्रिवेन्द्रम तथा कोचीन में कार्यरत उच्च शक्ति के ट्रान्समीटर्स से टी०वी० सेवा प्राप्त करते हैं जो कि राष्ट्रीय सेवा के अतिरिक्त मलयालम कार्यक्रमों का भी प्रसारण करता है। बीच की दूरी एवं पहाड़ी भूभाग होने के कारण जिले में इन ट्रान्समीटर्स की कवरेज सीमित है।

(ख) और (ग) त्रिवेन्द्रम में कार्यरत विद्यमान 10 कि०वा० टी०वी० ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि केरल राज्य में पूर्ण क्षेत्रीय टी०वी० सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से अन्तरिक्ष में पर्याप्त साधन एवं सुविधा के उपलब्ध होने पर, उपग्रह द्वारा दूरदर्शन केंद्र, त्रिवेन्द्रम से राज्य में सभी टी०वी० ट्रान्समीटर्स को जोड़े जाने पर विचार किया जा रहा है।

वर्धा इस्पात संयंत्र

1087. **श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्धा में इस्पात संयंत्र का लाइसेंस किस तिथि को दिया गया;

(ख) इसमें केन्द्र/राज्य सरकारों की वित्तीय भागीदारी कितनी-कितनी है; और

(ग) इस संयंत्र के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) महाराष्ट्र में वर्धा जिले के भूगांव में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लायड्स स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (पहले मैसर्स इंटग्रेटिड स्टील्स लिमिटेड) को 31-10-1985 को आशय-पत्र दिया गया था।

(ख) परियोजना में केन्द्र/राज्य सरकार की कोई वित्तीय भागीदारी नहीं है। तथापि, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों/बैंकों ने परियोजना के लिए 305.88 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

(ग) कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संयंत्र के मार्च, 1994 तक चालू होने की संभावना है।

जल अन्तरण लिंकों के लिए भू-सर्वेक्षण और परीक्षण

1088. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने कतिपय जल अंतरण लिंकों के सम्बन्ध में भू-सर्वेक्षणों और परीक्षण का कोई कार्य आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उस अभिकरण को हिमालय क्षेत्र में जल अन्तरण लिंकों का अध्ययन करने का निदेश देने का है;

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाए गए कार्यक्रम सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तीन जल अन्तरण सम्पर्कों अर्थात् (i) पम्बा-अचनकोविल-वैगई, (ii) केन, बेतवा और (iii) पार-तापी-नर्मदा में सर्वेक्षण और अन्वेषण प्रारम्भ किया है।

(ग) और (घ) निम्नलिखित अभिकरणों को विभिन्न प्रकार के कार्यों में पहले ही लगाया जा चुका है। अन्वेषण पूर्ण करने की लक्ष्यांकित तारीख 1993-94 है :

कार्य की मद	अभिकरण
जलाशय क्षेत्र सर्वेक्षण	भारतीय सर्वेक्षण
भू तकनीकी अन्वेषण	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण
कृषि-सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन	राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद
परियोजना घटकों के लिए अन्य सिविल इन्जीनियरी सर्वेक्षण	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(ङ) से (छ) सरकार द्वारा तैयार किए गए जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रायद्वीपीय और हिमालयी क्षेत्र विकास दोनों की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का वर्तमान अधिदेश प्रायद्वीपीय नदी विकास से सम्बन्धित है। हिमालयी घटक प्रारम्भ करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के उद्देश्यों को संशोधित करने की आवश्यकता है।

भुवनेश्वर में आकाशवाणी केन्द्र

1080 **श्री अनादि चरण दास** : क्या सूचना एवं प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे, देवगढ़, मलकानगिरि, पारालाखमेंडी में प्रसारित रेडियो कार्यक्रम भलीभांति नहीं सुने जा सकते हैं;

(ख) क्या भुवनेश्वर में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए "शार्ट-वेव ट्रांसमीटर" लगाने की मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इस समय सम्बलपुर जिले में देवगढ़, कोरापुत जिले में मल्कानगिरि तथा गंजम जिले में पारालाखमेदी उड़ीसा में आकाशवाणी के किसी भी मीडियम वेव ट्रांसमीटर से कवर नहीं हो रहे हैं तथापि सम्बलपुर तथा जैपोर में ट्रांसमीटरों तथा बहरामपुर में स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र का दर्जा बढ़ाने की स्कीमों के पूरा हो जाने पर देवगढ़, मल्कानगिरि तथा पारालाखमेदी को क्रमश: इन आकाशवाणी केन्द्रों से कवरेज प्राप्त होने लगेगी।

(ख) जी, हां।

(ग) भुवनेश्वर में शार्ट वेव ट्रांसमीटर स्थापित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में शारदा नदी द्वारा भूमि कटाव

1090. डा० जी०एल० **कनोजिया** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में शारदा नदी द्वारा अधिक भूमि क्षेत्र में प्रति वर्ष भूमि कटाव होता है तथा कृषि योग्य भूमि छः महीनों तक जलमग्न रहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस भूमि कटाव को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) टेढ़े-मेढ़े बहने की प्रकृति की वजह से शारदा नदी से भिन्न परिमाण के कटाव हुए हैं। शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत जल जमाव क्षेत्र 35,200 हैक्टेयर है जो कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र का लगभग 2% है।

(ख) राज्य सरकार ने गांवों और कस्बों के समूहों की सुरक्षा के लिए 30 से अधिक कटाव-रोधी स्कीमें शुरू की हैं।

साहसिक पर्यटन

1092. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में साहसिक पर्यटन की विशाल संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार को मिले सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार देश में साहसिक पर्यटन का संवर्धन करने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करती है । सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकताओं तथा धन की उपलब्धता को ध्यान में रखकर वित्तीय सहायता दी जाती है ।

चालू वित्त वर्ष के दौरान साहसिक एवं खेल पर्यटन के विकास के लिए 120.00 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं ।

लक्षद्वीप में पर्यटन विकास

1093. **श्री अनंतराव देशमुख :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्षद्वीप द्वीपों में पर्यटन विकास हेतु एक विस्तृत वृहद् योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनावधि के दौरान उन द्वीपों पर उपलब्ध करायी जाने वाली आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन द्वीपों को केन्द्रीय पूंजी निवेश सम्बन्धी सहायता बन्द कर दी गई है;

(घ) क्या इससे यहां आने वाले पर्यटक अपेक्षित संख्या में नहीं पहुंच पा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान लक्षद्वीप के संघ राज्य प्रशासन द्वारा हाथ में ली गई प्रस्तावित मुख्य स्कीमों में शामिल हैं कदमत में जल-क्रीड़ा संस्थान का निर्माण, सूचना और प्रचार, पर्यटक कुटीरों के निर्माण तथा जल-क्रीड़ा उपकरण अगाति में पर्यटक गृह तथा पर्यटकों के लिए फेरी-बोट ।

(ग) केन्द्रीय निवेश राज सहायता स्कीम को लक्षद्वीप सहित पूरे देश में समाप्त कर दिया गया है । तथापि, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने अपनी योजना में इसकी प्रतिपूर्ति हेतु विशेष प्रावधान किया है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के लिए बिजली के कनेक्शन

1094. श्री साईमन मरांडी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में रह रहे लोगों द्वारा पिछले तीन वर्षों से विकास (डवलपमेंट) प्रभार जमा करा देने के बावजूद उन्हें बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करेगी ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन रिले टावर

1095. श्री जीवन शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के चंपावत और दीदीहाट तथा अल्मोड़ा जिले के बागेश्वर और चौकित्या में वर्ष 1992-93 के दौरान दूरदर्शन रिले टावरों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इनके कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में चम्पावत में एक अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर (एल०पी०टी०) तथा दीदीहाट (दोनों पिथौरागढ़ जिले में) एक अति अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर (वी०एल०पी०टी०) तथा अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में अन्य अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर इस समय विभिन्न चरणों में कार्यान्वयनाधीन है। संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए अल्मोड़ा जिले के बागेश्वर में भी एक अति अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने की परिकल्पना है। जहां चम्पावत मे अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर तथा दीदीहाट और चौखुटिया में अति अल्प टी०वी० ट्रांसमीटरों को 1993-94 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है। बागेश्वर में अति अल्पशक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर 1994-95 के दौरान चालू होने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

बिहार में ग्रामीण टेलीफोन केन्द्र

1096. श्री छेदी पासवान : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान बिहार में ग्रामीण टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) प्रगति के ब्यौरे इस प्रकार है :—

वर्ष	लक्ष्य	प्रगति
1990-91	25	40
1991-92	40	51
1992-93	61	11 (अक्तूबर, 1992 तक)

(ग) स्थानों का पता लगा लिया गया है और नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए अपेक्षित भंडारों की प्राप्ति के खरीद आदेश दे दिए गए हैं।

[अनुवाद]

कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना

1097. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जिन भू-स्वामियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था उनको मुआवजा दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त राशि का वितरण कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) कायमकुलम सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन०टी०पी०सी०, ने चरण-1 के अन्तर्गत 20 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया है। चरण-2 के मामले में एन०टी०पी०सी० द्वारा स्थायी

टाउनशिप के लिए 161 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। चरण-1 के अन्तर्गत अधिगृहीत की एकड़ गई 20 एकड़ निजी भूमि के लिए एन०टी०पी०सी० ने 0.648 करोड़ रुपए जमा किए थे जो कि भूस्वामियों में वितरित कर दिए गए हैं। चरण-2 की 161 एकड़ निजी भूमि के लिए एन०टी०पी०सी० द्वारा 3.60 करोड़ रुपए की राशि जमा कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अवार्ड पास कर दिया गया है और भूस्वामियों को अदायगी किए जाने सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है।

(घ) परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ताकि नौवीं पंचवर्षीय योजना में इससे लाभ प्राप्त हो सकें।

सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली

1098. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :
श्री चेतन पी०एस० चौहान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने पूरे देश में सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने संबंधी नीति की समीक्षा की गई है और उसे और उदार बना दिया गया है। इस नीति के अनुसार, सार्वजनिक टेलीफोन उन सभी व्यक्तियों को तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने और विभागीय औपचारिकताएं पूरी करने पर आबंटित किए जाते हैं जो स्वेच्छा से उनका संचालन करने के लिए तैयार हों।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार, सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग, भूतपूर्व सैनिक/दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त व्यक्तियों, महिलाओं (शिक्षित एवं बेरोजगार), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को तरजीह दी जाती है। जिसे टेलीफोन आबंटित किया जाता है उसे अपना टेलीफोन उपस्कर खरीदना होता है। किराए या संस्थापना संबंधी कोई शुल्क नहीं लिया जाता परन्तु सार्वजनिक कनेक्शन लेने वाले व्यक्ति को कम से कम 1600/-रु० के मासिक राजस्व की गारंटी देनी पड़ती है और एस०टी०डी०/आई०एस०डी० पे-फोन के लिए कम से कम 9600/-रु० की राशि जमा करवानी पड़ती है और उसे प्रथम 10,000 कालों पर 20 पैसे प्रति काल और 10,000 कालों के बाद 10 पैसे प्रति काल कमीशन मिलता है। जहां तक स्थानीय पी०सी०ओ० का संबंध है 40 पैसे प्रतिकाल कमीशन दिया जाता है और फ्रेंचाइजी से एक माह में कम से कम 500 काल यूनिटों के प्रभार लिए जाते हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर विज्ञापन

1099. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टार टी०वी० तथा सी०एन०एन० पर भारतीय उत्पादों के विज्ञापनों के परिणाम-स्वरूप दूरदर्शन पर विज्ञापनों की संख्या मे कमी हुई है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन अपने दर्शकों की रुचि को बनाए रखने हेतु अधिक रुचिकर एवं मनोरंजक कार्यक्रमों को दिखाए जाने के लिए तथा विज्ञापनों इत्यादि से अपने वाणिज्यिक राजस्व को बढ़ाने हेतु लगातार प्रयास कर रहा है।

[अनुवाद]

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978

1100. श्री चन्दू लाल चन्द्राकर :
श्री आनन्द अहिरवार :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) बड़े, तथा छोटे समाचारपत्रों के लिए निर्धारित मानदण्ड मे संशोधन करने के लिए प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 2(3) के अन्तर्गत दिए गए स्पष्टीकरण में संशोधन करने का सरकार ने निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

हड़तालों के कारण इंडियन एयरलाइंस को घाटा

1101. श्री प्रकाश वी० पाटील :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के विमान यातायात नियन्त्रकों, पाइलटों तथा इंजीनियरों तथा अन्य कर्मचारियों के आन्दोलनों जिनमें हड़तालों तथा नियमों के अनुसार कार्य शामिल है, के कारण वर्ष 1990, 1991 तथा 1992 के दौरान अब तक अत्यधिक घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) ऐसे आन्दोलनों को रोकने तथा घाटे से बचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है;

(घ) कर्मचारियों की इन श्रेणियों की अलग-अलग मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के नियम से काम करना/हड़ताल और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई यातायात नियंत्रकों के प्रदर्शन के कारण गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइंस को हुई अनुमानित हानि इस प्रकार है :—

वर्ष	(करोड़ रुपये में)
1990-91	0.57
1991-92	4.91
1992-93	*5.71 (31 अक्तूबर, 1992 तक)

*इसमें हवाई यातायात नियंत्रकों द्वारा प्रदर्शन के कारण अतिरिक्त ईंधन जलने की लागत पर 3.60 करोड़ रुपए शामिल है।

(ग) 1-9-1990 से पांच वर्षों की अवधि के लिए इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के संशोधन के पूरे प्रश्न को राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेज

दिया गया है। कुछ लम्बित मामलों पर राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के अन्तिम निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा निपटान किया गया है। संघों तथा प्रबंधक वर्ग द्वारा उठाए गए विभिन्न विषयों पर चर्चा करने और उनका निपटान करने के लिए द्विपक्षीय वार्ताएं की जाती है। जहां कहीं आवश्यक हो, अनिर्णीत मामलों को सुलह के लिए निर्धारित प्राधिकारियों के पास भेजा जाता है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा गठित अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा हवाई यातायात नियंत्रक गिल्ड की मांगों की जांच की गई। समिति इस बात पर सहमत हुई कि भावी प्रोन्नति मे सुधार करने के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए। समिति कर्मचारियों की सामान्य शिकायतों को सुधारते समय अनुशासन को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है।

(घ) इन श्रेणियों के कर्मचारियों की मुख्य मांगें संलग्न विवरण मे दी गई है।

(ङ.) कुछ मांगें राष्ट्रीय स्वरूप की हैं। अन्य मांगों के बारे में उपर्युक्त के अनुसार कार्रवाई की गई है/की जा रही है।

विवरण

कर्मचारी, जिनका प्रतिनिधित्व भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ द्वारा किया जाता है

1. ए-320 विमानों के परिचालन पर पक्का निर्णय।
2. ए-320 पर निर्णय लंबित रहने के दौरान इंडियन एयरलाइन्स को किसी विदेशी एजेंसी से वेटलीज पर विमान लेने से मना करना चाहिए।
3. निजी उद्यमियों को भारत में वाणिज्यिक हवाई परिवहन का परिचालन करने पर प्रतिबंध होना चाहिए।
4. वायुदूत को केवल फीडर मार्गों पर परिचालन की अनुमति होनी चाहिए।
5. प्रभावी कार्य-चालन के लिए वायु निगम अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स की प्रबन्धक-वर्ग को प्राधिकार बहाल रहना चाहिए।
6. बोइंग-737 विमानचालकों का कलकत्ता स्थानांतरण।
7. सुरक्षा से संबंधित मामले।
8. अतिरिक्त वेतन वृद्धि को मूल वेतन के रूप में समझा जाना चाहिए।
9. 4-10-1992 को बम्बई में महिला विमानचालक और विमान इंजीनियर से संबंधित घटना।
10. कैरियर पैटर्न से संबंधित मौजूदा पंच-निर्णय/समझौतों का उल्लंघन।
11. भोजन भत्ता की दरों में वृद्धि।

12. अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए विशेष यात्रा भत्ते का संशोधन।

कर्मचारी, जिनका प्रतिनिधित्व वायु निगम कर्मचारी संघ द्वारा किया जाता है

1. ए-320 विमानों के परिचालन पर पक्का निर्णय।
2. ए-320 पर निर्णय लंबित रहने के दौरान इंडियन एयरलाइन्स को किसी विदेशी एजेंसी से वेटलीज पर विमान लेने से मना करना चाहिए।
3. निजी उद्यमियों को भारत में वाणिज्यिक हवाई परिवहन का परिचालन करने पर प्रतिबंध होना चाहिए।
4. वायुदूत को केवल फीडर मार्गों पर परिचालन की अनुमति होनी चाहिए।
5. प्रभावी कार्य-चालन के लिए वायु निगम अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक-वर्ग को प्राधिकार बहाल रहना चाहिए।
6. भारत सरकार की औद्योगिक और आर्थिक नीति को पुनः तैयार करना।
7. सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के निजीकरण के लिए सभी उपाय बन्द करना।
8 त्रिपक्षीय महंगाई भत्ता समिति की सिफारिशों को तुरन्त अन्तिम रूप देना।
9. पेंशन के संबंध में बी०पी०ई० के परिपत्र को समाप्त करना।
10. मांग-पत्र पर द्विपक्षीय चर्चा शुरू करना और एन०आइ०टी० को भेजा गया संदर्भ वापस लेना।
11. सभी कर्मचारियों को बोनस की अदायगी सुनिश्चित करना।
12. भर्ती पर रोक वापस लेना।
13. प्रबन्धक-वर्ग में कामगारों की भागीदारी पर विधेयक का तुरन्त अधिनियमन।
14. इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया सहित सार्वजनिक उपक्रमों में अपनियोजन का सहारा न लेना।
15. वायु निगम (उपक्रमों का हस्तांतरण और निरस्त विधेयक) 1992 को वापस लेना।

कर्मचारी जिनका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय विमान इंजीनियर संघ द्वारा किया जाता है

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के इंजीनियरों के बीच वेतन और भत्तों तथा सेवा शर्तों में असमानता को दूर करना।

कर्मचारी जिनका प्रतिनिधित्व भारतीय विमान तकनीशियन संघ द्वारा किया जाता है

1. ए-320 विमानों के परिचालन पर पक्का निर्णय ।
2. ए-320 पर निर्णय लंबित रहने के दौरान इंडियन एयरलाइन्स को किसी विदेशी एजेंसी से वेटलीज पर विमान लेने से मना करना चाहिए ।
3. निजी उद्यमियों को भारत में वाणिज्यिक हवाई परिवहन का परिचालन करने पर प्रतिबंध होना चाहिए ।
4. वायुदूत को केवल फीडर मार्गों पर परिचालन की अनुमति होनी चाहिए ।
5. प्रभावी कार्य-चालन के लिए वायु निगम अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक-वर्ग को प्राधिकार बहाल रहना चाहिए ।
6. वायु निगम अधिनियम, 1953 के निरसन को वापस लेना ।
7. एन०आई०टी० को भेजा गया संदर्भ वापस लेना और द्विपक्षीय वार्ता शुरू करना ।
8. मांग-पत्र पर अन्तिम निर्णय होने तक वेतन-अन्तरिम सहायता ।
9. इंडियन एयरलाइन्स के सभी कर्मचारियों के लिए उपयुक्त पेंशन योजना शुरू करना ।
10. मौजूदा डी०ए० टैरिफ को तुरन्त अन्तिम रूप देना ।
11. मौजूदा बोनस सीमा को बढ़ाना ।
12. तकनीशियनों के लिए प्रणाली का अनुमोदन शुरू करना ।
13. निरीक्षकों का अधिक अनुमोदन/कवरेज ।
14. मौजूदा कार्यभार से बाहर के ठेके के सभी उपायों को रोकना ।
15. समता/सापेक्षता कायम करना ।
16. आर०टी० भत्तों में वृद्धि ।

कर्मचारी जिनका प्रतिनिधित्व भारतीय उड़ान इंजीनियर्स संघ द्वारा किया जाता है

1. ए-320 विमानों के परिचालन पर पक्का निर्णय ।
2. ए-320 पर निर्णय लंबित रहने के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स को किसी विदेशी एजेंसी वेटलीज पर विमान लेने से मना करना चाहिए ।

3. निजी उद्यमियों को भारत में वाणिज्यिक हवाई परिवहन का परिचालन करने पर प्रतिबंध होना चाहिए।

4. वायुदूत को केवल फीडर मार्गों पर परिचालन की अनुमति होनी चाहिए।

5. प्रभावी कार्य-चालन के लिए वायु निगम अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अनुसार इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक-वर्ग को प्राधिकार बहाल रहना चाहिए।

6. ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) पदोन्नति।

7. अतिरिक्त विशेष यात्रा भत्ता।

8. आई० एन० एस० भत्ता।

9. पारगमन जांच/जांच "ए" निरीक्षण।

कर्मचारी, जिनका प्रतिनिधित्व एयरलाइन्स रेडियो अधिकारी और उड़ान प्रचालन अधिकारी संघ द्वारा किया जाता है

1. ए-320 विमानों के परिचालन पर पक्का निर्णय।

2. ए-320 पर निर्णय लम्बित रहने के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स को किसी विदेशी एजेंसी से वेटलीज पर विमान लेने से मना करना चाहिए।

3. निजी उद्यमियों को भारत में वाणिज्यिक हवाई परिवहन का परिचालन करने पर प्रतिबंध होना चाहिए।

4. वायुदूत को केवल फीडर मार्गों पर परिचालन की अनुमति होनी चाहिए।

5. प्रभावी कार्य-चालन के लिए वायु निगम अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अनुसार इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक वर्ग को प्राधिकार बहाल रहना चाहिए।

6. कम्प्यूटर भत्ते की अदायगी।

7. फ्लाइट क्लीयरेंस भत्ता।

कर्मचारी, जिनका प्रतिनिधित्व हवाई यातायात नियंत्रक गिल्ड द्वारा किया जाता है

1. गतिरोध को हटाने के लिए सभी स्तरों पर समय-सीमा पदोन्नति सुनिश्चित करना।

2. हवाई अड्डों का प्रबन्ध विमान क्षेत्र प्राधिकारियों को न्हाल करना।

3. सभी हवाई यातायात नियंत्रकों को रात्रि भार/पारी भत्ता और सप्ताह में छुट्टी।

4. ए०टी०सी० कार्मिकों को उनके कार्य के स्वरूप के कारण अपेक्षाकृत उच्च स्तर का समझा जाए।

[अनुवाद]

दूरदर्शन और आकाशवाणी का विभाजन

1102 श्री महेश कनोडिया :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री राम सिंह कास्वां :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री सुबास चन्द्र नायक :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के कर्मचारियों से दूरदर्शन और आकाशवाणी का विभाजन करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) विस्तार में विभाजन तथा इसके प्रभाव के प्रश्न पर विचार करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है ।

अखबारी कागज नियंत्रण आदेश को वापस लेना

1103. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
डॉ० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समाचार पत्र समिति ने अखबार उद्योग से सभी प्रकार के नियंत्रणों को पूरी तरह से हटाने और अखबारी कागज नियंत्रण को वापस लेने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसे मामलों में सरकार का उत्तर देशी अखबारी कागज निर्माताओं के साथ-साथ प्रेस के स्वास्थ्यवर्धक वृद्धि के हित में बनाई गई नीति के अनुरूप होता है ।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

1104. श्री शरत चन्द्र पटनायक : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान उड़ीसा की किन-किन सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए योरोपीय आर्थिक समुदाय (ई०ई०सी०) को भेजने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजनाएं पश्चिमी उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में भी स्थापित की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उड़ीसा की सालन्दी सिंचाई परियोजना को वर्ष 1992-93 के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है। एक लघु सिंचाई परियोजना जिसमें पूर्वी उड़ीसा के पुरी, गंजम और फुलबनी जिले शामिल हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय सहायता के लिए विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण

1105. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कई जिलों में टेलीफोन एक्सचेंज ठीक ढग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के अधिकांश टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्य सन्तोषजनक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एक्सचेंज यदाकदा अधिक समय तक बिजली फेल रहने, अथवा चोरी अथवा खुली तार जंक्शन लाइनों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण काम नहीं करते।

(ग) कार्य-निष्पादन में आगे और सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(i) करचल (मैनुअल) और पुरानी प्रौद्योगिकी के एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदलना।

(ii) अनुरक्षण रूटों पर सुपरविजन (पर्यवेक्षण कार्य) सुदृढ़ करना।

[अनुवाद]

गुवाहाटी दूरदर्शन केन्द्र से बंगाली कार्यक्रम

1106. **श्री सुब्रत मुखर्जी :**
श्री जितेन्द्र नाथ दास :
डॉ० असीम बाला :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुवाहाटी/डिब्रूगढ़ आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों से बंगाली कार्यक्रमों के दैनिक प्रसारण के लिए कितना-कितना समय नियत है;

(ख) क्या सरकार गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों से बंगाली कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए अधिक समय नियत करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) आकाशवाणी, डिब्रूगढ़ और दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी बंगला भाषा में कोई कार्यक्रम प्रसारित/टेलीकास्ट नहीं करता है। दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी से प्राप्त कार्यक्रमों की प्ले बैक रिकार्डिंग को छोड़कर इस समय दूरदर्शन केन्द्र, डिब्रूगढ़ कोई कार्यक्रम नहीं बनाता है। आकाशवाणी, गुवाहाटी प्रत्येक सप्ताह 10 मिनट का रवीन्द्र संगीत प्रसारित करता है। इस समय इस पद्धति में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

फिल्मी पत्रकारों को मान्यता

1107. **श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फिल्मी पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मानदण्ड क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) पत्र सूचना कार्यालय, केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन नियमावली 1985 के अनुसार मीडिया/फिल्म आलोचकों सहित समाचार मीडिया के प्रतिनिधियों को प्रत्यायित करता है। इन नियमों के अनुसार फिल्म मैगजीनों/आवधिकों के लिए कार्य कर रहे कुछ व्यक्तियों को मीडिया/फिल्म आलोचकों की तरह प्रत्यायन सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(ख) फिल्म/मीडिया आलोचक के रूप में प्रत्यायन के लिए पात्र व्यक्ति को सम्बद्ध क्षेत्र में पांच वर्ष से अधिक का नियमित तथा पूर्णकालिक अनुभव होना चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों की स्थापना

1108. श्री मोहन सिंह देवरिया) : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में इस्पात की वार्षिक आपूर्ति और मांग क्या है;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 177.6 लाख टन तैयार इस्पात की प्रक्षेपित मांग की तुलना में वर्ष 1992-93 में तैयार इस्पात का उत्पादन 161.2 लाख टन तक होने की संभावना है।

(ख) और (ग) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति में इस्पात उद्योग को इंडस्ट्रीज (डी एण्ड आर) ऐक्ट, 1951 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेने के प्रावधानों से छूट दे दी गई है। केवल उन्हीं उद्यमियों को सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की जरूरत पड़ती है जिनकी इकाई 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर से 25 कि०मी० की दूरी के अन्दर स्थित हो। अन्य मामलों में उन्हें प्रस्तावित परियोजना की क्षमता, स्थान-स्थिति इत्यादि दर्शाते हुए सरकार को केवल ज्ञापन प्रस्तुत करने की जरूरत होती है।

नई इस्पात परियोजनाओं तथा विद्यमान क्षमताओं के विस्तार के लिए भारी संख्या में औद्योगिक उद्यमियों के ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। कर्नाटक तथा उड़ीसा की राज्य सरकारों ने एकीकृत इस्पात संयंत्रों को संयुक्त क्षेत्र में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव दिया है। निजी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों द्वारा बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की भी अभिरुचि व्यक्त की गई है।

मंत्रालय में अनुसूचित जनजातियों के पद

1109. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों और अधिकारियों के कुछ पद खाली पड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान कितने पदों को भरा गया है; और

(ग) उक्त पदों को भरने के लिए बनाए गए समय-बद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे यथाशीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

कर्नाटक की अरकावती मध्यम सिंचाई परियोजना

1110. श्रीमती बासवा राजेश्वरी :
श्री बी० कृष्णा राव :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरकावती मध्यम सिंचाई परियोजना, कनकपुरा, जिला बंगलौर के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति क्या है;

(ख) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 22.25 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की अरकावती जलाशय परियोजना, जिसमें बंगलौर जिले में 8560 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित करने के लिए कावेरी बेसिन में 3.459 हजार मिलियन घन फुट जल के उपयोग की परिकल्पना की गई है, मई, 1985 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। बेसिन राज्यों के बीच कावेरी जल के बंटवारे के सम्बन्ध में मामलों का समाधान न होने के कारण यह परियोजना अप्रैल, 1987 में राज्य सरकार को लौटा दी गयी थी।

[हिन्दी]

हवाई अड्डों को विदेशी एयरलाइनों के साथ जोड़ना

1111. श्री बारे लाल जाटव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी एअरलाइनों के साथ जुड़े हवाई अड्डों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ और हवाई अड्डों को विदेशी एयरलाइनों के साथ जोड़ने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई

अड्डे, अर्थात् कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास और त्रिवेन्द्रम विदेशी एयरलाइनों से जुड़े हुए हैं। कुछ विदेशी एयरलाइनें त्रिची तथा अमृतसर के लिए परिचालन करती हैं। इनके अतिरिक्त, विदेशों से गोवा के लिए/वहां से होकर चार्टर उड़ानें भी परिचालित की जाती हैं।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान हवाई अड्डे भारत के लिए/भारत से होकर अन्तरराष्ट्रीय हवाई यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे गए हैं।

[अनुवाद]

डा० मुखर्जी, वीर सावरकार तथा कृष्ण पर दूरदर्शन धारावाहिक

1112. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :
श्री गुमान मल लोढा :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकार तथा कृष्ण पर दूरदर्शन धारावाहिक प्रसारण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये धारावाहिक स्वीकृति हेतु कब से लम्बित हैं; और

(ग) इनका प्रसारण कब तक किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन ने "डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी" तथा "वीर सावरकर" शीर्षक के अन्तर्गत टी० वी० धारावाहिक हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया। नई प्रायोजित स्कीम, 1990 के अन्तर्गत "कृष्णा" धारावाहिक हेतु प्रस्ताव को चयन समिति द्वारा संस्तुति दी जा चुकी है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

केबल टी० वी० और डिश एंटीना हेतु लाइसेंस प्रणाली

1113. श्रीमती भावना चिखलिया :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
डा० लाल बहादुर रावल :

श्री राजेश कुमार :
श्री हरि किशोर सिंह :
श्री मृत्युञ्जय नायक :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री लोकनाथ चौधरी :
डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री समत कुमार मंडल :
डा० ए० के० पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में केवल टी० वी० नेटवर्क और डिश एन्टीना प्रणालियों के लिए लाइसेंस प्रणाली लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) डिश एण्टीना के माध्यम से टी०वी० कार्यक्रमों को वितरित करने/तथा सार्वजनिक सड़कों को पार करती हुई/सार्वजनिक सड़कों के साथ केबल बिछाने के माध्यम से केबल टी०वी० नेटवर्क की स्थापना के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत लाइसेंस लेना अपेक्षित होता है। देश में केबल टी०वी० नेटवर्कों तथा डिश एण्टीना प्रणालियों को और अधिक विनियमित करने के मामले पर सरकार ने पहले ही विचार करना शुरू कर दिया है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा विद्युत पारेषण और वितरण

1114. डा० लाल बहादुर रावल :
श्री नीतीश कुमार :
श्री सुखदेव पासवान :
डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ महानगरों में विद्युत पारेषण और वितरण का कार्य निजी क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन महानगरों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने विद्युत पारेषण और वितरण का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने की दृष्टि से एक कृतिक बल का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस कृतिक बल का गठन कब किया गया था और इसे अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था;

(ङ) क्या उक्त कृतिक बल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) इस समय बम्बई, कलकत्ता तथा अहमदाबाद जैसे महानगरों के कुछ भागों में बिजली का वितरण निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा किया जाता है।

(ग) से (च) दिल्ली के कुछ भागों में बिजली का उत्पादन, पारेषण तथा वितरण करने तथा दिल्ली में बिजली के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण सम्बन्धी कार्यों को निजी क्षेत्र को सौंपे जाने की संभावनाओं सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच-पड़ताल करने के लिए सरकार द्वारा अगस्त, 1992 में एक कृतिक बल का गठन किया गया था। इस कृतिक बल द्वारा इन दो पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट क्रमश: 15-9-1992 तथा 15-10-1992 तक प्रस्तुत करनी थी। कृत्रिम बल ने अभी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास नियम के कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

1115. **डा० राजागोपालन श्रीधरण** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आज तक का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं: और

(ग) इनमें से पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम की स्वेच्छा सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत 97 कार्यपालकों और 875 गैर-कार्यपालकों ने सेवानिवृत्ति ली है।

(ग) पुरुषों और महिलाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

पुरुष	921
महिलाएं	52

बिहार में डाक-तार कार्यालय

1116. श्री ललित उरांव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान बिहार में स्थापित किए जाने वाले डार-तार कार्यालयों की जिलेवार संख्या क्या है;

(ख) इसके लिए जिलेवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) प्रत्येक लिले में अब तक स्थापित किए गए डार-तार कार्यालयों का क्या ब्यौरा है; और

(घ) सीतामढ़ी जिले सहित शेष बाकी डार-तार कार्यालयों के कब तक स्थापित कर लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) तारघर—1992 में जितने तारघर खोलने का प्रस्ताव है, उनका जिलावार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

डाकघर—जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ख) **तारघर**—बिहार के लिए अलग से कोई राशि निर्धारित नहीं है।

डाकघर—1992-93 के दौरान डाकघर खोलने के लिए बिहार सर्किल को 5.50 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।

(ग) **तारघर**— प्रत्येक जिले में अब तक खोले गए तारघरों का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

डाकघर—जानकारी एकत्र की जा रही है।

(घ) **तारघर**—जिस समय तक शेष तारघर खोले जाने की संभावना है, जिनमें सीतामढ़ी जिले में खोले जाने वाले तारघर भी शामिल हैं, उसका ब्यौरा विवरण-3 में दिया गया है।

डाकघर—जानकारी एकत्र की जा रही है।

विवरण-1

बिहार सर्किल में 1992 के दौरान जिलावार खोले जाने वाले प्रस्तावित तारघरों का विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	1992 में खोले जाने वाले प्रस्तावित तारघरों की संख्या	
		तारघर	संयुक्त डाकतार घर
1	2	3	4
1.	मोतीहारी	—	2

1 2	3	4
2. दुमका	—	3
3. दरभंगा	—	3
4. गोपालगंज	—	2
5. खगड़िया	—	2
6. नवादा	—	3
7. रांची	—	4
8. समस्तीपुर	—	2
9. सीतामढ़ी	—	2
10. हाजीपुर (वैशाली)	—	4
11. बांका	1	2
12. बक्सर	1	—
13. झाबुआ	1	—
14. जामुई	1	3
15. साहिबगंज	1	—
16. सुपौल	1	—
17. किशनगंज	1	1
18. चतरा	1	—
19. गढ़वा	1	—
20. गुमला	1	—
21. बाढ़	1	—

विवरण-2

प्रत्येक जिले में अब तक खोले गए तारघरों का विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	प्रत्येक जिले में अब तक स्थापित किए तारघरों का विवरण	
		तारघर	संयुक्त डाकतार घर
1.	बांका	1	—
2.	बक्सर	1	—
3.	भाभुआ	1	—
4.	जामुई	1	—
5.	साहिबगंज	1	—
6.	सुपौल	1	—
7.	किशनगंज	1	—

विवरण-3

बिहार में जिस समय तक शेष तारघरों को खोले जाने की संभावना है, उसका विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	जिस समय तक शेष घरों को खोले जाने की संभावना है, जिसमें सीतामढ़ी जिले के तारघर भी शामिल हैं	
		तारघर	सयुक्त डाकतार घर
1	2	3	4
1.	मोतीहारी	—	दिसम्बर, 1992
2.	दरभंगा	—	दिसम्बर, 1992
3.	गोपालगंज	—	दिसम्बर, 1992
4.	खगड़िया	—	दिसम्बर, 1992
5.	नवादा	—	दिसम्बर, 1992

1	2	3	4
	6. रांची	—	दिसम्बर, 1992
	7. समस्तीपुर	—	दिसम्बर, 1992
	8. सीतामढ़ी	—	दिसम्बर, 1992,
	9. हाजीपुर (वैशाली)	—	दिसम्बर, 1992
	10. बांका	—	दिसम्बर, 1992
	11. जामुई	—	दिसम्बर, 1992
	12. दुमका	—	दिसम्बर, 1992
	13. किशनगंज	—	दिसम्बर, 1992
	14. चतरा	दिसम्बर, 1992	—
	15. गढ़वा	दिसम्बर, 1992	—
	16. गुमला	दिसम्बर, 1992	—
	17. बाढ़	दिसम्बर, 1992	—

दिल्ली में बढ़ी हुई राशि के टेलीफोन बिल

1117. **श्री नरेश कुमार बालियान :**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम को दिल्ली में उपभोक्ताओं से बढ़ी हुई राशि के टेलीफोन बिलों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन केन्द्र-वार पिछले छह महीनों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कोई जांच की गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां। अधिक राशि के बिलों के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) मई, 1992 से अक्तूबर, 1992 तक पिछले 6 महीनों के दौरान अधिक राशि के बिलों की 5913 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एक्सचेंज-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मौजूदा विभागीय अनुदेशों के अनुसार अधिक राशि के बिलों संबंधी प्रत्येक शिकायत की हर पहलू से पूर्णतया जांच की जाती है, और औचित्यपूर्ण मामले में उपभोक्ता को छूट भी दी जाती है।

(घ) जिन उपर्युक्त मामलों में जांच की गई उनमें से किसी भी मामले में कोई विभागीय कर्मचारी संलिप्त नहीं पाया गया।

विवरण

5 मई 1992 से अक्तूबर, 1992 तक प्राप्त अधिक राशि के बिलों की शिकायतों की संख्या

क्रम सं०	एक्सचेंजों का नाम	अधिक राशि के बिलों की शिकायतों की संख्या
1	2	3
1.	जनपद	156
2.	जोरबाग	260
3.	किदवई भवन	181
4.	राजपथ	146
5.	सेना भवन	77
6.	लोधी रोड	26
7.	चाणक्यपुरी	335
8.	हौजखास	309
9.	नेहरू प्लेस	549
10.	बसन्त कुंज	47
11.	छत्तरपुर	10
12.	तेहखण्ड	15

1	2	3
13.	ओखला	281
14.	अलीपुर	1
15.	बादली	9
16.	तीस हजारी	677
17.	शक्ति नगर	540
18.	नरेला	12
19.	लारेन्स रोड	50
20.	रोहिणी (उत्तरी)	90
21.	रोहिणी (दक्षिणी)	32
22.	दिल्ली छावनी	23
23.	जनकपुरी	190
24.	करोलबाग	539
25.	राजौरी गार्डन	469
26.	नजफगढ़	8
27.	शादीपुर	31
28.	पश्चिम विहार	133
29.	हरी नगर	19
30.	नांगलोई	14
31.	दरिया गंज	110
32.	ईदगाह	253
33.	लक्ष्मी नगर	134
34.	यमुना बिहार	50
35.	मयूर बिहार	36
36.	शाहदरा	101
	कुल :	5913

महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देना

1118. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1992 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत और कितने अस्वीकृत किए गए और कितने लम्बित पड़े हैं तथा प्रत्येक प्रस्ताव को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 30 जून 1992 तक तीन वर्ष की अवधि में महाराष्ट्र में पर्यटन के विकास के लिए चालीस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) इकत्तीस प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया है और अनुपयुक्त होने के कारण नौ प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया गया था। 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं था।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र राज्य को वित्तीय सहायता देने हेतु 236.70 लाख रुपए निर्धारित किए हैं।

[हिन्दी]

देश में एस० टी० डी० सुविधायुक्त टेलीफोन

1119. श्रीमती सरोज दुबे : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एस० टी० डी० सुविधा के अन्तर्गत दिसम्बर, के अन्त तक कितने टेलीफोन लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या भारी संख्या में एस० टी० डी० पी० सी० ओ० लगाए जाने के कारण दूरसंचार प्रणाली की कार्यकरण क्षमता बढ़ी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा दूरसंचार प्रणाली की कार्यकरण क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 1992 के अन्त तक 3.4 लाख अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की आशा है। चूंकि उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा वैकल्पिक होती है अतः इस प्रकार सही संख्या नहीं बतलाई जा सकती है।

(ख) एस० टी० डी०/स्थानीय पी० सी० ओ० पांच प्रतिशत आरक्षित में से प्रदान किए जाते हैं अतः इस प्रणाली की कार्य क्षमता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में स्वर्ण भंडार

1120. **श्री शिबू सोरेन :**
श्री के० प्रधानी :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री विजय कुमार यादव :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सीमावर्ती जिले पूर्वी सिंहभूम के पोटका खण्ड में कुन्दरकोया गांव में और राजगीर पहाड़ियों तथा जमुई जिला के करमटिया में "स्वर्ण भण्डार" में सोने के भारी भण्डार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों से सोने के उत्खनन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) वहां पर स्वर्ण-खनन कब तक शुरू किए जाने की सभावना है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्यों के कोटे से दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

1121. **श्री गया प्रसाद कोरी : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस वर्ष संसद सदस्यों के कोटे से अभी तक कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने इन सभी स्वीकृत टेलीफोन कनेक्शनों को स्वीकृत होने की तिथि से एक माह के अन्दर लगा दिए थे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त टेलीफोनों को समय पर लगाने हेतु जारी की जा रही दिशा निर्देशों का ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) दिल्ली में 1-1-92 से 31-10-92 तक संसद सदस्यों के कोटे से 1292 टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए हैं।

(ख) और (ग) सामान्यतया कनेक्शन 30 दिन के भीतर प्रदान कर दिए जाते हैं बशर्ते कि यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो और आवेदक ने औपचारिकताएं पूरी कर दी हों।

(घ) स्थायी अनुदेशों के अनुसार 30 दिन के भीतर ऐसे सभी कनेक्शन प्रदान किए जाने होते हैं। लंबित मामलों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं हैं, वहां भी कनेक्शन शीघ्रता से प्रदान किए जाने के प्रयास किए जाते हैं।

पर्यटन के नए क्षेत्र

1122. **श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से पर्यटन के नये क्षेत्र स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) मई, 1992 में संसद में प्रस्तुत की गई पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में गहन विकास हेतु 17 परिपथों/गंतव्य स्थलों का सुझाव दिया गया है। इन अभिनिर्धारित परिपथों/गंतव्य स्थलों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। यह राज्य सरकारों और पर्यटन उद्योग से परामर्श करके किया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय कार्य योजना में गहन विकास हेतु अभिनिर्धारित परिपथ-व-गंतव्य-स्थल

यात्रा परिपथ

1. कुल्लु-मनाली-लेह

2. ग्वालियर-शिवपुरी-ओरछा-खजुराहो

3. बागडोगरा-सिक्किम-दार्जिलिंग-कालिम्पोंग

4. भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क

5. हैदराबाद-नागार्जुनसागर-तिरूपति

6. मद्रास-महाबलीपुरम-पांडिचेरी

7. ऋषिकेश-नरेन्द्र नगर-गंगोत्री-बदरीनाथ

8. इन्दौर-उज्जैन-महेश्वर-ओंकारेश्वर-मांडु

9. जैसलमेर-जोधपुर-बीकानेर-बाड़मेर

10. रायगढ़ किला-जजीरा किला-कुडा गुफाएं-श्रीवर्धन-हरिहरेश्वर-सिंधु दुर्ग

11. बंगलोर-मैसूर-हसन

गंतव्य स्थल

1. लक्षद्वीप द्वीप-समूह

2. अण्डमान द्वीप-समूह

3. मनाली (सोलांगनाला)

4. बेकल समुद्र तट

5. मुत्तुकाडु समुद्र तट

6. कांगड़ा (पौंग डेम)

अजमेर में दूरदर्शन रिले केन्द्र

1123. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अजमेर में एक उच्च शक्ति दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गयी है;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(घ) राजस्थान में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों को शक्तिशाली बनाने के लिए शुरू की गयी योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का राज्य के मरूस्थलीय पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन की व्यवस्था करने को प्राथमिकता देने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) अजमेर में उच्च शक्ति (10 कि०वा०) टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेने के लिए कारंवाई चल रही है तथापि इस दौरान 284.20 लाख रुपए की लागत के उस उपकरण, जिसकी डिलवरी में काफी समय लगता है, के लिए निर्माताओं को पहले ही आर्डर दे दिए गए हैं। साधनों तथा आधारभत सुविधाओ के उपलब्ध होने पर सक्षम प्राधिकारी से इस स्कीम का अनुमोदन मिलने के बाद इसके पूरा होने में लगभग तीन वर्ष का समय लगेगा।

(घ) से (च) राजस्थान सहित देश के मरुस्थलीय, पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज को प्राथमिकता देने का दूरदर्शन का सतत् प्रयास रहता है। इस उद्देश्य से साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए अजमेर, अनूपगढ़, बाडमेर, बूंदी, जैसलमेर, जोधपुर तथा नाथद्वारा में पहले से ही कार्यरत मौजूदा अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटरों के स्थान पर इस समय उच्च शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं/लगाए जाने की परिकल्पना है। इसके अलावा राजस्थान राज्य में दूरदर्शन सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए राजस्थान में 19 अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर भी लगाए जा रहे है/लगाए जाने की परिकल्पना है। इन परियोजनाओं के चालू हो जाने पर राज्य का अनुमानित 83.4% क्षेत्र तथा 79.9% जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा के अन्तर्गत लाए जाने की उम्मीद है। इन आंकड़ों में किनारे के सेवा क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां संतोषजनक रिसेप्शन प्राप्त करने के लिए ऊंचे एण्टीना तथा बूस्टर लगाने अपेक्षित हैं।

[अनुवाद]

एयर बस तथा बोइंग विमानों हेतु रिपेयर बेस का निर्माण

1124. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्वालियर में एयर बस तथा बोइंग विमानों के लिए एक रिपेयर बेस बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह मरम्मत सुविधा विदेशी एयरलाइनों को भी प्रदान की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योमा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के जलगांव में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता

11ˆ5. डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के जलगांव जिले में इस समय कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं और प्रत्येक एक्सचेंज की पृथक-पृथक क्षमता क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त पृथक-पृथक एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए वर्ष 1992-93 में इन टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रतीक्षा सूची के अनुसार लोगों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक प्रदान कर दिए जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 108 टेलीफोन कनेक्शन हैं और प्रत्येक एक्सचेंज की क्षमता और टेलीफोन कनेक्शनों के लिए पिछले तीन वर्षों की स्थिति विवरण में दी गई है।

(ख) और (घ) जी हां । 6 एक्सचेंजों तथा अन्य एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने का कार्य 1992-93 के बाद उपस्कर की उपलब्धता और टेलीफोनों की मांग के आधार पर किया जाएगा । 1992-93 के दौरान 6 एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

एक्सचेंज का नाम	वर्तमान क्षमता	मार्च 93 तक विस्तार
1. अदावद	88	176
2. ऐनपुर-आर	45	88
3. भाडागांव-यू	176	264
4. चोपाडा-यू	360	512
5. पचोर	600	1000
6. रावर	254	512

(ङ) प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-97) के दौरान

उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है जिसकी संकल्पना में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

— ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के मांग होने पर व्यवहारिक रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना।

— बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा अवधि को दो वर्ष तक सीमित करना।

तद्नुसार महाराष्ट्र के जलगांव जिले के लिए विस्तार कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

विवरण

जलगांव जिला (महाराष्ट्र) के टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची उनकी सज्जित क्षमता तथा उन एक्सचेंजों में पिछले तीन वर्ष की प्रतीक्षा सूची की स्थित

क्रमसं०	नाम	सज्जित क्षमता	पिछले तीन वर्ष से प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	अदावद	88	—
2.	ऐनपुर-आर	45	5
3.	अमादव-आर	35	—
4.	आमलगांव-आर	35	—
5.	अमलनेर-यू	1000	55
6.	अंगोला-आर	35	—
7.	अंतुरली-आर	88	—
8.	बहादुरपुर-आर	25	—
9.	बग्नोड़-आर	176	1
10.	भाडागांव-यू	176	—

1	2	3	4
11.	भदाली-आर	35	8
12.	भलोद-आर	35	—
13.	भोकर-आर	30	—
14.	भुसावल-आर	1200	223
15.	बोडवाद-आर	176	15
16.	चहारदी-आर	10	—
17.	चालीसगांव-यू	1300	84
18.	चन्दूसर-आर	25	—
19.	चांगदाओ-आर	25	3
20.	चोपाडा-आर	360	40
21.	दाहोगांव-आर	25	—
22.	वहीवाड-आर	25	—
23.	देभूलगांव-आर	25	—
24.	धनोरा-आर	56	—
25.	धारनगांव-आर	176	—
26.	एदलबाद-यू	176	1
27.	इरोन्डल-यू	264	—
28.	फत्तेपुर-आर	88	—
29.	गऊखेड़ा-आर	45	—
30.	गोंदेगांव-आर	25	—
31.	घोडगांव-आर	25	—
32.	गुधो-आर	35	—
33.	हाटला-आर	25	—
34.	ईदगांव-आर	25	1

1	2	3	4
35.	अलमांव-यू	6600	916
36.	अन्नार-यू	384	—
37.	आमथी-यू	56	—
38.	आनवा-आर	25	—
39.	काजगांव-आर	176	—
40.	कनालडा-आर	56	2
41.	करलोस-आर	25	—
42.	कसोडा-आर	176	—
43.	कथोरा-आर	25	—
44.	खचेमा-आर	25	—
45.	खानापुर-आर	25	—
46.	खरोही-आर	25	—
47.	खोडगांव-आर (एन)	10	—
48.	खीजवाड-आर	56	—
49.	खिररेदा-आर	56	2
50.	किनगांव-आर	176	—
51.	किनही-आर	35	—
52.	कुरहा कालोडा	88	—
53.	कुरहा (पी)-आर	56	—
54.	लासुर-आर	25	—
55.	लोहुतार-आर	10	—
56.	लोहुरा-आर	25	—
57.	मालदाकाड़ी-आर	10	—

1	2	3	4
58.	मंगरूल-आर	10	—
59.	मारवा-आर	56	—
60.	मोहनबारा-आर	25	3
61.	महासवाड-आर	88	2
62.	मोधखेड़-डी	35	—
63.	मुडी-आर	25	3
64.	नागाव-आर	35	4
65.	नागरदेवला-आर	56ए	—
66.	नांदरा-आर	56	—
67.	नान्देड़-आर	25	—
68.	नशीराबाद-आर	176	1
69.	नारी-आर	88	—
70.	निम्बहेड़ा-आर	176	4
71.	नीमखडी-आर	25	—
72.	पचोरा-यू	600	25
73.	पाहुर-आर	176	—
74.	पाल-आर	56	—
75.	पालडी-आर	88	—
76.	परबला-यू	264	15
77.	पिंपलगांव-आर	35	—
78.	पिंपलकोठा-आर	25	—
79.	पिंपरी	38	7
80.	राजवाड़ा-आर	10	—

1	2	3	4
81.	राजनगांव-आर	10	—
82.	रावार-यू	264	124
83.	साईगांव-आर	35	—
84.	सलिओर	88	—
85.	मालवा-आर	35	—
86.	मंदुराय-आर	88	—
87.	सावदा-फौजपुर	384	4
88.	शिरौली-आर	56	—
89.	सोग्वाड़-आर	35	—
90.	सुनमागांव-आर	25	—
91.	तालेगांव-आर	56	—
92.	तमसवाड़ी-आर	25	—
93.	टांकलवाड़ी-आर	88	—
94.	टोंडापुर-आर	35	—
95.	उद्दांडा-आर	56	1
96.	उंबरखेड़ा-आर	25	—
97.	उटरान-आर	45	—
98.	उत्खेड़ा-आर	45	—
99.	वारनगांव-आर	264	—
100.	वारडी-आर	25	—
101.	वारखेडी-आर	25	—
102.	विरवाड़ा	10	—
103.	वाहील-आर	88	—

1	2	3	4
104.	बकोई-आर	25	—
105.	बाकोड-आर	25	—
106.	याबाल-यू	264	11
107.	खेड़गांव-आर	25	—
108.	परधाड़े-आर	25	—

उत्तर प्रदेश में जोशीमठ में कम शक्ति का टी०वी० ट्रांसमीटर

1126. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में जोशीमठ में एक कम शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने का है; और

(ख) इस परियोजना पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है तथा इस परियोजना के कब चालू होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी हां। उत्तर प्रदेश में जोशीमठ में एक अति अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है। इस परियोजना को अनुमोदित पूंजीगत लागत 70.81 लाख रुपए है। वर्तमान संकेतों के अनुसार इस टी० वी० ट्रांसमीटर के 1994 के दौरान चालू हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन

1127. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर सरकार ने मुम्बई, दिल्ली और मद्रास में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा स्थापित करने और देश में अनेक भारतीय टेलीफोन निर्माता कम्पनियों में पूंजी-निवेश करने के लिए सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा की लागत को पूरा करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इसकी अनुमानित लागत और उत्पादन क्षमता कितनी है तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संघटकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश के गांवों में टेलीफोन एक्सचेंज

1128. **प्रो० प्रेम धूमल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में अनेक गांवों में आम जनता के जिन ग्यारह अथवा इससे अधिक व्यक्तियों ने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए 1989 से पहले धनराशि जमा करायी थीं;

(ख) क्या उन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर दिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन टेलीफोन एक्सचेंजों के कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है और ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे; और

(ङ) किन-किन स्थानों पर वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां, 79 ऐसे स्थानों में से 31-10-1992 तक 62 स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज/सेवाएं प्रदान कर दी गई हैं।

(घ) और (ङ) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(I) निम्नलिखित स्थानों पर 1992-93 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है :

1. कश्मीर
2. कुठेरा
3. लोहारा
4. लोअरकोटि
5. रायपुर मैदान

(II) निम्नलिखित स्थानों पर 1993-94 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है :

1. घणास　　(वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज को बरमना से बेरीमेंशिफ्ट करने के बाद इस क्षेत्र को बेरी में प्रस्तावित एक्सचेंज से सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है ।)

2. करोटे

3. खमेड़ा

4. कोहबाग

(III) निम्नलिखित स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना, अन्य एक्सचेंजों से जोड़े जाने से सम्बन्धित तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर करती है । इसका अध्ययन किया जा रहा है :

1. बेहल

2. चाम्बी

3. जकतरखाना

4. कोहार

5 किंगल

6. मझीन

7. नकरोद

8. रिबा

[अनुवाद]

केरल में आई०एस०डी०/एस०टी०डी० बूथ

1129. श्री रमेश चेन्नितला : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अभी तक स्वीकृत आई० एस० डी०/एस० टी० डी० बूथों की जिले-वार संख्या क्या है;

(ख) आई० एस० डी०/एस० टी० डी० बूथों की स्वीकृति हेतु लम्बित आवेदनों का जिले-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) लम्बित आवेदनों का निपटान करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है।

(ग) तकनीकी व्यवहार्यता और विभागीय औपचारिकताएं पूरी हो जाने पर लम्बित आवेदनों का उत्तरोत्तर निपटान कर दिया जाएगा।

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	मंजूर किए गए आई०एस०डी०/ एस०टी०डी० बूथों की संख्या	आई०एस०डी०/ एस०टी०डी० बूथों की मंजूरी के लिए लम्बित आवेदनों की संख्या
1.	तिरुवंतपुरम	193	380
2.	कोल्लम	107	156
3.	अल्लप्पी	80	236
4.	एरनाकुलम (इडुक्की सहित)	407	400
5	त्रिचूर	229	310
6.	पलक्केड	190	231
7.	कालीकट	263	859
8.	मालापुरम	97	154
9.	वायनाद	16	160
10	कन्नूर	91	418
11.	कसरगोद	87	150
12.	माहे	12	16
13.	पतनमथिट्टा	135	120
14.	कोट्टायम	132	84

[हिन्दी]

दिल्ली में बिजली के अनधिकृत कनैक्शन

1130. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत छः महीनों के दौरान दिल्ली में बिजली के अनधिकृत कनैक्शनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस संदर्भ में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) अनधिकृत विद्युत कनैक्शनों को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

विद्युत मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) मई-अक्तूबर, 1992 की अवधि के दौरान, डेसू द्वारा अनधिकृत बिजली कनैक्शनों सम्बन्धी 9968 मामलों का पता लगाया गया था और इस सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस द्वारा 156 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत, ऊर्जा की चोरी को एक सज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। बिजली की चोरी एव इसके उपयोग के संदर्भ में अन्य उल्लंघनों के विरुद्ध डेसू द्वारा छापों में तेजी लाई गई है और उपर्युक्त आपराधिक कार्यों में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) दर्ज की जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय तार अधिनियम, 1885 की समीक्षा

1131. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तार अधिनियम, 1885 की समीक्षा के लिए गठित समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

विवरण

समिति ने, भारतीय तार अधिनियम (1885), भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम,

(1933) और भारतीय तार यंत्र से सम्बन्धित तार अवैधानिक कब्जा अधिनियम 1950 के लिए एक नया विधान पारित करने और "भारतीय दूरसंचार अधिनियम 199" के रूप में तार अधिनियम का नाम रखने की सिफारिश की है।

प्राधिकरण परख अधिनियम की भाषा बदल कर सेवा अथवा उपभोक्ता-परख करने की आवश्यकता है। समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

1. सरकार के विशेषाधिकारों और शक्तियों से सम्बन्धित धारा के कार्य क्षेत्र को दूरसंचार का कारोबार करने वाले विभिन्न संगठनों की स्थिति और भूमिका परिभाषित करते हुए और अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इन विशेषाधिकारों और शक्तियों के अलावा कार्यों और जिम्मेवारियों को भी जोड़ा गया है।

2. दूरसंचार प्रणालियों, उपकरणों और सेवाओं की स्थापना, अनुरक्षण तथा प्रचालन करने के लिए केन्द्र सरकार के विशेषाधिकारों और लाइसेंस मंजूर करने की केन्द्र सरकार की शक्ति में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

3. केन्द्र सरकार के अलावा लाइसेंस धारक सेवा प्रदायकों की अधिक संख्या होने की संभावना की स्थिति में समिति ने यह सिफारिश की है कि उपर्युक्त विशेषाधिकार के अधीन दूरसंचार प्रणालियों, उपकरणों और सरकार द्वारा रखी गई सेवाओं की स्थापना, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए जिम्मेवार सरकारी संगठन का स्तर विनियमन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए लाइसेंस धारक सेवा प्रदायकों के बराबर रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस संगठन की पहचान केन्द्र सरकार से बिल्कुल भिन्न होनी चाहिए। समिति ने यह प्रस्ताव किया है कि इस संगठन को "दूरसंचार प्रचालन प्राधिकरण" कहा जाए।

4. यह प्रस्ताव है कि केन्द्र सरकार सभी सेवा प्रदायकों के सामान्य कार्यों के प्रति जिम्मेवार हो। ये सामान्य कार्य इस प्रकार हैं :—

   (i) मानकीकरण।

   (ii) अनुसंधान एवं विकास।

   (iii) विकास योजनाएं तैयार करना और उन पर निगरानी रखना।

   (iv) आवृत्ति स्पेक्ट्रम का विनियमन और प्रबन्ध।

   (v) अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सम्बन्धों का प्रबन्ध।

5. केन्द्र सरकार, सेवाओं की निगरानी करने और उनका विनियमन करने तथा उपभोक्ताओं और सेवा प्रदायकों के बीच अथवा दो सेवा प्रदायकों के बीच उत्पन्न विवादों को निपटाने के लिए एक सांविधिक प्राधिकरण बनाए। इस प्राधिकरण को "दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण" नाम दिया गया है और इसके कार्य और जिम्मेवारियों का उल्लेख प्रस्तावित अधिनियम में किया गया है।

6. अधिनियम को सेवान्मुख बनाने की दृष्टि से "सेवा प्रदायक" और "उपभोक्ता" के कार्यों और जिम्मेवारियों को प्रस्तावित अधिनियम में दिया गया है।

7. भारत में और भारत के बाहर दूरसंचार के पारेषण के लिए दर निर्धारण सम्बन्धी धारा में संशोधन करने का प्रस्ताव है और इन दरों का निर्धारण करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों का उल्लेख भी किया गया है।

8. विवादों के निपटान से सम्बन्धित धारा में उपभोक्ता और सेवा प्रदायक के बीच तथा दो सेवा प्रदायकों के बीच भी उत्पन्न विवादों को निपटाने का प्रावधान करने का प्रस्ताव है। मध्यस्थ की नियुक्ति केन्द्र सरकार के बजाय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है।

9. दूरसंचार प्रणाली का धोखाधड़ी से प्रयोग करने से सम्बन्धित धारा में किए गए संशोधन द्वारा इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि इसमें किसी भी उस व्यक्ति के विरुद्ध, जो भुगतान से बचने क इरादे से बेइमानी करके दूरसचार सेवा प्राप्त करता है और उस कर्मचारी के विरुद्ध भी जो ऐसा करने में उक्त व्यक्ति की मदद करता है, कार्रवाई की जा सके।

10. शरारतपूर्ण दूरसंचार संदेश द्वारा दूरसचार प्रणाली का गलत प्रयोग रोकने के उद्देश्य से एक नई धारा का प्रस्ताव किया गया है।

महाराष्ट्र में अधिक दूरसंचार सुविधाए

1132. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या सचार मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र को अतिरिक्त दूरसंचार सुविधाए प्रदान करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य हेतु चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां।

(ख) 1. महाराष्ट्र में 92-93 के दौरान 58 स्थानों को एम०टी०डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है (सूची विवरण-1 में दी गई है।)

2. महाराष्ट्र में 1992-93 के दौरान 133 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का भी प्रस्ताव है (ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।)

3. महाराष्ट्र में 1992-93 के दौरान 39 स्थानों का तार सुविधाए प्रदान करने का प्रस्ताव है (ब्यौरा विवरण-3 में दिया गया है।)

4. नागपुर और पुणे में रेडियो पेजिंग सुविधाए प्रदान करने की योजना है।

विवरण-1

महाराष्ट्र के 58 स्थानों की सूची जहां 1992-93 के दौरान एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है

क्रम संख्या	स्थान का नाम	
1	2	
1.	वैजापुर	
2.	बकोली	24-10-92 को चालू किया गया
3.	आमलनेर	
4.	उदगीर	31-7-92 को चालू किया गया
5.	रामटेक	18-7-92 को चालू किया गया
6.	देगलूर	
7.	किमवात	
8.	निफाद	
9.	हिंगोली	
10.	सेलू	30-5-92 को चालू किया गया
11.	गाधींगलाज	
12.	महाद	
13.	चिपलूर	27-7-92 को चालू किया गया
14.	दपोली	
15.	सावंतवाडी	10-9-92 को चालू किया गया
16.	कांकावाली	
17.	हिंगनघाट	27-9-92 को चालू किया गया
18.	बेंगुरला	
19.	अम्बेजोगाई	

1	2	
20.	नेवासा	
21.	श्रीगोंडा	
22.	करंजा	
23.	बकआ	26-9-92 को चालू किया गया
24.	वैधान	
25.	कन्नाड	20-8-92 को चालू किया गया
26.	गोरेगांव	
27.	तिरोडा	
28.	चिक्काली	12-10-92 को चालू किया गया
29.	शेगांव	22-10-92 को चालू किया गया
30.	मोहोल	
31.	पालघर	10-9-92 को चालू किया गया
32.	आमगांव	
33.	नांदुरा	
34.	पचोरा	
35.	परोला	
36.	चावकाड	10-4-92 को चालू किया गया
37.	सतना	
38.	सिन्नार	
39.	कागल	
40.	ओमरवा	
41.	बसमातनगर	25-7-92 को चालू किया गया
42.	रोहा	1-8-92 को चालू किया गया

1	2	
43.	सेड	
44.	सेलू	
45.	चन्द्रापुर एम० आई० डी० सी०	
46.	गोकुलशिरगांव	
47.	परलीवैजनाथ	
48.	शिरडी	
49.	धामनगांव रेलवे	
50.	कपाई	
51.	बूटी-बोरी	
52.	मनसूर	13-8-92 को चालू किया गया
53.	कोलाड	
54.	लोटे	20-10-93 को चालू किया गया
55.	किर्लोस्करवाडी	
56.	वालिव	
57.	नालासोपाड़ा	
58.	वीटा	21-8-92 को चालू किया गया

विवरण-2

महाराष्ट्र में वर्ष 1992-93 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

क्रम सं०	जिला	गांव का नाम
1	2	3
1.	अहमदनगर	1. वंगरमाल

1	2	3
		2. कोवगांव
		3. दुरेगांव
		4. हसनापुर
		5. कबाधा
		6. वघोली
		7. खीरगांव
		8. आरनगांव
		9. सोनगांव
		10. अम्भोर
	2. अकोला	1. उगवा
		2. आलेवाडी
		3. दाभा
		4. वहीहनाडा
		5. लोहारा
	3. अमरावती	1. बघोना रामपथ
		2. आवगांव
		3. पेठ मौगरूल
	4. औरंगाबाद	1. वियोलगांव बाजार
		2. लाड सवांगी
		3. चितेगांव
	5. बीड	1. मंदावा पैथोन
		2. तालखेड
		3. नन्दूरघाट
		4. माडलमोवी

1 2	3
6. भंडारा	1. असगांव
	2. पोहारा
	3. कलमाटी
7. बुलडाना	1. शेंदुरजान
	2. बवाला बाजार
	3. शाहापुर
8. चन्द्रपुर	1. माजरा स्थित बोल्टास कैम्प
	2. मंगाराम तलोधी
	3. टेमभुरदा
	4. सुसाना
9. धुले	1. अम्बे
	2. अरथे
	3. फिटदाबद
10. जलगांव	1. बाडे
	2. नाटनूर
	3. सन्तूरे
	4. धार
11. जालना	1. आनवा
	2. गोंदी
	3. सस्ते पिंपलगांव
12. कोल्हापुर	1. सिगनापुर
	2. शिवानागे
	3. अम्बेवाडा
13. लादूर	1. गुडसूर
	2. शिरोल

1	2	3
		3. अतनर
		4. कजिल निम्परगा
		5. येरील
	14. नागपुर	1. फेतंरी
		2. चन्द्रापाडा
		3. चाचेर
		4. करगाझ
	15. नान्देड	1. जाम
		2. शिवी
		3. कमाथा
		4. नारंगल
		5. बरूल
	16. नासिक	1. कटरानी
		2. पाजेनवेल
		3. संधाने
		4. येसगांव
		5. तलशेट
		6. महासूरवी
		7. शिरवाववानी
		8. सोनाव
		9. तादुवाले
		10. वोपोडो
	17. उस्मानाबाद	1. बोवगा
		2. सीट
		3. शेलगांव

1 2	3
18. परभनी	1. कान्हरगांव
	2. शेवाला
19. पुणे	1. वालकी
	2. कालेवाडी
	3. पिपलागांव खालसा
	4. उमावराज
	5. कामगांव
	6. निमोने
	7. पनशेट
	8. मलथान
	9. मगरसानी
	10. पारेगांव
20. रायगढ़	1. माजागांव
	2. बिले
21. रत्नागिरि	1. बेलवूर
	2. नेरल
	3. सावलदाव
	4. तमसानी
	5. पोफाली
	6. वाघीवारे
	7. भूम
22. सांगली	1. नीरला
	2. भोसे
	3. भोरगी
	4. तेंगारा
	5. गटानी

1 2	3
23. सतारा	1. पसाकी
	2. गिरवी
	3. बिजावाडी
	4. बाघोली
	5. भेन्डवाल
24. सिंधुदुर्ग	1. मौलिगांव
	2. ठाकुरवाडि
	3. पटगांव
25. शोलापुर	1. वरशामल
	2. मसरसांग
	3. धरमपुर
	4. डोम्बलवाडी
	5. नारखेड
	6. भोसे
	7. लावंग
	8. सलगारे (बीके)
	9. कासेगांव
	10. फुलचिनठोली
26. थाणे	1. कोंडाले
	2. वभाव
	3. अंजुरदिवे
	4. टेकावाडा
27. वर्धा	1. वहेगांव गासोवी
	2. मंगरूल
	3. भूगांव,

1	2	3
28.	यवतमाल	1. चिरवाली
		2. सखारा
		3. पेखारी

विवरण-3

महाराष्ट्र के उन स्थानों की सूची जहां 1992-93 के दौरान तार सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है

निम्नलिखित 21 जिलों में प्रत्येक के एक डाकघर में "तार" सुविधाएं शुरू करने का प्रस्ताव है :—

1. अहमदनगर
2. अकोला
3. अमरावती
4. औरंगाबाद
5. बीड
6. भंडारा
7. बुलढाना
8. चन्द्रापुर
9. गढ़चिरोली
10. जालना
11. लातूर
12. नागपुर
13. उस्मानाबाद
14. परभनी
15. रत्नागिरि
16. सांगली

17. सतारा

18. सिंधुदुर्ग

19. थाणे

20. वर्धा

21. यवतमाल

और निम्नलिखित 9 जिलों में प्रत्येक के दो डाकघरों में यह सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है :—

1. बम्बई

2. धुले

3. जलगांव

4. कोल्हापुर

5. नान्देड़

6. नासिक

7. पुणे

8. रायगढ़

9. शोलापुर

मध्य प्रदेश में संयुक्त विद्युत परियोजना

1133. श्री चंद्रेश पटेल : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सरकारों के साथ मध्य प्रदेश में 1300 मेगावाट के संयुक्त विद्युत परियोजना की स्थापना का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) प्रत्येक राज्य को कितनी विद्युत आवंटित करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं में किसी निजी अथवा सरकारी उद्यम के भी निवेश करने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के संयुक्त उपक्रम के रूप में 1300 मेगावाट क्षमता की एक विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

दूरसंचार वित्त निगम

1134. **श्री प्रफुल पटेल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक अलग दूरसंचार वित्त निगम स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन अदालत

1135. **श्री राम सागर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, तक दिल्ली में टेलीफोन अदालतों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनके सम्बन्ध में इन निर्णयों को अभी तक भी लागू नहीं किया गया है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां, दिल्ली में 31 मार्च, 1991 तक यथोचित टेलीफोन अदालतों में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित कर दिया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ओ० वाई० टी० और सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन

1126. **श्री विलास मुत्तेमवार** :
प्रो० राम कापसे :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च, 1993 तक देश के प्रमुख टेलीफोन एक्सचेंजों में ओ० वाई० टी० श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत लोगों को छः माह के भीतर तथा सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत लोगों को दो वर्ष के भीतर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रतीक्षारत पंजीकृत लोगों की श्रेणीवार संख्या कितनी है, जिन्हें मार्च, 1993 के अंत तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) ओ० वाई० टी० और विशेष श्रेणी के अन्तर्गत लगभग 3.75 लाख डी० ई० एल० तथा सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत लगभग 4.75 लाख डी० ई० एल० प्रदान किए जाने की आशा है।

डिश एन्टेना का संचालन

1137. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डिश एंटेना और केबल टी० वी० के संचालन द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 के उल्लंघन के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) केबल टी० वी० और डिश एन्टीना के विनियमन सम्बन्धी मुद्दों पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में सी०-डाट एक्सचेंज

1138. श्री असलम शेर खान : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में 1000 लाइनों वाले सी०-डाट एक्सचेंजों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन्हें कहां-कहां स्थापित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश के उन स्थानों के ब्यौरे जहां वर्ष 1992-93 के दौरान 1000 लाइनों वाले सी-डाट एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है

क्रम सं०	स्थान का नाम	अभियुक्ति, यदि कोई हो
1.	बरवाह	
2.	धार	
3.	खरगोन	
4.	गंगबसोडा	
5.	बेतुल	
6.	बालाघाट	
7.	छिंदवाड़ा	
8.	पंधूनां	पहले से चालू है।
9.	परसिया	
10.	बीना	
11.	भिंड	
12.	शिवपुरी	
13.	शियोपुरकलान	पहले से चालू है।
14.	बुरहार	
15.	जगदलपुर	

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज

1139. श्री सुधीर सावंत : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के राजापुर और कालावली तथा वेंगुरला में एस० टी० डी० सुविधा मार्च, 1992 में प्रदान किए जाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी;

(घ) क्या सिन्धुगढ़ तथा रत्नगिरि जिलों में स्थापित दूरसंचार सुविधाएं सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही हैं;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कोई छानबीन कराई गई है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कालावली और वेंगुरला में मार्च 1993 तक एस० टी० डी० सुविधा प्रदान कर दिए जाने की संभावना है। राजापुर का कार्यक्रम भूमि आदि का अधिग्रहण करने पर ही तैयार किया जा सकता है जिसके लिए मामले पर कार्रवाई की गई है।

(घ) इन जिलों में दूरसचार सेवा सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार को सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता

1140. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में छोटी, मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के विनिर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान, और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(घ) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्रत्येक योजना के कार्यान्वियन हेतु कितनी सहायता प्रदान की गई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने हेतु केन्द्र में बिहार सरकार से कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य योजना में केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में प्रदान की जाती है तथा सिंचाई क्षेत्रों के अन्तर्गत राज्य योजना परिव्ययों में से सिंचाई परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

चांडिल बांध परियोजना

1141. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्यीय चांडिल बांध परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा इससे कितनी सिंचाई होने की संभावना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस परियोजना हेतु कितनी राशि स्वीकृत और आवंटित की गई; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) चांडिल बांध, जो सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना का घटक है, की अनुमानित लागत (मार्च, 1990 के मूल्य स्तर पर लगभग 624 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में लगभग 1.05 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना की गयी है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) चांडिल बांध परियोजना को पूरा करने की समय सीमा इस प्रकार है :

चांडिल बांध	—	1992-93
चांडिल बांयी तट नहर	—	1996-97
चांडिल दांयी तट नहर (अन्वेषणाधीन)	—	निश्चित नहीं

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची

1142 श्री यशवन्त राव पाटिल :
प्रो० राम कापसे :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में मुम्बई सहित जिलावार पृथक-पृथक ओ०वाई०टी० के तहत छह महीने से अधिक अवधि तथा नान ओ०वाई०टी० के तहत दो वर्षों से अधिक अवधि से टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में कुल कितने व्यक्ति हैं; और

(ख) इन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) जिलावार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतीक्षारत आवेदकों को उत्तरोत्तर रूप से नए टेलीफोन प्रदान करने का प्रस्ताव है जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

— जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग होने पर व्यवहारिक रूप से टेलीफोन प्रदान करना।

— बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा अवधि 2 वर्ष से अधिक न हो।

तदनुसार बम्बई और महाराष्ट्र के लिए विस्तार सम्बन्धी योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

विवरण

बम्बई सहित महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षारत व्यक्तियों की जिलावार सूची

क्रम सं०	जिलों का नाम	ओबाईटी श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 6 महीने से अधिक समय तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्ति	गैर-ओबाईटी श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के के लिए 2 साल से अधिक समय तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्ति
1	2	3	4
1.	रैगा	73	528
2.	नासिक	318	5322
3.	धुले	100	1350
4.	जलगांव	147	2850
5.	अकोला	150	2026
6.	अमरावती	12	3289
7.	भांद्रा	55	498
8.	बुल्डाना	8	324

1	2	3	4
9.	यवतमाल	47	654
10.	चन्द्रपुर	160	1882
11.	गडचिरोली	3	144
12.	वर्धा	50	947
13.	नागपुर	1329	21202
14.	नान्देड़	65	2880
15.	परभनी	18	950
16.	लाटूर	42	1622
17.	उसमानाबाद	2	184
18.	बीड	70	560
19.	अहमदनगर	85	5430
20.	औरंगाबाद	625	7668
21.	जालना	20	1074
22.	कोल्हापुर	699	9051
23.	शोलापुर	846	3431
24.	सांगली	176	2226
25.	रतनगिरि	162	1193
26.	सिंधु दुर्ग	20	275
27.	सतारा	24	1457
28.	थाने (एम०सी० बम्बई सहित)	2316	19520
29.	पुणे	586	20159
30.	बम्बई (एम०टी०एन०एल०)	12472	124067

[अनुवाद]

गंगा के तटों पर भूमि कटाव

1143. डा० असीम बाला : क्या क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा के बहाव को बनाए रखने तथा गगा के तटों पर भूमि कटाव को रोकने हेतु क्या योजना है; और

(ख) इस उद्देश्य हेतु अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गंगा जैसी कछारी नदियां टेढ़े-मेढ़े तरीके से बहती रहेंगी। तकनीकी आर्थिक तरीकों से केवल कुछ क्रान्तिक स्थलों पर कटाव रोकना संभव है।

(ख) पश्चिम बंगाल में, कटाव-रोधी कार्यों पर अब तक लगभग 40 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

कर्नाटक के एपुर गांव में अजना में लोह अयस्क भंडार

1144. श्री बी० धनंजय कुमार : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के एपुर गांव में अजना में मिले लोह अयस्क के बड़े भण्डार का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इसे निकालने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ग) क्या कुद्रेमुख लोह अयस्क कम्पनी को नमूनों तथा रिपोर्ट की जांच करने के कार्य सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) 1971-72 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर कर्नाटक सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग ने अजना के उत्तर-पूर्व में औसतन 52 प्रतिशत लोहांश का सिलिसियस लोह अयस्क के 8.5 लाख टन के निक्षेप का पता लगाया है। इन निक्षेपों से लोह अयस्क का खनन करने के लिए केन्द्र सरकार का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

1145. **श्री लाल बाबू राय** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों का विकास/आधुनिकीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों को अधिकांशतः इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजो से बदलकर आधुनिक बनाए जाने की योजना निम्नानुसार है :—

— टेलीफोन एक्सचेंजों को पूरी तरह से स्वचालित बनाए जाने का लक्ष्य प्राप्त करना (चालू वर्ष के दौरान यह लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया गया है)।

— जीर्ण-शीर्ण और घिसे-पिटे स्विचों को, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाने पर बदलना।

— सभी स्ट्रोजर एम०ए०एक्स-III और एम०ए० एक्स-II एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से बदलना (सभी एक्सचेंजों को राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग प्रदान करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत)।

[अनुवाद]

लोह और इस्पात उद्योग स्थापित करने के संबंध में मार्ग-निर्देश

1146. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के क्षेत्र में गैर-सरकारी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए कोई विभिन्न प्रविधियों पर आधारित लोह और इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उद्यमियों की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) लोहा और इस्पात उद्योग के उद्यमियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त का एक सैट अक्तूबर, 1992 में जारी किया गया था। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में लोहा और इस्पात परियोजनाओं के लिए नीतिगत रूपरेखा, मांग प्रक्षेपण, आवश्यक कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता, अवसंरचनात्मक सुविधाएं, संभव स्थानों, देश में विद्यमान

प्रौद्योगिकीय क्षमताओं, पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति की आवश्यकता आदि के बारे में लोहा और इस्पात क्षेत्र के उद्यमियों के लिए विस्तृत जानकारी दी गई। उद्यमियों ने इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में विशेष रुचि ली है।

[हिन्दी]

बिहार के किसानों के लिए नई सिंचाई नीति

1147. **श्री तेज नारायण सिंह :**
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सिंचाई नीति के कार्यान्वयन में किसानों को शामिल करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा लागू की गई नीतियों का अनुमोदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) विद्यमान केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सिंचाई जल प्रबन्ध में कृषकों की सक्रिय भागीदारी की व्यवस्था है। मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी सिंचाई प्रबंध नीति पर प्रारूप दृष्टिकोण पत्र में सिंचाई प्रबन्ध में कृषकों की सक्रिय भागीदारी तथा तृतीयक प्रणाली प्रबंध को जल प्रयोक्ता संघ में बदलने की भी व्यवस्था है।

(ग) और (घ) इस संबंध में बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र से औपचारिक कागजात प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, वे मंत्रालय द्वारा उपलब्ध किए गए समग्र नीति मार्ग-निर्देश के तहत कार्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोल्फ मैदानों का विकास

1148. **श्री हरीश नारायण प्रभु झाट्ये** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने गोल्फ मैदान पर्यटन विभाग के स्वामित्व और रखरखाव में हैं और इनके लिए कितना अनुरक्षण अनुदान मिलता है तथा इन गोल्फ मैदानों की औसतन रखरखाव लागत कितनी है;

(ख) देश में विशेषतः गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और गोल्फ के विकास हेतु उनके पर्यटन विभाग ने देश में गोल्फ मैदानों के विकास के लिए क्या-क्या विशेष प्रयास किए हैं/करने का विचार है;

(ग) क्या गोवा सरकार ने गोवा में दो गोल्फ मैदानों के लिए स्थानों के चयन हेतु केन्द्र सरकार से कोई विशेषज्ञ सलाह मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) देश में न तो कोई केन्द्रीय पर्यटन विभाग का गोल्फ कोर्स है और न ही यह किसी का रखरखाव करता है और न ही किसी के लिए कोई अनुरक्षण अनुदान ही देता है ।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने एक गोल्फ संवर्धन समिति का गठन किया है जिसने अवस्थाबद्ध विकास हेतु 20 गोल्फ कोर्स अभिनिर्धारित किए हैं । इस समिति द्वारा अभिनिर्धारित स्थानों में गोवा भी शामिल है । अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में गोल्फ पर्यटन का संवर्धन करने के लिए, एक ब्रोशर भी प्रकाशित किया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरी गोवा में जापान के सहयोग से पर्यटन नगर की स्थापना

1149. **प्रो० राम कापसे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी गोवा में जापान के सहयोग से पर्यटन नगर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जापान सरकार गोआ में पर्यटक गांव स्थापित करने की व्यवहार्यता पर फिलहाल विचार कर रही है ।

(ख) जापान सरकार ने प्रस्ताव के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन डायरेक्टरी

1150. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि

टेलीफोन प्राधिकारी प्रतिवर्ष अंग्रेजी और हिन्दी में और जहां उचित मांग हो क्षेत्रीय भाषाओं में डायरेक्टरी प्रकाशित करें तथा प्राधिकारियों के इसमें असफल रहने की स्थिति में डायरेक्टरी संबंधित पूछताछ करने पर किसी काल पर अधिशुल्क न लगाया जाए।

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या 197 नम्बर किए जाने वाले की टेलीफोन काल को निःशुल्क करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर पीठ ने 10-8-92 को इस आशय के आदेश जारी किए हैं कि विभाग को चाहिए कि वह उपभोक्ताओं तथा अन्य टेलीफोन प्रयोक्ताओं के लिए मौजूदा तथा नए टेलीफोन नम्बरों के बारे में तब तक के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान करने की व्यवस्था करे जब तक कि नई अद्यतन टेलीफोन डाइरेक्टरी का हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशन नहीं हो जाता। तथापि, माननीय न्यायालय ने टेलीफोन डाइरेक्टरी प्रकाशित करने के लिए किसी समय के बारे में कोई आदेश नहीं जारी किए हैं।

(ख) डाइरेक्टरी जारी करने के बारे में आवश्यक मार्ग निर्देश पहले से मौजूद हैं।

(ग) डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा (197) को पहले से ही निःशुल्क सेवा घोषित किया गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

———

12 00 मध्याह्न

अयोध्या में प्रस्तावित कार सेवा के बारे में

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में कार सेवा की अनुमति दे दी है, इसके बावजूद वहां पर 50000 के करीब अर्द्धसैनिक बल भेज दिए गए हैं। वहां पर कोई वारदात नहीं हुई है और न ही वहां की सरकार ने रिक्वेस्ट की है, फिर भी वहां पर इतनी बड़ी तादाद में अर्द्धसैनिक बल भेजकर वहां की शान्ति और फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का डेढ़ वर्ष का शानदार रिकार्ड रहा है कि बनारस को छोड़कर और कहीं भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। तराई क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से अर्द्धसैनिक बलों की मांग की गई, तब उस मांग को पूरा नहीं किया गया, लेकिन अब बिना उत्तर प्रदेश सरकार की रिक्वेस्ट के इतनी तादाद में अयोध्या में अर्द्धसैनिक बल

भेज दिए गए हैं। मेरी सूचना के अनुसार वहां की सारी बिल्डिगों, सरकारी बिल्डिगों, रेस्ट-हाउसेस पर कब्जा कर लिया गया है और एक-एक मोटर साइकल पर तीन-तीन अर्द्धसैनिक बलों के जवान चलते हैं, इस तरह से शहर में आतंक और डर का वातावरण पैदा किया जा रहा है। वहां की स्थिति विस्फोटक है और ऐसी हालत में वहां पर अर्द्धसैनिक बलों की उपस्थिति से शान्ति और ला एण्ड आर्डर की उचित व्यवस्था स्थापित होने के बजाए अशान्ति फैल सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बिना वहां की सरकार के पूछे हुए जो इतनी बड़ी संख्या में वहां पर अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, इस कार्यवाही को रुकवाया जाए, इस पर चर्चा की जाए और गृह मन्त्री महोदय इस बारे में सदन में बयान दें, क्योंकि वहां के हालात बहुत नाजुक हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केन्द्र सरकार इस तरह की कार्यवाही कर रही है, इस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं खंडवा स्थित "नेपा" कागज के कारखाने की दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसी समय में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले कारखाने की आज क्या स्थिति हो गई है। आज वहां पर 14 करोड़ रुपए के कच्चे माल का भण्डार पड़ा हुआ है, 8 करोड़ रुपए का कागज पड़ा हुआ है, 10 करोड़ रुपए का कागज उधार में बेचा हुआ है, और यह सब वहां के अक्षम अधिकारियों की वजह से है। इसका परिणाम है कि आज देश में विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है। इस स्थिति में वहां के मजदूरों का क्या होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा कारखाना, जो कि केन्द्र सरकार के अधीनस्थ है, जिसके अक्षम अधिकारी उसकी सही देखभाल नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से 14 करोड़ रुपए का वहां कच्चा माल पड़ा हुआ है, 10 करोड़ रुपए का कागज उधार बेच दिया गया है, जिसका भुगतान नहीं हो रहा है। करीब 8 करोड़ का 4400 टन कागज भी बिना बिके पड़ा हुआ है, करीब 15 करोड़ का बैंक ओवर-ड्राफ्ट चल रहा है। हालात इतने नाजुक हैं कि कर्मचारियों का भुगतान भी विलम्ब से किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय नेपा लिमिटेड के पास 1986 के बाद कच्चे माल का रिकार्ड भण्डार हुआ है। मिल के पास 52670 टन औद्योगिक बांस और 18000 टन पल्पवुड का भण्डार है। लेकिन अधिकारियों की अक्षमता के कारण विदेशी मुद्रा का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है और देश की कागज की समस्या का भी समाधान नहीं हो रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, सारे उत्तर प्रदेश में आतंक का राज केन्द्र सरकार द्वारा व्याप्त कर दिया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यह ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर हम सदन में बड़ी गम्भीरता से, शान्ति से विचार करें तो ठीक रहेगा। अगर प्रश्नोत्तर काल के बाद, जबकि दूसरी साइड को किसी प्रकार का

नोटिस नहीं है, ऐसा विषय उठाकर आप चर्चा करना चाहेंगे तो शायद जिस प्रकार से सदन के सामने ये बात आनी चाहिए, या देश के सामने यह बात आनी चाहिए, वह नहीं आएगी। ऐसा लग रहा है कि हम सब लोगों की मदद से, सबकी सहायता से कुछ अच्छे तरीके से साल्व करने की कोशिश हो रही है। उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। अगर आप इतने गम्भीर हैं तो आप रूल्स बुक पढ़ लीजिए, अगर उसमें कुछ है तो मामला उठाइए। आप ऐसे महत्व के प्रश्न को बिना नोटिस दिए उठाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। आप इसके बारे में सोचिए।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय यहां बैठे है, कुछ तो इन्हें बोलना चाहिए।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं माननीय सदस्य की बातों से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अयोध्या में कानून और व्यवस्था की स्थिति सम्बन्धी समस्या उत्पन्न कर रही है। तथापि जहां तक अयोध्या के सामान्य स्थिति का प्रश्न है, सरकार को वक्तव्य देने में कोई परेशानी नहीं है। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से कल वक्तव्य देने के लिए कहूंगा, यदि वह मोटे तौर पर वहां की स्थिति पर वक्तव्य देने के लिए तैयार हों। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : आज ये वातावरण को खराब कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैं आपको कहा कि हमारी यह जो संसद है यह हमारे देश का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। इसमें अगर चर्चा करनी है तो इस ढंग से चर्चा हो जाए कि कोई सवाल हो तो उसका जवाब हो। अगर 10-20 लोग एक ही साथ उठकर बोलने लगे तो ऐसे महत्व के प्रश्न को ऐसे रास्ते लग सकते हैं जिसकी वजह से उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर आप उसके बारे में कुछ सोचते हैं, चर्चा करना जरूरी है तो आप भी सोच लीजिए। आप उठकर बोल रहे हैं इससे हम जो अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहते हैं वह नहीं होता। आप यहां पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है, आपकी भावना को हम समझ सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही ऐसी पद्धति अपनाएं जिससे कुछ प्राब्लम मालूम हो।

(व्यवधान)

श्री विनय कटियार : यह मामला बड़ा गम्भीर है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में तराई के इलाके से पैरामिलिट्री फोर्स हटाई जा रही है और दूसरी तरफ अयोध्या में फैजाबाद में फ्लैग मार्च हो रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा है, वे स्टेटमेंट देंगे । इन्होंने कह दिया है ।

आपकी पार्लियामेंट की अथोरिटी कम हो जाती है। आप नियम से काम नहीं करते हैं तो आपकी अथोरिटी कम हो जाती है । बैठ जाइए प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री विनय कटियार : मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों के लिए फैजाबाद के अन्दर जो दूध आता था सेना के जवानों ने वह दूध ले लिया । इनको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार आश्वासन देती है और दूसरी तरफ इनके बड़े नेता कारसेवा में जाना चाहते हैं ।···(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, आपका सुझाव अच्छा है कि प्रश्न इस ढंग से उठाया जाए कि उसका उत्तर भी प्राप्त हो । हम इस सुझाव पर अमल करने के लिए तैयार है । लेकिन संकट यह है कि यह जीरो आवर है आपने खुरानाजी को अवसर दिया मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : मैं खुरानाजी को मैं कहना चाहता था कि आप नियम पर लाइए मैं करूंगा, लेकिन खुरानाजी ने इन्सिस्ट किया और उठकर खड़े हो गए ।

श्री मदन लाल खुराना : नोटिस दे दिया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, एक बात है जैसा संकेत दिया गया है इस समय अयोध्या के प्रश्न पर मुठभेड़ को, कन्फ्रंटेशन को टालने की कोशिश हो रही है । सर्वोच्च न्यायालय में जो कुछ हुआ वह भी इस बात का प्रयत्न था कि मुठभेड़ न हो, समस्या का शान्तिपूर्ण ढंग से समाधान निकले, कार सेवा शुरू हो जाए, मगर अदालत के आदेश का उल्लंघन न होने पाए···

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : वह तो हो रहा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम जानते हैं कि आप यह चाहते है । मगर उसके बाद जो कार्यवाहियां हो रही हैं, अगर हमारे मित्र जो फैजाबाद से चुनकर आए हैं, अयोध्या उनके चुनाव क्षेत्र में स्थित है, अगर उनकी भावनाएं इस अवसर पर प्रकट हो जाएं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । गृह मन्त्री कल बोलेंगे । उनको भी पता होना चाहिए कि केन्द्र की ओर से वहां क्या किया जा रहा है । आखिर जब समझौते के प्रयत्न हो रहे हैं तो इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के एकत्रीकरण की क्या आवश्यकता है ? क्या इससे नया तनाव पैदा नहीं हो रहा है ? क्या तनाव पैदा करने में केन्द्र का कोई लक्ष्य है, मैं ऐसा नहीं मानता । (व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार : जो बड़े-बड़े नेता वहां जाने की बात कर रहे हैं उससे तनाव हो रहा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप सुनिए तो। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्षजी, हमारा आपसे आग्रह है कि इस सवाल पर हर दल और शख्स को सुन लिया जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सदस्य को सदन में खड़े होकर पूछने का अधिकार है कि वहां आर्मी ने फ्लैग मार्च किया ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति पैदा हो गई है? इस सदन को विश्वास में लिया जाए। मैं समझता हूं कि श्री विनय कटियार को दो मिनट बोलने का मौका दें और गृह मन्त्री कल उत्तर देंगे तो उसके प्रकाश में आगे चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। वाजपेयी साहब जो कुछ बोल रहे हैं वह बहुत सोच-समझकर और बहुत ही अच्छे ढंग से बोल रहे हैं। मैं उसमें कोई आब्जेक्शन नहीं ले सकता और न लेना चाहता हूं। इसके बाद भी हमारे सामने जो चिन्ता है और समस्या है वह इस बात की है कि इस प्रकार से जब हम बोलने देते हैं तो एक-एक प्रश्न उठता है उसका जवाब आ जाता है, फिर प्रश्न उठते हैं। जो परिस्थिति नाजुक है वह परिस्थिति वैसी रहे, उससे कम हो जाए तो ठीक है और ज्यादा हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। अगर उन सदस्य को बोलना था तो खुरानाजी के पहले बोल लेते। अब दूसरे बोलेंगे, फिर तीसरे बोलेंगे, इसमें मुश्किल हो जाती है। उसके बाद जवाब आते, यहां पर मंत्री भी बोलना चाहते हैं, सदस्य भी बोलना चाहते हैं तो इनका सिलसिला लम्बा हो जाता है। जब वह लम्बा हो जाता है तो मुश्किल हो जाती है। यह ऐसा सदन है जहां हम सब बैठकर देश के सामने जो महत्व के इश्यू हैं उनके ऊपर ध्यान देकर विचार करते हैं। यह किसी भी पार्टी का सवाल नहीं है, देश का सवाल है हमारी कुछ भावनाओं का और सिद्धांतों का सवाल है। यह समझकर जब हम बोलते हैं तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम यहां पर हल नहीं निकाल सकते। अगर हम थोड़ा भी पार्टी का या अपने मन का ध्यान रखकर बोलें तो फिर उसके अन्दर मुश्किल हो जाती है।

यह खुशी की बात है कि जो समझदार और बड़े लीडर्स हैं वे सब चीजों को सामने रखते हैं। मगर जो बाकी हैं जो अनुभव में इतने नहीं हैं वे अगर ऐन मौके पर बोल जाते हैं, थोड़ा सा भी कुछ ऐसा कह जाते हैं, थोड़ी-सी गलती हो सकती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यदि चर्चा करनी है तो एक पद्धति से कीजिए तभी उसमें कुछ निकल सकता है। यदि नहीं करेंगे तो उसमें से अलग-अलग बात निकल सकती है और मैं सदन से और आप लोगों से कह रहा हूं कि आज के दिन के लिए इस बात को यहां पर खत्म कीजिए। कल एक-दूसरे से बात कीजिए। बात करने के बाद आपको कुछ कहना है तो एक दूसरे से मिलकर आप कहिए।

(व्यवधान)

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, अटलजी ने बात सही कही। असलियत बात यह है कि आपने कहा कि मन्त्रीजी बोलना चाहते हैं। दिक्कत... सिर्फ एक बात सबसे बड़ी खतरनाक चल रही है। कल मुख्यमंत्री, उ० प्र० अलीगढ़ में थे और मैं लखनऊ में था। उनसे पत्रकारों ने पूछा—आप कार सेवा में जाओगे? उन्होंने कहा कि हम कार सेवा में जाएंगे? क्या कोर्ट का उल्लंघन नहीं होने देंगे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज सारे देश में शोर है कि आडवाणी

जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार सेवा में जाएंगे लेकिन यह किसी ने नहीं कहा कि हम कोर्ट का उल्लंघन नहीं होने देंगे । इससे सारे देश मे शंका पैदा हो गई है। आज जिस बात के समाधान के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उससे नुकसान हो रहा है। आज गांव-गांव मे इस बात का शोर हो रहा है कि एक जिम्मेदार आदमी यह कहे कि हम कार सेवा में जाएंगे जबकि यह कहे कि कोर्ट का उल्लंघन नहीं होने देंगे तो इसका असर होना चाहिए था···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप चर्चा करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उन्होंने इस तरह की बात कही । अध्यक्ष महोदय, इनका गलत स्टेटमेंट है···मुख्यमन्त्री के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं है । इस बात को एक्सपंज करना चाहिए···

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं, इस अवसर पर और यहां पर व्यवस्था का प्रश्न उठाऊं, यह अच्छा नहीं लगता लेकिन पायलट जी हवा में उड़ते हैं। मुख्यमन्त्री के ऊपर इस सदन में आरोप लगाना और यह कहना कि वे अलीगढ़ में थे और वे लखनऊ में थे—यह बेतार के तार से आपने सुना···(व्यवधान)···आप मुझे पूरी बात करने दीजिए । मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है, उलझाने की नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, वह आधार है । क्या पायलट साहब कोई सुनी हुई बात है के आधार पर अगर कोई मुख्यमन्त्री कहता है कि कार सेवा में जाएंगे तो उसे वहां उठाना ठीक···समझते हैं (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : कहो साथ में कि नहीं होने देंगे···

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह आपकी राय हो सकती है···(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : आप यहां खड़े होकर कहिए कि आडवाणी साहब और मुख्यमन्त्री नहीं जाएंगे । (व्यवधान)

आडवाणी जी, यहां है । वे कहें कि उल्लंघन नहीं होने देंगे। आप यहां कहें कि कोर्ट का

उल्लंघन नहीं होने देंगे···सारे देश में शंका पैदा हो रही है। आप अखबार पढ़िए···(व्यवधान)···नारे लग रहे हैं। लखनऊ में पोस्टर लगा रहे हैं। माईक पर कहा जा रहा है···यह सब क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : कार सेवा में जाएंगे···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, निर्णय आपको करना है। उधर से शोर-शराबा मेरी समझ में नही आ रहा है···

श्री राजेश पायलट : आपकी नीयत पर सारे देश को शंका है···(व्यवधान)

श्री राम बिलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, क्या अयोध्या का मामला सिर्फ बी० जे० पी० और कांग्रेस का है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं आपका भी है···

श्री राम विलास पासवान : कभी इसपर और कभी उसपर। इसपर डिसकशन कराना है तो करवाइए···

अध्यक्ष महोदय : मैं करवा दूंगा। आप अभी तो बैठ जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यदि इसी तरह का वाकयुद्ध चलता है तो कृपया इस पर हमें पूर्ण चर्चा करने की अनुमति दीजिए। हमें बहुत कुछ कहना है। तब वह बात हम कैसे कहेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसी बात को मैं टालना चाहता था।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, श्री वाजपेयी तथा श्री पायलट जैसे सदस्य बार-बार खड़े हो रहे हैं और जो जी में आता है कह रहे हैं। यह मुद्दा सम्पूर्ण सभा को आन्दोलित कर रहा है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही बात तो मैं भी कहना चाह रहा था।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम भी इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। मैं उदाहरण के लिए गृह मन्त्री द्वारा प्रधानमन्त्रीजी के उपस्थिति में दिए गए वक्तव्य के बारे में पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया वह बात आज मत पूछिए ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार'' (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप भी इस चर्चा को बढ़ाना चाहते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हां, यह बात सही है, जब आप कुछ लोगों का अनुमति दे रहे हैं और कुछ लोगों को नहीं । कृपया इस मुद्दे पर उचित चर्चा करने की अनुमति दीजिए । हर एक को समानता से अनुमति दीजिए'''(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह देखना केवल पीठासीन अधिकारी का ही उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए कि हम मुद्दे पर उचित ढंग से चर्चा करें । यह उत्तरदायित्व हममें से प्रत्येक का होना चाहिए, जोकि इस सभा में विराजमान है । मैंने कहा है कि यदि आप इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते है तो एक नोटिस दीजिए और तब मैं उस पर विचार करूंगा । और इसके साथ-साथ मैंने श्री खुराना जी से भी कहा था कि आज इस मामले को न उठायें और एक नोटिस दें ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसके बावजूद भी आपने उनको अनुमति दी'''(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जब बोल रहा हूं तब यदि आप खड़े हो जाते हैं तो मैं कैसे बोल सकूंगा । पहले आप अपनी बात समाप्त कीजिए और तब मैं अपनी बात कहूंगा ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, आपने अभी कहा था कि आपने श्री खुराना जी से अनुरोध किया था कि वह इस मुद्दे को आज न उठायें । तब फिर आपने उनको अनुमति क्यों दी ? यदि आपने उनसे अनुरोध किया है और यदि उन्होंने आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है तो आपने उनको कुछ कहने की अनुमति क्यों दी'''(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे अपनी पूरी बात कहने दीजिए । मेरा गला ठीक नहीं है । पांच मिनट के पश्चात्, मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा । यदि मैं जोर से बोलना शुरू कर दूं, तो भी मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा । मैंने पहले ही कहा था कि इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए था । लेकिन इस घण्टे के दौरान सभी पक्ष के सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं । एक दिन आप तर्क करेंगे; दूसरे दिन कोई और तर्क करेगा और तीसरे दिन कोई और तर्क करेगा और तब बहुत मुश्किल हो जाएगी । कृपया यह बात समझने की कोशिश कीजिए । ये बहुत ही नाजुक मुद्दे हैं । यह दलगत मुद्दे नहीं हैं । यह राष्ट्रीय मुद्दे हैं । ये इस बात की तह तक जाते हैं । इसलिए कृपया इस चर्चा को और आगे मत बढ़ाइए । कृपया खड़े न हों और तत्काल ही वक्तव्य मत दीजिए । कृपया उस मुद्दे से सम्बन्धित सभी बातों पर विचार कीजिए और मुझे नियमित रूप से नोटिस

दीजिए । मैं उस पर विचार करूंगा और यदि यह सम्मानीय सभा उस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी । लेकिन ऐसा किए बगैर यदि आप खड़े होकर तत्काल ही वक्तव्य दे रहे है तो इससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है । कृपया इस चर्चा को आगे मत बढ़ाइए और इस तरह से मेरी सहायता कीजिए । कृपया आज आप इस बात पर विचार कीजिए और कल मेरे पास आइए और तब हम उस पर चर्चा करेंगे ।

———

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली की कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में आपका ध्यान खींचना चाहता हूं और बताना चाहता हू कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, यहां खासकर पूर्वी दिल्ली में कानून और व्यवस्था की हालत बहुत खराब होती जा रही है । मैं अखबार में देख रहा था कि 25 तारीख को एक राजेश मित्तल की हत्या एक फैक्ट्री में हुई । मैंने देखा कि पिछले चार महीनों में सिर्फ सीमापुरी थाने मे ही 10 फैक्टरियों में हत्याओं की वारदातें हो चुकी हैं और डकैतियां हो चुकी है । वहां लड़कों को ले जाया जाता है और फिर उनसे कहा जाता है कि 50 हजार रुपया या एक लाख रुपया दो, या पांच लाख रुपया दो और तब उनको ले जाया जाता है । विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का अपहरण किया जाता है और फिर पैसा लेकर उनको छोड़ने की कार्रवाई हो रही है । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं उसी 25 तारीख की घटना के सम्बन्ध में 26 तारीख को गृह मन्त्री जी से और जैकब साहब से और पुलिस कमिश्नर से सबसे मुलाकात हुई और लाठीचार्ज हुआ । मैं आप से कहना चाहता हूं कि दिल्ली मे जब यहां संसद चल रही है और दिल्ली में कोई सरकार नहीं है तो यह केन्द्र सरकार की जवाबदेही है । इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून-व्यवस्था मे दिनों-दिन जो गिरावट आ रही है, इस सम्बन्ध में सरकार को गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिए । सरकार को सदन मे बतलाना चाहिए कि पिछले 6 महीने के अन्दर दिल्ली में कितनी हत्याएं हुई, कितने बलात्कार हुए, कितनी डकैतियां पड़ीं और कितने लोगों का अपहरण किया गया । इस सरकार की नाक के नीचे जो काण्ड हो रहे है, जहां प्रधानमंत्री से लेकर पार्लियामेंट सब है, जिस तरह की वारदात हो रही है, मै समझता हू कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है, बहुत शोचनीय मामला है और मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध मे सदन में एक वक्तव्य दे कि दिल्ली में बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए वह कौन से पग उठा रही है और कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने का आश्वासन दे ।

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, आज दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति जितनी खराब हो रही है, वह बहुत गम्भीर है ।

12.26 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

दिल्ली पुलिस पूरी तरह बेलगाम हो गई है, जो उनकी मर्जी में आता है, वह कर रही है ।

परिणामस्वरूप कहीं हत्याएं हो रही हैं और जिस मामले को अभी पासवान जी ने सदन में उठाया, दिल्ली में एक दुकानदार की हत्या कर दी गई और जब उसकी लाश को ले जाया जा रहा था, तो लाश को ले जाने वाले लोगों को, डी०सी०पी० के दफ्तर के लोगों ने रोका, उनकी पिटाई की, उनको मारा। इस तरह की हालत आज दिल्ली पुलिस की हो गई है जो पूरी तरह बेलगाम हो रही है। कानून और व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि दिल्ली एक केन्द्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहां से डायरेक्शन जाएं, दिल्ली पुलिस पर लगाम लगायी जाए, पुलिस को काबू में किया जाए, वर्ना आज दिल्ली के नागरिक दिल्ली पुलिस के व्यवहार से बहुत परेशान हैं। इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, हमारे पास 35 मिनट का समय है और वक्ताओं की सूची में 21 व्यक्तियों के नाम हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल एक मिनट बोले तो मैं समझता हूं कि हम सब बातों को ले सकते हैं। अत: मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि यदि आप मुझे जो सूची मेरे सामने है उसके अनुसार चलने की अनुमति दें तो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति बोल सकता है। परन्तु कोई भी इस बात को गलत न समझे। पहले पांच सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, और छठा सदस्य कांग्रेस (इ) का तथा सातवां जनता दल का है तथा इसी प्रकार से अन्य सदस्य हैं। क्या मैं नाम पुकारूं ?

श्री राम विलास पासवान : मेरी समझ में नहीं आया कि पांच भारतीय जनता पार्टी, छठा— जनता दल क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जो लोग सुबह दस बजे कार्यालय में आए और जिन्होंने अपने आवेदन पत्र दिए उनके नाम सूची के अनुसार सूचीबद्ध किए गए हैं। इसमें पसंदगी की कोई बात नहीं है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं सूची के अनुसार आगे चलूं, ताकि हम इसे 35 मिनट में पूरा कर सकें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इसमें जल्दी करनी चाहिए। हम सूची के अनुसार चलने पर सहमत हुए हैं।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मेरा निवेदन है कि अन्य दलों और राज्यों, सदस्यों को भी बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ताराचंद खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष जी, दिलशाद गार्डन और उसके आसपास के क्षेत्र में पिछले 4 महीनों से कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, सारी अव्यवस्था हो रही है, जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले 4 महीनों में वहां तीन

व्यापारियों की हत्याएं की गयीं और लगातार रेप की घटनाएं, बैग छीनने की घटनाएं सामने आयी हैं। अभी 15 दिन पहले वहां एक व्यक्ति को छुरा मारकर उससे 4 लाख रुपए छीन लिए गए। अभी मित्तल नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई और उसकी शवयात्रा पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पुलिस के इस कार्य को मैं बहुत अनैतिक मानता हूं किसी की शवयात्रा पर लाठी चार्ज करने की घटना ऐसी है, जिसे कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक सहन नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा कि जिसके आदेश से शवयात्रा में जा रहे लोगों पर लाठी चार्ज किया गया, उस व्यक्ति को सस्पेंड किया जाए, मामले की पूरी जांच करायी जाए और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : उपाध्यक्ष जी, कल हैदराबाद में 4.00 बजे एक एडीशनल एस० पी० की हत्या कर दी गयी है। वह हत्या कोई साधारण तरीके की हत्या नहीं है। कश्मीर में जो आतंकवादी लोग हैं, जे०के०एल०एफ० के एक्स्ट्रीमिस्टस हैं, उन्होंने हमारे क्षेत्र हैदराबाद में आकर, धोली चौक गांव में हत्या की है। एडीशनल एस०पी० उनको देखने के लिए आया था, उसके ऊपर गोलियों की वर्षा की गई। उसके साथी गनमैन श्री वेंक्टेश्वर राव का भी मर्डर किया गया हैदराबाद शहर में।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री और प्रधान मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट धारी लोग, पासपोर्ट की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी हैदराबाद शहर में रह रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 3 हजार है. उनको क्यों नहीं देश से निकाला जाता है, उनके खिलाफ कोई कारंवाई क्यों नहीं की जाती है। काश्मीर के आतंकवादी केवल काश्मीर में नहीं बने हैं, हैदराबाद में आकर बुलेट की वर्षा करते हैं और एक एडीशनल एस०पी० को इस प्रकार से मार दिया है। इसलिए मैं गृह मन्त्री महोदय और प्रधान मन्त्री महोदय से दरख्वास्त करता हूं कि जो पाकिस्तानी लोग जिनके पासपोर्ट की अवधि पूरी हो गई है, उन्हें हैदराबाद में रहते हुए काफी समय हो गया है, कृपया उनके खिलाफ सख्त कारंवाई करें, ताकि इस प्रकार से आतंकवादी देश के अन्य हिस्सों में न फैलें।

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, असम राज्य में तिलहनों का उत्पादन बहुत कम होता है, परन्तु इस राज्य में तिलहनों के उत्पादन की पर्याप्त गुंजाइश है। मैं समझता हूं कि तिलहनों के उत्पादन में यह अग्रणी राज्यों में से एक होगा, बशर्ते कि इसके लिए केन्द्रीय सहायता मिले। शुष्क मौसम में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवा कर पूरे राज्य में हजारों एकड़ भूमि पर सरसों उगाया जा सकता है और इस प्रकार से इससे खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है और साथ-साथ ग्रामीण लघु उद्योगों का विकास भी किया जा सकता है। असम के किसान वर्ष में मुश्किल से ही दो फसलें काटते हैं और ऐसे में वहां पर फसल चक्र पूरा नहीं हो पाता है। विभिन्न प्रकार की फसलें न उगाने के कारण किसानों को बहुत हानि होती है।

अतः मैं सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालय से जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से विशेष योजना आरम्भ करने का आग्रह करता हूं ताकि पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवा कर असम में रबी की अधिक फसलें उगाई जा सकें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा कालीन उद्योग मिर्जापुर और भदोही क्षेत्र में है जिसके माध्यम से हिन्दुस्तान को एक हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा मिलती है, लेकिन कुछ कुकर्मों के कारण कुछ तत्वों ने इस उद्योग को पूरी तरह से तबाह करने की साजिश रच रखी है और उस कुचक्र मे, उस षड्यन्त्र में * * जैसे लोग···**···लिप्त हैं और विदेशों के इशारे पर, विदेशों से पैसा लेकर बाल-श्रमिक और बन्धुआ मजदूर की गलत परिभाषा परिभाषित करके हमारे इस क्षेत्र के कालीन उद्योग को तबाह करने पर लगे हुए हैं। उन्होंने स्वयंसेवी संगठन बना कर, बाल-श्रमिक बंधुआ मजदूर की मुक्ति के नाम पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर धन प्राप्त किया है। इस नाम पर कि बाल-श्रमिक और बंधुआ मजदूर को मुक्त कराना चाहिए और उन्होंने पत्र-पत्रिकाओं और दूरदर्शन के माध्यम से मुक्ति का ढोंग मेरे क्षेत्र में जाकर रचा है। यह मेरे संसदीय क्षेत्र का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वहा जाकर देखा है कि कोई भी किसी प्रकार का वहां नाम नहीं है जिसको मुक्त कराने का राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर धन लेकर, उस सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय अपमान का सवाल है। विदेशी मीडिया से धन मांग कर वहां विदेशी मीडिया का प्रयोग करके हिन्दुस्तान की छवि को गिराया जा रहा है। अभी-अभी जर्मनी में मेला लगने वाला है जहां हिन्दुस्तान का कालीन भी मेले में जाएगा। हिन्दुस्तान का कालीन विदेश में बने किसी भी कालीन की तुलना में अच्छा है और हिन्दुस्तान के भदोही में बने कालीन की एक धाक है। लेकिन स्वामी···** इस कालीन उद्योग को बाल-श्रमिक और बंधुआ मजदूर के नाम पर तबाह किए हुए हैं और इस उद्योग को तबाह करने पर तुले हुए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनका पासपोर्ट रद्द होना चाहिए। ऐसे···**··· को गिरफ्तार करना चाहिए। सरकार के ही एक मन्त्री श्री खुर्शीद आलम ने एक स्टेटमैंट दिया था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य सभा में उपस्थित नहीं हैं आप उस पर किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकते है। उस भाग को निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : महोदय, वह बार-बार नामोल्लेख कर रहे हैं। यह कार्यवाही वृत्तांत मे शामिल नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही यह बात कह चुका हूं कि जो व्यक्ति सभा में उपस्थित नहीं है उसके विरुद्ध कोई भी आरोप या उसका नामोल्लेख कार्यवाही वृत्तांत मे शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : ऐसे ** को, जो सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं संगठन के नाम पर, गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वे कालीन उद्योग को तबाह करने पर तुले हुए हैं। हिन्दुस्तान को एक हजार करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा मिलती है। यह हिन्दुस्तान के सम्मान का मामला है। (व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसको सीरियसली लिया जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मेरे क्षेत्र के 15 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन अन्य लोगों को अनुमति नहीं दूंगा, जिनके नाम मेरे पास सूची में नहीं हैं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों के नाम सूची में नहीं होंगे, उन्हें बोलने के लिए नहीं बुलाया जाएगा और उन्हें बोलने की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। हमें सभा में निश्चित मर्यादा का पालन करना चाहिए, अब श्री अन्ना जोशी बोलेंगे।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की मांग के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार के भूतल परिवहन मन्त्रालय को 11 राज्य राजमार्गों का प्रस्ताव उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए भेजा है। उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने 9-5-1986 को राज्य सरकार को सूचित किया कि सातवीं योजना में निधि की कमी के कारण किन्हीं भी राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करना संभव नहीं होगा। यह मामला तब से आज तक पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी लम्बित पड़ा हुआ है। यह सार्वजनिक हित का मामला है। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस मुद्दे की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

आठवीं योजना पर चर्चा के दौरान वही सूची फिर से केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई थी। तथापि, 11 राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के सम्बन्ध में सुझावों वाला टिप्पण स्वीकार किया गया था।

अनेक चर्चाओं के बाद, माननीय भूतल परिवहन मन्त्री ने सूचित किया कि इस मुद्दे पर आठवीं

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा। चूंकि अब आठवीं योजना लागू हो गई है अतः हम आपके माध्यम से माननीय भूतल परिवहन मन्त्री से अनुरोध करते हैं कि वह प्रस्तावित 11 राज्य राजमार्गों या उनमें से कम से कम कुछ को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैं एक बहुत अहम सवाल सदन के सामने रखना चाहता हू। अभी एक सतीश चन्द्र कमेटी बनी थी जिसमें सात भाषाओं को यू०पी०एस०सी० परीक्षा से डिलीट किया है और जबानों के बारे में मैं नहीं कहना चाहता लेकिन खासतौर से तीन भाषाएं ऐसी हैं जिनको हिन्दुस्तान की तारीख में और हिन्दुस्तान के अन्दर पढ़ने वाले बहुत लोग हैं। ये अरबी, फारसी और पाली हैं। ये तीन जबानें ऐसी हैं जिनको डिलीट किया गया है जिसकी वजह से लोगों में काफी रोष है।

कल काफी लोगों ने बोट क्लब पर प्रदर्शन किया और अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है। हमारी सरकार से मांग है कि इन तीनों जबानों को फिर से यू०पी०एस०सी० परीक्षा में शामिल किया जाए क्योंकि पूरे हिन्दुस्तान में दस हजार लड़के कालेज और यूनीवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। कम से कम 300 लोग परशियन और अरबी के रिसर्च में लगे हुए हैं। हमारे हिन्दुस्तान की तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा फारसी में है और उसके अलावा 30-35 अरब देश, जहां पर हमारे डिप्लोमैट्स जाते है, वहां भी इस जबान को जानने वालों की बहुत जरूरत होगी।

इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इसको रिकसीडर करते हुए स्टैप लेना चाहिए और इन जबानों को यू०पी०एस०सी० परीक्षा मे फिर से शामिल करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : इस सम्बन्ध में मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं। हम लक्षद्वीप गए थे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। इस सभा के सामने आने वाले प्रत्येक विषय पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ पूछना चाहता है। अतः आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि जिन सदस्यों के नाम यहां पर हैं, उन्हें बोलने का अवसर दिया जाना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल के दौरान भी कुछ नैतिकता होनी चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह एक बिल्कुल अलग चीज है। हम लक्षद्वीप में लोक लेखा समिति की ओर से गए थे। लक्षद्वीप में वे कहते हैं कि 80 प्रतिशत साक्षरता है। हमने पूछताछ की और हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि साक्षरता की दृष्टि से वहां प्रत्येक व्यक्ति अरबी जानता है।

यहां अरबी को कोई नहीं जानता और इसीलिए वे कहते हैं कि जनसंख्या का 20 प्रतिशत भाग निरक्षर है। मैं उसके बयान के आधार पर इस रुचिकर तथ्य के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर हम कुछ चीजों से सहमत होते हैं और फिर अगर हमें ही उनका उल्लंघन करना पड़े, तो फिर सभा पटल पर कुछ बातों से सहमत होने में कौन सी तुक है ? कुछ नैतिकता होनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की तरफ दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक बार केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण मार्गों का राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। इनमें से कुछ प्रमुख मार्ग इस प्रकार है—दिल्ली-अलीगढ़-एटा-कानपुर मार्ग, जिस की लम्बाई 405 किलोमीटर है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ-हरिद्वार-ऋषिकेश-जोशीमठ-बद्रीनाथ मार्ग, इसकी लम्बाई 524 किलोमीटर है। मिर्जापुर-इलाहाबाद-बांदा-झांसी मार्ग, इसकी लम्बाई 471 किलोमीटर है। इन सबके प्रस्ताव परिवहन मन्त्रालय को प्रदेश सरकार ने भेजे हैं लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ये प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण मार्ग हैं। अतः इन्हें शीघ्र ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को समाप्त करके चार चयन बोर्डों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक को विधानमण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है। अब यह विधेयक राष्ट्रपति जी की अनुमति के लिए केन्द्र के पास लम्बित है। इस विधेयक में अन्य बातों के अलावा तदर्थ अध्यापकों की सेवाओं में नियुक्ति को समाप्त करना, साथ ही साथ कतिपय तदर्थ अध्यापकों की सेवाओं को विनियमित करने के लिए प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में आज अध्यापकों की कमी की वजह से शिक्षा प्रणाली अस्त-व्यस्त हो गई है। स्कूलों और कालेजों में 50 प्रतिशत से कम अध्यापक हैं। सरकार को चाहिए कि वह जन भावनाओं का आदर करते हुए तुरन्त आवश्यक कार्रवाई करे और राष्ट्रपति की मंजूरी शीघ्र दे।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिले में लगभग एक लाख अफीम उत्पादक किसान ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा हाल में ही अफीम के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गई। उनके गलत नतीजों के परिणामस्वरूप जहां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों में भेदभाव बरता गया, वहां मध्य प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय भी हुआ है। नीति निर्धारण के जो सिद्धान्त हैं, उनके विपरीत जाकर अधिकारियों के द्वारा मनमाने तौर पर, उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं तथा उनकी अपील

की सुनवाई करने में हिचकिचाहट बरती जा रही है। ऐसी दशा मे एक लाख किसानों का भविष्य संकटमय है। अफीम की खेती ऐसी है जो न केवल किसानों के लिए लाभप्रद है या उनके लिए नकदी फसल है, अपितु सरकार को भी पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा देती है। ऐसी विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली इस खेती को बरबाद होने से बचाने के लिए सरकार प्रयत्न करे और वित्त मन्त्री यहां इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, इंडियन एयरलाइन्स की सेवायें, उसकी अनियमितताओं और कार्यकुशलता के घटिया स्तर के कारण खराब रही हैं। सेवायें अब निम्नतम स्तर तक पहुंच गई हैं और मुश्किल से ही कोई उड़ान समय से भरी जाती है। इंडियन एयरलाइन्स के प्रबंधक विमानचालकों की मांगों के मुद्दे को उलझा रहे हैं। उनकी मांगें सुरक्षा से सम्बन्धित हैं और इंडियन एयरलाइन्स के प्रबंधक यह दर्शाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उनकी मांगें केवल धन और व्यापार संघ सम्बन्धी हैं। विषय को उलझाया जा रहा है। विमानचालकों के संघ ने अब हड़ताल का नोटिस दे दिया है। अब तक 19 चालकों को निलम्बित किया जा चुका है और कल ही विमान चालकों के संघ के अध्यक्ष को निलम्बित किया गया है। प्रश्न यह है कि मन्त्री महोदय ने हमें बताया है कि प्रबंधन ने क्या किया है। अब, मैं जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मन्त्री महोदय क्या कर रहे हैं। मेरी मांग है कि मन्त्री महोदय को विमानचालकों के संघ के साथ बातचीत करनी चाहिए, उनकी मांगों को सुनना चाहिए और फिर उन्हें एक उचित निर्णय लेना चाहिए। अन्यथा यात्रियों को बहुत अधिक असुविधा होगी। प्रबन्धन अनावश्यक रूप से ही यात्रियों के लिए इतनी अधिक मुश्किलें उत्पन्न कर रहा है। अतः मैं मांग करता हूं कि मन्त्री महोदय को विमानचालकों के संघ के साथ सीधे समझौता वार्ता करनी चाहिए।

श्री राम कापसे (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक महत्व के इस अति तात्कालिक विषय को उठाना चाहता हूं। अखिल भारतीय रसोई गैस वितरक संघ की लम्बे समय से चली आ रही मांगें पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने के कारण उनके द्वारा पूरे देश में वितरक केन्द्रों को बन्द करने की धमकी के कारण सिलेण्डरों की अनुपलब्धता से रसोई गैस के उपभोक्ताओं को बहुत अधिक परेशानी होगी। अतः, मैं सरकार से उपभोक्ताओं की मुश्किलों को दूर करने और मामले को सुलझाने के लिए तुरन्त कदम उठाने का अनुरोध करूंगा। (व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, श्री राम कापसे ने जो कुछ अभी कहा उसका समर्थन करना चाहूंगा। यह बहुत दुःखद स्थिति है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह विषय किस प्रकार ले सकते हैं? आपने तो इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह आप किस प्रकार कर सकते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान छपरा-औड़िहार छोटी लाइन के आमान परिवर्तन की ओर दिलाना चाहता हूं।

इस रेल लाइन के आमान परिवर्तन की स्वीकृति वर्षों पहले मिली थी पर इस पर काम मात्र दो वर्ष पूर्व शुरू किया गया। बावजूद इसके इस लाइन के आमान परिवर्तन के लिए इतना कम धन आबंटित किया गया कि उसे निर्धारित समय के अन्तर्गत पूरा करना मुश्किल था। इधर जो थोड़ा बहुत काम हो भी रहा था, अब उसे भी बन्द कर दिया गया है। आमान परिवर्तन के लिए लगभग सारा आवश्यक सामान उठाकर ले जाया जा रहा है। रेल विभाग के इस रुख से लगता है कि वह इस आमान परिवर्तन के कार्य को समय से पूरा नहीं होने देना चाहता।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय रेल मन्त्री जी को लिखा था जिसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आमान परिवर्तन का काम रुका नहीं है और न रोका जाएगा। पर इधर अब न केवल वहां का काम रोक दिया गया है बल्कि सारा सामान ही उठाकर वहां से अन्यत्र ले जाया जा रहा है। इससे गाजीपुर, बलिया और छपरा के लोगों में बेहद रोष व्याप्त हो गया है। वहां की जनता इस कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण एवं पूर्वांचल के प्रति भेदभावपूर्ण मानती है।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि वह इस मामले को गम्भीरता से ले और रेल विभाग को निर्देश देने का कष्ट करे कि वह आमान परिवर्तन के काम को बन्द न करे अन्यथा वहां की जनता में इस वक्त जैसा रोष है, उसके गम्भीर परिणाम सामने आ सकते हैं।

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि पिछले दो तीन वर्षों से आल इण्डिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन के साथ वार्तालाप करने के उपरांत यह निश्चित किया गया कि देश के भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाएगी। इस संबंध में 28 अगस्त, 1992 को रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर सिद्धान्ततः सहमति भी व्यक्त कर दी थी और यह अपेक्षा की गई थी कि 15 सितम्बर तक रिपोर्ट दे दी जाएगी।

इस सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहूंगा कि नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भी ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों का एक अलग अस्तित्व बनाए रखने की सिफारिश की गई थी।

सरकार इस सम्बन्ध मे समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा भी कर चुकी है। मेरा आपसे अनुरोध है, यह ज्ञात हुआ है, भारतीय ग्रामीण बैंकों का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हो चुका है और सरकार इसकी स्थापना में विलम्ब कर रही है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि इस सम्बन्ध में तत्काल घोषणा करें और देश में भारतीय ग्रामीण बैंक की घोषणा की जाए।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा हाल ही में दिए गए वक्तव्य कि वे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते, से लाखों देशभक्तों के दिलों में दुख और रोष है। उनके पार्टी के नेताओं ने, जिनमें कुछ केरल से हैं, इसे अनेक बार दोहराया है। यह कृतघ्नता की सीमा है कि कोई भारतीय गांधी जी के राष्ट्रपिता होने पर ऊंगली उठाए। वे न केवल देशभक्त भारतीयों की भावनाओं को आघात पहुंचा रहे हैं बल्कि भारत को आजाद कराने में गांधी जी के योगदान को भी नकार रहे हैं।

मैं इस अवसर पर क्या गांधी जी राष्ट्रपिता** हैं या नहीं, यह स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं। देश यह जानना चाहता है।

[हिन्दी]

श्री राम कापसे (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, वे आडवाणी जी के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने आडवाणी जी को नोटिस नहीं दिया है।

[अनुवाद]

उन्होंने आडवाणी जी को नोटिस नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपत्तिजनक है। हम इसे हटा देंगे। इसे हटा दिया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सभा में ऐसे विषय उठाने चाहिए जिनका सम्बन्ध आम आदमी से हो। मेरा कहना यह है कि शून्य काल के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। आप सामान्य समय के दौरान भी विभिन्न नियम और प्रक्रिया सम्बन्धी विभिन्न उपबन्धों के तहत इस प्रकार के विषय ले सकते हैं। मैं नहीं जानता कि हम क्यों इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं।

श्री लाईता उम्ब्रे (अरुणाचल पूर्व) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 कई जगहों से टूट-फूट गए हैं। ये मार्ग इस वर्ष अप्रैल में बाढ़ के दौरान टूट गये थे और सम्बन्धित अधिकारियों के नोटिस में यह मामला लाया गया था लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। इससे दिबंग घाटी, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले और असम की तिनसुकिया जिले के लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं।

मैं भूतल परिवहन मन्त्री महोदय से खराब सड़कों को ठीक करने के लिए तथा जल संसाधन मंत्री महोदय को अगली मानसून से पहले बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। अन्यथा अगले मानसून तक सम्पूर्ण अपर असम जल में डूबा होगा।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : महोदय, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड केरल की अखबारी कागज की फैक्टरी है, जो वेलोड में काम कर रही है। यह बहुत सुचारू रूप से चल रही है और लाभ अर्जित कर रही है। मैं समझता हूं कि पिछले दो या तीन वर्षों में इसने बहुत अधिक लाभ कमाया है। इस वर्ष भी इसे अच्छा फायदा होने वाला है। लेकिन कामगार वहां परेशान हैं क्योंकि प्रेस में यह खबर छपी है कि यह कंपनी हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन (एन०पी०सी०), की तरह है, जो घाटे में चल रही है और इसे किसी गैर-सरकारी एजेंसी को दिया जाना है। यह एच०पी०सी० की एकमात्र सहायक इकाई है। लेकिन इसकी प्रबन्ध व्यवस्था अलग है और अलग प्रबन्ध निदेशक के साथ इसका स्वतन्त्र अस्तित्व है। मैं सुझाव दूंगा और प्रार्थना करूंगा कि इसे निजी क्षेत्र को नहीं दिया जाना चाहिए। नीति

**अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अनिवेश मेरे विचार में बहुत खतरनाक होगा। इस लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक उद्यम को किसी समय भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : महोदय, भारत की अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन में एक अहम भूमिका रही है। इसने अन्तर्राष्ट्रीय शांति की प्राप्ति के लिए अपना भारी दायित्व निभाने हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत गुट-निरपेक्ष आंदोलन के स्थायी सदस्य और अध्यक्ष के रूप में, जिसकी इसने दो बार अध्यक्षता की है, सुरक्षा परिषद को स्थायी सदस्य बनने का योग्य एवं वास्तविक अधिकारी है। इस महान सभा को एकमत से इस सम्बन्ध में अपनी उचित मांग को उठाने एवं पूरा करने के लिए एक संकल्प पारित करना चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : कुछ समय से यह सरकार व्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर करने तथा उसमें गड़बड़ी उत्पन्न करने की ओर बढ़ रही है। अब कुछ समाचारपत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के इन्जीनियरिंग क्षेत्र में अग्रणी भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में दुःखद खबर आई है। 'भेल' का बहुराष्ट्रीय कंपनी जी०ई०सी० आल्सथम एन०वी० द्वारा अधिग्रहण किए जाने की बात चल रही है। यह अभी कुछ समय पहले से ही चल रहा है। एक बार उनको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार से वाणिज्यिक रूप में उधार लेने के लिए मजबूर करने का प्रयत्न किया गया था जिसने उसको कमजोर बनाया। अततः अनिवेश हुआ और इससे कमजोर पड़ने की प्रक्रिया को और अधिक बल मिला। अब सबसे दुःखद बात यह है कि वे इसे हस्तांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं और इसे बहुराष्ट्रीय कम्पनी, आल्सथम एन०वी० के हाथों बेचने के लिए बातचीत चल रही है। माननीय मन्त्री महोदय यहां मौजूद हैं। उन्हें इस समाचार का जवाब देना चाहिए और इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैंने दो दिन के लिए नोटिस दिया है। उन्होंने 'हिन्दुस्तान पेपर मिल्स' के बारे में बताया है। 'भेल' सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े संगठनों में से एक है और देश में इसके खरीदे जाने की कहानियां छपती रहती हैं। इसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को नहीं दिया जाना चाहिए। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं और हम अपने देश के ही नहीं अपितु बाहर से भी निविदायें और क्रय आदेश प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम 'भेल' को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दे रहे हैं, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम अपने देश के सम्पूर्ण आर्थिक ढांचे को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। माननीय मंत्री ने वायदा किया है कि वे उत्तर देंगे। वह यह आश्वासन देंगे कि ऐसा नहीं होगा। उन्हें सभा को जवाब देने दीजिए और सभा को आश्वस्त करने दीजिए कि यह नहीं होगा। उन्हें उत्तर देने दीजिए। (व्यवधान)

उद्योग मन्त्रालय (भारी उद्योग विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : यह आरोप पूर्ण रूप से गलत है कि हम 'भेल' को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देने जा रहे हैं। यह पूर्णतः गलत आरोप है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे पास बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ इस प्रकार की बातचीत करने अथवा कम्पनी सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

निश्चित रूप से हम 'भेल' के हितों का सबसे अधिक ध्यान रखेंगे। हम देश के हितों का सबसे

अधिक ध्यान रखेंगे। निश्चय ही हमें कुछ निवेशकर्ताओं द्वारा निवेश किए जाने की आवश्यकता है। इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन यह आरोप कि हम 'भेल' को किसी अन्य को सौंपने जा रहे हैं, एकदम गलत है।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : समाचार-पत्रों में यह कहा गया है कि संयुक्त राज्य संघ अमरीका और यूरोपीयन समुदाय ने भारत सहित कुछ देशों पर दबाव डालने के लिए उनसे वार्ता में एक साथ कार्य करने के लिए एक गोपनीय समझौता किया है ताकि वे उनकी संयुक्त मांग को स्वीकार कर लें और संयुक्त राज्य संघ अमरीका के बैंकों, बीमा कम्पनियों प्रतिभूति निधियों के लिए अपने बाजार खोल दें। लेकिन राष्ट्रीय हित का बहुत गम्भीर मुद्दा है। वास्तव में ऐसी क्रांति इस देश की प्रभुसत्ता के हित मे नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे तत्काल जवाब दें और इस उलझन को स्पष्ट करने के लिए पूरा मामला स्पष्ट करें।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : महोदय, इस सदन में हमने बार-बार रानीगंज कोयले की खदान की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है (व्यवधान) वहां पर निश्चित रूप से अनसर्टेन माइनिंग हो रहा है इसके कारण वहां पर खतरा पैदा हो गया है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि वहां पर 46 गांव और शहर को अपने इलाके में कारोबार छोड़कर आने के लिए नोटिस दिया गया है। (व्यवधान) वहां पर करोड़-करोड़ रुपए की चोरी हो रही है। (व्यवधान)

1.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 17-9-92 को काजोरा क्षेत्र की मधुसूदनपुर कोयलरी में एक दुर्घटना हुई, खान धंस गई, जिससे एक मजदूर मर गया और दो मजदूर गभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद मधुसूदनपुर गांव में सब जगह धसन शुरू हो गई। उसका नतीजा यह हुआ कि बावड़ीपाड़ा, सांतलपाड़ा आदि जगहों में बहुत से घरों मे क्रेक आ गए और जमीन धस गई। आसपास के गांवों में भी जमीन धंस गई है, दंगजपाड़ा, काजोड़ा, भगीपाड़ा आदि में बहुत से घरो में क्रेक आ गए हैं, खेती की जमीन भी धस गई है, 2 फुट से लेकर 40 फुट तक धसन हुई है। मधुसूदन गांव के लोगो को वहां से हटाने के लिए झुग्गियां बनाई गई है, लेकिन वहां पर अक्सर पानी और बिजली का कोई प्रबंध नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी वहां पर नहीं गया है और सब उन्हीं खतरनाक मकानो मे रह रहे हैं, जहां पर कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। वहां के लोगो की समस्या का समाधान करने के बजाए सरकार उनका मजाक उड़ा रही है, मंत्री महोदय कहते हैं कि वे पश्चिम बंगाल सरकार को पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार पैसा लेने के लिए तैयार नहीं है, यह गलत बात है। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है और केन्द्र सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे यहां रोज मौतें हो रही हैं और लोगों की जान खतरे मे है, केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर रही है। यदि भारत सरकार उचित प्रबंध नहीं करेगी तो कोयला खदानों का काम बन्द हो जाएगा।

इसी तरह से वहां पर सेंड स्टोइंग के नाम पर करोड़ो रुपए की हेराफेरी हो रही है, लेकिन काम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह धसन होता है और दुर्घटनाएं होती है।

इन सारी चीजों की ओर सरकार ध्यान दे और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं होगा (व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश के किसानों की गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में सेब का समर्थन मूल्य तो पहले से ही समाप्त कर दिया गया है और आज आलू की फसल भी सड़कों पर पड़ी हुई है, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। मेरे क्षेत्र में जुब्बल, कोटखाई, रोहड़ू आदि में किसान आलू का बीज पैदा करते हैं, लेकिन यहां के किसानों की फसल सड़कों पर पड़ी हुई है। किसानों ने हजारों करोड़ रुपया फसल को उगाने में और सड़क तक लाने में खर्च किया है, लेकिन आज किसी भी भाव पर आलू नहीं उठाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश के आलू और अदरक पैदा करने वाले किसानों को यदि हिमाचल प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य नहीं दे सकती तो केन्द्र सरकार को समर्थन मूल्य देना चाहिए, ताकि किसान अपनी क्षति-पूर्ति कर सकें, अन्यथा किसान अपनी उदर-पूर्ति भी नहीं कर पाएंगे। अतः सरकार जल्दी से जल्दी इस ओर ध्यान दे और शीघ्र निर्णय ले, ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के कृषकों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के लाइसेंस भारत सरकार के पास लम्बित पड़े हुए हैं, जिसके कारण वहां क किसानों के पूरे गन्ने की पिराई नहीं हो पाती। प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 17 चीनी मिलों के लिए लाइसेंस देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस बारे में निर्णय नहीं लिया गया है।

मान्यवर, हमारे जनपद बहराइच में चिल्वरिया में एक किसान सहकारी चीनी मिल के नाम से सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल लगाए जाने का आज्ञा-पत्र भारत सरकार से प्राप्त हुआ था। चीनी मिल लगाए जाने हेतु भूमि आदि क्रय कर ली गई थी। धनाभाव के कारण उक्त मिल को सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में लगाए जाने का निश्चय कर उसे प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। उक्त मिल के संबंध में अब प्राइवेट सेक्टर का आज्ञा पत्र संबंधी प्रकरण भारत सरकार में काफी समय से विचाराधीन है।

आज्ञा पत्र न मिल पाने के कारण मिल की स्थापना निर्माण कार्य रुका पड़ा है। जनपद बहराइच के कृषक अधिकतर गन्ने की ही खेती करते हैं। उनके समक्ष अपनी उपज के गन्ने की पेराई की जटिल कठिनाइयां हैं। कृषकों का गन्ना खेतों में सूख जाता है या अपनी मेहनत की उपज को सस्ते मूल्य पर प्राइवेट क्रेशर पर देने को विवश होना पड़ता है।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं भारत सरकार से गंभीरतापूर्वक मांग करता हूं कि विचाराधीन किसान सहकारी चीनी मिल चिल्दरिया बट्टराइच के निर्माण हेतु अविलंब आज्ञा पत्र जारी करना सुनिश्चित कराए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि प्रधान मंत्री जी द्वारा 17 चीनी मिलों को आज्ञा पत्र दिए जाने के लिए जो आश्वासन दिया गया था, उसके बारे मे भी शीघ्र निर्णय लेने का कष्ट करे।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोसनिया हरजेगोवीना के सम्बन्ध में सभा को ख्याति से अवगत करवाने की अनुमति दी जो कि पिछले छः महीनों से समाचारों में है। लेकिन यह त्रासदी अब एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है।

पश्चिम के प्रचार माध्यमों ने यह कहा है कि जब तक खाद्य पदार्थों, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी को सर्दी के मौसम में झेल रहे लोगों के लिए—अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई तत्काल तथा प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की गई तो लोग गृह युद्ध में अपनी जान गवा बैठे है और 10 लाख और लोग अपनी जान गवा देंगे। यह इस शताब्दी की त्रासदी होगी। अब अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी हैरान करने वाली है। यहां गृह युद्ध की स्थिति है। एक पड़ोसी देश ने बोसनिया-हरजेगोवीना के गणराज्य पर परोक्ष रूप से हमला कर उनके कुछ भागो पर कब्जा कर लिया है और उस क्षेत्र में वह देश विद्रोही तत्वों को पूरा समर्थन दे रहा है। यह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्त्तव्य है कि वह बोसनिया-हरजेगोवीना की प्रभुसत्ता तथा क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करे और यह ध्यान में रखे कि भारत ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का कार्यभार संभाला है और इसलिए हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं भारत सरकार से अपील करता हू कि वे यह देखने के लिए अपनी जिम्मेवारी निभायें कि सर्बिया गणराज्य को सजा देने के लिए और केवल बोसनिया-हरजेगोवीना की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए बल्कि बोसनिया-हरजेगोवीना के लोगो को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए कोई सख्त कार्यवाही की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवगौड़ा जी, नियम यह है कि जो लोग कार्यालय आते हैं और नोटिस देते हैं, उनके नामों की यहां सूची बना ली जाती है। मैंने उन सभी व्यक्तियों के नाम यहां लिए है।

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन) : मै अध्यक्षपीठ के साथ लड़ना नहीं चाहता। मै शुक्रवार की सुबह माननीय अध्यक्ष जी के पास गया था और मैंने उनसे अनुरोध किया था कि मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है और वह बैलट में नहीं आया है और मैंने दोबारा नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस दिया है और वह भी बैलट में नही आया है। मै यहां अपने लोगों के लिए केवल छोटा सा कार्य करने आया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है, सामान्यतः शून्यकाल एक बजे समाप्त होना चाहिए।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : मैं अध्यक्ष महोदय के पास शुक्रवार को गया था···

उपाध्यक्ष महोदय : आपका मुद्दा क्या है? कुछ भी है हम समय दे रहे हैं।

श्री एच०डी० देवगौड़ा : आप स्वयं इस मामले के बारे में जानते हैं। अनावश्यक रूप से सभा का समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है।

कर्नाटक के पांच जिलों मैसूर, हसन, कुर्ग, चिकमंगलूर, और शिमोगा में विर्जीनिया तम्बाकू उत्पादक बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने लगभग 30 मिलियन किलोग्राम तम्बाकू का उत्पादन किया है और कर्नाटक के लिए अधिकतम सीमा 20 मिलियन किलोग्राम है। उसी स्थान पर आन्ध्र प्रदेश के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा 130 मिलियन किलोग्राम है।

पिछले वर्ष लगभग 50 अधिकृत खरीददारों ने नीलामी में हिस्सा लिया था और उत्पादकों को 42 रु० प्रति किलोग्राम कीमत मिली थी और इस वर्ष दो महीने के विलम्ब के पश्चात भी चार-पांच खरीदार ही नीलामी मे हिस्सा लेने आए। पिछले वर्ष, रूस तथा ब्राजील मुख्य खरीदार थे। कुछ राजनीतिक घटनाओं के कारण वे तम्बाकू खरीदने की स्थिति में नहीं है, जब तक कि कुछ ऋण सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती। इस स्थिति का लाभ उठाकर तम्बाकू बोर्ड के निम्न स्तर के कर्मचारियों की मिलीभगत से कुछ गुप्त कार्यवाही चल रही है। नीलामी मार्ड से बाहर खरीदार 18 रु० से 20 रु० की दर पर तम्बाकू खरीद रहे है जिससे उत्पादकों की उत्पादन की 50 प्रतिशत वास्तविक लागत भी पूरी नहीं होती है।

श्री कुरियन जी यहां हैं। मैंने उन्हें पत्र लिखा था और उन्होंने मेरे पत्र का जवाब भी दिया है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे बचने के लिए तम्बाकू बोर्ड को बाजार प्रतिस्पर्द्धा में शामिल होना चाहिए। इसके लिए तम्बाकू बोर्ड को भारत सरकार द्वारा कम से कम 50 करोड़ रु० का ऋण दिया जाना चाहिए। दूसरे बैंक गारन्टी पर कम से कम 50 करोड़ रु० का ऋण अधिकृत खरीदारों को भी दिया जाना चाहिए ताकि वे नीलामी में शामिल हो सकें।

कपास उत्पादकों के संबंध में, आप जानते हैं कि आग लग गई थी और आपका दल भी वहां गया था। मैं इस संबध में एक अथवा दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। पिछले वर्ष, कपास की उत्तम किस्म को 1700 रु० प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा गया था। इस वर्ष, वही कपास 1000 रु० प्रति किलोग्राम की दर से भी नहीं बेची जा सकी। व्यापारी 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक का कमीशन लेकर स्थिति का लाभ उठा रहे हैं और कुछ मामलों में उत्पादक मजबूरन बिक्री कर रहे हैं और वे बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत ही प्राप्त कर रहे है और बिक्री मूल्य का 90 प्रतिशत कपड़ा मिलों द्वारा व्यापारियों को राशि अदा किए जाने के बाद मिलता है। कम से कम दस लाख कपास की गांठें बिना किसी विलम्ब के निर्यात करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि देश की कपड़ा मिलों द्वारा आन्तरिक खपत की तुलना मे उत्पादन 45 लाख गांठो से अधिक है।

दूसरा, भारतीय कपास निगम द्वारा कम से कम दस लाख कपास की गांठें खरीदी जानी चाहिए ताकि कपास के उत्पादकों को इस दुःखदायी स्थिति से बचाया जा सके। वे केवल मूक दर्शक हैं और वे कुछ नहीं कर रहे हैं, हालांकि कोट्टूर में एक बड़ा बाजार भी है। कृषकों द्वारा एक आन्दोलन किया गया था जिसमें कर्नाटक के कोट्टूर जिले में पुलिस की गोली से दो जानें चली गई थी। कर्नाटक में अभी भी तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है।

इसलिए, मेरी मांग यह है कि कपास तथा तम्बाकू उत्पादकों को बचाने के लिए भारत सरकार को शीघ्र कदम उठाने चाहिए। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे कपास के निर्यात की अनुमति दें और कृषकों को धन उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद महोदय।

———

13.10½ म०प०

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम III के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1992 को हुई अपनी बैठक में पारित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (आतंकवाद दमन) कन्वेंशन विधेयक, 1992 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

———

[अनुवाद]

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (आतंकवाद दमन) कन्वेंशन विधेयक, 1992

महासचिव : महोदय, मैं 26 नवम्बर, 1992 को राज्य सभा द्वारा पारित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (आतंकवाद दमन) कन्वेंशन विधेयक 1992, सभा पटल पर रखता हूं।

———

1.11 म०प०

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

कला प्रदर्शन के क्षेत्र में कार्यरत कलाकारों एवं स्वैच्छिक अभिकरणों को दी जा रही सहायता में वृद्धि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य देती हूं :

संस्कृति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिए जा रहे छात्रवृत्ति एवं शिक्षावृत्ति पुरस्कारों की राशि को बढ़ाने के संबंध में माननीय सदस्यों और कलाकार समुदाय से अनुरोध एवं सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। यह भी महसूस किया गया है कि अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे कलाकारों को प्रदान की जा रही सहायता बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया गया है कि प्रदर्शन-कलाओं के क्षेत्र में दिए जा रहे अनुदानों को और अधिक उदार बनाया जाए।

इस मामले पर सरकार ध्यान देती रही है और मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विभिन्न पुरस्कारों की राशि बढ़ा दी गई है। प्रदर्शन-कलाओं के क्षेत्र में स्वैच्छिक एजेंसियों को दिए जाने वाले अनुदानों की राशि को भी बढ़ा दिया गया है।

ब्यौरे निम्नानुसार :

छात्रवृत्ति, कनिष्ठ शिक्षावृत्ति, वरिष्ठ शिक्षावृत्ति तथा अवकाशप्राप्त शिक्षावृत्ति की राशि 600/-रुपये, 900/- रुपये, 1800/- रुपये और 3000/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर क्रमशः 1000/- रुपये, 1500/- रुपये, 3000/- रुपये और 5000/- रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। अवकाशप्राप्त शिक्षावृत्ति प्राप्तकर्ता (फैलो) के मामले में, उन्हें 10000/- रुपये प्रतिवर्ष का आकस्मिक अनुदान भी दिया जाएगा।

स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता पहुंचाने के लिए गुरु एवं कलाकारों के वेतन अनुदान को 1500/- रुपये और 750/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर क्रमश: 2000/- रुपये और 1500/- रुपये प्रति माह कर दिया गया है। नाटकों, इत्यादि के निर्माण में स्वैच्छिक एजेंसियों को दी जाने वाली सहायता राशि, 25,000/- रुपये अथवा 40,000/- रुपये प्रति रचना (प्रोडक्शन) से बढ़ाकर 50,000/- रुपये प्रति रचना कर दी गई है।

———

1.11½ म० प०

[अनुवाद]

लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज विधेयक*

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित संदायों पर ब्याज के संदाय का उपबंध करने और उसे विनियमित करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

*दिनांक 30-11-92 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 में प्रकाशित।

"लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदायों पर ब्याज के संदाय का उपबंध करने और उसे विनियमित करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : ** मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

1.12 म० प०

[अनुवाद]

लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित संदाय पर ब्याज अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

उद्योग मन्त्रालय (लघु तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : मैं लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित संदाय पर ब्याज अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.13 म० प०

[अनुवाद]

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिकल पावर कारपोरेशन लिमिटेड और नार्थ-ईस्ट इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) विधेयक*

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के विभिन्न

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

*दिनांक 30-11-92 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

क्षेत्रों के भीतर और उनके आर-पार अधिक वैज्ञानिक, दक्ष और मितव्ययी आधार पर विद्युत शक्ति पारेषण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत शक्ति ग्रिड का विकल्प करने की दृष्टि से तीन कंपनियों के विद्युत शक्ति संचारण तंत्र के और भारत के विभिन्न भागो में स्थित विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली में उन कंपनियों के अधिकार, हक और हितों के लोक हित में अर्जन और अन्तरण के लिए तथा उनसे सम्बन्धित और उनके आनुषंगिक बातों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के भीतर और उनके आर-पार अधिक वैज्ञानिक, दक्ष और मितव्ययी आधार पर विद्युत शक्ति पारेषण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत शक्ति ग्रिड का विकल्प करने की दृष्टि से तीन कम्पनियों के विद्युत शक्ति संचारण तंत्र के और भारत के विभिन्न भागों में स्थित विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली में उन कम्पनियों के अधिकार, हक और हितों के लोक हित में अर्जन और अन्तरण के लिए तथा उनसे सम्बन्धित और उनके आनुषंगिक बातों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कल्पनाथ राय : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

1.13½ म० प०

[अनुवाद]

दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक*

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती शीला कौल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

---

*दिनांक 30-11-92 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

1.14 म० प०

[अनुवाद]

दिल्ली विकास (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं दिल्ली विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

1.15 म० प०

[अनुवाद]

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

1.15½ म० प०

[अनुवाद]

औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अन्तरण और निरसन) अध्यादेश*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय

*दिनांक 30-11-92 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

औद्योगिक वित्त निगम उपक्रम का कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन कम्पनी के रूप में बनाई और रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली कम्पनी में अन्तरण और निहित होने का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का और औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 का निरसन भी करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम उपक्रम का कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन कम्पनी के रूप में बनाई और रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली कम्पनी में अन्तरण और निहित होने का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का और औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 का निरसन भी करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बलबीर सिंह : मैं विधेयक** पुरःस्थापित करता हूं।

1.16 म० प०

औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अन्तरण और निरसन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : मैं औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अन्तरण और निरसन) अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.17 म० प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय तार अधिनियम, 1961 के अधीन अधिसूचना

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1961 की धारा 7 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 730(अ), जो 19 अगस्त, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसमें 10 जून, 1992

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 587(अ) का शुद्धि-पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण) दिया गया है, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2785/92]

1.17½ म० प०

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राऊरकेला इस्पात संयंत्र के अधीन राऊरकेला स्थित बिरसा मैदान को बिरसामुंडा प्रतिमा समिति को हस्तान्तरण किए जाने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : मैं आदिवासी पट्टी में तीव्रगति से औद्योगिकीकरण के कारण आदिवासियों की काफी पुरानी संस्कृति के भविष्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। औद्योगिकीकरण के कारण जनजातीय क्षेत्र में रोजगार हेतु गैर-जनजातीय लोगों के आने की वजह से सैकड़ों जनजातीय परिवार विस्थापित हो गए हैं इसके आदिवासी संस्कृति की सुरक्षा को प्रत्यक्षत: खतरा उत्पन्न उद्योगों और राज्य सरकार दोनों ने जनजातीय संस्कृति के संवर्द्धन और संरक्षण में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई है।

राऊरकेला स्थित 'बिरसामुंडा स्टैटयू कमेटी' जोकि जनजातीय क्षेत्र का अग्रणी सांस्कृतिक संगठन है, विगत दस वर्षों से राऊरकेला इस्पात संयंत्र के स्वामित्वाधीन 'बिरसा मैदान' में बिरसामुंडा जनजातीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने 1991 में यह निर्णय लिया था कि राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही वह 9.6 एकड़ 'बिरसा मैदान' को इस कमेटी को सौंपेगा।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि बिरसामुंडा स्टैट्यू कमेटी को 'बिरसा मैदान' अन्तरित किये जाने के मामले में वह सीधे निर्णय ले।

[हिन्दी]

(दो) मराठवाड़ा विकास मंडल का शीघ्र गठन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती केसर बाई सोना जी क्षीरसागर (बीड) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य विकास का समतोल रखने के लिए मराठवाड़ा विकास मंडल गठित करने की आवश्यकता है। विकास की दृष्टि से मराठवाड़ा पिछड़ा विभाग है। सिंचाई के कम स्रोत हैं। राष्ट्रीय महामार्ग की कमतरता। रेल लाईन का अभाव है। इसलिए यह विभाग का विकास होने के लिए अलग से वैधानिक विकास मंडल जल्द गठित होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने इस सम्बन्ध में विधि मंडल में ठराव स्वीकृत करके

यह विकास मंडल को मान्यता दिया। तथा केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि मराठवाड़ा विकास मंडल जल्द गठित किया जाए।

[अनुवाद]

(तीन) चीनी उद्योगों की स्थापना करने के लिए आंध्र-प्रदेश को अधिक से अधिक लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी (वारंगल) : महोदय, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में केवल 33 चीनी मिलें हैं, जिनकी दैनिक गन्नापेराई-क्षमता 56,650 मीट्रिक-टन है। हालांकि राज्य में चीनी उद्योग के विकास की असीम संभावनायें हैं, फिर भी प्रगति काफी धीमी रही है। राज्य में भूमिगत पानी सुविधाओं की बहुतायता सहित अच्छी सिंचाई सम्भावनायें हैं। भारत सरकार की उदार नीति के कारण राज्य में उद्यमियों ने सम्भावित क्षेत्रों में नई चीनी मिलें स्थापित करने के प्रति अच्छी रुचि दर्शाई है। विगत वर्षों में इस राज्य के लिए पर्याप्त आशय-पत्रों को मंजूरी नहीं मिल पाई है।

अतः, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस राज्य से प्राप्त आवेदन-पत्रों के पक्ष में विचार करें तथा आंध्र-प्रदेश में हो रही व्यापक पैमाने पर गन्ने की खेती तथा उसके और अधिक होने की सम्भावनाओं को देखते हुए अधिकाधिक संख्या में लाइसेंस को मंजूरी प्रदान करें।

मुझे उम्मीद है कि केन्द्र सरकारर इस बारे में आवश्यक कारंवाई करेगी।

(चार) गुजरात के नाडियाड में एक और पासपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी (खेड़ा) : महोदय, गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गुजरात का एकमात्र कार्यालय है। इस कार्यालय में प्रति वर्ष लगभग एक लाख पासपोर्ट हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय में 1980 नियमावली के अनुरूप ही कर्मचारी अभी तक तैनात हैं, जिसके परिणामस्वरूप पासपोर्ट सम्बन्धी आवेदन-पत्रों पर समुचित कार्यवाई नहीं होने के कारण लगभग तीस हजार आवेदन-पत्र अभी भी लम्बित पड़े हैं और इस कारण आवेदकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आमतौर पर, एक पासपोर्ट जारी करने में तीन माह से अधिक का समय लगता है। अतः इस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को दो कार्यालयों में विभाजित किये जाने का यह उचित समय है। चूंकि 60 प्रतिशत से भी अधिक आवेदन खेड़ा, बड़ोदरा तथा दक्षिण गुजरात के अन्य जिलों से हैं, अतः क्षेत्रीय पासपोर्ट का दूसरा कार्यालय नाडियाड में स्थापित करना उचित होगा।

अतः सरकार से अनुरोध है कि इस मुद्दे पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

[हिन्दी]

(पांच) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उत्तर-प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को खाद्यान्नों के पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता दिए जाने की आवश्यकता

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम प्रदेश के समस्त पर्वतीय जनपदों के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति अपने रेल शीर्ष स्थित गोदामों से करता है। ये गोदाम इस समय टनकपुर, हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर किच्छा, ऋषिकेश, देहरादून तथा कोटद्वार में स्थित हैं। राज्य का खाद्य विभाग इन बेस गोदामों से खाद्यान्न की उठान करके पर्वतीय क्षेत्रों के आंतरिक गोदामो तक पहुंचाता है। यहां से उचित दर की दुकानों तक खाद्यान्न की ढुलान की व्यवस्था स्वय दुकानदार करते हैं। आंतरिक गोदामों से उचित दर की दुकानों तक सम्पूर्ण परिवहन व्यय उपभोक्ता ही करते हैं। बेस गोदाम से आंतरिक गोदाम तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार सब्सिडी के रूप मे वहन करती है। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में जो स्थान बेस गोदामों/आंतरिक गोदामों से जितनी ही दूर हैं वहां उपभोक्ताओ को उतने ही महगे दर पर खाद्यान्न सुलभ हो रहा है।

उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों का कुल क्षेत्रफल 51,115 वर्ग किलोमीटर है एवं जनसंख्या लगभग साठ लाख है, जो अनेक पहाड़ी राज्यों के क्षेत्रफल व जनसंख्या की तुलना मे अधिक है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 145 ब्लाक चयनित किए हैं जिनमें पर्वतीय जनपदों के लगभग सभी ब्लाक लिए गए हैं। इस प्रणाली की मंशा है कि पूरे देश में उपभोक्ता मूल्य एक समान होने चाहिए। जहां तक प्रदेश के मैदानी जनपदों में इस व्यवस्था का सम्बन्ध है, राज्य सरकार अपने संसाधनों से खाद्यान्न का परिवहन व्यय कर रही है, परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह परिवहन व्यय उठा पाना सम्भव नहीं है। अतः सरकार को चाहिए कि वह उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के लिए परिवहन सहायता अन्य पहाड़ी प्रदेशों की भांति प्रदान करे।

[अनुवाद]

(छह) पश्चिम बंगाल के चंपाहाटी और दक्षिण 24 परगना में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन सुविधाएं दिए जाने और इसे कलकत्ता टेलीफोन केन्द्र के अधीन लाए जाने की आवश्यकता

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24-परगना जिला स्थित चंपाहटी एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह विभिन्न कारणों से प्रसिद्ध है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र है तथा यहां केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अनेक कार्यालय स्थित हैं। यह दक्षिण कलकत्ता संसदीय क्षेत्र के अधीन है और कलकत्ता से केवल 24 कि० मी० की ही दूरी पर है। इस क्षेत्र के लोगों को इलैक्ट्रानिक टेलीफोन सुविधाएं न होने के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मैं संचार मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज के अधीन लाया जाये ताकि यहां की टेलीफोन-व्यवस्था में सुधार हो सके।

(सात) उत्तर-प्रदेश में गाजियाबाद में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत उड़ीसा के प्रवासी कर्मकारों के हितों की रक्षा के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं सरकार का ध्यान उड़ीसा से आये मजदूरों की दयनीय दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बड़ी संख्या में उड़ीसा से आये मजदूर गाजियाबाद में कार्यरत हैं। उड़ीसा के बालगांव क्षेत्रों के कुछ स्थानीय ठेकेदारों ने मजदूरों को यह लालच देते हुए वायदा किया है कि उड़ीसा के बाहर उन्हें अधिक मजदूरी इस राज्य से आये लगभग 35 व्यक्ति गाजियाबाद में अनेक निर्माण स्थलों पर प्रवासी मजदूरों के तौर पर कार्य कर रहे हैं। उन्हें यह कहा गया था कि उन्हें आकर्षक मजदूरी के अतिरिक्त खाने और रहने की सुविधाएं भी दी जायेंगी। किन्तु खेद की बात है कि उन्हें 14 घंटे से अधिक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। कड़ी मेहनत करने और समुचित भोजन के अभाव में वे बीमार रहते हैं। बीमारी के कारण वे जब काम नहीं कर पाते, तो ठेकेदारों के गुण्डे उनसे बड़ी निर्ममता से मारपीट करते हैं। चूंकि मजदूर दयनीय परिस्थिति में रह रहे हैं, अतः उन्हें तत्काल संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और इन प्रवासी मजदूरों को बचाये।

[हिन्दी]

(आठ) बिहार के बगहा-छितौनी रेल पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए बगहा-छितौनी बड़ी रेल के पुल का निर्माण कार्य 18 वर्षों से चल रहा है, परन्तु अभी तक इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कई बैठकों में कई सांसद इस सवाल को उठा चुके हैं। इस कार्य के लिए समुचित राशि उपलब्ध नहीं है। यातायात और परिवहन के अभाव में इस क्षेत्र का विकास कार्य अवरुद्ध है।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि बगहा एवं छितौनी रेल पुल का निर्माण लोकहित में शीघ्र किया जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.26 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 35 म०प० पर पुन. समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

2.35 म०प०

[अनुवाद]

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा, श्री एच०आर० भारद्वाज द्वारा 26 नवम्बर, 1992 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए विचार किया जाए।"

श्री विजय कुमार यादव जी अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

वह यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक, जैसाकि यह हमारे सामने है, अविवादास्पद है और मैं केवल इसका स्पष्ट तौर पर समर्थन ही नहीं बल्कि इसका स्वागत भी करता हूं। लेकिन जैसाकि मैंने इससे पहले भी उल्लेख किया था कि मैं चाहता हूं कि प्रारूपण थोड़ा-सा संक्षिप्त और सही हो। मेरे वरिष्ठ साथी ने पहले ही इसे उद्घाटित कर दिया है और मैं माननीय विधि मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि विधि मन्त्रालय में अधिनियमों के प्रारूपण का स्तर काफी गिरता जा रहा है। वास्तव में, मुकदमे-बाजी से बचने की बजाय ये अनेक मुकदमों के लिए गुंजाइश छोड़ते हैं क्योंकि इनका प्रारूप काफी दोषपूर्ण होता है। इस विधेयक का प्रारूपण भी दोषपूर्ण है।

इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि वकालत व्यवसाय सम्बन्धी समूची व्यवस्था को नए सिरे से गठन किए जाने की आवश्यकता है। मेरे विचार से जिस तरह से वकालत-व्यवस्था की हमारे देश में आरम्भ में कल्पना, संवर्द्धन और स्थापना की गई थी, वह अधिवक्ताओं की विरोधात्मक-भूमिका

पर आधारित है। एक तरफ हम कहते हैं कि एक वकील न्यायालय का एक अधिकारी होता है और दूसरी ओर हमने सदैव केवल ब्रिटिश नमूने को ही अपने सामने रखा है तथा न्यायालय में, न्यायालय के बाहर एवं व्यवसाय में पारस्परिकता मे वकील की भूमिका को ज्यादा सही महत्व नहीं दिया है। उदाहरणार्थ, मुख्यतः मुकदमे-बाजी की लागत की बढ़ोतरी तथा उसकी साख में कमी इस सर्वविदित तथ्य के कारण से आई है कि हमारे वरिष्ठ और सुस्थापित वकील निर्धारित फीस से चोरी छिपे बहुत ज्यादा वसूल कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की लागत बहुत बढ़ गई है और कई मामलों में तो सच्चा न्याय हो ही नहीं पाता है। इस पावन व्यवसाय में भ्रष्टाचार की गंध आती है। मैं समझता हूं कि देश इस गंध की ओर ध्यान देगा और समय पर सुधारात्मक उपाय करेगा। विभिन्न उच्च न्यायालयों में नकारात्मक किस्म की वकालत किए जाने के अनेक उदाहरण सामने हैं। मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय समझते हैं कि नकारात्मक किस्म की वकालत कहने से मेरा क्या तात्पर्य है; इसका अर्थ है कि कुछ वकीलों को फीस इसलिए दी जाती है ताकि मुकदमा एक विशेष खण्डपीठ के सम्मुख न जाये अथवा एक न्यायधीश विशेष के पास जाये और इस प्रकार से धन अर्जित किया जाता है। मेरे विचार से विधि व्यवसाय को स्वयं इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और इनका निदान करने की कोशिश करनी चाहिए।

अन्य व्यवसायों के समान वकालत में भी प्रशिक्षु-प्रणाली को लागू किया जाना ही चाहिए। मैं समझता हूं कि पहले 'आरटिकल्ड-क्लार्क' जैसी व्यवस्था थी। लेकिन आज पहले ही दिन, जब आप एक उपाधि प्राप्त करते ही आप बार-काऊंसिल जा सकते हैं और अपने आपको वहां बिना किसी प्रशिक्षुता आदि पंजीकृत करा सकते हैं। मेरे विचार से प्रशिक्षुता की कोई पद्धति अवश्य ही लाई जानी चाहिए। चिकित्सा व्यवसाय में, 'इण्टरशिप', 'रेजीडेंसी' नामक कोई चीज है। मैं नही समझता कि हम द्विवर्षीय अथवा त्रि-वर्षीय 'आरटिकल्डशिप' जैसा कोई कार्यक्रम क्यों नहीं अपना सकते। यहां तक कि चार्टर्ड अकाउण्टन्सि मे भी 'आरटिकल्डशिप' है। मेरे विचार से उसे पुनः लागू किया जाना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहता हूं—मैं खुश हूं—कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में विधि-संकायों के कार्यकरण की जांच करने की कुछ शक्तियां अब बार-काऊंसिल को दे दी गई हैं क्योंकि अब सामान्य-शिक्षा की बजाय विधि-शिक्षा प्राप्त करने की होड़ लग गई है। सामान्य उपाधि कालेज के समान ही अब बिना कोई योजना बनाये सारे देश में चारों ओर यहां-वहां विधि कालेज खोले जा रहे हैं। अगर मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हू कि मैंने दो-एक झोपड़ियों के ऊपर इस देश के एक भाग में एक विधि कालेज—फलां फलां कालेज का सूचना-पट्ट देखा है। आज, ऐसा घटित हो रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। मेरे विचार से इस व्यवसाय का सम्मान बनाये रखने तथा आम जनता के सामने इसकी गरिमा बनाये रखने के लिए विधि-शिक्षा में किसी सुनियोजित ढंग से काम किए जाने की जरूरत है। इस देश को अन्ततोगत्वा कितने वकीलों की आवश्यकता है? इन गैर-सरकारी विधि-स्नातक कालेजों में प्रवेश और दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर नियन्त्रण का कोई तत्व होना चाहिए।

इस व्यवसाय में प्रवेश हेतु आयु सीमा के बारे में सभा में कुछ चर्चा हुई थी। अब मेरे आदरणीय सहयोगी श्री लोढा ने यह बात उठाई कि इस व्यवसाय में सेवानिवृत्त अधिकारी ही आते हैं। यदि वकालत के व्यवसाय से निवृत्त होने की जब कोई आयु नियत नहीं की गई है तो इस व्यवसाय में आने के लिए कोई आयु सीमा क्यों हो? यदि एक वकील अपने अन्तिम समय तक इस व्यवसाय से जुड़ा रहता है

या 80-85 वर्ष की आयु तक वह वकालत करता रहता है तो निश्चित रूप से 60 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को वकालत के व्यवसाय में आने का पूरा अधिकार है, यदि उसके पास अपेक्षित योग्यता है। ये दो बातें मेल नहीं खाती। इसके लिए आयु सीमा होनी चाहिए और यदि सम्भव हो तो वकालत के व्यवसाय में सेवानिवृत्ति के कुछ लाभ भी होने चाहिए। इसे इस व्यवसाय से ही शुरू किया जाना चाहिए। अन्त में मैं एक बात और कहना, करना चाहूंगा कि मैं व्यवसाय से वकील हूं। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि न्यायालयों में बढ़ते हुए लम्बित मुकदमों की जिम्मेवारी वकालत के व्यवसाय की भी होनी चाहिए।

मैं समझता हूं कि यही कारण पर्याप्त नहीं है। मेरा ख्याल है लगातार बढ़ते हुए मुकदमों की संख्या का एक कारण यह तथ्य भी है कि वकीलों की संख्या की एक बाढ़ सी आ गई है जो मुकदमों की सुनवाई की आगे की तारीख लेने को तैयार रहते हैं और इस प्रकार अपने मुवक्किल से दुबारा फीस लेते हैं। इस तरीके से मुकदमा लम्बा चला जाता है। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में समुचित सुधार किए जाने की आवश्यकता है। मुकदमों का अम्बार न्यायाधीशों की संख्या और खण्डपीठों की संख्या बढ़ाने मात्र से कम नहीं होगा। मैं समझता हूं इस व्यवसाय में कुछ अन्त: अनुशासन की आवश्यकता है।

इन कुछ सुझावों के साथ, जिन्हें मुझे माननीय विधि मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया और इसके साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए केवल एक घण्टे का समय नियत किया गया था। अब इस पर 1 घण्टे 35 मिनट का समय लग गया है। इस प्रकार हमारे पास अब बहुत कम समय है। इसलिए अगले वक्ता अपना भाषण संक्षिप्त करें।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं समझता हूं मन्त्री महोदय से उत्तर देने के लिए कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो बिल पेश किया है, उसके उद्देश्यों के कुछ बिन्दुओं को इस बिल में स्पष्ट नहीं किया है। जो लायर्स हैं, उनके सम्बन्ध में मैं बहुत संक्षेप में एक कहानी सुनाना चाहता हूं। मैं भी इसका भुक्तभोगी रहा हूं। यू०पी० में एक कोर्ट में आर्म्स ऐक्ट में कोई आदमी पकड़ा गया और वह कस्टोडी में भी रहा। उसका पता लगाने के लिए कहा गया कि वह कैसे छूटेगा। उसमें पता लगा कि जज के यहां अमुक वकील की बहुत पहुंच थी और उस जज ने उस वकील के आने के बाद कोर्ट में घूस लिया व घूस लेकर, बेल पर छोड़ दिया। मैं अपने आंखों के सामने की घटना आपको बता रहा हूं। यह घटना मेरठ की है। ऐसी स्थिति आज पैदा हो रही है।

आज छोटे वकील लोग फटेहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उनको मुवक्किल फीस देते नहीं

हैं। वे दिन भर सूखी रोटी खाते हैं और शाम को घर लौट आते हैं। इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं ? क्या उनको कोई मिनिमम सुविधा देने की बात आपने सोची है ? उनको कठिनाइयां बहुत सी देखनी पड़ती हैं। क्या उनको कोई एलाउन्स देने की बात सरकार ने सोची है ? उन्होंने वैलफेयर स्कीम की बात भी कही है लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह कैसे चलेगी ? धन ही नहीं होगा तो वह कैसे चलेगी ? इसलिए जो नए वकील लोग हैं, जो गरीब हैं, फटेहाल हैं, उनके लिए आपको एक फंड की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उनका न्यूनतम जीवन-यापन चल सके। आज सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है और न ही प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां मिल रही हैं। बी०ए० और एम०ए० पास करने के बाद जब उनको कोई नौकरी नहीं मिलती है तो वे गाउन पहन कर कोर्ट में चले जाते हैं। गरीब बेचारे उनके चगुल में फंस जाते हैं। इसको आपको देखना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण सम्बन्धी जो फैसला हुआ है, उसे आप लागू करवाएं। आपने शेड्यूल्ड कास्ट्स के वकीलों की इंटरस्ट फीस कम की है। यह एक सही बात है। हम भी इसके समर्थक है लेकिन विशेष आरक्षण से प्राप्त सुविधा शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को मिलनी चाहिये। जो वर्ग इसमें आते हैं, उनकी सुविधाओं में आप और वृद्धि करने जा रहे हैं या नहीं जिससे आरक्षित लोगों की एडमिशन फीस और इनरोलमेंट फीस कम हो सके। आरक्षण की सुविधा व्यवहार में लाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए अगर आपको अलग से धन की व्यवस्था भी करनी पड़े तो करनी चाहिए।

कई वकील लोग तो बहुत पैसे वाले होते हैं और वे खास मजिस्ट्रेट्स से भी मिले हुए होते हैं। वे घूस लेते है। मैं न्याय मंत्रालय में कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हू लेकिन जो प्रचलन है और जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, वही कह रहा हूं। इससे जुडिशियरी करप्ट हो जाती है और आम जनता और गरीब लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं व इनके चलते मुकदमों की संख्या बढ़ती जाती है। सैयद शाहाबुद्दीन जी ने ठीक कहा है कि वकील लोगों के चलते तारीखें बढ़ती जाती हैं। इससे गरीब लोग और पीसते हैं। आप इस बात को सोचिए। वकालत का पैसा सुसगत बनाने के लिए जागरूक बनाने के लिए न्यायप्रिय बनाने के लिए आप सोच रहे है। जहां जुडिशियरी की हालत दर्दनाक हो जाए और बिना घूस के कोई काम न चले, वहां जनता का भला कैसे हो सकता है।

जो डैमोक्रेटिक लायर्स एसोसिएशन है, आपने उनसे राय पूछी है या नहीं, बार एसोसिएशन में इस पर डिसकशन हुआ है या नहीं, मैं नहीं जानता। आपको इस पर एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए था ताकि मुख्य बिन्दु इसमें आ जाते। जो नये वकील आए है, उनको भी पूरी सुविधाएं देने की व्यवस्था होनी चाहिए। जुडिशियरी में जो करप्शन हो रहा है और वकील जो घूस लेते और देते हैं, उन पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ आरक्षण से लागू होने वाले जो नए वकील होंगे, उनको सुविधाएं देने के विषय में आपको इस बिल में प्रावधान करना चाहिए था। इस बिल का उद्देश्य तो अच्छा है लेकिन आपके द्वारा उठाए गए इन कदमों से वह पूरा नहीं होगा। इस कारण आपको फिर से नया बिल लाना पड़ेगा, फिर संशोधन लाना पड़ेगा। एक ही बार काम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए था। अगर इन तमाम बातों पर आप ध्यान देते तो आपके बिल का समर्थन करने में हमें कोई एतराज नहीं होता।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह राज्य बार काउन्सिलों के लोकतान्त्रिक कार्यकरण को वास्तविक अर्थ प्रदान करता है।

यह तो मानव प्रवृत्ति है कि हम में से कोई भी यदि कोई पद विशेष ग्रहण करता है तो वह वक्त आने पर पदमुक्त होना पसन्द न करे।

जहां तक राज्य बार काउन्सिलों के कार्यकरण का सम्बन्ध है, उस बारे में हम सभी की यही राय है। माननीय मन्त्री द्वारा लाया गया संशोधन चुनावों के बारे में है कि साधारणतया चुनाव 5 वर्ष की अवधि के अन्दर हो जाने चाहिए 'बार-काउन्सिल आफ इण्डिया' इस अवधि को 6 माह के लिए बढ़ा सकता है। यदि फिर भी राज्य बार काउन्सिल नियत अवधि मे चुनाव नहीं करा पाता तो बार काउन्सिल आफ इण्डिया राज्य बार काउन्सिल के अस्तित्व को कर देगा और तत्पश्चात एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा जिसे चुनाव करवाने का दायित्व सौंपा जाएगा। मैं समझता हूं कि यह स्पष्टतया एक सांविधिक प्रावधान है जिसे तुरन्त मजूरी दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे राज्य बार काउन्सिल के वर्तमान सदस्यों के लिए यह अनिवार्य हो जाएगा कि यह सुनिश्चित करें कि चुनाव समय पर होंगे।

मैं माननीय मन्त्री की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि मुझे विश्वास है कि वे इस बात से अवगत होंगे और मुझे मालूम हुआ है कि इस विधेयक का प्रारूप पहले तैयार किया गया था—इसमे शायद उन कई अन्य बातों को सम्मिलित नहीं किया गया है जो बातें हमने समय से सीखी हैं। मैं समझता हू कि इसमें यह भी निर्धारित किया जाए बार काउन्सिलों के चुनाव के लिए वास्तविक रूप से कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाए। विगत समय में, हमने पाया है कि व्यक्तिगत रूप से मतदान पत्र प्राप्त करना और उसे डाक द्वारा भेजना आदि प्रक्रिया से कदाचार पैदा होता है। यह अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए, हो सकता यह कुछ अधिक खर्चीला पड़े। आप सदस्यता शुल्क में वृद्धि कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि 'राज्य बार काउन्सिल' को यह खर्चा वहन करने में सक्षम होना चाहिए, वे विश्वविद्यालयों से सहायता माग सकते है। सम्बन्धित राज्य के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारो से ले सकते हैं। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चुनाव, गुप्त मतदान द्वारा ही कराए जाए। ये चुनाव जिला मुख्यालयो में तहसील मुख्यालयों में हो सकते हैं जहा वकालत करने वाले अधिवक्ता चुनाव मे भाग ले सकते हैं। ऐसा किए जाने के पश्चात ही हम सच्चे अर्थ में लोकतन्त्र प्राप्त कर सकते है।

जब मैं बार काउन्सिलो की बात करता हू तो मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। इस बारे में मेरे कुछ अपने अलग विचार हैं। यह प्रावधान इस तरह तो अच्छा लगता है। अर्थात बार काउन्सिलों का यह लक्ष्य होना चाहिए कि वे बार-एसोसिएशनों के विकास को इस तरह सुनिश्चित करें जिससे वे वकीलों के कल्याण सम्बन्धी कतिपय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करे। इस तरह यह बड़ा अच्छा प्रावधान है क्योंकि बार काउन्सिलों और बार एसोसिएशनों की कुछ जिम्मेदारी तो होनी ही चाहिए। इन संगठनों की प्रारम्भिक जिम्मेवारी यह होनी चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करें इस व्यवसाय में नए आगन्तुक सम्मान के साथ आए और सम्मानपूर्वक इस व्यवसाय को चलाएं। लेकिन मैं सहमत हूं कि इससे राज्य-बार काउन्सिलो मे यह प्रवृत्ति विकसित हो जाएगी जिससे वे उच्च न्यायालय स्तर पर, जिला स्तर पर,

मोफुस्सिल न्यायालय स्तर पर बार एसोसिएशनों के कार्यकरण में हस्तक्षेप करने लगेंगे। इससे क्या होगा कि मौजूदा प्रथा में जहां बार-एसोसिएशनों का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है वहीं इनके कार्यकरण में हस्तक्षेप होने लगेगा। हमें इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी होगी। मैं समझता हूं कि ऐसा संशोधन करके यह किया जा सकता है, भले ही अधिनियम में न किया जाए लेकिन नियमों में संशोधन करके किया जा सकता है जोकि समयानुसार बनाए जा सकते हैं।

महोदय, राज्य बार काउन्सिल और बार-काउन्सिल आफ इण्डिया को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है जोकि अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित मामलों से निपटने के बारे में है। और इस सम्बन्ध में भी मैं समझता हूं कि यह समय इन मामलों से सम्बन्धित नियमों पर पुनः गौर करने का है और इस सम्बन्ध में कुछ और व्यापक दिशानिर्देश दिए जाने चाहिए, ताकि वे लोग भी, जो कानूनी पेशे में सम्बद्ध आचरण का उल्लंघन करते हैं, बच न पाएं। लेकिन साथ ही यह कतिपय मामलों के परिणामस्वरूप कुछ धूर्त मुवक्किलों के ऐसे हथियार न बन जाएं, जिससे वे वकीलों को भी परेशान करें। महोदय, घण्टी बजने की वजह से मैं इस पर देर तक नहीं बोलूंगा। मैं इस भाग को यहीं समाप्त करूंगा।

बहुत ही संक्षेप में मैं एक या दो बातों का जिक्र करूंगा। मैं जानता हूं कि माननीय मन्त्री ने काफी पहले अधिवक्ताओं के लिए बेनोवेलेन्ट फण्ड (हितैषी निधि) जैसी योजना बनाई थी लेकिन हो सकता है कि संसाधनों की कमी की वजह से यह इस वक्त पड़ी रहने दी गई हो। परन्तु मैं समझता हूं कि कुछ छोटे-मोटे उपाय हैं—तथा यह जरूरी नहीं है कि वे विधि मन्त्रालय द्वारा ही किए जाएं बल्कि सरकार भी इन्हें स्वयं कर सकती है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि आज सरकार उन लोगों को प्रोत्साहन दे रही है, जो स्वरोजगार उन्मुख काम करते हैं और आज सरकारी नौकरियों पर जोर नहीं है, बल्कि ऐसे अवसर पैदा करने पर है जहां लोगों को कुछ आय हो जाए। और इसी श्रेणी में वकील भी आते हैं। जब एक नया व्यक्ति व्यवसाय में आता है तो बगैर किसी समर्थक ऋणाधार के उसे पुस्तकालय बनाने और वाहन खरीदने के लिए कुछ ऋण दिया जाना चाहिए। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा और यह केवल इस मन्त्रालय से ही सम्बद्ध नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि टेलीफोन प्रदान करने के लिए वकीलों को विशेष श्रेणी के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए। बहुत से व्यवसाय या पेशे इस श्रेणी में आते हैं। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि वकीलों को इस साधारण सुविधा से वंचित रखा जाए, क्योंकि प्रत्येक वकील को टेलीफोन की आवश्यकता होती है। यह उनके लिए कोई विलासिता की वस्तु नहीं है। यह तो अधिक कार्यकुशलता से अपने कार्य को करने के लिए उनकी आवश्यकता है, क्योंकि उनके मुवक्किलों को उनसे सम्पर्क स्थापित करना होता है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है, कि एक वकील केवल एक पेशेवर व्यक्ति ही नहीं है। बल्कि एक वकील हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग भी है, वह हमारी न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। वह न्यायालय के न्यायिक अधिकारी की ही तरह पूर्ण रूप से एक अधिकारी ही है। अतः हम यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये आधारभूत चीजें तो उसे मिल जाएं। इनसे वकील को अच्छी तरह से अपना कर्तव्य निभाने में सहायता मिलेगी। और मैं समझता हूं कि यह राष्ट्र का उत्तरदायित्व भी है कि वह इस सब पर गौर करे। समाप्त करते हुए मैं संक्षेप में श्री लोढा की एक टिप्पणी का जिक्र करूंगा जो उन्होंने कुछ रोज पहले वाद-विवाद शुरू करते हुए की थी। सरकारी वकीलों की नियुक्ति की बात करते हुए हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि वकीलों और मुवक्किलों के बीच परस्पर विश्वास का सम्बन्ध होता है और यह एक व्यक्तिगत सम्बन्ध होता है। हम सरकार से कतिपय लाभों को देने की बात कर सकते

हैं, लेकिन जब हम यह कहते हैं कि सरकार को कार्य वितरण के सम्बन्ध में एक नीति विशेष या एक विशेष मार्गनिर्देश का पालन करना चाहिए तो हम इस सीमा का उल्लंघन कर जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह किसी भी सरकार या किसी भी विभाग की कहीं भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वे जिसे चाहें वकील नियुक्त करें। जब आप कानूनी सहायता की बात करते हैं, तब भी जो हो तब भी, और जब आप लोक अदालत में वकील शामिल करना चाहें तब भी। वहीं बार-एसोशिएसन और बार-काउन्सिल की बात आती है। जब आप सरकार पर इस बात का दबाव डालना चाहते हैं कि उन्हें अपने वकील किस तरह चुनने चाहिए, तो मैं समझता हूं कि हम अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते है और हमें इससे दूर रहना चाहिए।

अन्ततः मैं केवल एक ही चीज पर जोर देना चाहूंगा। विधि पाठ्यक्रम की अवधि के बारे में विचार किया गया। गम्भीर रूप से इस पर सोचा गया कि यह पांच वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ गलत हो गया। और मैं यह समझता हूं कि एक या दो स्थानों पर पांच वर्ष वाला पाठ्यक्रम है और अन्य जगहों पर तीन वर्ष वाला है। अतः मेरा विचार है कि विधि की विभिन्न पाठ्यक्रम सम्बन्धी शाखाएं जटिल होती जा रही है। यहां तक कि सघ न्यायशास्त्र अब ज्यादा जटिल हो रहा है। और अन्य शाखा जैसे मरकन्टाईल ला और ऐसे ही अन्य चीजें उभर रही हैं। यह जरूरी हो गया है कि हम पांच वर्ष का पाठयक्रम शुरू करें और इससे छात्र का एक वर्ष भी बचेगा, क्योंकि 10+2+3 के बाद वह स्नातक का पाठ्यक्रम पढ़ता है और उसके बाद कानून की पढ़ाई के लिए तीन अन्य वर्ष लगाने का मतलब है एक वर्ष अधिक लगाना। अतः यदि छात्र जमा दो परीक्षा देने के बाद पांच वर्ष का विधि पाठ्यक्रम पढ़ें तो यह अच्छा होगा क्योंकि वह उसी समय से कानून की पढ़ाई पढ़नी शुरू कर देगा। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसमें काफी परामर्श की जरूरत है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ परामर्श चर्चाएं शुरू होनी ही चाहिएं।

मुझे खेद है कि मैं बार-बार समाप्त करता हूं शब्द का जिक्र कर रहा हूं। मैं अब एक और बात कह कर समाप्त करूंगा। जब हम कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में बार-काउन्सिलों को दौरा करने का अधिकार होना चाहिए, तो उन्हे विश्वविद्यालयों के सीनेट मे अपने प्रतिनिधि भेजने का भी अधिकार होना चाहिए। इस बात का पता किया जाना चाहिए क्योंकि विश्वविद्यालयों के सीनेटों में उनकी उपस्थिति से उन्हें जहां तक विधि और उसकी पढ़ाई का सम्बन्ध इसकी चर्चा में भाग लेने का उचित अवसर मिलेगा।

3.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मान्यवर एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने से पूर्व न्यायपालिका के ऊपर विचार व्यक्त करना अनिवार्य समझता हूं। मान्यवर, हमारे मन्त्री जी स्वयं एक बहुत उच्च स्तरीय वकील रहे हैं और आज हमारे देश के अन्दर न्यायपालिका की जो स्थिति है वह किसी से छिपी हुई नहीं है और इस गम्भीर विषय के ऊपर यदि समय रहते हुए यह सदन और यह सरकार निर्णय नहीं ले पाई तो मैं निश्चित रूप

मे कह सकता हूं कि आने वाले समय में इस देश में न्यायपालिका के ऊपर जनता का विश्वास उठ जाएगा।

आज उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में लाखों केसिज पेंडिंग में पड़े हुए है और बरसों तक उस पर कोई निर्णय नहीं होता "जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड" और न्याय मे जितनी देरी होगी उतना ही न्याय नहीं मिलेगा। यदि सत्य माना जाए तो आज न्याय व्यवस्था के अन्तर्गत किसी तर्कसंगत आधार पर न्याय नहीं हो रहा, जिसकी जेब में अधिक पैसा है उसके पक्ष में न्याय जा रहा है यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जिस गरीब देश की जनता की हम लोग यहां बैठ कर दुहाई देते हैं वे गरीब आज न्याय की मांग के लिए पिस रहे है और उनको देखने वाला कोई नहीं है।

लोक अदालतों का सिलसिला जारी किया गया, मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि लोक अदालतों म, और इस बिल के अन्दर संशोधन लाकर उसको विस्तारपूर्वक उन लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए जिससे कि उनको सस्ता और निशुल्क न्याय मिल सके। मान्यवर, इस विधेयक के अन्तर्गत जो संशोधन किए हैं वे स्वागत योग्य है वकीलों की फीस को बढ़ाकर ढाई सौ से साढ़े सात सौ किया गया है इसका स्वागत है लेकिन मै माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो हमारे बार काउन्सिल के अन्दर फण्ड्स हैं उन फण्ड्स के माध्यम से हम वकीलो का क्या भला कर सकते हैं। हमारे सामने जो सोशल वेलफेयर स्कीम, एडवोकेट्स के लिए है, वास्तव मे वह पैसा इतनी कम मात्रा में है कि उनके लिए हमारे माध्यम से कोई भी उनकी सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं चलाई जा सकती। मैं माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे इसके अन्दर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुदान दिलवाएं ताकि वे फण्ड्स अधिक बड़ी मात्रा मे हो सकें और वकीलों को जो आज सबसे बड़ी आवश्यकता है उनके पास बैठने के लिए चैम्बर नहीं है, उनके पास पर्याप्त जगह नहीं है। आप कचेहरियों में जाकर देखिए वहां क्या दुर्गति बनी हुई है क्लाइन्ट्स के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है जो कि कितनी बड़ी मात्रा में फीस स्टेट गवर्नमेंट को उपलब्ध कराता है ये सारी जिम्मेवारी बार काउन्सिल की होनी चाहिए और उस बार काउन्सिल को हम लोग अधिक से अधिक सशक्त करें यह हमारा कर्त्तव्य होना चाहिए।

मान्यवर, यह बात कही गई है कि बार काउन्सिल की बैठकें उनके हाईकोर्ट के स्थानों से हटा कर अन्य स्थानों पर कराने का प्रोविजन किया गया है। मैं इसमे माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि देश के अन्य भागों में आवश्यकता नहीं है हां, उस प्रदेश मे, अन्य जनपदों में यदि वे बैठकें आयोजित की जायें तो निश्चित रूप से उसके स्वागत की आवश्यकता है।

मान्यवर, विश्वविद्यालय के अन्तर्गत हमारे बार काउन्सिल के मैम्बर जाकर उन लाइब्रेरियों का निरीक्षण करेंगे वहां पर आवश्यकता नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा आवश्यकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अन्दर, क्या वास्तव में हमारे वकीलों को यहां पर रिच लाइब्रेरी उपलब्ध है अथवा नहीं है इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि वी० पी० सिंह जी की सरकार के अन्तर्गत एक नियुक्तियों से सम्बन्धित बिल लाया गया था। हमारे हाइकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजिस की नियुक्तियों के विषय में यह जो राजनीतिकरण है इसको आप लोगों को मिटाना होगा, समाप्त करना

होगा अन्यथा यह जो आज हमारी जूडिशयरी की गिरावट है इसके पीछे मूल कारण यही है कि इसमें नियुक्तियों के समय हम लोग अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभों की दृष्टि से उनका निर्णय लेते हैं और उस बिल को किसी न किसी रूप में पुनः इस सदन के अन्दर लाकर उसके विषय पर विचार करने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, लोकपाल विधेयक के बारे में मेरा कहना है कि इसको शीघ्र पारित किया जाए और इसके अन्तर्गत मुख्य मन्त्री, प्रधान मन्त्री आदि सभी उच्च पदों को लाया जाए, ताकि राष्ट्र में उत्पन्न भ्रष्टाचार की रोकथाम हो सके और इसके लिए कठोर कदम उठाए जा सकें । जब तक भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कठोर कदम नहीं उठाए जायेंगे, तब तक भ्रष्टाचार पर प्रतिबन्ध नहीं लग सकेगा ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जब एक एडवोकेट बन जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उस पर यह प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है कि एक्साइज कमिश्नर के यहां प्रेक्टिस नहीं कर सकते, फैमलीज कोर्ट में प्रेक्टिस नहीं कर सकते । इसलिए मेरा कहना यह है कि धारा 30 को लागू करके एक एडवोकेट को रजिस्ट्रेशन के बाद सभी जगह प्रेक्टिस करने की अनुमति दी जानी चाहिए । इस दिशा में मन्त्री महोदय ध्यान दें ।

मान्यवर, आज जो सबसे बड़ी गम्भीर समस्या है वह है जिला स्तर पर ज्यूडिशरी और वकीलों के अन्दर जो खाई बनती जा रही है । हमारी स्टेट बार कौंसिल की यह भूमिका होनी चाहिए कि इस ओर ध्यान दे । आज वकीलों की 2-2 महीने तक लगातार स्ट्राइक चलती है, धरने दिए जाते हैं, इसका परिणाम क्लाइंट को भुगतना पड़ता है, उनको न्याय नहीं मिल पाता है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

इसी तरह से हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो टाप जजेज होते हैं, चीफ जस्टिस भी उसमें आते हैं, रिटायरमेंट के बाद इन लोगों को प्रेक्टिस नहीं करनी चाहिए । प्राइवेट चैम्बर में बैठकर एडवाइज कर सकते हैं, लेकिन अदालत में जाकर खड़े होना इनको शोभा नहीं देता और इससे उनके सबार्डिनेट रहे जजेज को निर्णय करने में कठिनाई होती है । यह बात न्याय के विपरीत है । इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

3.07 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

एक बात और कहना चाहता हूं । जब भी कोई सरकार सत्ता में आती है तो वकीलों के नए पैनल बनते हैं और इसके लिए वकीलों में भगदड़ मच जाती है । सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में राजनीतिक आधार पर पैनल बनते हैं और पुराने पैनल में जो एडवोकेट्स होते हैं उनको इधर-उधर कर दिया जाता है । इसका कोई निश्चित आधार बनाया जाना चाहिए । इस बारे में बार कौंसिल को उस कमेटी में रखा जाए और इसका प्रारूप इस प्रकार तैयार होना चाहिए पैनल बनाने में राजनीति का प्रयोग न हो सके । इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

अन्त में एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं। आज न्याय-व्यवस्था में जो अपराधीकरण का वातावरण चल रहा है, उसको दूर किया जाना बहुत आवश्यक है। आज जजेज को बड़े-बड़े अपराधियों द्वारा धमकाया जाता है, इसके लिए सरकार को कुछ न कुछ सोचना होगा और इसके अन्दर लम्बे समय तक केसेस की जो डिले-टेक्नीक है, वह बहुत खतरनाक सिद्ध हो रही है। इसमें सरकार को आवश्यक सुधार करने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं, उनकी ओर मन्त्री महोदय ध्यान देंगे। जो संशोधन प्रस्तुत किए गए है, उनका मै समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, क्या वकीलों द्वारा काले कोट और गाउन पहनना जारी रखा जाए ? क्या हम भारतीय परिस्थिति के अनुसार तब्दीली नही करेंगे ? क्या हमें वस्त्रों की पुरानी ब्रिटिश या यूरोपीय शैली को जारी रखनी चाहिए ? मेरे विचार से वकील इस पोशाक के कारण गुमराह किए जा रहे है। बहुत गर्मी के दौरान भी उन्हें काले कोट और टाई पहननी पड़ती है। मेरे विचार से इसे बदला जाए।

यह व्यवसाय बहुत अच्छा है लेकिन इसे आजकल गलत समझा जाता है। यह इसलिए है कि समाज मे और वकीलो तथा उनके व्यवसाय म भी अनेक परिवर्तन हुए है।

मेरे विचार से यह अधिनियम एक स्वागत योग्य कदम है, इसमें प्रशिक्षण देने या पुस्तकालय स्थापित करने और विश्वविद्यालयों पर कुछ नियत्रण रखने और वकीलों के लिए कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए बार काउंसिल को अधिक शक्तियां देने का प्रावधान है। यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसा पहले भी कहा गया है, प्रारूप मे कुछ अत्यन्त गम्भीर तब्दीलियां करने पर विचार किया जाए। निःसन्देह मैं जानता हूं कि म वास्तव मे सरकार ने इस प्रारूप को नहीं बनाया है। न सिर्फ इस कानून मे बल्कि सभी कानूनों मे प्रारूप बदलना चाहिए। निःसन्देह हम कानून बनाते हैं। लेकिन जब ये कानून बनाए जाते हैं तो वे इतने पेचीदा होते है कि आम नागरिक उन्हें समझने मे असमर्थ होता है।

मैं इसमें एक गम्भीर खामी देखता हूं। यह गम्भीर नहीं भी हो। लेकिन यह बहुत गम्भीर हो सकती है। इसे इस पहलू पर माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। पृष्ठ 2 पंक्ति 30 पर विशेष समिति का गठन बताया गया है वहां पर उल्लेख है कि पदेन सदस्यो मे वरिष्ठतम अध्यक्ष होगा। मेरे विचार से यह स्पष्ट हो कि यह वरिष्ठता आयु की है या व्यवसाय की है या पदेन स्थिति की वरिष्ठता है जिसे ध्यान में रखा जाएगा। दूसरे मैं यह भी समझता हूं कि पृष्ठ 3 पर सीमा सम्बन्धी यह उल्लेख भी हो कि चुनाव करवाने के लिए इस समिति क कार्यकाल में बार काउंसिल आफ इंडिया कितना बढ़ा सकती है।

सामान्य पहलुओं के सम्बन्ध में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। एक मुद्दा तो भारतीय न्याय सेवा

के बारे में है। यह उच्चतम न्यायालय ने भी इसके बारे में कहा है और भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के बारे में उसने कुछ निदेश भी दिए हैं। मैं समझता हू कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए।

मैं कोर्ट फीस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। निःसन्देह यह इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ रही। लेकिन कोर्ट फीस में कुछ कमी अवश्य होनी चाहिए। मेरे विचार से इस पर विस्तृत चर्चा हो क्योंकि मुवक्किलों को न्याय लेने के लिए न्यायालयों में जाने मे बहुत कठिनाई हो रही है।

वकीलों की फीस के बारे में अनेक बातें कही गई हैं और अनेक सदस्यों ने कहा है कि वकील बहुत अधिक फीस वसूल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ वकीलों के मामले में ही सच है जो उच्चतम स्तर पर हैं और मुख्य माने जाते हैं। ऐसे अनेक वकील हैं जिन्हें उचित फीस भी नहीं मिलती। उदाहरण के लिए फीस नियमों के तहत एक निषेध के मामले मे जो साक्षियों की जांच और मामले को चलाने में कई दिन चल सकता है, अभी भी 50 रुपए फीस का प्रावधान है जो मेरे विचार से बहुत कम है। मै समझता हूं कि इस पर विचार हो और फीस के इस पहलू पर भी कुछ सुधार किए जायें जो वकील वसूल कर सकते है। निःसन्देह कुछ मामलों में सीमा रखी जा सकती है जहा वकील बहुत अधिक राशि वसूल करते हैं।

मैं कनिष्ठ वकीलों की समस्याओं पर भी कुछ कहना चाहता हूं। अनेक सदस्यों ने पहले ही कहा है कि इस व्यवसाय में आने वाले कनिष्ठ वकील यहां पर बने रहने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। कुछ प्रशिक्षु व्यवस्था या प्रशिक्षण इत्यादि हो सकता है। लेकिन जो इस व्यवसाय में कम उम्र मे आते हैं और इस व्यवसाय में जमने का प्रयास करते हैं वे वित्तीय तंगी के कारण बहुत कठिनाई का सामना करते है। मेरे विचार से उनकी समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही हो और केन्द्र सरकार इस व्यवसाय में आ रहे इन असंख्य युवा वकीलों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक आयोग गठित करे।

दुर्व्यवहार के अवसर मामले आते हैं और ऐसे मामले भी आते हैं जिनमें इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा धूमिल होती है जोकि इस व्यवसाय में आ रही प्रतिस्पर्धा और सन्देह और अत्यधिक संख्या में आ रहे नए वकीलों द्वारा व्यवसाय को नीचा करने के कारण हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो वकील इस व्यवसाय के प्रति गम्भीर हैं और जो समाज, मुवक्किलों की सेवा के लिए इस व्यवसाय में आते हैं उनका ध्यान रखा जाए। पुस्तकालय की पुस्तकें इत्यादि प्राप्त करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता या अन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं।

मैं अपने साथी श्री बंसल का समर्थन करने के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है जो टेलीफोन के बारे मे है। माननीय संचार मंत्री यहां मौजूद हैं। मेरे विचार से वकीलों का ही ऐसा एक वर्ग है जिसे इस श्रेणी से पूर्णतया बाहर रखा गया है। इसे गम्भीरतापूर्वक लिया जाए। मेरे विचार से यह मुद्दा सभा में अनेक बार उठाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए वास्तव में किसी कानून की जरूरत नहीं है, इसके लिए कार्यकारी आदेश की जरूरत है। मैं आशा करता हू कि माननीय मंत्री इस पर गौर करेंगे।

संक्षेप में, मैं केवल यह कहूंगा कि यह विधेयक जो वकीलों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में है, एक बहुत अच्छा कदम है।

मेरे विचार से इस बारे में प्रथम कदम केरल सरकार द्वारा लिया गया था जिसने वकीलों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति जी, काफी छोटा विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछली लोक सभा में यह बिल लाया गया था और उसके भंग हो जाने के कारण पुनः इस बार लाया गया है। इसके संदर्भ में बहुत कुछ कहा गया है। यह आवश्यक था कि पूरा विचार करके इसको लाया जाता। जब से यह विधेयक बना है तब से अब तक 13 बार इसमें संशोधन हुआ है, अब भी बहुत सीमित दायरे में इसमें संशोधन किया जा रहा है। इससे अधिवक्ताओं को कोई लाभ नहीं होगा। जबकि यह कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक वे लाभान्वित होंगे। आप किसी नये अधिवक्ता के बारे में जानकारी लें तो आपको पता चल जायेगा। 40 वर्षों में बहुत ह्रास हुआ है। शिक्षा में भी ह्रास हुआ है। जिसको अन्य कहीं प्रवेश नहीं मिलता वह एल०एल०बी० में प्रवेश कर ले लेता है। इस पर पिछले वर्षों म कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए फिर से विचार करके नई मान्यतायें तय की जायें। अधिवक्ताओं के बारे में परेशानी और शिकायतों को यहां पर दोहराया गया है। यह आवश्यक है कि पूरे देश में यूनिफार्म शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नही होना चाहिए कि कहीं एक वर्ष, कहीं दो और कहीं तीन या पांच वर्ष है। प्रवेश की प्रक्रिया समान रूप से बनाई जाए। क्योंकि प्रवेश के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में अन्तर लाया जा रहा है। शिक्षा तीन वर्ष के बाद पूरी की जानी चाहिए और उसमें 6 महीने का प्रेक्टिकल ज्ञान का भी प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि आज जब कोई अधिवक्ता वकालत शुरू करता है तो उसको कई बातों का ज्ञान नही होता। आज कोर्ट्स में 50 प्रतिशत ऐसे वकील हैं जिनको न्यूनतम आय भी नही हो पाती है उन्हें आने जाने के लिए अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उनके लिए चेम्बर्स और लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए पूरा बिल आना चाहिए था।

आपने शुल्क बढ़ाया है और कहा है कि स्टेट बार कौंसिल और केन्द्रीय बार कौंसिल की मीटिंग केन्द्र के अलावा दूसरे स्थानों पर होंगी, इसका अपव्यय न हो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। जो 40 वर्षों से ह्रास हुआ है वह सब जगह प्रदर्शित हुआ है। जब तक राजनीति से इसको मुक्त नहीं करेंगे तब तक न्यायपालिकाओं की व्यवस्था में सुधार नहीं ला सकते। जजों की नियुक्तियों के बारे में आप देखें जब वे भी राजनीतिक आधार पर होंगी तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। आज न्याय की प्रक्रिया ऐसी है कि लोग मुकदमा करते हैं तो उनके बेटे के बेटे भी आ जाते हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता। इस कमी को दूर करने की दृष्टि से काम होना चाहिए। लोगों को जल्दी और सुलभ न्याय मिल सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लोक अदालतों का प्रसार करना चाहिए जो हमारे वादकार हैं उनके लिए सही सुविधायें हों इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि ये सब उससे जुड़ी हुई बातें हैं।

मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इतना आग्रह करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय जी जो बिल लाए हैं उसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन उसके लिए एक विस्तृत बिल लाने की बात की जानी चाहिए। जिसमें सारी बातें सम्मिलित हों। जजों की नियुक्ति के बारे में आयोग बनाने की बात बहुत समय से चल रही है। इसका कार्यान्वियन नहीं हो पाया। क्योंकि जब नियुक्तियां होती हैं तो लोगों में काफी रोष होता है वे त्यागपत्र देते हैं। पंजाब-हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश ने भी अभी इस्तीफा दिया था, क्योंकि उनसे कनिष्ठ व्यक्ति को प्रमोट कर दिया गया।

प्रदेशों के बहुत से मामले पेंडिंग पड़े रहते हैं केन्द्र में उनका भी जल्दी फैसला होना चाहिए। जो विधेयक प्रदेश सरकार संस्तुति करके केन्द्र के पास भेजे उस पर जल्दी फैसला लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया था उसको 6 महीने से ज्यादा समय हो गया उसका फैसला नहीं हो पाया। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण के ऊपर स्वीकृति के लिए बिल केन्द्र के पास भेजा हुआ है। पर भेजे जाने के बाद भी स्वीकृति नहीं मिली। यहां तक कि अकेले उ०प्र० सरकार के 6 बिल पेण्डिग हैं और अभी केन्द्रीय सरकार उनको स्वीकृति नहीं दे रही है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ कानून की प्रक्रिया परेशान करती है जिसका परिणाम सामने देखने को मिलता है और दूसरी ओर कानून की कमजोरी के कारण आम मखौल होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम न्यायपालिका को उच्च स्तर पर ले जायें। इसको विवाद-रहित राजनीति से ऊपर उठाकर विचार करें कि जरूरी है हम सारे अगों के बारे में विचार करे। अधिवक्ता का एक महत्वपूर्ण स्थान है तो उस स्तर पर मानना चाहिए कि सब वकीलों को एक ही नजर से देखा जाए जो काम नहीं चल सकता है। वह सर्वोच्च न्यायालय में भी काम करता है। एक अधिवक्ता के लिए आयु सीमा होनी चाहिए कि वह 60 या 65 वर्ष तक वकालत करेगा लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं अपने जनपद में देखता हूं कि एक वकील 70 साल का है, यदि वह बीमार हो गया तो कम से कम 6 महीने अदालत की तारीख लेने में लग जाती है तो इस दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि वकील लोग हड़ताल करते हैं इसकी प्रक्रिया को न्यायपालिका द्वारा पाबन्दी लगनी चाहिए कि यह हड़ताल स्वीकार नहीं की जाएगी। यद्यपि मेरे पास कहने के लिए बहुत सी बातें हैं लेकिन कई माननीय सदस्य इस बारे में बता चुके हैं। इसलिए मंत्री महोदय इसके बारे मे जब जवाब दें तो बिल में उन सुझावों को भी सशोधन के साथ स्वीकार करें। यह जो बिल आया है, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन सब बातों के बारे मे विचार करके एक ऐसी व्यवस्था प्रस्तुत करें कि आज न्यायपालिका के ऊपर लोग उंगली उठाते है, उसके बारे में सम्मान से बात करें। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, माननीय कानून मंत्री जी से निवेदन है कि वे स्वयं भी वकील रहे हैं, वकील समुदाय समाज का सबसे अच्छा सभ्रांत नागरिक होता है। जब उसको कहीं पर काम नहीं मिलता तो एल०एल०बी० करके वकील बनकर वकालत करता है और नेता लोग जब राजनीति से रिटायर हो जाते हैं तो अपनी दुकान खोल लेते हैं। मुझे लगता है कि जब कुछ लोग लोक सभा से रिटायर होंगे तो चुनाव के बाद जब परिणाम सामने आयेंगे तो उनमें से कितने ही लोगों को इस काम के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि जब तक आप मंत्री हैं तो इनका भला कर जाये।

सभापति महोदय, जब एक लड़की एल०एल०बी० कर लेती है तो उसके बराबर का लड़का देखना होता है और वह भी एल०एल०बी० मिल जाता है और उसकी शादी हो जाती है। इसलिए ऐसी भूल न हो कि उसकी उपेक्षा हो। इसलिए मुझे आशा है कि जब आप बिल में ये बातें जोड़ेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे। आप बिल अच्छा लाए हैं और मैं इसका स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, आप भली प्रकार जानते हैं कि कोर्ट में केसेज कितने समय तक पड़े रहते हैं। अयोध्या का मसला आपके सामने है। यह कई सालों से अटका पड़ा है। यदि इसको क्लीयर कर दिया जाता तो आज यह स्थिति नहीं आती। 40-40 साल से केसेज कोर्ट में पड़े रहते हैं और एक व्यक्ति के बेटे, पोते तक चलता रहता है। इस प्रक्रिया को आसान करने वाली कोई बात इसमें करें कि मुकदमा जल्दी से जल्दी तय हो जाये। इलेक्शन पेटीशन छः महीने में तय हो जाये लेकिन चुनाव याचिका को 6-6 साल लग जाते हैं, यह तय नहीं होती और उधर से दूसरा इलेक्शन आ जाता है। एक व्यक्ति जो चुनाव हारा हुआ होता है, मैं समझता हूं कि उसको काफी कठिनाई का सामना इसलिए करना पड़ता है कि वकीलों की मेहनत के रूप में रुपया देना पड़ता है। इस सम्बन्ध में भी विचार करें। केसों का जल्द किस प्रकार से निपटारा हो, इसका भी ध्यान रखें। इसके बाद प्रक्रिया कानून की है। वह सस्ता न्याय मिलना चाहिए। प्रक्रिया का सरलीकरण हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अंग्रेजों के समय से प्रक्रिया चल रही थी, वह आज भी 44-45 साल बाद देश में विद्यमान है। अंग्रेजों के जाने के बाद भी वही प्रक्रिया चल रही है। ऐसा नहीं लगता है कि भारत में किसी प्रकार से उस प्रक्रिया में सुधार कर दिया गया हो। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि प्रक्रिया को सरल बनाया जाए जिससे सस्ता न्याय लोगों को मिले।

हमारे गुमान मल लोढा जी जिस समय हाई कोर्ट के जज थे और सुप्रीम कोर्ट पे भी वह रहे, तो किसी सज्जन ने उनको पोस्ट कार्ड भेजा तो उसी को पेटीशन मानकर उन्होंने न्याय दिया या किसी अखबार में कोई खबर छपी तो उसको आधार बनाकर उन्होंने आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी। तो सरलीकरण की दिशा में आपके दिमाग में जो अच्छी बात आती है, उसे करना चाहिए।

मेरा एक निवेदन यह है कि बार काउन्सिल को भी सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाए। उसे आप 250 या 750 कर दें तो इससे मैं समझता हूं कि एक लॉ की किताब भी नहीं आती है। इसलिए भारत सरकार को अनुदान के रूप में बार कांउसिल की मदद करनी चाहिए। फिर मेरा आपसे सुझाव है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में वर्षों लग जाते हैं। उनकी नियुक्ति नहीं होती, और जब होती है तो राजनीतिक आधार पर होती है। यह बात अच्छी नहीं है। इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। आज राजस्थान में भी बहुत सारे न्यायाधीशों के स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। वे स्थान रिक्त पड़े रहेंगे और न्यायाधीश नहीं होंगे तो लोगों को सस्ता और जल्दी न्याय कैसे मिलेगा? इसके लिए एक समय निर्धारित किया जाए कि स्थान रिक्त होने के एक या दो महीने बाद उसकी पूर्ति कर देंगे। यह तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसमें भी अगर दो-दो और चार-चार साल लग जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बने, यह मेरी मांग है।

मेरी अगली मांग है कि लोक अदालत अधिक से अधिक बनें और उसमें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए और लोकपाल बिल की परिधि में सब लोग आएं—चाहे वह प्रधान मंत्री हों या मुख्य मंत्री हों। इसी प्रकार से मेरी एक मांग है कि जैसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को लाइब्रेरी के लिए

लोन दिया जाता है, उसी प्रकार से वित्त विभाग या बैंकों द्वारा वकीलों को लाइब्रेरी के लिए लोन मिलना चाहिए। यदि वकील साहब के पास लाइब्रेरी अच्छी नहीं होगी तो मुवक्किल उसे अच्छा वकील नहीं समझेगा। जिस वकील की लाइब्रेरी में जितनी अच्छी किताबें होंगी, उसका मुवक्किल उससे उतना अधिक प्रभावित होगा। इसलिए उन्हें किताबें और फर्नीचर खरीदने के लिए लोन मिले, चाहे वह वित्त विभाग से मिले या बैंकों द्वारा, इसकी व्यवस्था आप करें।

एक बात टेलीफोन की है। डॉक्टर्स को प्रायॉरिटी पर फोन मिल जाता है, इंजीनियर्स को प्रायॉरिटी पर फोन मिल जाता है। 10 टेलीफोन हम रिकमंड कर सकते हैं। जिस वकील से हमारा मुकदमा होता है, वह कहता है कि हमें फोन नहीं दिलवा सकते तो किस काम के एम० पी० हो। इसलिए वकील को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन की सुविधा भी मिलनी चाहिए।

इसके बाद मेरा निवेदन है कि एक वकील अगर अपने घर के आगे बोर्ड लगवा देता है कि "गिरधारी लाल भार्गव—ऐडवोकेट", तो उसको पानी पर कॉमर्शियल रेट देना पड़ता है और बिजली भी कामर्शियल रेट से चार्ज की जाती है। दुनिया एक रुपया देती है तो मैं ढाई रुपया दूंगा। मैं वकील बन गया तो मेरे लिए कोई खास गंगाजल सप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन ऐडवोकेट का बोर्ड लगने से ही कॉमर्शियल रेट देना पड़ता है। इस पर आप कुछ रियायत करें और उन पर कॉमर्शियल रेट न लगाए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

अन्त में मेरा निवेदन है कि पहले बार काउन्सिल के जो ऐक्जामिनेशन हुआ करते थे, वह दो साल का कोर्स होता था। उसके बाद दो वर्ष तक या 6 महीने तक किसी सीनियर वकील के पास उसको वकालत कर उसके अनुभव का प्रमाण-पत्र लेना पड़ता था। अब वकील तो बन गए हैं लेकिन एक मुन्शी का ज्ञान उनसे अधिक होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह कोर्स छह महीने का हो और उसके बाद एक सर्टिफिकेट आप दें और उसके बाद बार कौंसिल के एक्जामिनेशन्स हुआ करते थे। बार कौंसिल के एक्जामिनेशन्स लिखित भी हुआ करते थे और मौखिक भी हुआ करते थे। दोनों प्रकार के एक्जामिनेशन्स यदि फिर होने लग जायेंगे तो वकील साहब को कैसे कोर्ट में खड़ा होना चाहिए, उसका भी उन्हें ज्ञान हो जाएगा। आज तो वकील साहब को पता ही नहीं कि कैसे खड़ा होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि बार कौंसिल के दोनों तरह के एक्जामिनेशन्स की व्यवस्था आप फिर से कीजिए, सभी वकीलों का एक इंटरव्यू भी होना आवश्यक है यही मेरा आपसे निवेदन है।

अन्त में एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि वकीलों को फैमिली कोर्टस में जाने की व्यवस्था भी आपको करनी चाहिए। आज वकीलों की हालत क्या है, आप तो स्वयं एक वकील हैं, खुद जानते हैं कि वकीलों के पास आजकल चैम्बर्स ही नहीं हैं। चैम्बर न होने के कारण कोई वकील नीम के पेड़ के नीचे बैठा है, कोई पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है, कोई कहीं गद्दा लगाकर बैठा है, टूटी उनकी कुर्सी होती है, वकील समुदाय की इस प्रकार की उपेक्षा यदि आपके कानून मंत्री बने रहने पर हो तो मैं समझता हूं कि समय बड़ा बलवान है। आप स्वयं देख रहे हैं कि देश में कैसे हालात निर्मित हो रहे हैं, आज जो स्थिति चल रही है, हम यहां नौवीं लोक सभा में आये, दसवीं लोक सभा में भी आये और ग्यारहवीं लोकसभा का फन्दा पता नहीं किस वक्त हमारे गले में आ जाए, भगवान जानता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि समय की बलिहारी को देखते हुए, आज आप कानून मंत्री हैं, आज आपके

पास समय है. फिर पता नहीं आपको समय मिले या न मिले, इसलिए आप वकीलों की भलाई के लिए, जो कुछ रचनात्मक सुझाव मैंने दिए हैं, उनके अनुसार कदम उठायें। यदि वक्त हाथ से निकल गया तो फिर आप कहेंगे कि भार्गव साहब ने ठीक कहा था, 30 नवम्बर को साढ़े तीन बजे तो मुझे मौका मिला था, लेकिन मैंने बात नहीं मानी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इन सुझावों को मान लें, यही मेरी आपसे बिनती है। इन शब्दों के साथ सभापति जी, मैं समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० आर० भारद्वाज) : सभापति महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस विधेयक में बहुत कम उपचारात्मक सुझाव दिये गए हैं लेकिन माननीय सदस्यों द्वारा इस व्यापक विषय पर अपने विचार व्यक्त करने से हमें अपनी न्याय प्रशासन प्रणाली तथा विधि प्रणाली में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

इसमें दो राय नहीं है कि न्याय प्रशासन प्रणाली तथा विधि प्रणाली समाज, जिससे वे संबंधित हैं, उसकी प्रकृति तथा संस्कृति को दर्शाते हैं यदि आपकी सफल न्याय प्रशासन प्रणाली और सफल विधि प्रणाली है तो इससे पता चलता है कि यह एक बहुत ही सांस्कृतिक तथा सभ्य समाज है। अत ये दो संस्थान, न्यायपालिका और वकालत व्यवसाय अन्य उत्कृष्ट व्यवसायों की तरह ही उत्कृष्ट व्यवसाय माने जाते हैं। स्वतन्त्रता से पहले तथा बाद में इनकी भूमिका को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। मैं यह जानता हूं कि 'बार' और न्यायपालिका की छवि को सुधारने की आवश्यकता है। न्यायपालिका की छवि में भी और अधिक सुधार किया जाना है। इसमें कोई दो राय नहीं है और जैसाकि माननीय श्री सैयद शहाबुद्दीन ने सुझाव दिया है कि आज इसमें थोड़े सुधार से कार्य नहीं चलेगा। इस प्रणाली में आमूल संशोधन की आवश्यकता है। हम इसे 'वेस्ट मिनस्टर' प्रणाली के नाम से जानते हैं जिसका हमने नकल की है, जिसकी हम अनुसरण करते आ रहे हैं, अन्यथा आप कह सकते हैं भारतीय प्रतिभा के अनुकूल नहीं है इसलिए हमें इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है और इसलिए हमें इसकी समीक्षा करनी है। कई कारणों से हमें भारतीय न्याय प्रशासन प्रणाली और विधि प्रणाली पर नये सिरे से विचार करना है लेकिन यह बात अवश्य स्वीकार की जानी चाहिए कि हमारे वकीलों और न्यायाधीशों को आजकल काफी भार वहन करना पड़ रहा है। इसलिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है अतः जो कुछ मैंने कहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने डेढ़ माह पहले सभी राज्यों के विधि मन्त्रियों की तुरन्त एक बैठक बुलाई थी। जब तक हम राज्यों से बात नहीं करेंगे हम अच्छा कार्य नहीं कर सकते। तथ्य यह है कि हमारे सभी न्यायालय, जिला न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक विभिन्न राज्यों में स्थित हैं और न्याय प्रशासन उच्च न्यायालयों में निहित है। सहायक न्यायपालिका भी उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में है। अतः हमें इन दो नाजुक संस्थानों पर किसी कार्यक्रम को सुनिश्चित करने से पहले भली प्रकार सोचना है, हमें इस पर मिल बैठकर बात करनी चाहिए और हमें अपने समक्ष एक कार्य सूची रखनी चाहिए, यह कार्य सूची इन दो ही विषयों से सम्बन्धित होनी चाहिए। अतः मैंने बंगलौर में और मैसूर में न्याय प्रशासन और वकालत से सम्बन्धित विषयों पर विस्तार से चर्चा की थी।

मैं फिर से कहना चाहूंगा कि एक बात जो हमसे पूछी जा रही है कि महोदय, संसद में और संसद के बाहर इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि भारत में एक ऐसी प्रणाली अपनाई जानी चाहिए जिससे न्याय जल्दी, सस्ता और पूरा मिल सके। इससे आम आदमी और दलित वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी। हम इसके लिए पूरी तरह वचनबद्ध हैं कि हमें इन चार विस्तृत मुद्दों पर एक न्याय प्रशासन प्रक्रिया लानी चाहिए जोकि न्याय शीघ्र पूरा सस्ता तथा प्रभावी उपलब्ध करा सके। लेकिन क्या आप न्याय उपभोक्ताओं और विधि व्यवसायियों से बातचीत के बगैर किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। आज अगर हम बार के एक वर्ग को किसी विषय विशेष पर चर्चा करने के लिए आमन्त्रित करते हैं तो वे इसके लिए आगे नहीं आते। हम बार के सभी सदस्यों, जो इस सभा के भी सदस्य हैं, के साथ प्रत्येक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि न्यायिक स्वायत्ता और विधिक व्यवसाय में स्वायत्ता विधि के नियम और अन्ततः लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक हैं। लेकिन जब तक आप सभी मुद्दों पर बातचीत नहीं करते, विचारों का आदान-प्रदान नहीं करते तब तक इस बारे में तत्काल निर्णय लेने से किसी एक अथवा दूसरे दृष्टिकोण का उल्लंघन होगा। अतः हमने इस विधेयक विशेष के सम्बन्ध में बार-कौंसिलों को आमंत्रित किया है। इस संबंध में राज्य के बार-कौंसिलों और भारतीय बार-कौंसिल में पूर्ण मतैक्य है। वे प्रतिनिधि निकाय हैं। अतः हमने इस विषय को इस सम्माननीय सदन में तत्काल उठाया है।

महोदय, श्री गुमान मल लोढ़ा ने अन्य अनेक मामले उठाये हैं। वह काफी सक्रिय न्यायाधीश रहे हैं। मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। उन्होंने लोक अदालत, लोक महत्व के मुकदमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस बारे में उनके विचार बहुत अच्छे हैं। जब मैं पहले मन्त्री था तो मैंने उनके विचारों का उपयोग किया था। पांच वर्षों तक हमने लोक अदालतों के माध्यम से लाखों मामलों को सुलझाया है। हम इस बारे में बैठकें करते थे। मुझे इस सम्माननीय सभा को यह सूचना देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कुछ न्यायाधीशों ने अपने एकांतवास से बाहर निकलकर जनता की सेवा करने का निर्णय लिया है और हम उनका स्वागत करते हैं। यह भारतीय परम्परा है कि यदि आप देखते हैं कि एक निर्धन व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता है तो न्यायाधीश को उसके पास जाना चाहिए। यह प्रणाली शुरू की गई थी और इसका पालन किया जा रहा था। हमने लम्बे समय से लम्बित पड़ा राष्ट्रीय विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण विधेयक प्रस्तुत कर दिया है और यह शीघ्र ही इस सभा के विचारार्थ आ जाएगा। उसमें लोक अदालत संस्थान के बारे में पूरा एक अध्याय दिया गया है। लोक अदालत द्वारा जिन मामलों पर निर्णय लिया जाएगा उनके लिए पक्षकार द्वारा दिए गए न्यायालय शुल्क को वापिस कर दिया जाएगा। कानून सम्बन्धी सहायता और सहयोग प्रदान किया जाएगा। उस प्रणाली का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसमे सफलता प्राप्त हुई है। इसे भारतीय न्याय के प्रशासन में स्थायी रूप से अपनाया जा रहा है।

वकीलों के लिए कल्याणकारी योजनाओं हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं। मैं एक बात स्वीकार करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि कमजोर वर्गों जिन्हें हम सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का मानते हैं, बड़ी संख्या में वकील बन रहे हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति भी बड़ी संख्या में वकालत के पेशे को अपना रहे

हैं। यह एक सही संकेत है कि वे भी वकील बन सकते हैं। अत: हमें यह देखना है कि समाज के कम-विशेषाधिकार प्राप्त इन वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जानी चाहिएं। चूंकि अब उन्हें वकील बनने का अवसर प्राप्त हो गया है इसलिए इनके लिए कल्याणकारी उपाय करने चाहिए।

मैं इस सम्माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि इस संबंध में एक विधेयक पहले ही तैयार किया जा चुका है। कुछ राज्यों में कल्याणकारी उपाय किए गए हैं। उदाहरण के लिए केरल और बिहार में यह उपाय किए गए हैं। लेकिन हम कल्याणकारी प्रणाली में एकरूपता लाना चाहते हैं। अत: हमने न्यायाधीश बरुल इस्लाम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। उन्होंने रिपोर्ट दी थी और हम एक विधेयक तैयार कर चुके थे। लेकिन दुर्भाग्यवश चुनाव हो गए और हम हार गए जिसके परिणामस्वरूप हम इसे लागू नहीं कर सके। जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं निर्धन वकीलों के कल्याण के लिए कार्य करूंगा क्योंकि मैं उसके लिए वचनबद्ध हूं। यह बात स्वीकार्य है कि कुछ उपाय करने होंगे। हम इस सम्बन्ध में आश्वासन देते हैं। हम इन कल्याणकारी योजनाओं को मान्यता देना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो व्यक्ति निर्धन है और प्रारम्भ में बार में अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते है उनकी सहायता की जाए। अत: युवा और कम-विशेषाधिकार प्राप्त वकीलों का सहयोग देना चाहिए ताकि वे भी न्याय प्रशासन प्रणाली में योगदान कर सकें।

माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए अन्य सुझाव भी मुझे याद हैं। न्यायालय शुल्क के सम्बन्ध में पहले ही यह निर्णय लिया जा चुका है कि न्यायालय-शुल्क का तर्कसंगत बनाया जाए और कुछ हद तक उसे समाप्त कर दिया जाए। हम अमीर मुवक्किलों से न्यायालय शुल्क क्यों न लें? इन सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया गया है और हम उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। सभी राज्यों के विधि मन्त्रियों, चाहे वहां किसी भी दल की सरकार रही हो, ने यह कार्य सूची दी और मुझे प्रसन्नता है कि वे संसद सत्र के बाद फिर से बैठक करेंगे और शीघ्र निर्णय लेंगे।

न्यायिक मूलभूत सुविधाओं की उपेक्षा को स्वीकार करते हुए योजना व्यय के एक भाग के रूप में हमने भवन, न्यायालय कक्ष, बार कक्ष और चैम्बर बनाए थे। मैंने यह कार्य योजना मन्त्री के रूप में किया था। मुझे प्रसन्नता है कि हमने राज्यों से जो अनुरोध किया था उसके अनुसार वे भी अपने बार कक्षों और बार-एसोसिएशनों के कक्षों और न्यायालय कक्षों का पुनर्निर्माण करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कार्यक्रम जारी रहेगा।

बार-कौंसिलों ने यह महसूस किया कि उनके कार्यालय प्रशासन और बार कौंसिल चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। धन की कमी के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपना नामांकन-शुल्क बढ़ा रहे हैं। धारा 30 के सम्बन्ध में एक मांग की गई थी। मुझे सभा को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जहां तक विधि मन्त्रालय का सम्बन्ध है, सरकार ने धारा 30 को लागू करने का निर्णय किया है। न्यायमूर्ति लोढा इस बारे में बहुत चिंतित थे। मुझे यह सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि हमने उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों के सम्बन्ध में यह कहते हुए कि सरकार दो सीमाओं के साथ अर्थात् परिवार न्यायालय और श्रम न्यायालय के साथ धारा 30 को संशोधित करने और उपबन्धों को लागू करने के लिए एक प्रति हलफनामा दायर करने का भी निर्णय किया है। ये दो विषय ऐसे है जो दूसरे मन्त्रालयों के अधीन आते है, जहां मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन अब हमने धारा 30 को भी लागू करने का फैसला किया है।

एक माननीय सदस्य ने पूछा, "बार काउंसिलों को अपने मुख्यालय से बाहर क्यों मिलना चाहिए ?" उसमें तथ्य यह है कि लगभग ये सभी मुख्यालय लगभग राजधानियों में स्थित हैं। मान लीजिए कि बार-काउंसिल अपने मुख्यालय से अलग राज्य के एक-दूसरे जिले में बैठक करना चाहती है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आखिरकार ये सब स्वायत्त संस्थायें हैं और ये एक समय पर किसी एक जिले में तो दूसरे समय किसी दूसरे जिले में मिल सकते हैं। इससे कार्य करने में उन्हें कुछ स्वतन्त्रता मिलेगी। लेकिन उसमे ज्यादा खर्च नहीं आयेगा। देश की तथा राज्य की बार काउंसिलें स्वायत्तशासी संस्थायें हैं और मेरे विचार से वे अपने कार्यों का ध्यान रखेंगी। हमें वास्तव में उनके मुख्यालयों में बैठक न करके अन्य स्थानों पर बैठकें आयोजित करने के उनके इरादों पर शक नहीं करना चाहिए।

धारा 24 के सम्बन्ध में जैसाकि मैंने कहा कि यह एक अन्य अयोग्यता जोड़ी गई थी। अगर कोई बरखास्त व्यक्ति सूचीबद्ध होना चाहता है, तो दो वर्ष तक वह सूचीबद्ध किए जाने का अधिकारी नहीं होगा। यह अयोग्यता अन्य अयोग्यताओं के साथ गिनी जाती है।

आप उन दो या तीन उपायों को देख सकते हैं जो हमने बनाए हैं। उनमें एक फीस बढ़ाने का है। फिर दूसरा चुनाव है। इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखना चाहिए। कुछ बार-काउंसिलों को तो पांच वर्ष हो चुके थे लेकिन चुनाव नहीं करवा रहे थे। अतः हमने ऐसा उपाय किया है जिसमें पांच वर्ष के पश्चात् चुनाव अवश्य होंगे। अवधि बीत जाने के पश्चात् देश की बार-काउंसिल के तुरन्त चुनाव होंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि इन सभी उपायों का माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हमारे लिए केवल दो ही ध्यान देने योग्य बातें हैं—एक यह है कि आदमी योग्य हो ईमानदार हो, और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। संविधान में सलाह-मशविरे की प्रक्रिया दी गई है। हमें जब तक कोई अन्य व्यवस्था प्रारम्भ नहीं की जाती तब तक इसी प्रणाली को मानना चाहिए। अतः यह तर्क कि राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं, पूर्णतः अतर्कसंगत है। सभी न्यायाधीश, जो नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पूर्ण तहकीकात किए जाने के पश्चात् नियुक्त किए जाते हैं। जब तक मुख्य न्यायाधीशों द्वारा सिफारिश नहीं की जाती तब तक कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी। हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश मुख्य मन्त्री और राज्यपाल के साथ मन्त्रणा करेंगे जोकि सांविधानिक आदेश है। इन चीजों से विचार-विमर्श प्रक्रिया मे कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है लेकिन न्यायाधीश का पद बहुत महत्वपूर्ण है और संविधान के अन्तर्गत यह विचार-विमर्श अनिवार्य है। हमें वह करना ही पड़ेगा। हम कितनी जल्दी नियुक्ति कर सकते हैं, यह हमारा काम है। हम विभिन्न राज्यों द्वारा भेजे गए मामलो को भी तेजी से निपटा रहे हैं। मैं सम्बन्धित सांविधानिक अधिकारियों के सम्पर्क में हूं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम जल्दी ही नियुक्तियां करेंगे। इन जानकारियों के साथ मैं इस माननीय सभा से इस विधेयक को पारित करने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर विचार-विमर्श के लिए प्रस्ताव पर श्री मोहन सिंह, श्री गिरधारी लाल भार्गव तथा प्रो० रासा सिंह रावत ने तीन संशोधन पेश किए हैं। क्या वे अपने संशोधन ला रहे हैं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं अपना संशोधन ला रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने अपनी बात कह दी है। इसलिए अपना संशोधन प्रेस नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

[संशोधन संख्या 2 अस्वीकृत हुआ माना जाए]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं अपना संशोधन पेश कर रहा हूं।

सभापति महोदय : अब मैं प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के बारे में सभा के मतदान हेतु श्री मोहन सिंह द्वारा लाए गए संशोधन संख्या 1, प्रो० रासा सिंह रावत द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 3 रखूंगा।

संशोधन संख्या 1 और 3 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस विधेयक के बारे में कही जाने वाली और किसी भी बात को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए।

3.49 म० प०

[अनुवाद]

पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : यह सभा अब पासपोर्ट विधेयक, 1967 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करेगी। माननीय मन्त्री श्री आर० एल० भाटिया।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : पासपोर्ट जारी करके लोगों को भारत से विदेश भेजने जुड़ा कार्य-संचालन पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अन्तर्गत चलता आ रहा है। यह अधिनियम एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिसके कारण समय के चलते शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, तीर्थ-यात्रा और पर्यटन के उद्देश्यों से लोगों का विदेशों में जाना एक आम बात बन गयी है। इस कारण से काफी संख्या में लोग भारत से अन्य देशों की यात्रा करने का अनुरोध कर रहे हैं। हाल ही में गत दो वर्षों से पासपोर्ट जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1990 में देश के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों को नए पासपोर्ट जारी करने के लिए 15 लाख से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे जबकि वर्ष 1991 में यह संख्या बढ़कर 24 लाख हो गयी थी।

इस कानून को लागू करने पर हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर हमने यह पाया है कि कतिपय बातें ऐसी हैं जिनका अधिनियम में समावेश किया जाना चाहिए ताकि अधिनियम के प्रावधानों को अद्यतन बनाया जा सके। आपको देखने को मिलेगा कि हमारी पासपोर्ट पुस्तिका के स्वरूप में भी काफी परिवर्तन किए गए हैं। हमने निरन्तर समीक्षा कर इसे अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के समान ला दिया है। परिवर्तनों के अन्तर्गत इसके आकार में, उपयोग में लायी गई सामग्री में परिवर्तन किया गया है और कतिपय अन्य बातों को जोड़ा गया है ताकि हमारी पासपोर्ट पुस्तिका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पासपोर्ट पुस्तिकाओं की बराबरी कर सके। आगामी कुछ वर्षों मे कुछ और परिवर्तन किए जायेंगे जिनसे पासपोर्टों और वीजाओं को मशीन के द्वारा पढ़ा व जाचा जा सकेगा और यह बात भी इस विषय पर हुए अन्तर्राष्ट्रीय निर्णय के संगत होगी।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस विधेयक से सरकार पासपोर्ट जारी करने की लागत की वसूली के लिए उपयुक्त उपाय और उसके दुरुपयोग की हालत मे प्रभावी निवारक उपाय कर सकेगी। 1978 में पासपोर्ट जारी करने की फीस 25 रुपए से बढ़ाकर 50/- रुपए की गई थी और उसके बाद पासपोर्ट की फीस में काफी वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र मे प्रभावकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें अपनी आवश्यकताओं और स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप अपनी उत्पादन सेवाओं में सुधार लाना चाहिए। स्पष्टत: पासपोर्ट जारी करना कोई व्यावसायिक कार्य नहीं है लेकिन इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि सेवाओं की लागत को पासपोर्ट जारी करने मे वसूल किए जाने वाले शुल्क द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

महोदय, हमने इस विधेयक में ऐसी बातों को भी शामिल किया है जिनके अन्तर्गत यदि कोई अधिनियम के सम्बन्ध मे कोई जुर्म करता है तो उस पर अधिक जुर्माना किया जा सके। जुर्माना सम्बन्धी वर्तमान प्रावधान कई वर्ष पूर्व निर्धारित किए गए थे और अब यह वांछनीय हो गया है कि उन्हें और अधिक कड़ा किया जाए जिससे किसी घोटाले अथवा किसी किस्म के दुरुपयोग के सम्बन्ध में प्रभावकारी निवारक उपाय किए जा सकें।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन जो सेवाएं प्रदान करता है, वे विदेश मन्त्रालय की महत्वपूर्ण गतिविधियों का एक भाग होती हैं। हम अपने देश के नागरिकों को सुचारू, प्रभावकारी और समय पर सेवा उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में पूर्णतया सचेत हैं। मन्त्रालय पासपोर्ट गतिविधियों के प्रत्येक पहलु के बारे में व्यापक समीक्षा किए जाने के सम्बन्ध में विचार कर रहा है, जिससे आने वाले वर्षों मे इस क्षेत्र मे अवश्यम्भावी वृद्धि से निपटा जा सके। हमे विश्वास है कि इस कार्य से एक सुधारात्मक व्यवस्था हमारे सामने आयेगी और कार्यकुशलता मे भी वृद्धि हो सकेगी जिससे भारत की जनता की इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

महोदय, अब मैं सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार किए जाने तथा विधेयक को वर्तमान रूप में पारित किए जाने का अनुरोध करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में और संशोधन किए जाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में और संशोधन किए जाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

विधेयक के बारे में कुछ संशोधनों पर विचार किया जाना है। अब श्री गिरधारी लाल भार्गव जी अपनी बात रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को उस पर 11 मार्च, 1993 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।" (1)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को उस पर 31 मार्च, 1992 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।" (2)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो० रासा सिंह रावत का संशोधन श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा लाए गए संशोधन से मिलता-जुलता है। इसलिए श्री रासा सिंह रावत का संशोधन रह नहीं सकता है।

अब श्री राम कापसे बोल सकते हैं।

श्री राम कापसे (ठाणे) : सभापति महोदय, मैं आमतौर पर इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु साथ ही मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करने की स्थिति में नहीं हूं।

मेरी पहली आपत्ति दूसरे संशोधन के बारे में है जिसे मन्त्री महोदय पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 5 के सम्बन्ध में लाए हैं। वह संशोधन इस प्रकार है :

"पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेज जारी करने पर विशेष प्रतिभूति कागज, मुद्रण, लेमीनेशन और उससे सम्बन्धित अन्य विविध सेवाओं पर किए गए खर्च को पूरा करने के लिए ऐसा शुल्क जैसाकि निर्धारित किया जाए।"

विधेयक के पैराग्राफ "प्रदत्त विधान" में यह कहा गया है,

"जिन मामलों के सम्बन्ध में नियम बनाए जा सकते है, वे प्रक्रिया एवं ब्यौरे से सम्बन्धित मामले हैं। इस प्रकार विधाई शक्तियों का प्रत्योजन एक आम बात है।"

विधेयक में यह शुल्क मूल रूप से 25 रुपए था। उसके बाद इसे बढ़ाकर 50 रुपए किया गया। मैं इस विधेयक का समर्थन करता यदि आपने आज की तारीख में इस पर किया गया व्यय 100 रुपए या 200 रुपए, जो भी होता, उसको ध्यान में रखते हुए शुल्क का उल्लेख किया होता। परन्तु आप चाहते हैं कि हम अपनी शक्तियां आपको प्रदत्त कर दें और आप निर्णय लेंगे लेकिन यह निर्णय तो विभाग को लेना है कि कितना शुल्क लेना है। हम चाहते हैं कि सरकार वसूल किए जाने वाले शुल्क के बारे में स्पष्ट कहें क्योंकि आपके पासपोर्ट के आधार पर लाखों लोग बाहर जाएंगे। स्वभाविक ही है कि हम अपनी शक्तियां किसी विभाग को प्रदत्त नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसका निर्धारण केवल यहां पर हो जैसा कि पहले के वर्षों में किया गया था।

अन्यथा हम शुल्क में वृद्धि करने का विरोध नहीं करते हैं। यह आवश्यक है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले मार्च में जब हमने पासपोर्ट का यह प्रश्न सदन में उठाया था तो सरकार

की ओर से आश्वासन दिया गया था कि इसके बाद पासपोर्ट जारी करने में कोई विलम्ब नहीं होगा। परन्तु हम जानना चाहते हैं कि आज क्या स्थिति है। लोगों को पासपोर्ट के लिए महीनों तक इन्तजार करना पड़ता है। मैं पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ हूं। इससे पहले कभी भी कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं आया और उसने ऐसा नहीं कहा कि कृपया पासपोर्ट अधिकारियों को पासपोर्ट शीघ्र जारी करने के लिए लिख दीजिए। मैंने इस काम में पांच सप्ताह का समय लगाया है। परन्तु मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। कृपया मेरी सहायता कीजिए।

मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष तकरीबन सभी लोगों ने यह महसूस किया होगा कि लोग हमारे पास आए और हमसे पासपोर्ट अधिकारियों को पत्र लिखने का अनुरोध किया। हम ऐसे पत्र नहीं लिखना चाहते हैं।

उसके बाद श्री माधव सिंह सोलंकी, जो उस समय मंत्री थे, ने आश्वासन दिया था कि पांच सप्ताह के भीतर पासपोर्ट के सभी लम्बित मामलों को निपटा दिया जाएगा। इसका क्या नतीजा निकला? हम इसके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने 13 मार्च को आश्वासन दिया था। 13 मार्च से आज तक कई बातें हो चुकी हैं। मंत्री जी बदल गये हैं। वह इससे खुश हैं। परन्तु साथ ही जहां तक पासपोर्ट कार्यालय का सम्बन्ध है हम उसकी स्थिति जानना चाहते है। क्या आपने उनमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी है? यह असली समस्या थी क्योंकि आपने स्वयं कहा था कि पिछले दो वर्षों में इन कार्यालयों में पासपोर्ट के आवेदकों की संख्या बढ़ गई है। क्या आपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी है?

क्या आपने पासपोर्ट समय पर शीघ्र जारी करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा दी है? हम इन कार्यालयों की स्थिति से प्रसन्न नहीं हैं।

दूसरी बात अगले संशोधन के बारे में है अर्थात धारा 7 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि से थोड़ी अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने के सम्बन्ध में है। ऐसी अल्पावधि जब तक कि पासपोर्ट अधिकारियों को लिखित में पर्याप्त कारण न बताए जाएं या किसी और तरह से निर्धारित न की जाए, आगे की अवधि तक के लिए बढ़ाई जा सकेगी। यह अवधि उस अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए जितनी अवधि के लिए कि पासपोर्ट जारी किया गया था।

वह मूल अधिनियम था। अब आप यह कहना चाहते है कि जो अल्पावधि के साथ निर्धारित अवधि से अधिक नहीं होगी।

इसका मतलब यह है कि यह मूल अवधि से भी अधिक हो सकती है। क्या यही बात है? अतः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ऐसा किन कारणों से किया जा रहा है।

मैं समझता हूं कि इसके लिए मूल धारा जिम्मेदार है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक वर्ष के लिए बाहर जाता है, तो समयावधि एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है। यह अवधि कम होनी चाहिए। वास्तव में यह अवधि जब मूल अवधि से अधिक होती है और आप इसे अल्पावधि कहते हैं तो मुझे यह एक मजाक से अधिक कुछ नहीं लगता है।

मैं दूसरे संशोधनों का समर्थन करता हूं। यह संशोधन दण्ड के बारे में है चाहे दण्डित होने वाले लोग भारतीय हों या विदेशी। जो भी व्यक्ति इसका गलत ढंग से इस्तेमाल करेगा, उस अपराध के लिए हम उस दण्ड का समर्थन करते हैं जो भी आप इस अधिनियम के द्वारा निर्धारित करेंगे। परन्तु साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के उन अपराधियों की दुबई जाने में किसने सहायता की थी जिनकी 'टाडा' के अन्तर्गत तलाश है। क्या भाई ठाकुर को वैध पासपोर्ट जारी किया गया था? वास्तव में उसे कलकत्ता में रोका गया था। कलकत्ता हवाई अड्डे से यह पूछा गया था कि क्या आपको इस आदमी की तलाश है? वह दुबई जा रहा है।

4 00 म०प०

महाराष्ट्र की ओर से इस नाम की अनुमति दे दी गई थी। आखिरकार वह अपने हित में भारत छोड़ कर चला गया। गत कई महीनों से वह टी०ए०डी०ए० (टाडा) के तहत वांछित है। अब उसका भाई कांग्रेसी विधायक है। (व्यवधान) वह भी टी०ए०डी०ए० (टाडा) के तहत वांछित है। वह भारत छोड़कर चला गया है अथवा नहीं, हमें विदित नहीं है।

महाराष्ट्र से दो कांग्रेस विधायक टी०ए०डी०ए० के तहत वांछित हैं। यह महाराष्ट्र में अपने आप में एक रिकार्ड है। लेकिन मुझे ज्यादा चिन्ता भाई ठाकुर द्वारा भारत छोड़कर दुबई जाने के लिए प्रयोग किए गए पासपोर्ट के बारे में है। वास्तव में क्या हुआ है? जहां तक पासपोर्ट जारी करने का सम्बन्ध है, क्या उसमें कोई गलती थी? इसे ऐसे कैसे प्रयोग किया गया था? जहां तक इन बातों का सम्बन्ध है, मैं जानना चाहता हूं। मेरे विचार से पारपत्र कार्यालय अभियुक्तों की सहायतार्थ नहीं खोला गया है, बल्कि यह देखने के लिए खोला गया है कि सही व्यक्तियों को देश से बाहर जाने के लिए पार-पत्र कार्यालय कोई बाधा न बने। कृपया इस तरीके से सहायता कीजिए। मेरा यही अनुरोध और यही सुझाव है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। केरल में जैसाकि आपको विदित ही है कि केरलवासी देश से बाहर भाग्य अजमाने हेतु जाते हैं क्योंकि केरल में रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं। यह एक अत्यधिक शिक्षित राज्य है। अतः, हमारे राज्य में शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी की समस्या अति गम्भीर है।

वास्तव में यह बहुत दुःखद बात है कि देश के बाहर अपनी किस्मत अजमाने वाले भी पासपोर्ट जारी करने में अनावश्यक विलम्ब के कारण विदेश नहीं जा पाते हैं।

मैं, सामान्यतौर पर इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इसकी सभी धाराओं का समर्थन करता हूं। मैं माननीय सदस्य श्री राम कापसे की चिंता से सहमत हूं क्योंकि सारी शक्तियां इसी कार्यालय को सौंप देना सदैव अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि यह कार्यालय और सरकार अत्यधिक औचित्यपूर्ण होंगे। पचास रुपए का शुल्क बहुत कम है। वर्तमान परिस्थितियों में, पासपोर्ट जारी करने के लिए यह शुल्क पर्याप्त नहीं है। अतः मैं मंत्री महोदय से यही अनुरोध करूंगा कि प्रभार निर्धारित करते समय समझदारी से काम लें। मैं नहीं

समझता कि इस एक मुद्दे को, जोकि संसद में हर बार छोटी-सी राशि बढ़ाने, चाहे वह राशि 100 रुपये अथवा 150 रुपये अथवा 200 रुपये ही क्यों न हो, क्योंकि सरकार भी शुल्क निर्धारित करने में पर्याप्त सोच-विचार से काम लेगी। दण्ड सम्बन्धी प्रावधानों के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि पासपोर्ट कार्यालयों में कंप्यूटरीकरण करने से हम इस समस्या का बहुत हद तक समाधान कर सकते हैं। दण्ड म वृद्धि करना एक बात है, लेकिन सामान्यत: परिस्थितियों को टालना अथवा अपराध करने वाले लोगों को रखना दूसरी बात है। अत: यदि आपके पास कम्प्यूटर की व्यवस्था है, तो जैसे ही कोई पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है, तो यह देखना बहुत आसान हो जाएगा कि उसने कोई तथ्य छुपाया है अथवा वह एक विदेशी नागरिक है अथवा पासपोर्ट पाने का पात्र है अथवा नहीं। इस मामले में, मैं समझता हूं, 90% अपराधों को टाला जा सकता है। सभी विकसित देशों में यही व्यवस्था है। जैसे ही कोई एक पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है, यदि कोई एक बटन दबाता है, तो वहां सारी पृष्ठभूमि सामने आ जाएगी। अत:, मैं इस बात की वकालत करता हूं कि पर विचार किया जाना चाहिए।

मेरा मुख्य अनुरोध यह है कि पासपोर्ट जारी करने में वर्तमान-विलम्ब को समाप्त किया जाए। हमारे राज्य की राजधानी त्रिवेन्द्रम है। दस माह पूर्व सरकार ने वहां एक पासपोर्ट कार्यालय खोलने की बड़ी कृपा की थी। इस कार्यालय के खुलने के प्रथम दो से तीन सप्ताहों में, अगर किसी ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, तो उसे यह एक अथवा दो महीने में प्राप्त हो गया था। अब, इस कार्यालय के खुलने के दस माह बाद, पासपोर्ट हेतु लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या 70000 है। आज की स्थिति के अनुसार अकेले त्रिवेन्द्रम स्थित कार्यालय में 70000 आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं। कोचीन में एक क्षेत्रीय कार्यालय है। यदि मेरी जानकारी सही है, तो उस कार्यालय में पासपोर्ट जारी करने में एक वर्ष का विलम्ब होता है और हमारे माननीय सदस्य श्री मुरली जी कालीकट और अपनी समस्याओं के बारे में बताएंगे। अत:, जब पासपोर्ट हेतु आवेदन करने के बाद, विलम्ब होता है, तो सैकड़ों लोग हमसे सम्पर्क करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? अकेले त्रिवेन्द्रम स्थित कार्यालय में प्रतिमाह औसतन 15000 आवेदन-पत्र आते हैं। फिलहाल, वहां 70000 आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं। अत: अगर 10000 पासपोर्ट प्रतिमाह जारी किए जाते हैं, तो इन 70000 आवेदन-पत्रों को निपटाने में औसतन दस माह का समय लगेगा। इसका अर्थ यह है कि अगले दस महीनों के बाद लम्बित पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या 1,50,000 हो जायेगी, जोकि वर्तमान संख्या से दोगुनी से अधिक हो जायेगी। कुल मिलाकर एक पासपोर्ट प्राप्त करने में एक व्यक्ति को वर्षों का समय लग सकता है।

ऐसे कई मामले हैं जिसमें 'वीजा' की समस्या है। कोई रिश्तेदार वहां हो सकते हैं या कोई बीमार हो सकता है या पत्नी या पति को वहां जाना हो अत: उनके लिए ऐसी स्थिति से निबट पाना नामुमकिन है।

पासपोर्ट जारी करने में देरी के लिए तीन समस्याएं हैं। पहली समस्या पुलिस जांच की है। ज्यादातर मामलों में यह ज्यादा समय लेती है। यह बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। वर्तमान प्रक्रिया के तहत भारत सरकार का संयुक्त सचिव, राज्य सरकार का अपर सचिव, या जिला न्यायाधीश के स्तर का कोई न्यायिक अधिकारी आवेदन-पत्र पर दस्तखत करने के लिए सक्षम है।

लेकिन इनमें से कोई भी हस्ताक्षर नहीं कर रहा है क्योंकि वहां दूसरों द्वारा उन पर आरोप

लगाने का दायित्व उन पर आ जाता है। अतः वह इन सब बातों से डरते हैं। प्रतिदिन विशेष कर जब हजारों की संख्या में आवेदन-पत्र आ रहे हैं, वह फार्म पर दस्तखत नहीं करते हैं। क्योंकि त्रिवेन्द्रम राजधानी है यहां ज्यादा आवेदन-पत्र आते हैं। लेकिन प्रक्रिया बहुत ही साधारण है। आवेदन-पत्र में आवेदक को अपना फोटो लगाना होगा। फिर यह स्थानीय थाने में जाता है। स्थानीय इस्पेक्टर को यह सत्यापित करना होता है कि आवेदक विशेष के विरुद्ध कोई मामला थाने और उस न्यायिक क्षेत्र मे लम्बित नहीं है। मान लीजिए कि आप ऐसा कानून बनाते है कि आवेदन-पत्र प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर स्थानीय उप-निरीक्षक को उप-पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एक प्रमाण-पत्र देना होगा। इससे प्रक्रिया आसान हो जाती है। समय को अधीनस्थ विधान के माध्यम से दो सप्ताह किया जा सकता है। यह पता लगाने के लिए कि आवेदक के विरुद्ध मामले लम्बित हैं या नहीं दो सप्ताह का समय पर्याप्त है। यदि अधीनस्थ विधान बनता है, तो दो सप्ताह का ही समय लगना चाहिए या दो सप्ताह से पूर्व अन्तिम रिपोर्ट पासपोर्ट कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए। तभी इस समस्या का हल हो सकेगा।

फिर स्टाफ की कमी की समस्या है। त्रिवेन्द्रम कार्यालय ने 60 अतिरिक्त लिपिकों और तीन सुपरिनटेंडेंटो की मांग की है, जिनकी समय पर पासपोर्ट जारी करने के लिए आवश्यकता है। पांच सप्ताह का यहां उल्लेख किया गया है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम दो महीने के भीतर पासपोर्ट जारी कर दिया जाना चाहिए।

और तदानुसार प्रत्येक कार्यालय को स्टाफ दिया जाना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि त्रिवेन्द्रम कार्यालय को कम से कम तीन अधीक्षक और 60 लिपिक दिये जाने चाहिए।

तीसरी आवश्यकता लेमिनेटिंग मशीनों की है। उन्होंने त्रिवेन्द्रम में नया कार्यालय खोला है और उन्होंने दो मशीनें दी हैं। मुझे निश्चित जानकारी है कि अक्सर ये दोनों मशीनें खराब रहती हैं। ये अच्छी मशीनें नहीं हैं। उन्हें तीन और मशीनों की आवश्यकता है। जब तक त्रिवेन्द्रम कार्यालय को पांच लेमिनेटिंग मशीन, जिसमें दो मौजूदा और तीन अतिरिक्त मशीनें और 60 लिपिक नहीं दिये जाते उनके लिए समय में पासपोर्ट जारी कर पाना सम्भव नहीं है। महीने दर महीने लम्बित मामलों की संख्या बढ़ती रहेगी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, केवल त्रिवेन्द्रम में ही औसतन 15000 आवेदन-पत्र हर महीने प्राप्त होते हैं। कोचीन और कालीकट में ज्यादा आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त होते हैं। अतः मैं निवेदन करूंगा कि इन पासपोर्ट कार्यालयों की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए और इस सदन में जो आश्वासन दिया गया है कि पासपोर्ट पांच सप्ताह में जारी कर दिया जायेगा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कम से कम यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पासपोर्ट कम से कम 8 सप्ताह, जो कि दो महीने होते हैं में जारी कर दिया जाना चाहिए। इससे सभी राज्यों के लोग संतुष्ट हो सकेंगे विशेषकर केरला के लोग। जैसा कि मैं पहले कह चुका हू हमारे अनेक दस्तकार, कारीगर, कुशल मजदूर और समाज के निचले वर्ग और कमजोर वर्ग के लोग खाड़ी के देशों में जाते है। वे वहां जाकर विदेशी मुद्रा अर्जित करते है। इस प्रकार हमारे देश की भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में वे भी मदद कर रहे हैं। रोजगार अवसरों इत्यादि के अलावा देश की वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करने में इनका बड़ा योगदान है। अतः विदेशी मुद्रा अर्जित करने में और रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में हमारी मदद कीजिए। आपको केवल इतना करना है कि हमें दो महीने में पासपोर्ट मिल सके। मुझे विश्वास है

कि माननीय मन्त्री महोदय इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे और जल्दी से जल्दी पासपोर्ट जारी करवाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, माननीय मन्त्री जी एक बहुत संक्षिप्त संशोधन पासपोर्ट अधिनियम में लाए हैं । इसमें बहुत विरोध करने या चर्चा करने वाली बात नहीं है । मैं इसी बहाने कुछ सुझाव उनको देना चाहता हूं । पासपोर्ट के आफिस बढ़ाने के बारे में समय-समय पर आवश्यकता पड़ती है । पासपोर्ट की छपाई और उसको तैयार करने में जो खर्चा आता है पहले उसका विचार करके यहां पर प्रस्ताव लाना चाहिए कि कितना बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं । मैं चाहूंगा कि जो भी वृद्धि हो वह रीजनेबल हो, थोड़ा सोच समझ कर हो और ऐसा हो कि इस देश का जो साधारण व्यक्ति है उसकी जेब को ख्याल करते हुए हो, तो अच्छी बात होगी ।

दूसरा इन्होंने दण्ड के प्रावधान में कुछ परिवर्तन किया है । वह स्वागत योग्य है और अच्छी बात है । यदि कोई व्यक्ति अपने यथार्थ को छिपा कर शासन और सरकार को धोखा देकर किन्हीं परिस्थितियों में पासपोर्ट बनवा लेता है तो उसे दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए । लेकिन साथ ही साथ जो हमारे अन्य साथियों ने सुझाव दिया है, पासपोर्ट बनाने के सम्बन्ध में जो विलम्ब हो रहा है उसके ऊपर समय-समय पर इस सदन में और इसके बाहर भी सरकार को सुझाव दिए गए । लेकिन मुझे तकलीफ होती है कि आखिर अधिक से अधिक पासपोर्ट बनाने के कार्यालय खोलने मे सरकार को क्या परेशानी हो रही है । जो प्रशासन का व्यय है, कार्यालय का खर्चा है पासपोर्ट की फीस में उसे जोड़ लीजिए और अधिक से अधिक कार्यालय खोलने की कोशिश करिए ।

मैं लखनऊ के बारे में कह सकता हूं । मैं पिछले महीने जब वहां गया था, वहां पता चला कि 8-10-12 महीने से लोग दौड़ रहे है, उनका पासपोर्ट नहीं बनता । 7000 दरखास्तें पासपोर्ट बनाने की, पिछले अक्तूबर महीने मे दशहरे से पहले मैं गया था, वहां के कार्यालय में पड़ी हुई है । गोरखपुर, बनारस और बरेली में कार्यालय खोलने मे आपको दिक्कतें क्या हैं ? वहां से एक महीने के भीतर ही, जब नजदीक हो जाएगा, जो गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट आप मांगते हैं पासपोर्ट बनाने के समय, नजदीक होने से उसके आने में आसानी होगी । इस बात की पूरी गारण्टी और आश्वासन होना चाहिए कि यदि कोई आवेदनकर्ता पासपोर्ट बनाने के लिए आपके कार्यालय में आता है तो अधिकतम एक महीने के अंदर उसे आप पासपोर्ट बना कर दें । इस तरह की व्यवस्था के बारे मे सुगम और सरल प्रणाली बनाने के बारे में विचार करना चाहिए । 1977 में एक संशोधन हुआ था राजाज्ञा के द्वारा यह अधिकार दिया गया था कि यदि पासपोर्ट पर विधायक का हस्ताक्षर हो जाए तो पर्याप्त मान लिया जाएगा । उसको किन्हीं कारणों से बदला गया । उसमे आसानी थी । जो लोग पासपोर्ट चाहते थे उनको विधायक से हस्ताक्षर करवाने पड़ते थे और प्रमाण पत्र लेकर उनका काम हो जाता था । मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आए दिन हम लोगों के पास लोग आते है और कहते है कि आपके कहने पर भी पासपोर्ट नहीं बना । अगर दिल्ली के लिए 15 हजार और लखनऊ के लिए 10 हजार रुपयों का इन्तजाम कर लिया जाए तो पासपोर्ट निर्धारित तीन हफ्तों की अवधि में ही मिल जाता है । जबकि बाकी लोगों को इधर-उधर टहलना पड़ता है । इसलिए इसको सरल और सुलभ बनाना चाहिए ।

मपों — गाने गारे जा ं

पासपोर्ट बनाने के नियम 4 के अन्तर्गत 3 तरह के पासपोर्ट बनते हैं। एक राजनयिक पासपोर्ट, दूसरा साधारण पासपोर्ट और तीसरा राजकीय कर्मचारी या अधिकारियों के लिए पासपोर्ट। मैं कहना चाहता हूं कि देश में और विश्व में परिस्थितियों में भीषण परिवर्तन हो रहा है। युरोपियन कामन मार्केट बनने से वहां पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है और एंट्री सर्टिफिकेट जारी किया गया है। आप कम से कम सार्क देशों के बारे में इस पर विचार करें कि वहां के जो नागरिक हैं उनको एक से दूसरे देश मे आने जाने के लिए एक चौथी तरह का पासपोर्ट भी बनाया जाये। यह प्रक्रिया अपने देश मे शुरू की जाये। क्योंकि हिंदुस्तान एक विचित्र देश है। यहां के लाखों आदमी बाहर रहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से ही लाखों आदमी बंगलादेश और पाकिस्तान में चले गए हैं। वहां उनके परिवार के लोग हैं। नेपाल में भी हैं लेकिन वहां पासपोर्ट की इतनी समस्या नही है। लेकिन पाकिस्तान और बंगलादेश में हमारे यहां से लाखों आदमी गए हुए हैं। जब उनके परिवार का कोई सदस्य कहीं बीमार पड़ता है तो उसको देखने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे मुरादाबाद में बेटा रहता है और उसकी मां करांची मे रहती है। वह बीमारी है तो बेटा अपनी मरती हुई मां को नहीं देख सकता। ऐसे कई दृष्टांत मैं आपको बता सकता हू। इसलिए एक चौथी तरह का पासपोर्ट आप इश्यू करें जिससे पड़ोसी इलाकों में और सार्क देशों में आने जाने की सुविधा लोगों को मिल सके। इससे व्यापारिक सम्बन्धों में सुधारने में भी काफी मदद मिलेगी। इसलिए आप सार्क देशों से बात करके कोई नई प्रणाली अपनाएं जैसे युरोपीयन कामन मार्केट वाले देशों में एंट्री सर्टिफिकेट की प्रणाली लागू की है वैसे ही अपने यहां पर करें। मैं समझता हूं यह एक अच्छी बात होगी।

इसके साथ-साथ सरकार को अधिकार मिला हुआ है कि लोगों को जो भारत के ऊपर आक्रमण-कारी देश हो, भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए उकसाता हो, हमारे देश से सघषंरत हो उस देश में पासपोर्ट की इजाजत नहीं दी जाती। ठीक है, लेकिन उसी में लिखा हुआ है किसी को हम पासपोर्ट नहीं देंगे भारत के हित को ध्यान में रखते हुए। इसकी कसौटी क्या होगी, यह अधिकार सरकार को मिला हुआ है। इसके बारे में पुनर्विचार होना चाहिए और पूरी व्याख्या होनी चाहिए कि भारत का सार्वभौम हित क्या है। जिस चीज के बारे में मन में आए उसी चीज का हित इसमें शामिल है ऐसा करके किसी के पासपोर्ट को जब्त कर लेना उचित नहीं है। जैसा अभी एक राज्य के विधान सभा के अध्यक्ष का मामला है। उन पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, चलता रहेगा। आपने उनके बारे में सोच लिया कि ये बाहर जाएंगे तो लौटकर हिंदुस्तान नहीं आएगे इसलिए उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया। इसलिए इस प्रकार के अधिकार की पूरी व्याख्या सरकार द्वारा सदन के सामने रखी जानी चाहिए कि भारत का कौन सा हित किस तरह का हित किस तरह की बात मे है। क्योंकि उसका उप-योग और सदुपयोग राजनैतिक आधार पर करने के सारे दरवाजे सरकार के पास खुले हुए हैं। जिसका दुरुपयोग समय-समय पर सरकार करती रहती है। हमारे मित्रों ने ठीक ध्यान दिलाया कि एक विधान सभा के सत्ता पक्ष के एक सदस्य को पासपोर्ट दिया गया, जबकि उसके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं कि वह तस्करी के कार्यों मे लिप्त है और टाडा के अन्दर निरुद्ध है। लेकिन उसको पासपोर्ट इसलिए दे दिया गया क्योंकि वह सत्ता पक्ष का आदमी है, अगर वह विरोधी पार्टी का आदमी हो तो उसको कहा जाएगा कि आपका पासपोर्ट इम्पाउंड किया जाता है। इसलिए उसको बाहर जाना भारत के हितों पर सर्वथा आघात पहुंचा रहा है। इसलिए भारत के हित की व्याख्या की जानी चाहिए और उसको रेखां-कित किया जाना चाहिए। यह सब सदन मे हम सब मिलकर करें। मंत्रीजी बैठे हुए

हैं वे एक बैठक बुलायें। मैं मंत्री जी से फिर इस बात पर बल प्रदान करना चाहता हूं कि पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को सरल किया जाये, आसान किया जाए और सर्वत्र सुलभ बनाया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : सभापति महोदय, अब पासपोर्टों की मांग प्रति वर्ष बढ़ रही है। पहले ही माननीय मंत्री जी ने सूचित किया है कि पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट सम्बन्धी लगभग 24 लाख आवेदन लम्बित पड़े हैं।

भारी संख्या में लोग विदेश जा रहे हैं, विद्यार्थियों, अध्यापकों, अभियन्ताओं और डाक्टरों की बात छोड़ दें, यहां तक कि अकुशल कर्मचारी भी, विशेषकर केरल से, विदेश जा रहे हैं। लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए खाड़ी देशों को जा रहे हैं, और ये लोग विदेश से धन भेजकर राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि कर रहे हैं। विदेश में काम कर रहे लोगों के रिश्तेदारों को प्रति वर्ष काफी धन प्राप्त हो रहा है। अतः पासपोर्ट प्रक्रिया का सरलीकरण करना चाहिए ताकि आवेदकों को अपने पासपोर्ट प्राप्त करने में किसी तरह की कठिनाई न हो।

लेकिन यह देखा गया है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पासपोर्ट जारी करने में अत्यधिक विलम्ब करते हैं। आवेदकों को पासपोर्ट कार्यालय में मारे-मारे फिरना पड़ता है, उनको धन देना पड़ता है, और पांच से छह महीनों के बाद भी उनको पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है। भूतपूर्व विदेश मन्त्री श्री माधवसिंह सोलंकी ने इस सभा में भरोसा दिलाया था कि 5 सप्ताह के अन्दर ही पासपोर्ट जारी किया जाएगा, परन्तु वह एक सपना ही सिद्ध हुआ। पासपोर्ट कार्यालय में, पासपोर्ट के लिए, हजारों आवेदन लम्बित पड़े हुए हैं।

जैसा कि श्री ए० चार्ल्स ने महसूस किया कि पुलिस अधिकारियों से पुलिस जांच रिपोर्ट दो सप्ताह में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए। इसमें दो सप्ताह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। परन्तु यह देखा गया है कि पुलिस जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रायः समय लेती है। जब वे जांच करते है तो धन की मांग करते हैं और आवेदक को अपनी जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए धन देना पड़ता है। जहां तक सम्भव हो सके पुलिस जांच शीघ्र किया जाना चाहिए। सरकार को पुलिस अधिकारियों को निदेश देना चाहिए कि वे पुलिस रिपोर्ट सम्बन्धी आवेदनों को दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें।

ट्रैवेल एजेण्टों को पासपोर्ट हेतु आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। मैं समझता हूं आवेदक इन ट्रैवेल एजेण्टों और दलालों के शिकार बन जाते हैं। ये लोग अनभिज्ञ आवेदकों से पैसा वसूल करते हैं और काफी विलम्ब के बाद पासपोर्ट जारी करते हैं। अतः कर्मचारियों के साथ-साथ अधिक संख्या में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने चाहिए। सरकार को इस काम के लिए और अधिक लोगों को नियुक्त करना चाहिए।

सरकार को पुलिस जांच रिपोर्ट को प्राप्त करने और प्राप्त सूचना को आवेदक तक पहुंचाने के लिए धन व्यय करना पड़ता है और यह व्यय हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है और इसमें हेरा-फेरी की काफी सभावनाएं हैं, अतः पासपोर्ट शुल्क में कुछ वृद्धि किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि के कारण पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि हो सकती है परन्तु यह शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए न कि अधिकारियों अथवा पुलिस द्वारा ।

जो लोग नकली पासपोर्ट रखते हैं, जिनके पास अनधिकृत दस्तावेज होते हैं, उनको सजा दी जानी चाहिए, उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए । मैं यहां पर इस बहस का समर्थन करता हूं । मैं प्रस्तावित संशोधक का समर्थन करता हूं क्योंकि कई देश, भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं । वे हर प्रकार के लोगों को जाली पासपोर्टों के साथ भेज रहे हैं । यदि इन लोगों को पहचान लिया जाएगा तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए । कुछ भी हो, मैं इस विषय पर बहस कर रहा हूं कि पासपोर्ट प्रक्रिया का सरलीकरण करना चाहिए, आवेदकों को 5 सप्ताह के भीतर पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए और पासपोर्ट शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री के० मुरलीधरन (कालीकट) : सभापति महोदय, इस चर्चा में मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । हालांकि सरकार ने इस सभा के समक्ष यह आश्वासन दिया था कि पासपोर्ट हेतु लम्बित पड़े हुए आवेदन को 5 सप्ताह के भीतर निपटाया जाएगा, परन्तु ऐसा नहीं हुआ है । वास्तविकता क्या है ?

मैं केरल के उत्तर भाग का रहने वाला हूं । खाड़ी देशों में काम करने वाले अधिकांश लोग कालीकट के मालाबार क्षेत्र के ही रहने वाले हैं ।

वहां के पासपोर्ट कार्यालय को 1990-91 में लगभग 2,00,000 आवेदन प्राप्त हुए और उनमें से 1,85,000 आवेदनों का निपटारा किया गया था । वर्ष 1991-92 में अब तक 2,10,000 आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से विशेष पुलिस जांच पत्र प्राप्त कुछ आवेदनों को पासपोर्ट जारी किए गए । यह सच्चाई है । परन्तु इसका क्या परिणाम निकला । आवेदकों को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है और इस कारणवश उनको खाड़ी देशों में रोजगार नहीं मिल रहा है ।

अब पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट तब जारी करते हैं जब उनको मूल वीजा प्राप्त होता है । परन्तु कुल खाड़ी देशों में पासपोर्टों की आवश्यकता होती है और यदि आवेदक पासपोर्ट का फोटो कापी भेजते हैं तो तभी उनको वीजा दिया जाता है । परन्तु दुर्भाग्य की बात है, पासपोर्ट अधिकारी समय पर पासपोर्ट देने में असक्षम हैं ।

मुख्य बात यह है कि पासपोर्ट कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है विशेषरूप से कालीकट में । कालीकट में पासपोर्ट कार्यालय में जनसम्पर्क अधिकारी के तीन, सहायक

पासपोर्ट अधिकारी का एक प्रवर श्रेणी लिपिक के आठ और अवर श्रेणी लिपिक के चार पद रिक्त हैं। उक्त कार्यालय दो लाख लोगों को पासपोर्ट कैसे जारी कर सकता है। कालीकट में विशेषरूप से यह मुख्य समस्या है। इसलिए जो लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं उन्हें समय पर पासपोर्ट नहीं मिलता है। मुख्य बात यह है कि जो आवेदक पुलिस अधीक्षक या आयुक्त से प्राप्त विशेष सत्यापन प्रमाण-पत्र के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करता है उसको सी०बी०सी०आई०डी० की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बगैर तत्काल पासपोर्ट दे दिया जाता है। परन्तु साथ ही यदि कोई आम आदमी आवेदक पत्र जमा करता है तो वह सी० बी० सी० आई० के साथ जिला उप शाखा कार्यालय को भेजा जाता है। इसलिए उन्हें पासपोर्ट शीघ्र नहीं मिलता है। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ता है। यह मुख्य मुश्किल है।

अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि पासपोर्ट शीघ्र जारी किए जाएं। आपको केरल में पासपोर्ट कार्यालयों में अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराने चाहिए। आपको मालूम है कि केरल में अधिकांश लोग शिक्षित हैं परन्तु दुर्भाग्य से वहां पर बेरोजगारी बहुत अधिक है केरल में लगभग 35 लाख लोग बेरोजगार हैं।

सरकार उन्हें रोजगार देने में असफल रही है इसलिए वे खाड़ी के देशों में जाते हैं। अब वास्तविक सच्चाई यह है कि उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल रहे हैं और उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ रहा है। वे अपने घरों में बेकार बैठे हैं। यह सच्चाई है।

मेरा सुझाव है कि सरकार को प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय के साथ सम्बद्ध सतर्कता प्रकोष्ठ खोलना चाहिए। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए गए सत्यापन प्रमाण-पत्र की पुनः पुष्टि करने में लगने वाले समय के कारण होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए कंप्यूटर प्रणाली शुरू की जानी चाहिए और यह प्रणाली डी०आई०जी० कार्यालय से जुड़ी हुई होनी चाहिए।

यह मेरे सुझाव हैं। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री उन्हें स्वीकार करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति जी, माननीय मन्त्री जी इस बिल के जरिए जो संशोधन सदन में लाए है, उनका तो मैं समर्थन करता हू और इसके साथ-साथ कुछ सुझाव उन्हें देना चाहता हूं। जैसा मुझसे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि जो असीमित शक्तियां दी जा रही हैं कि पासपोर्ट फीस बढ़ाने का अधिकार सरकार को या विभाग को हो, इस मामले में मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि आजकल जिस प्रकार पासपोर्ट के लिए 50 रुपए फीस निर्धारित है, आप उसे बढ़ाकर 100 रुपए 200 रुपए कर दीजिए, एक निश्चित राशि फिक्स कर दीजिए ताकि एक्सप्लायटेशन का, शोषण का उसमें स्कोप न रहे। यदि आप बिल को इस आधार पर संशोधित नहीं कर सकते तो जब भी आप निश्चित करें तो पर्याप्त मात्रा में उसका प्रचार करने की व्यवस्था करें ताकि साधारण नागरिकों को पता चल सके कि पासपोर्ट फीस कितनी है। साधारणतः हर जगह स्थानीय लोग आपके पासपोर्ट कार्यालयों में आयेंगे, यदि उन्हें वहां पर उचित इन्फार्मेशन नहीं होगी, सूचना नहीं होगी तो एक्सप्लायटेशन का स्कोप रहेगा। कोई 200

रुपये भी चार्ज कर सकता है, कोई 400 रुपए मांग सकता है। इसलिए सबसे पहला मेरा अनुरोध है कि पासपोर्ट फीस के लिए एक निश्चित राशि आप फिक्स करें।

इस बिल में सेक्शन 10 के अन्दर आप जो संशोधन लेकर आए है, यदि किसी के पास एक से ज्यादा पासपोर्ट मिलते हैं तो इसमें कहा गया है कि उनको जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे अनेकों मामले भूत काल में सरकार के सामने आए हैं जबकि स्मगलर्स अर्थात तस्करों के पास, आतंकवादियों के पास कई-कई देशों के पासपोर्ट मिले हैं। इसलिए मात्र उनको जब्त करने तक ही सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की व्यवस्था आपको करनी चाहिए ताकि इस बुराई को अच्छे तरीके से दबाया जा सके।

इसी प्रकार सेक्शन 11 में भी आपने संशोधन सुझाया है कि वर्तमान में 25 रुपए जो फीस है, जिस तरह आपने सेक्शन 5 मे संशोधन का अधिकार मांगा है लेकिन उसकी एक निश्चित राशि नहीं रखी गई है, उसी तरह इस सेक्शन में भी अगर आप एक निश्चित राशि फिक्स कर दें तो वह उचित रहेगा ताकि आम जनता को किसी तरह दिक्कत न आए और निश्चित तौर पर उन्हें पता हो कि इस मद में उन्हें कितना पैसा देना है।

सभापति महोदय, अन्य संशोधन तो स्वागतयोग्य हैं लेकिन मैं मन्त्री महोदय का ध्यान विदेश मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए एक सर्कुलर की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि "फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड" आधार पर पासपोर्ट दिए जायेंगे। लेकिन जहां आउट आफ टर्न पासपोर्ट देने हैं, बारी तोड़कर यदि किसी को पासपोर्ट देना है तो उसका पासपोर्ट का प्रार्थना पत्र दिल्ली स्थित चीफ पासपोर्ट आफिसर के पास भेजा जाएगा, रीजनल पासपोर्ट कार्यालय से उसका टेलैक्स मैसेज यहां दिल्ली में आएगा और फिर दिल्ली से 24 घंटे के अन्दर उसका जवाब दिया जाएगा। सभापति महोदय, एक टेलैक्स मैसेज कलकत्ता से दिल्ली करने के लिए 150 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, उसके साथ-साथ वापसी मैसेज के लिए भी 150 रुपए चार्ज किए जाएंगे। इस तरह जो व्यक्ति पासपोर्ट के लिए अभ्यावेदन दे रहा है, उसे इस प्रकरण में 300 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक तरफ तो आप विकेन्द्रीकरण करना चाहते है, डीसेन्ट्रलाइजेशन करना चाहते है और दूसरी तरफ पहले जो शक्तियां रीजनल पासपोर्ट आफिसर के पास थीं, जैसे बीमारी के कारण, मौत के कारण, या अन्य किसी एमरजेंसी मामलों में यदि कोई एप्लीकांट कहता है कि उसे आउट आफ टर्न पासपोर्ट ईश्यू कर दिया जाए, अब रीजनल पासपोर्ट अधिकारी से उन शक्तियों को लेकर, यहां दिल्ली स्थित चीफ पासपोर्ट अधिकारी को दी जा रही हैं और इस तरह हर एप्लीकांट पर 300 रुपये या इससे ज्यादा का व्ययभार डाला जा रहा है, मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस पर फिर से विचार करें।

मैं चाहूंगा मन्त्री महोदय इस पर आप विचार करें। जहां-जहां आपके रीजनल पासपोर्ट आफिस हैं, उनको निदेश दीजिए कि इन-इन मामलों में आप आउट आफ टर्न, बिना बारी के पासपोर्ट दे सकते है बजाय इसके कि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के कार्यालय से सन्देश यहां दिल्ली में चीफ पासपोर्ट अधिकारी को आए और यहां से फिर टेलेक्स सन्देश जाए।

सभापति महोदय, बहुत से प्रकरण ऐसे होते हैं, जिनमें बिना बारी के पासपोर्ट देना होता है। खासकर पत्रकारों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं जिन्हें महत्वपूर्ण घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए

विदेशों में जाना पड़ता है । माननीय मन्त्री महोदय की यात्रा में भी रिपोर्टर विदेश गए थे । ऐसी स्थिति में उन्हें तुरन्त क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होता है और तुरन्त ही उन्हें पासपोर्ट की आवश्यकता होती है । इसलिए यदि वहां से यहां दिल्ली सन्देश आए और फिर दिल्ली से वहां सन्देश जाए तो इसमें व्यय काफी हो जाता है । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस व्यवस्था को समाप्त करें । इससे काफी खर्च होता है, समय बर्बाद होता है और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को पासपोर्ट देने में दिक्कत भी होती है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कलकत्ता के क्षेत्रीय कार्यालय का ही फिर उदाहरण देना चाहता हूं वहां पर प्रतिदिन औसत 350 आवेदन पत्र पासपोर्ट के लिए नये आ जाते हैं । 350 प्रार्थना पत्रों के पैसे जमा करने, उनको प्रोसेस करना, उनका रिकार्ड रखना और उनको डील करना आदि ऐसे काम हैं जिनमें काफी स्टाफ की आवश्यकता होती है, लेकिन वहां स्टाफ की कमी है । पासपोर्ट अब आप इश्यू करते हैं, तो यह विदेश मन्त्रालय की आमदनी का एक माध्यम भी है । कोई पासपोर्ट आफिस घाटे में नहीं जा रहा है । जहां पासपोर्ट के लिए आवेदन आते हैं, जहां पासपोर्ट तैयार किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, वहां आपको लाभ ही हो रहा है बल्कि आवेदनपत्रों की तो स्थिति यह है कि देश भर में लाखों की संख्या में पासपोर्ट के लिए आवेदनपत्र लम्बित पड़े है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पासपोर्ट कार्यालय जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं, उनमें समुचित मात्रा में स्टाफ नियुक्त किया जाए ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि पासपोर्ट प्रदान करने के काम में लगे कर्मचारियों में पदोन्नति समय पर न होने के कारण काफी असन्तोष है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बात को रेगुलराइज किया जाए और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति दिए जाने के निर्देश प्रदान करें ताकि अधिकारी एवं कर्मचारी जो इस कार्य में लगे हुए हैं, उनको कुछ इन्सेंटिव मिल सके ।

महोदय, मन्त्री महोदय ने एक स्वागतयोग्य कदम उठाया है जिसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं । वह व्यवस्था यह है कि ट्रैवल एजेंसियों को यह अधिकार दे दिया है कि कोई भी ट्रैवल एजेंसी जो इस कार्य को कर रही है वह अपने क्लाइन्ट के लिहाज़ पर आवेदन कर सकती है । इससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा होगी । इसलिए मैं उनके इस कदम का स्वागत करता हूं ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान प्राक्कलन समिति की उस रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें समिति ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए थे । उस समिति की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन पासपोर्ट एक्ट, 1967 और पासपोर्ट एंट्री टू इण्डिया एक्ट, को मिलाकर एक ऐसा एक्ट बनाने का सुझाव दिया था जिससे इन दोनों के प्रावधानों में जो दिक्कतें आ रही हैं, वे दूर हो सकें । मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी के गतिशील नेतृत्व में यह एक्ट बनाने के लिए भी विधेयक शीघ्र आएगा ताकि जो उलझनें पड़ती हैं वे दूर हो सकें ।

सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान भारत में हो रहे गैर-कानूनी प्रवेश की ओर

दिलाना चाहता हूं। यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है कि गैर-कानूनी ढंग से सीमा के अन्दर विदेशी लोग प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी होता है कि निश्चित अवधि के लिए लोग पासपोर्ट लेकर भारत में प्रवेश करते हैं और पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी वे यहीं रहते हैं वापस अपने देश नहीं जाते है जिससे देश में काफी परेशानी पैदा हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आपका मंत्रालय इस समस्या की ओर भी ध्यान देगा और अवधि समाप्त होने के उपरांत कोई व्यक्ति इस देश में नहीं रहे, उसको सुनिश्चित किया जाएगा।

सभापति महोदय, मैं एक सुझाव आपके माध्यम से और देना चाहता हूं। बहुत से क्षेत्रों से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग आ रही है, विशेषकर जो क्षेत्र दूरदराज के हैं, वहां पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए भी मन्त्रालय को ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रीविसेस को दूर करने के लिए भी कोई उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अगर आप कोई गैर-सरकारी एजेंसी रखने का विचार करें, तो उपयुक्त होगा। इस गैर-सरकारी एजेंसी के माध्यम से अगर कोई शिकायत आती है तो उसको दूर करने में शीघ्रता होगी और आपका काम भी कम होगा क्योंकि उन शिकायतों को वह एजेंसी निपटा सकती है।

सभापति महोदय, चूंकि मन्त्री महोदय ऐसे प्रदेश से हैं, जहां पासपोर्ट देने में काफी कठिनाइयां आ रही हैं इसलिए अन्त में मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि जो लोग पासपोर्ट के लिए प्रार्थना पत्र दें उनको शीघ्र पासपोर्ट मिले और इसे दिए जाने में जो मुश्किलें हैं वे दूर की जाएंगी और जो धांधलियां होती हैं, वे नहीं होंगी, ऐसा प्रबन्ध मन्त्री महोदय करेंगे।

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : माननीय सभापति जी, जो पासपोर्ट संशोधन विधेयक सदन में पेश किया गया है इस सम्बन्ध में कुछ चीजों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदय, पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश मे पासपोर्ट कार्यालय के अन्दर लाखों मामले लम्बित पड़े है। साल-डेढ़ साल से लोग एप्लीकेशन दिए बैठे हैं लेकिन उनको पासपोर्ट नहीं मिलता है। दिक्कत यह होती है कि कभी एल० आई० ओ० से जांच होती है तो वह अलग रिपोर्ट देती है, कभी पुलिस स्टेशन दूसरी बात करता है। इस तरह से समय के अन्दर रिपोर्ट न मिलने की वजह से काम नहीं होता है। इसलिए इसके सम्बन्ध में हमारा कहना है कि पासपोर्ट देने की पद्धति को सरल बनाए और एप्लीकेशन देने के कम से कम दो महीने के अन्दर इस काम को कराए ताकि जो विलम्ब है, वह दूर हो सके।

आपका एक ही क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ मे है जिसकी वजह से वहां काफी मामले लम्बित रहते हैं। बहुत पहले से मांग हो रही है कि अपनी अन्य शाखाएं जैसे वाराणसी, बरेली और दूसरे जगहों पर खोलें। उसी तरीके से शुल्क की एक निश्चित राशि तय करें क्योंकि 50 रुपए की जगह पर कितना लेना चाहते हैं, यह स्पष्ट नहीं है।

इसी तरह से आपके कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या सीमित है। उससे भी कठिनाई होती है, उसको भी बढ़ाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं।

श्री राजेश कुमार (गया) : सभापति महोदय, इस बिल का मैं आंशिक रूप से समर्थन करता हूं लेकिन कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसा माननीय सदस्य श्री मोहन भाई ने कहा कि पासपोर्ट के आफिस में भारत सरकार का अड्डा बना हुआ है। मैं एक कहानी बताना चाहता हूं। मैं पटना के पासपोर्ट कार्यालय में एक आदमी की पैरवी लेकर गया था। पटना के पासपोर्ट अधिकारी ने कहा कि आप छोड़कर चले जाइए, हम बाद में उनका पासपोर्ट बना देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, चाहे लखनऊ हो, बिहार हो या देश के अन्य इलाके जहां पासपोर्ट कार्यालय हैं।

मेरा सुझाव है कि जो पुलिस वैरीफिकेशन होती है उसकी एक सीमा अवधि बांधें, 10-15 दिन जो हो सके और यदि उतने दिनों के अन्दर वैरीफिकेशन नहीं आती है तो आप पासपोर्ट पदाधिकारी को कहिए कि पुलिस वैरीफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अपनी दूसरी एजेंसी के माध्यम से आप उसकी जांच कराएं। पुलिस वैरीफिकेशन में साल-साल लग जाता है। वैसे तो पैसा लगता ही है लेकिन पुलिस वाले भी मांगने लग जाते हैं। इसलिए इन बुराइयों को दूर करना चाहिए।

बिहार प्रदेश के छोटा नागपुर के इलाके में विदेशों से लोग आकर मिशनरी चलाते हैं। उनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई है। देश में कोलाहल मचे और आपस में लड़ाई झगड़ा हो, उसमें काफी पैसा खर्च होता है। मेरा सुझाव है कि ऐसे लोगों का सर्वे करना चाहिए और जिसके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई है, उनकी छानबीन करके उन्हें वापिस भेजने के उपाय करने चाहिए।

बोधगया इण्टरनेशनल प्लेस है। आज से 20 साल पहले से वहां पर एक महिला निवास करती है। उसका नाम मेरी लाइप पुट है। वह एक गांव में आती है, धर्म परिवर्तन की बात चलाती है, स्ट्रगल की बात चलाती है। उसकी बात में उस इलाके के मजदूर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वह काफी पैसा खर्च कर रही है। उसके पासपोर्ट की अवधि बहुत पहले की समाप्त हो गई है लेकिन उसके पीछे न ही पुलिस जाती है, न ही पासपोर्ट देखने वाली एजेंसी देखती है। इसके बारे में भी देखना चाहिए।

इसके साथ-साथ एक और सुझाव देना चाहता हूं। जैसे एम० पी० रिकमैंडेशन करते हैं, आप उसमें कोई प्राथमिकता नहीं देते हैं। लगता है कि उस रिकमेंडेशन की वैल्यू नहीं होती है, जैसे एम० एल० ए० के रिकमेंडेशन की वैल्यू नहीं होती है। इसको भी जोड़ना चाहिए।

एम० पीज० की रिकमेंडेशन पर पासपोर्ट इशू होना चाहिए। हमारा गरीब देश है। लोग बाहर नौकरी की तलाश में जाते हैं और गल्फ कंट्रीज में जाते हैं। गरीब लोग वहां बहुत जाते हैं। इसलिए इसकी फीस ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। उनका ज्यादा पैसा भी खर्च न हो और लोग भी अधिक से अधिक विदेशों में जा सकें, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। जो गलत ढंग से पासपोर्ट बना लेते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसका मैं शत-प्रतिशत समर्थन करता हूं। जो क्रिमिनल्स हैं, टाडा के तहत बन्द हैं, वे अगर गलत तरीके से विदेशों में चले जाते हैं तो उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं।

एम० पीज० के 12 साल तक के बच्चों को आप जो डिप्लोमैटिक पासपोर्ट देते हैं, उसमें उनकी उम्र बढ़ाकर 20 साल तक कर देनी चाहिए क्योंकि विदेशों में घूमने की चाहत हर किसी की बढ़ती ही जा रही है।

इन चन्द सुझावों के साथ मैं आंशिक रूप से इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वारस) : सभापति जी, इस बिल में कुछ खास बातें कहने वाली तो नहीं हैं, लेकिन मैं 1-2 सुझाव देना चाहता हूं। पासपोर्ट की जो फीस 50 रुपये है, उसे बढ़ाने की जरूरत मैं महसूस नहीं करता हूं। जैसे पोस्ट आफिस में रजिस्टर्ड लैटर के दाम अलग हैं, मनीआर्डर के दाम अलग हैं और स्पीड पोस्ट के दाम अलग हैं, उसी तरह से पासपोर्ट को भी आप कैटेगिरीवाइज बांट दीजिए। जिस किसी को इसकी जिस हिसाब से जरूरत हो, उसी के हिसाब से आप इसे बांट दीजिए। ज्यादा जल्दी अगर इसकी किसी को जरूरत हो तो उससे ज्यादा फीस ली जा सकती है लेकिन आम जनता के लिए इसे आप न बढ़ायें। यह मेरा खासतौर से आपसे निवेदन है।

देखने में आया है कि पुलिस वाले इसे जल्दी क्लीयर करने के लिए बख्शीश मांगते हैं। इसे आप देखें। मंत्री लोग भी भेंट लेते हुए देखे गये हैं। क्या इस तरफ कभी आपका ध्यान गया है?

मैं जम्मू-कश्मीर कुछ दिन पहले गया था। यह एक ट्रबल्ड एरिया है। कश्मीर से पासपोर्ट आफिस हटा लिया गया है। पासपोर्ट बनाने के लिए लोगों को जम्मू आना पड़ता है। इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए जल्दी से जल्दी कश्मीर में भी इसका आफिस आप खोलें।

हमारे नार्थ बंगाल में पासपोर्ट आफिस नहीं है। आप जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी या कूच बिहार में पासपोर्ट का आफिस खोलें। बंगलादेश के लोग यहां काफी आते-जाते हैं। उनको पासपोर्ट लेना पड़ता है। कलकत्ता जाने में उनको बहुत तकलीफ होती है। सरकार को जो अच्छा लगे, वैसा कुछ करे लेकिन नार्थ बिहार में पासपोर्ट आफिस खोलना बहुत जरूरी है। इसमे खर्चा ज्यादा नहीं होगा। सीजन शुरू हो गया है और देश-विदेश में आना-जाना शुरू हो गया है। इसलिए पासपोर्ट बनाने मे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना ही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर केवल कुछ बातें कहना चाहता हूं।

जनता की एक शिकायत पासपोर्ट जारी करने मे विलम्ब होने के बारे में है। कुछ विलम्ब प्रशासनिक कारणों से भी होता है। मेरा पहला सुझाव यह है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्रों की प्रति डाकघरों के जरिए भी की जाए। मैं नहीं जानता कि इसमें कोई कठिनाई है। मौजूदा समय में यदि किसी व्यक्ति को पासपोर्ट के लिए आवेदन करना है तो सबसे पहले उसे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से पासपोर्ट आवेदन प्रपत्र प्राप्त करना होगा। अतः मेरा पहला सुझाव यह है कि सरकार को विभिन्न डाकघरों के माध्यम से पासपोर्ट आवेदन-प्रपत्रों का वितरण करने की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे कुछ ऐसे मामलों की जानकारी है, जिनमें पुलिस सत्यापन और चरित्र सम्बन्धी क्लीयरेंस देने में तीन वर्ष से अधिक समय लगा। पासपोर्ट के लिए यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको चरित्र क्लीयरेंस प्राप्त करना आवश्यक है, और उसे पुलिस से प्राप्त करना आवश्यक है। पुलिस सत्यापन में लगभग तीन वर्ष का समय लगता है। मुझे ऐसे बहुत से मामलों की विस्तृत जानकारी मिली है जिनमें पासपोर्ट लेने में कम से कम तीन वर्ष लगे और विदेश जाने का उद्देश्य सफल नहीं हो सका था। अत यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाना आवश्यक है कि पुलिस सत्यापन और चरित्र क्लीयरेंस दो या तीन माह अथवा युक्तिसगत समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त हो।

विद्यार्थियों के पासपोर्ट का मामला लीजिए। भारतीय विद्यार्थी अध्ययन के लिए बाहर जाते हैं। मेरे पास कुछ शिकायतें ऐसी आई है जिनके अनुसार विद्यार्थी समय पर पासपोर्ट प्राप्त नही कर सके जिसके परिणामस्वरूप वह किसी विशेष शैक्षणिक सत्र मे शामिल नहीं हो सके और उन्हें अगले छह से आठ महीने तक इन्तजार करना पड़ा। मैं मंत्री महोदय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि जहां तक विद्यार्थियों के पासपोर्ट का सम्बन्ध है उनके मंत्रालय का कतिपय विशेष प्रबन्ध किए जाने चाहिए ताकि विद्यार्थी यथाशीघ्र पासपोर्ट प्राप्त कर सकें।

महोदय पहले एक घोषणा की गई थी कि दक्षेस देशों के संसद सदस्यों को इन देशों का दौरा करने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। हमें इस व्यवस्था को केवल संसद सदस्यों तक ही सीमित क्यों करना चाहिए? यदि हम यह चाहते हैं कि इन देशो में लोगो के बीच आपसी सम्बन्ध बनें तो हम इस व्यवस्था को थोड़ा उदार क्यों नहीं बनाते। अतः मैं सुझाव देता हूं कि दक्षेस देशों में इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिनसे इन देशों के लोग यथा कम समय में एक देश से दूसरे देश में आ-जा सकें।

अन्त में, मैं आग्रह करता हूं कि पासपोर्ट जब्त करने के लिए एक प्रावधान है। हमें इसमें भी संशोधन करने की जरूरत है। पासपोर्ट जब्त करने का क्या लाभ है? यदि आपको श्री विन चड्ढा का मामला याद हो तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। इसके बावजूद भी वह देश से बाहर भाग गए थे। अतः यदि पुलिस सत्यापन और चरित्र क्लीयरेंस को बहुत अधिक चौकस बना दिया जाता है तो पासपोर्ट जब्त करने की इस आवश्यकता को बहुत हद तक कम करना होगा। इन्हीं शब्दो के साथ मैं समझता हूं कि सरकार समुचित कार्रवाई करेगी ताकि लोगों की शिकायतों को यथाशीघ्र दूर किया जा सके।

श्री ओस्कर फर्नान्डीज (उडीपी) : सभापति महोदय, मैं इस विधान को लाने के लिए माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं यह विधान काफी लम्बे समय से अतिदेय था। यह बहुत समय से अतिदेय है क्योंकि मैंने देखा कि पूरे देश मे उन बहुत से लोगों को जो विदेश जाना चाहते है और जिन्होंने पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रखा है उन्हें समय पर पासपोर्ट नही मिल रहे है। अतः मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिनसे लोगों को अपने पासपोर्ट जल्दी प्राप्त कर पाना संभव हो सकेगा। एक कारण यह बताया गया है कि हमारे पासपोर्ट कार्यालयों मे कर्मचारियो की संख्या कम है। पासपोर्ट कार्यालयों में पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। यद्यपि हम इस मुद्दे को सदन में कई बार उठा चुके है और हमें आश्वासन

भी दिए गए थे कि पांच सप्ताह के भीतर पासपोर्ट जारी किए जाएंगे परन्तु आज तक इस सम्बन्ध में स्थिति बहुत खराब है। मेरे अपने राज्य कर्नाटक में लोगों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के नौ महीने बाद भी पासपोर्ट नहीं मिल रहे हैं।

महोदय, इसकी विशेष समस्या भी है जैसा कि मेरे मित्र श्री मुरलीधरन ने बताया है। हमारे लोगों के लिए विदेशों में जाकर वहां काम करने के बहुत से अवसर है। आज हमारे देश में वास्तव में विदेशी मुद्रा की समस्या है और हमारे देश को इस संकट से बचाने के लिए जो लोग आगे आए वे लोग वो थे जो विदेशों में काम कर रहे हैं और 5,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा के रूप में अपने देश भेज रहे हैं और जब ऐसी स्थिति हो और जब बहुत से लोग विदेश जाना चाहते हों तो मैं समझता हूं कि हमें आपातकालीन आधार पर पासपोर्ट जारी करने चाहिए ताकि हमारे जिन लोगो को विदेश जाने का अवसर मिल रहा है उन्हें रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

कुछ देशों में एक आवश्यकता यह है कि वीजा जारी करने से पहले पासपोर्ट सम्बन्धी ब्योरे प्रस्तुत किए जाने होते हैं। जब लोग पासपोर्ट कार्यालय आते हैं और बिना बारी के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के लिए कहते हैं तो पासपोर्ट अधिकारी को निदेश हैं कि जिस आवेदक के पास वीजा है उसे बिना बारी के आधार पर पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। परन्तु समस्या यह है कि लोगों को पासपोर्ट के ब्योरे के बिना वीजा नहीं मिल रहा है। अतः ऐसे मामलों में कुछ ढील दी जानी चाहिए।

लोगों के बहुत अधिक संख्या में मध्यपूर्व और अन्य देशों में जाने के कारण केरल में तीन पासपोर्ट कार्यालय हैं। कर्नाटक मे केवल एक पासपोर्ट कार्यालय है। एक आश्वासन दिया गया था कि दक्षिण कन्नड़ जिले में एक पासपोर्ट कार्यालय खोला जाएगा। मेरे सहयोगी श्री धनन्जय कुमार, मंगलौर का उल्लेख कर रहे थे। मंगलौर मेरा भी जिला है। उत्तर कन्नड़ जिले में भी बेलगाम में एक पासपोर्ट कार्यालय होना चाहिए ताकि कर्नाटक से रोजगार के लिए बहुत बड़ी संख्या में दूसरे देशों को जा रहे लोगों को यह सुविधा मिल सके। अन्यथा उन्हें रातों-रात बस द्वारा बेंगलूर जाने के लिए अपने आने-जाने के बस किराए के रूप में और वहां रहने के लिए कम से कम 500 रुपये खर्च करने होंगे। इस काम में एक तरह से लोगों की सहायता करने के लिए एजेंट है परन्तु ऐसी भी शिकायतें मिली है कि वे लोगों का शोषण करते हैं। अतः जैसा कि पहले आश्वासन दिया गया है यदि हम और अधिक कार्यालय खोलने में समर्थ हो पाते है तो इससे लोगों को सहायता मिलेगी और उन्हें पासपोर्ट शीघ्र मिल सकेंगे।

5.00 म० प०

प्रक्रिया का सरलीकरण दूसरा मामला है। इस सम्बन्ध में एक प्रावधान है कि यदि पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र एक महीने तक नहीं किया जाता है तो पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट जारी कर सकता है। परन्तु नौ, दस, बारह महीने के बाद भी पासपोर्ट जारी नही किए जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होती है। अतः इस प्रक्रिया को सरल बनाना होगा। अब प्रश्न यह है कि क्या पासपोर्ट आवेदन पत्र को स्वयं ही पुलिस अधिकारी को प्रस्तुत

किया जा सकता है जहां पर वह इसे सत्यापित कर सकता है और इसे पासपोर्ट कार्यालय को भेज सकता है। इस बात पर भी विचार किया जाना है कि वह इसे टेलेक्स से भेज सकता है। मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया को सरल बनाना होगा।

ऐसे भी मामले हैं जिनमें पासपोर्ट बिना बारी के जारी किए जाने की आवश्यकता है। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा कि यदि सरकार यह कहे कि बिना बारी के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के लिए 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। मुझे मालूम है कि जिन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी मंजूर हुई थी वे इसे ले नहीं पाए क्योंकि उन्हें समय पर पासपोर्ट जारी नहीं किए गए। उन्हें अपनी छात्रवृत्ति गंवानी पड़ी। पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब होने के कारण बहुत से लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ा। सरकार जो भी उचित प्रभार वसूल करना चाहे यह एक अच्छा प्रावधान है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि कितना शुल्क निर्धारित किया जाए। ऐसा इसलिए है कि हर समय यह जरूरी नहीं है कि वह अनुमति लेने के लिए संसद में आए। इस विधेयक ने संसद के समक्ष आने में खुद ही काफी अधिक समय लिया है। हमने इस मामले को उस समय उठाया था जब श्री माधव सिंह सोलंकी विदेश मंत्री थे। वह इस बात के लिए सहमत हो गए थे परन्तु यह विधेयक छह महीने के बाद आया है।

मंत्री महोदय इसे अधिसूचना के द्वारा किया जा सकता है और अधिसूचना की प्रति सभा पटल पर रखी जा सकती है। अगर आप वाद-विवाद करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं और इस पर चर्चा कर सकते हैं। केवल फीस निर्धारित करने के प्रश्न पर मंत्री महोदय के बार-बार सभा में आने से लोगों के प्रति हमारी सेवाओं पर प्रभाव पड़ेगा। अतः, मेरे विचार में जो व्यवस्था की गई है, वह बिल्कुल ठीक है तथा लोगों के हित में है। यह सत्ता प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है। यह समस्या से सम्बन्धित प्रश्न है। पिछले छह महीनों से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमें आश्वासन दिया गया था कि विधान लाया जायेगा। लेकिन विधान लाने में छह महीने लग गए हैं। यह व्यवस्था लोगों की सहायता करने के लिए की गई है।

कई बार पासपोर्ट के लिए प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के बंडल को तीन या छह महीनों के उपरांत खोला जाता है और लोगों को बताया जाता है कि कुछ जरूरतें पूरी नहीं की गई हैं और फिर उन्हें वापिस कर दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि जब भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं, उनकी तत्काल छानबीन की जानी चाहिए और लोगों को यह तुरन्त बताया जाना चाहिए कि कुछ आवश्यकताएं उसमें पूरी नहीं की गई हैं। छह महीने बाद अन्तिम स्थिति में पासपोर्ट जारी करते समय प्रार्थनापत्र की छानबीन की जाती है और कहा जाता है कि यह आवश्यकता उसमें पूरी नहीं की गई है। इसी कारण से विलम्ब होता है और आवेदकों को न्याय नहीं मिल पाता है। इसीलिए अपेक्षित छानबीन तुरन्त की जानी चाहिए।

अब मैं बंगलौर के कार्यालय का जिक्र कर रहा हूं। यह अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है, लेकिन वहां कुछ मुश्किलें हैं। प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में लोग लाइनों में लगे इन्तजार करते रहते हैं। यहां तक कि सुबह पांच बजे भी लोग प्रतीक्षा में खड़े होते हैं। प्रतिदिन केवल 200 व्यक्तियों को अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि और अधिक लोगों से निपटने में अधिकारी शायद

समर्थ नहीं हैं। यहां तक कि लाइन में लोगों के खड़े होने के लिए भी वहां कोई स्थान नहीं है। कार्यालय के अन्दर भी कोई स्थान नहीं है। हमारे बंगलौर पासपोर्ट कार्यालय के लिए एक नई जगह मिलनी चाहिए। अधिक लोगों से निपटने के लिए तथा इन प्रार्थनापत्रों को देखने के लिए कुछ सरली-करण किया जाना आवश्यक है। अधिक स्टाफ की आवश्यकता है, कम्प्यूटरीकरण भी आवश्यक है, ताकि वहां स्थायी रिकार्ड हो तथा इससे छानबीन में भी आसानी होगी। इंडेक्स भी व्यवस्थित रूप में रखा जा सकता है। मेरे विचार में आपको ये सुविधाएं हमारे बंगलौर कार्यालय को देनी चाहिए।

देश के अन्य भागों से और शायद हमारे राज्य से भी भारी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री से संसद सदस्यों का एक दल विभिन्न राज्यों की राजधानियों में, जहां कहीं भी पासपोर्ट कार्यालय हैं, भेजकर वहां के आवेदकों की समस्याओं का पता लगाने के लिए लोगो से सम्पर्क स्थापित करने का अनुरोध करूंगा, ताकि आने वाले समय में इन सभी समस्याओं को दूर करने में समर्थ हो सकें।

श्री एस० एस० आर० राजेन्द्र कुमार (चिंगलपट्टू): सभापति महोदय, मैं अखिल भारतीय अन्ना-द्रमुक की ओर से पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक, 1992 पर चर्चा मे भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

इस बिल में पासपोर्ट प्रार्थना-पत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार को फीस निर्धारित करने की सामान्य शक्ति प्रदान करने की व्यवस्था है। यह विधेयक पासपोर्ट प्राधिकारियों को अल्पावधि के लिए जारी पासपोर्ट की आगे अवधि बढ़ाने के लिए, जो कि सांविधिक निर्धारित समयावधि से अधिक न हो, शक्ति भी देता है। दण्ड-व्यवस्थाओं को भी और अधिक कठोर बनाया जा रहा है। मैं इस उपाय का समर्थन करता हूं।

लेकिन कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। प्राक्कलन समिति ने पासपोर्ट से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर एक ही कानून लागू करने की सिफारिश की है। अभी तो पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अनुसार मामले देखे जाते हैं। समिति ने संघ शासित द्वीप समूहों में तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की सिफारिश की है। ये सभी रचनात्मक सुझाव हैं जिन्हें सरकार को अवश्य मानना चाहिए।

सरकार ने प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अब प्रार्थना पत्र—फार्म आवेदक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पासपोर्ट कार्यालयों को पांच सप्ताह के भीतर पासपोर्ट जारी करने के लिए निदेश दिए गए हैं। कुछेक मामलों में अब पुलिस प्रमाणीकरण की जरूरत नहीं रह गई है। वास्तव में इन सभी कदमों से विलम्ब से कार्य होने के मामलों में कुछ कमी आयेगी।

लेकिन बहुत सी चीजें अभी की जानी हैं। पासपोर्ट जल्दी से जल्दी जारी करने के लिए पासपोर्ट जारी करने की विधि का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा। प्रार्थना पत्रों की छानबीन करने और पासपोर्ट जारी करने के कम्प्यूटर आधारित राष्ट्रीय-कार्यक्रम के माध्यम से गलत जानकारी देकर पासपोर्ट प्राप्त करने वाले आवेदकों को रोका जा सकता है। यह सुविधा पासपोर्ट को शीघ्र पढ़ने के

लिए भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसमे न केवल आवेदकों बल्कि पासपोर्ट कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली धृष्टता को कम किया जायेगा। समाचार पत्रों में मद्रास के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आवेदकों को वहां के कर्मचारियों द्वारा परेशान किए जाने के समाचार प्रकाशित हुए हैं। फाइलों को जानबूझकर गायब किया जाता है और जब तक रिश्वत नहीं दी जाती, तब तक फाइलों को नहीं निकाला जाता। इससे पासपोर्ट चाहने वालों को बहुत अधिक असुविधा होती है। पासपोर्ट कार्यालयों के कर्मचारियों की शरारत के कारण बहुत सा समय और ऊर्जा बेकार जाती है। मैं चाहता हूं कि मद्रास क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये। यह समाचार 13 अगस्त, 1992 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ है। माननीय मंत्री कृपया आवश्यक कार्यवाही करें और इस सम्माननीय सभा को सूचित करें। पासपोर्ट कार्यालयों से यह धोखाधड़ी दूर होनी ही चाहिये।

पासपोर्ट कार्यालयों में लम्बी लाइनों से बचने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों में और अधिक काउण्टर खोले जाने चाहिएं और प्रक्रियाओं को सरल किया जाना चाहिए तथा आवेदकों को अपने पासपोर्ट जारी होने की प्रगति के बारे में एक ही स्थान से जानकारी मिलनी चाहिए। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं दौड़ना चाहिए।

पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल करने के कार्य का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है कि पुलिस-प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है तथा भारत सरकार में उप-सचिव, राज्य सरकार में संयुक्त सचिव अथवा उप-मण्डलीय न्यायाधीश अथवा पुलिस महा-निदेशक से प्राप्त सत्यता प्रमाणपत्र ही काफी है। यह गलत तरीका है और इससे पुनः धोखाधड़ी उत्पन्न होगी। प्रत्येक पुलिस थाने में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस-प्रमाणीकरण अवश्य किया जाना चाहिए। उसको निर्देशित किये जाने वाले सभी मामलों की रिपोर्ट उसे प्रतिदिन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को देनी चाहिए। इसमें ढील नहीं बरती जानी चाहिये।

जहां तक पासपोर्ट प्राप्त करने की शर्तों का सम्बन्ध है, मौजूदा नियमों का उदारीकरण किया जाना चाहिए। नियम रुकावट उत्पन्न करने के स्थान पर अनुमति प्रदान करने वाला होना चाहिए। मनुष्य के स्वतन्त्र कार्यकलाप उसके विकास का सूचक है। देश में वस्तुओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए हमें अपनी सीमाओं और सीमा-शुल्क प्रणाली को मजबूत करना होगा। 'कोफेपोसा' तथा अन्य आर्थिक अपराधियों को पासपोर्ट नहीं दिया जाना चाहिए अथवा अगर उनके पास पासपोर्ट हो तो उसे जब्त कर लेना चाहिए, ताकि विदेशी यात्राओं और आर्थिक अपराधों को अलग किया जा सके। मैं सरकार से इस उद्देश्य के लिए कानून में संशोधन करने का अनुरोध करता हूं।

विदेशों में अध्ययन के लिए तथा तीसरी दुनिया के देशों के लिए पासपोर्ट प्रार्थना-पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर अनुमति दी जानी चाहिए। तीसरे विश्व के देशों में उद्यम स्थापित करने के लिए कम्पनी प्रार्थना-पत्रों की नई योजना को तुरन्त स्वीकृति दी जानी चाहिए। तीसरे विश्व के देशों में काम करने के लिए भेजे जाने वाले व्यक्तियों की सम्पूर्ण सूची देने वाली कम्पनी से विशेष फीस वसूल की जा सकती है। इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि भारत के साथ-साथ तीसरे विश्व के देश भी फल-फूल सकें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, मंत्री जी द्वारा जो पारपत्र अधिनियम में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यद्यपि यह देखने में बहुत छोटा है, परन्तु इसका बड़ा व्यापक प्रभाव होने वाला है।

5.11 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान पारपत्र कार्यालयों की जो व्यवस्था है, वह संतोषजनक नहीं है। मैं मध्यप्रदेश के भोपाल स्थित पारपत्र कार्यालय के बारे में बताना चाहूंगा कि एक छोटा सा, मुश्किल से 2 कमरे का यह कार्यालय है, जहां पर यह सारा कार्य होता है। न वहां पर बैठने का समुचित स्थान है और न ही अन्य साधन उपलब्ध हैं। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता पारपत्र कार्यालयों को सुधारने की और वहां पर उचित व्यवस्था करने की है, ताकि जो लोग इस कार्यालय में जाएं, उनको आवश्यक सुविधाएं और उचित व्यवहार मिल सके।

इसी तरह से जो शुल्क पारपत्र पुस्तिका का बढ़ाया जा रहा है, वह भी अनिश्चित है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कितना शुल्क बढ़ाया जाएगा, किसलिए शुल्क बढ़ाया जाएगा, कागज कैसा होगा, स्टेशनरी कैसी होगी, क्या आप बहुत अच्छी स्टेशनरी का उपयोग करना चाहते हैं, इसके बारे में आपने सारे अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे हुए हैं, शुल्क बढ़ाने के बारे में असीमित अधिकार आपने आपने पास रखे हैं, इस अधिनियम के द्वारा जो असीमित शक्तियां आप प्राप्त करने जा रहे हैं, वे मैं समझता हूं कि उचित नहीं हैं। इसके बजाए आप तय कर देते कि 50 रुपया, सौ रुपया डेढ़ या ढाई सौ, इतना शुल्क आप बढ़ाने वाले हैं, तो यह ठीक रहता।

इसी तरह से इस अधिनियम के अन्तर्गत आप कुछ ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं या ट्रेवल एजेंसियों को अधिकृत करने जा रहे हैं जो पारपत्र के बारे में व्यवस्था कर सकती हैं, मांग कर सकती हैं। आज ही मेरे पास एक ऐसे सज्जन आए, जिन्होंने चांदनी चौक स्थित एक एजेंसी से पासपोर्ट और वीजा के लिए कहा था। उस संस्था ने पैसे लेने के बाद सिर्फ पासपोर्ट की फोटोस्टेट प्रति दी है। जब ये सज्जन उस संस्था द्वारा बताए गए पते पर चांदनी चौक गए तो उस पते पर उस नाम की कोई संस्था नहीं थी। मैंने उनको आज फिर बुलाया है और कहा है कि आप आ जाइएगा, यदि कोई मदद संभव हो सकेगी तो मैं अवश्य करूंगा। मैं समझता हूं कि इस तरह की जो धोखाधड़ी होती है, इसको भी रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ट्रेवल एजेंसियां रजिस्टर्ड हों, और इनकी जानकारी सभी को हो।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है तो फिर हम कैसे इस विषय पर बोलें ?

उपाध्यक्ष महोदय : पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट बनवाइए।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे पारपत्र बनाने की विधि को और सरल बनाएं । आज पुलिस वेरीफिकेशन में बहुत समय लग जाता है, हालांकि आपने समय घटाया है, लेकिन पुलिस वेरीफिकेशन मे 6-7 महीने भी लग जाते हैं और वेरीफिकेशन नहीं होता है । इसलिए इस प्रणाली को सरल बनाया जाए तो अच्छा होगा, ताकि यथा समय लोगों को पासपोर्ट प्राप्त हो सके क्योंकि कई बार तात्कालिक रूप से बीमारी या अन्य कार्य हेतु जाना होता है । ऐसे व्यक्ति, जिनके बारे में कोई संदेह नहीं है, उनके लिए किसी प्रकार के पुलिस वेरीफिकेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और तत्काल उनको पासपोर्ट प्राप्त होना चाहिए ।

हाल ही में एस्टीमेट्स कमेटी ने पासपोर्ट व्यवस्था के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं, मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय उन सुझावों को देखें और उनके अनुसार पासपोर्ट कार्यप्रणाली में कुछ सुधार करने का कष्ट करें । उन सुझावों को मद्देनजर रखते हुए यदि पासपोर्ट कार्यालयों में सुधार करने की व्यवस्था करेंगे तो अच्छा होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत छोटा सा है, इसकी जो पीनल क्लाजेज हैं, उनके अन्तर्गत आपने सजा की अवधि को बढ़ाया है । जिसमें आप सजा देंगे, उसके लिए राशि बढ़ाई है । कई और संशोधन और जरूरी हैं उसके साथ ही साथ जो इसके अन्यान्य एक्ट है वह भी इसके साथ लागू होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन आफ फारेनर्स एक्ट, एनीमी एक्ट और फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हैं उन सबको समवेत करके कम्प्रीहेंसिव बिल लाने का प्रयत्न करें ताकि जो अन्यान्य संबंधित विषय हैं वे भी ठीक हो सकें । इस दृष्टि से कि ठीक, सुविधाजनक रूप से, सम्मानजनक रूप से जो नागरिक यहां से जाना चाहते हैं, उनको पासपोर्ट मिले, इस प्रकार की व्यवस्था आप करेंगे तो मैं समझता हूं कि पासपोर्ट से संबंधित जो विधेयक है, जो संशोधन इसमे आप लाए हैं, वे संशोधन हितकारी होंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मेरे सुझावों के ऊपर आप अवश्य ध्यान देंगे, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : डिप्टी स्पीकर साहब, आज हमारे देश के सामने बेरोजगारी सबसे गम्भीर समस्या है । बेरोजगारी को मिटाने के लिए सरकार बहुत योजनाएं बनाती है, हर तरह की चिन्ता करती है । इस सदन के अन्दर भी बहुत बार हमने गम्भीरता से चर्चा की थी और करते रहते हैं, लेकिन जो नौकरी पाने के लिए मौका मिलता है, उसमें हम बाधा डाल रहे हैं । विदेशों में नौकरी मिलने का मौका नवयुवकों को मिलता है और अन्य लोगों को मिलता है । मैं यह सोचता हूं कि हम जानबूझ कर उसको सुविधा नहीं देते हैं । हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने पासपोर्ट एप्लीकेशन के बारे में कहा । हर गांव में पासपोर्ट एप्लीकेशन्स नहीं मिलती है । दूर-दराज के इलाकों में लोगों को परेशानी होती है । वे सोचते हैं कि कैसे एप्लीकेशन फार्म मिल जाए । जब फार्म मिल जाता है तो वे उसको जमा करते हैं, लेकिन महीनों तक इन्तजार करना पड़ता है उनको पासपोर्ट नहीं मिलता ।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि आप चाहे 1000 रुपये फीस कर दीजिए, लेकिन समय पर पासपोर्ट मिल जाए ताकि लोग बाहर जा सके और उनको काम करने का मौका मिल सके । हमारे अन्य मित्रों ने अभी बताया, मैं केरल के बारे में बताना चाहता हूं । हमारे केरल के मित्र एक-दो साल इन्तजार करते रहते हैं, अन्त में दो साल बाद उनको पासपोर्ट मिलता है । कोचीन, त्रिवेन्द्रम

और कालीकट मे पासपोर्ट आफिसस होते हैं उनके आफिस में कोई सुविधा नहीं हैं। जितनी भी एप्लीकेशन्स वहां जाती हैं उनकी एन्टरी करने के लिए लोग नहीं हैं, स्टाफ की कमी बहुत ज्यादा है। जैसे कम्प्यूट्राइजेशन की बात है, चाहे आप कप्यूटराइज कर दीजिए या ज्यादा स्टाफ देने की व्यवस्था कर दीजिए अन्यथा पासपोर्ट समय पर नहीं मिल सकेगा। आज हमारे प्रदेश में एस०पी० और गवर्नमेंट सैक्रेटरी को और कोई काम नहीं रहता है, केवल लोगो का पासपोर्ट एप्लीकेशन साईन करने का काम रहता है। ला एण्ड आर्डर प्रोब्लम देखने के लिए पुलिस आफिसर को समय नहीं मिलता है। इसमे एप्लीकेशन फार्म उनको हर दिन मिलते हैं, उनको साईन करना ही उनका काम होता है। इसके लिए कोई व्यवस्था हो, इस बारे में सोचना चाहिए।

यहां सुझाव आया था कि एम०एल०ए० और एम०पी० को साईन करने की पावर दे दें। इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। मैं कहता हूं इसके लिए व्यवस्था कीजिए। आज केरल में पुलिस आफिसर्स अन्य काम नहीं कर पाते हैं। सवेरे से दफ्तर के सामने क्यू लग जाती है। वे लोग उनका काम देखते हैं, अन्य कोई काम नहीं कर सकते हैं। चाहे एम०पी० को और एम०एल०ए० को साईन करने की अनुमति दे दीजिए या अन्य व्यवस्था के बारे में सोचिए। आजकल क्या होता है लोग एस० पी० के पास जाते हैं, एस० पी० पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन भेज देते है, महीने-महीने तक इन्तजार करना पड़ता है। पुलिस वेरिफिकेशन होती है, पासपोर्ट आफिस मे जमा होता है, लेकिन समय पर नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है मन्त्री महोदय से कि इसके लिए कुछ अलग व्यवस्था के बारे में वे सोचें। पासपोर्ट मिलने में जो भी दिक्कत होती है उसको दूर करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाए। केरल में अभी दो पासपोर्ट कार्यालय हैं। एक कालीकट में और दूसरा त्रिवेन्द्रम में, लोगों की मांग के अनुसार एक और कार्यालय की जरूरत है। कोट्टायम जोकि हिली एरिया है और वहां कोच्चि, पट्टनोगट्टा, इडूकी इन तीन-चार जिलों के लोगों के लिए एक पासपोर्ट कार्यालय और खोला जाए। मैं मांग करता हूं कि कोट्टायम में जोकि मेरा चुनाव क्षेत्र भी है वहां भी दफ्तर खोला जाए।

आज पासपोर्ट की अवधि दस साल है उसके बाद यह रिन्यू होता है। मेरा निवेदन है कि इसको पन्द्रह साल कर दिया जाना चाहिए। जिससे लोगों को आसानी होगी। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं अन्त मे मैं आपके द्वारा मन्त्रीजी से मांग करता हूं कि पासपोर्ट फार्म मिलने के लिए और पासपोर्ट मिलने के लिए जो समस्या या दिक्कत है उसको दूर करने के लिए कदम उठायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मै आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हू।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (*दरभंगा*) : जनाबे सदर, बहुत सारे साथियों ने इस बिल पर अपने नजरिए को रखा है। इस बिल के हम न तो खिलाफ मे खड़े हुए हैं और न ही फेवर मे खड़े हुए हैं। मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं।

जो फीस का मामला है मैं समझता हूं जितनी फीस आप नहीं लेते होंगे उससे सौ गुनी ज्यादा पासपोर्ट आफिस वाले वसूल कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह लेट की है। वह इस चीज का फायदा उठाते है और कहते हैं कि तुम्हारा पासपोर्ट बहुत कम समय मे इश्यू हो जायेगा। अगर तुम

पांच या दस हजार रुपया दे दो, यह तो कम से कम है, ज्यादा की तो सीमा ही नहीं है। मैं इसके बारे में आपको पहले खत लिख चुका हूं। जिसके जवाब में आपने लिखा था कि बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज जितने भी आपके क्षेत्रीय कार्यालय है पूरे देश में उनमें जिस तरह से पासपोर्ट की लाइन लगती है और जितना स्टाफ आपके पास है उसके हिसाब से पासपोर्ट कम से कम डेढ़ साल से पहले रिलीज होने वाला नहीं है। मैंने खत में सुझाव दिया था उसको यहीं पर उजागर करना चाहता हूं। इस तरह की प्रोसीजर बनाया जाए कि जिलाधीश के आफिस में या जिले के कमिश्नर के कार्यालय में इसकी व्यवस्था हो। आप कमिश्नर को या डी०एम० को आथोराइज्ड कर दें वहीं एप्लाई किया जाए, पुलिस का विभाग भी वहीं मोजूद है वहां से सुपरविजन हो जाएगा, डी०एम० के हस्ताक्षर हो जायेंगे और आपके क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पहुंच जाएगा। मैं समझता हूं अगर इसका इस्तेमाल किया जाए। तो यह जो एक प्राब्लम होती है कि पहले फार्म रीजनल आफिस गया, फिर वहां से डिस्ट्रिक्ट को जाता है, तब इंस्पेक्टर को लिखा। इस तरह से एक प्रोसेस शुरू होता है लेकिन ऐसा न होकर पासपोर्ट बनाकर रीजनल पासपोर्ट आफिस से डी०एम० के पास भिजवा दें तो लोग वहां रिसीव कर लेंगे।

उपाध्यक्ष जी, आपको याद होगा, पिछले दिनों कुवैत के अन्दर कैफियत पैदा हो गयी थी जिसमे हिन्दुस्तानियों को बगैर पास पोर्ट के आना पड़ा जिसकी वजह यह थी कि किसी का पासपोर्ट सरकार के पास रह गया, कुछ कम्पनियों के आनर्स के पास रह गया। इतने दिनों के बाद भी सारे मामलों में पासपोर्ट इश्यू नहीं हो पाया है। कम से कम यह डायरेक्टिव दिया जाए कि यदि रीजनल पासपोर्ट आफिस के पास कोई प्रूफ है कि वह व्यक्ति वहां मोजूद था और उसकी नौकरी वहां दुबारा मिलने वाली है, तो उसकी खबर ली जाए ताकि जो लोग कुवैत से निकल आये थे, उनको पासपोर्ट जल्दी दिया जा सके।

उपाध्यक्ष जी, मैं गल्फ कंट्रीज में रहा हूं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जाब वीजा मोजूद है, उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वह वहां के एम्प्लायर की इन्तजार नहीं करेगा, वह दूसरी जगह ले लेगा। तो उनको शीघ्र ही पासपोर्ट मिलना चाहिए। अभी मेरे पास रूस का केस आया। ताजिकस्तान में पढ़ने के लिए कश्मीर के कुछ लड़के मेरे पास आए कि वे दिल्ली में पासपोर्ट के लिए एप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। उनका मैडिकल का दाखिला रह जाएगा, इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स को अलग से पासपोर्ट दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स वहां पर तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके पास प्रूफ है कि उनको बाहर तालीम हासिल करने का मौका मिल रहा है, अच्छे कोर्स में आ रहे हैं तो तुरन्त पासपोर्ट दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक सजेशन और है कि आज तीन तरह के पासपोर्ट—डिप्लोमैटिक, आफिशियल, नार्मल—इश्यू किए जाते हैं। अगर आप एम्प्लायमेंट और एजूकेशन के लिए अलग से पासपोर्ट इश्यू कर दें और उसकी वेलिडिटी आगे कर तो जिस मुल्क में वह जायेगा, वहां बढ़वा लेगा ताकि काम फास्ट हो सके। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा काम होगा। जैसाकि श्री नीतीश जी ने कहा कि बहुत सारे एमपीज होते हैं जिनको बाहर के मुल्कों से इन्विटेशन आता है तो मैं चाहता हूं कि साल के शुरू में या जब वह एम०पी० बनकर आता है तो उसको एक पासपोर्ट स्पाऊज का इश्यू कर दिया जाए क्योंकि जब एम०पी० चुनकर आता है तो उनका फोटो खींचा जाता है और उसी समय ही

पासपोर्ट के लिए एक फोटो खिंचकर चला जाए और आईडेंटिफिकेशन कार्ड की तरह पासपोर्ट भी बनकर उसको मिल जाए। एक एम०पी० ने सवाल यह भी उठाया कि एम०पी० के बच्चों को भी पासपोर्ट दिया जाए तो जो 19-20 साल के बच्चे हों उनको भी उसमें डाल दिया जाये तो मूव होने में आसानी होगी।

इन्हीं चन्द बातों के साथ जो मैंने सजेशन्स दिए हैं, आशा है कि उस पर अमल करने की कोशिश करें इसमें शामिल किये जायेंगे जिनमें एम्प्लायमेंट, स्टूडेंट्स के लिए अलग से प्रोसेस और डिस्ट्रिक्ट प्रोस सिस्टम को लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जो माननीय सदस्य मेरे से पहले बोल चुके हैं, उन्होंने अधिकांश मुद्दे उठा लिए हैं। इस विधेयक को सभा के सभी पक्षों की तरफ से समर्थन मिला है। इस विधेयक मे कोई भी विवादास्पद उपबन्ध नहीं है। केवल समर्थन देते हुए ही—कुछ सुझाव दिए गए हैं कि इसमें और सुधार कैसे किया जा सकता है। 5 उपबन्ध ऐसे हैं—जिनके सम्बन्ध में माननीय मंत्री संशोधन करना चाहते हैं। 5 में से एक नया उपबन्ध इसमें शामिल करने की बात है, जोकि ऐसे गैर-भारतीय नागरिकों को कठोर दण्ड देने से संबद्ध हैं जो पारपत्र बनाने के वक्त सही जानकारी छिपा कर अपराध करते हैं। बाकी 4 मौजूदा उपबन्धों के संशोधन से संबद्ध हैं।

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि आज विश्व दूरी के लिहाज से छोटा होता जा रहा है। आज इस बात की आवश्यकता है कि ज्यादा संख्या मे लोग विदेश जाए। हमारे देश मे ठीक ही कहा जाता है कि हम बेरोजगारी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। जब हम रोजगार उपलब्ध नहीं कर सकते हैं और बाहर नौकरी के अवसर मिलते हों तो हमे भी यह देखना चाहिए कि हम उनके विदेश जाने के रास्ते में नहीं आएं, जहां उन्हें नौकरियां दी जा रही हों। छात्र उच्च अध्ययन के लिए तकनीकी अध्ययन के लिए जाते हैं। शिक्षक, वैज्ञानिक और डाक्टर भी जा रहे है। रोगी अच्छे इलाज के लिए जा रहे हैं। कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनमें विलम्ब नहीं किया जा सकता है। इन्हें प्राथमिकता देनी होगी अर्थात जैसे रोगियों के मामलों में। लेकिन इस क्षेत्र में क्या होता है?

निःसंदेह भारत सरकार को इस समस्या के बारे में काफी जानकारी है, क्योंकि माननीय विदेश मंत्री ने कुछ माह पहले इस सभा में स्पष्ट रूप से कहा था कि इस कार्य में कैसे तेजी लायी जाए ताकि 5 सप्ताह के भीतर मामलों को निश्चित रूप से निपटा लिया जाये। लेकिन यह तो पूरी न होने वाली चाह ही बन कर रह गयी। वास्तव मे जो गंभीरता सरकार ने यहां दर्शायी है वह क्षेत्र में महसूस नहीं की जाती है। हो सकता है कि कुछ सार्थक कारण हो, जैसे कि कार्यालयों में उचित संख्या में कर्मचारी न हों।

दूसरे, कार्यालयों में एक और ध्येय से भी काम किया जाता है। तैयार पारपत्र मिलने की तो बात ही छोड़िए, राज्य में राजस्व निरीक्षक के प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए भी काफी समय लग जाता है। काफी पैसा भी खर्च होता है। जाति प्रमाणपत्र और वृद्धावस्था प्रमाणपत्र के मामले मे भी ऐसा ही होता है। जो लोग वृद्धावस्था पेंशन के योग्य होते हैं उनकी स्थिति भिखारियों वाली होती है।

सम्बन्धित अधिकारी उनका शोषण करने या उनसे पैसा वसूलने से बाज नहीं आते हैं। जब तक उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है और उनके हाथों को गरम नहीं किया जाता है तब तक कुछ मामलों में डाक्टरों द्वारा वय प्रमाणपत्र भी जारी नहीं किया जाता है। यही मानवता का स्तर है न केवल हमारे देश में बल्कि बाहर भी ऐसा है। मुझे वास्तव में इसके बारे में चिन्ता होती है। यह समाज किस दिशा में जा रहा है। हम किस तरफ जा रहे हैं?

जहां तक कर्मचारियों की बात है, अधिक क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय होने चाहिएं। उनमें उचित संख्या में कर्मचारी होने चाहिए अब मैं स्टेट्समैन में 1 मई, 1992 को छपे एक लेख के एक भाग को पढ़ता हूं :

"यह पता चला है कि कलकत्ता का क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय औसतन 350 आवेदन-पत्र रोज प्राप्त करता है जिनमे से 30 से 35 अविलम्बनीय प्रयोजन वाले होते हैं। 350 आवेदन पत्रों की जांच करना काफी बड़ा काय है तथा अविलम्बनीय पारपत्रों को जारी करना एक और मुश्किल कार्य है, क्योंकि उन्हें जल्दी बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा।

लगभग 200 आगन्तुकों से प्रतिदिन मिलना, पैसा प्राप्त करना, टेलेक्स संदेश तैयार करना, इनका और लेखों का रिकार्ड रखना, आवेदकों को जानकारी देना आदि से कार्यभार काफी बढ़ गया है, फिर भी कुछ पद अभी तक खाली है।"

हमारे यहां उच्च अर्हताप्राप्त युवक मौजूद है। केवल भारत सरकार को अधिक कर्मचारी उपलब्ध करने के लिए प्रावधान करना है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मुद्दे पर विशेष रूप से गौर करे।

समाप्त करने से पहले मैं एक या दो सुझाव दूंगा। इस सम्बन्ध में जो विभिन्न कानून हैं उनमें समन्वयता लाने की आवश्यकता है। इसके संबंध में विभिन्न कानून है, कम से कम एक से अधिक हैं। मुझे प्राक्कलन समिति का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस समिति ने विस्तार से इस पर गौर किया और एक रिपोर्ट पेश की। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस समिति की सिफारिशें जो कि 30 माननीय संसद सदस्यों के संयुक्त प्रयास का फल है को गंभीरता से लें।

संसदीय प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की है कि पासपोर्ट जारी करने के लिए इसके विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने के लिए मौजूदा दो कानूनों—पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की बजाय एक ही कानून बनाया जाए।

इस समिति ने लोक सभा में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में भारतीय पासपोर्ट अधिनियम को भारत में विदेशियों के प्रवेश को विनियमित करने वाले अन्य कानूनों और विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1946 से समन्वय रखने के बारे में भी विचार किया है।

मैं अन्य सिफारिशों पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि समिति ने न सिर्फ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के वास्तविक कार्यकरण में उनके रवैये से संबंधित सुधार करने के लिए कहा है बल्कि शिकायतों के निराकरण में सी०पी०वी० डिविजन की अधिक भागीदारी की

भी सिफारिश की है। उन्होंने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्तर पर शिकायत निराकरण तन्त्र को मजबूत करने और उसकी निगरानी रखने की अत्यधिक आवश्यकता की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है।

समिति ने एक और महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया है कि उसने गैर-सरकारी पासपोर्ट सलाहकार समितियां गठित करने और शिकायतों के निस्तारण के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की जाए।

हमने पुलिस जांच इत्यादि के लिए अब 5 सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित की है। यह लागू हो रही है। कुछ छूट भी दी गई हैं जो पुलिस जांच के अन्तर्गत नहीं आएंगी। यह ठीक है। लेकिन इसके साथ ही इसकी निगरानी के लिए इसी प्रकार का एक बोर्ड होना चाहिए।

अन्त में, मैं आपको अपना अनुभव भी बताता हूं। मैं नहीं जानता कि क्या इससे सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे। निःसंदेह श्री रमेश चेन्नीथला ने इसका समर्थन किया है। उनकी मांग है कि क्या सांसदों और विधायकों को इस कार्य में शामिल होने चाहिए। मैं इससे सहमत होने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं कर सकता। यह बहुत नाजुक और पेचीदा मामला है। पासपोर्ट जारी करने का यह मामला बहुत आसान मामला नहीं है। अनेक लोगों के लिए यह अच्छा और बहुत आसान है। लेकिन निःसंदेह आतंकवाद न सिर्फ भारत बल्कि बाहर भी हर जगह बढ़ रहा है। तस्कर भी हैं। वे भी देश के बाहर जाते हैं। तस्कर हमारे देश के अन्दर भी आ रहे हैं। हम इन लोगों का पूर्ववृत्त नहीं जानते। सांसदों और विधायकों को अपने मतदाता और सक्रिय समर्थक संतुष्ट करने की उत्सुकता में दस्तखत करने पड़ते हैं अथवा उन्हें दस्तखत करने के लिए बाध्य किया जाता है। आप एक व्यक्ति को नहीं जानते और यह कार्य भी पेचीदा है तब यह अच्छा होगा कि सांसद और विधायक इस कार्य से अलग रखे जाएं। इसके साथ ही और अधिक सख्त प्रावधान होना चाहिए ताकि जांच करने वाली पुलिस और अन्य अधिकारी अनावश्यक ही इस प्रक्रिया में देरी न करें और यदि उनकी रिपोर्ट गलत होती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मेरा यह सुझाव है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर निजी ध्यान दें और स्वीकार हो सकने वाले सुझावों को स्वीकार करें।

श्री दिलीप भाई संघानी (अमरेली) : महोदय, सभा मे कोरम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है—

अब कोरम है। अब माननीय सदस्य श्री के० सुरेश बोलें।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : महोदय, मैं पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक, 1992 का समर्थन करता हूं।

केरल में तीन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कार्यरत हैं। इन पासपोर्ट कार्यालयों को प्रतिदिन अनेक शिकायतें मिल रही हैं और प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में लाखों आवेदन लंबित पड़े हैं। इस प्रकार केरल में आवेदक अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैं माननीय विदेश मंत्री का ध्यान केरल में बेरोजगार युवकों की संख्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। केरल में रोजगार की जरूरत बहुत कम है।

इसलिए अधिकांश बेरोजगार युवक विदेशों विशेषकर खाड़ी देशों में जाने के इच्छुक हैं और इसके लिए उन्हें बिना विलम्ब पासपोर्ट चाहिए। केरल में एक व्यक्ति को पासपोर्ट मिलने में छह महीने से एक वर्ष तक का समय लग जाता है। विदेशों में कंपनियां विज्ञापन देती हैं और लोगों को एक निर्धारित समय में आने के लिए कहती है। लेकिन हमारे बेरोजगार युवक पासपोर्ट और वीजा के बगैर वहां पर नौकरी के लिए नहीं जा सकते। दुर्भाग्यवश उन्हें समय पर अपने पासपोर्ट नहीं मिलते हैं। जब इसमें इतना समय लगता है तो उससे उनके अवसर समाप्त हो जाते हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पासपोर्ट जारी करने में होने वाले इस प्रकार के विलम्ब को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए।

केरल के सभी पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, जबकि वहां अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि अनेक कर्मचारी जो केरल से बाहर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं, वे केरल जाने के लिए तैयार हैं। मेरा माननीय मन्त्री से अनुरोध है कि जो व्यक्ति केरल में पासपोर्ट कार्यालय में जाना चाहते हैं, उन्हे वहां जाने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार कर्मचारियों की कमी के कारण पासपोर्ट जारी करने मे होने वाले विलम्ब से बचा जा सकेगा।

वहां पासपोर्ट पुस्तिकाओं की भी बहुत कमी है। इस कारण भी पासपोर्ट जारी करने में विलंब होता है। इस विलम्ब से बचने के लिए पर्याप्त संख्या में पुस्तिकाएं छापी जाएं और उनकी आपूर्ति की जाए।

मैं वर्तमान नियमों के अन्तर्गत पालन की जा रही प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। उस अवधि की सूचना पर पासपोर्ट प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। पुलिस जांच की रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से देरी की जाती है। अत: यह नियम बनाना चाहिए कि पुलिस जांच की रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दी जाए।

वर्तमान नियमों में यह प्रावधान है कि यदि एक निश्चित श्रेणी के अधिकारियों द्वारा पासपोर्ट को प्रमाणित कर दिया जाता है तो पासपोर्ट पुलिस जांच के बिना ही जारी किया जा सकता है। अधिकारी इस प्रावधान का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके स्थान पर स्थानीय संसद सदस्यों को पासपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए और उसके बाद पुलिस जांच के बाद पासपोर्ट जारी किया जा सकता है।

मैं पासपोर्ट आवेदन प्रपत्र की उपलब्धता के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि यह आवेदन प्रपत्र सभी डाकघरों को भेज देने चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इन सभी मुद्दों पर विचार करेंगे और उन पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब को दूर किया जाना चाहिए। नियमों में यह प्रावधान करना चाहिए कि भारतीय नागरिकों को निर्धारित न्यूनतम अवधि के भीतर पासपोर्ट मिल जाएगा। पासपोर्ट प्राप्त करने में बहुत विलम्ब होने से लोगों को बहुत परेशानी होती है जिसे हर कीमत पर दूर किया जाना चाहिए।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने अन्त में यह महसूस कर ही लिया है कि पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों मे संशोधन करने की आवश्यकता है, ताकि जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते है वे कम से कम समय में अपना पासपोर्ट ले सकें।

महोदय, उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, "पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रशासन द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर यह आवश्यक माना गया कि उक्त अधिनियम के बेहतर प्रशासन के लिए इसमें संशोधन किया जाए।" लेकिन माननीय मंत्री ने यह विधेयक प्रस्तुत करते समय इस सम्माननीय सभा के ध्यान में यह बात नहीं लाई कि इस अधिनियम के प्रशासन में सरकार का क्या अनुभव है।

महोदय, जैसाकि नाम से स्पष्ट है कि पासपोर्ट जारी करना अनुमति देने का एक तरीका है। इसका साधारण अर्थ है एक बन्दगाह को पार करने की अनुमति देना। प्राचीन काल में लोग पोतों से ही यात्रा करते थे और जब वे बन्दगाह पार करते थे तो उन्हें पासों की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार पासपोर्ट की प्रथा प्रारंभ हुई। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास के परिणामस्वरूप लोग पर्यटकों के रूप में, उच्च शिक्षा के लिए, नौकरी के लिये और अपने संबंधियों, जो वहां बीमार हों, से मिलने अथवा अन्य कारणों से विदेश जाना चाहते हैं।

मेरा मूल प्रश्न यह है कि आप अनेक कारणों से लोगों को विदेश जाने से क्यों रोकना चाहते हैं ? मेरे विचार से इसमें आपत्ति तब होनी चाहिए जब कोई खराब चरित्र का व्यक्ति हो। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी यहां से भेज देना चाहिए, ताकि हम यहां शांति से रह सकें। मन्त्री महोदय, यह अच्छी तरह से जानते हैं कि केवल पासपोर्ट जारी करने से ही कोई व्यक्ति हकदार नहीं हो जाता है···

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इसका उल्टा हो।

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं अभी वही बता रहा हूं। केवल पासपोर्ट प्राप्त कर लेने से भारत का कोई नागरिक विदेश जाने का हकदार नहीं हो जाता है। उसे वीजा की भी आवश्यकता होती है। वीजा प्राप्त करने के लिए भी उसे अनेक औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। जो देश भारतीय नागरिकों को लेंगे वे यह भी देखेंगे कि अच्छे व्यक्ति ही उन देशों में आ सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत सरकार इस प्रकार की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इतनी परेशानी में क्यों पड़े ? हम यहां अच्छे व्यक्ति चाहते हैं। आप क्यों चाहते है कि अच्छे व्यक्ति यहां से चले जाएं और बुरे व्यक्ति यहां रह जाएं ? मैं यह कहना है कि जब देश मे बेरोजगारी की समस्या इतनी विशाल है तब वही लोग विदेश जायेंगे जो नौकरी की तलाश मे होंगे। मध्यपूर्व के देशों में रोजगार के काफी अवसर हैं और हाल ही मे खाड़ी युद्ध मे इराक द्वारा कुवैत की सीमा के अतिक्रमण और उसकी आजादी के बाद कुवैत में कारीगरों, राजमिस्त्री, ड्राईवरों आदि के लिए बहुत से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गये है। जबकि देश मे उनके लिये बेहतर रोजगार के अवसर नहीं है। यह लोग भारत सरकार के माध्यम से बाहर जाना चाहेंगे और इस तरह के मामलो के लिये सरकार अब अधिक समय चाहती है।

मेरे मित्र श्री आस्कर फर्नान्डीज हमारे क्षेत्र विशेषकर दक्षिण कन्नड़ जिले के लोगों और केरल राज्य के अन्य भागों के लोगों द्वारा उठाई जा रही कठिनाईयों के बारे में उल्लेख कर रहे थे। जहां तक कर्नाटक राज्य का संबंध है वहां केवल एक पासपोर्ट कार्यालय है जोकि बंगलौर में है। केरल का संबंध है वहां केवल तीन पासपोर्ट कार्यालय हैं। इन सबके बावजूद बहुत से लोग विशेषकर उत्तरी केरल के लोग पासपोर्ट लेने के लिए बंगलौर आते हैं। महोदय, बंगलौर के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की स्थिति यह है कि वहां लोगों के अन्दर जाने तक के लिये जगह नहीं है। सुबह से देर शाम तक सड़कों पर बहुत से लोगों की लम्बी कतारें लगी रहती हैं। अशिक्षित लोग पासपोर्ट कार्यालय में जाकर वहां बातचीत नहीं कर पाते हैं। अतः ऐसे लोगों की मदद की जानी चाहिए और इस प्रकार के लोगों को पासपोर्ट कार्यालय में तंग नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, मैंने बहुत पहले मंगलौर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने का मामला उठाया था। एक वर्ष बीत चुका है और कुछ भी नहीं किया गया है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि सदन में मेरे द्वारा यह मांग उठाने के बाद माननीय मंत्री श्री फलीरो मंगलौर आए और मंगलौर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की घोषणा की। इस वर्ष जनवरी में उन्होंने घोषणा की थी। इसके बाद मानसून सत्र के दौरान मैंने माननीय मंत्री से पूछा और उन्होंने कहा कि अब पासपोर्ट विभाग उनके पास नहीं है वह उस विभाग विशेष का कार्य नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री रघुनन्दन लाल भाटिया इस विभाग के प्रभारी हैं अतः वह केवल उत्तर ही दे सकते थे। फिर मजाक में उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिये आपका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व हम मंगलौर में पासपोर्ट कार्यालय खोल देंगे। अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि इससे पहले कि इस लोक सभा का कार्यकाल समाप्त हो सरकार को मंगलौर में पासपोर्ट कार्यालय खोल देना चाहिए जिससे उस क्षेत्र के लोगों की इच्छा की पूर्ति हो सके।

मैं एक या दो सुझाव देना चाहूंगा। मैं यहां मेरे मित्रों द्वारा दिये गये सुझाव जैसे सरकार को असीम शक्तियां देने से सहमत हूं। यदि यह महसूस करती है कि धन की कमी के कारण पासपोर्ट जारी करने में देरी होती है तब निश्चित तौर पर सरकार को धन एकत्र करने के लिए अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। लेकिन सरकार चाहती है कि इसकी सबको छूट हो। यदि वास्तव में ऐसी ही स्थिति है तब सरकार अध्यादेश जारी कर सकती थी। आप संशोधन विधेयक प्रस्तुत किये जाने का इन्तजार क्यों कर रहे हैं? आप अब संशोधन क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? पहले आप संसद से अनुमति ले लीजिए फिर धन इकट्ठा करने की सोचिए। वह अध्यादेश भी प्रस्तुत कर सकते थे। अतः मैं मानता हूं कि यह कारण नहीं है। सरकार जब किसी नागरिक को पासपोर्ट की आवश्यकता हो तब इसे जारी नहीं करना चाहती है वह अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वह लोगों के अधिकार को दबाना चाहते हैं।

विधेयक के प्रावधानों में ही कुछ निश्चित राशि का उल्लेख कर देना चाहिए था। मैं नहीं जानता की सरकार इससे क्या करना चाहती है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप भाई संघानी (अमरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में फिर कोरम नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बज चुकी है छह बज चुके हैं।

अब सभा कल 1 दिसम्बर, 1992 के 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 1 दिसम्बर, 1992/10 अग्रहायण, 1914 के 11.00 म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : दि इण्डियन प्रेस, दिल्ली।